A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

अध्यक्ष का संदेश / Chairman's Message

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपके बैंक की सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मार्च, 2011 को समाप्त अवधि के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा वित्तीय बाजार

विश्व के विभिन्न भागों में आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थितियां प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उथल–पुथल आदि सहित विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करती रहीं जिससे वैश्विक आर्थिक बहाली अस्थिर तथा कमजोर रही ।

संकट प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं का बार–बार कर्जे में डूबने का भय तथा अन्य जोखिमों के समाधान के लिए बड़े स्तर पर वित्तीय उपाय किए जाने अपेक्षित थे क्योंकि ऐसे संकट बार–बार सामने आते रहते हैं ।

बढ़ती हुई तेल की कीमतों से उभरते हुए तथा विकासशील देशों में भारी अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हुई है तथा मुद्रास्फीतिकारी दबाव पड़ा है जिससे विकास के उनके अनुमान खतरे में पड़ गए। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) ने अपनी अप्रैल, 2011 की वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में पूरे वर्ष 2011 के लिए प्रति बैरल 107 अमेरिकी डालर का अनुमान लगाया है।

जिंस डेरिवेटिव में सट्टेबाजी से प्रेरित जिंसों की मांग, तथा खराब मौसम और कम स्टॉक के कारण कीमतें अस्थिर रहीं। खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार मार्च, 2011 अंतरराष्ट्रीय खाद्य मूल्यों में 37 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई जिसका कारण अनाज (60 प्रतिशत), खाद्य तेल (49 प्रतिशत) तथा चीनी (41 प्रतिशत) के मूल्य थे ।

अमरीकी बाजार में निजी खपत में मंदी, आयात में वृद्धि, सरकारी व्यय में कमी बनी रही और वर्ष 2010 की अंतिम तिमाही में इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कम होकर 1.8% रह गया ।

प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी दर चिंताजनक बनी रही जो वैश्विक मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों के लिए एक खतरा है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.4% और उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 6.5% है जिसमें एशिया की वृद्धि दर अच्छी रहने की आशा है।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बहाली हुई और जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2009–10 की 8% की वृद्धि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2011 में 8.6% की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण बेहतर कृषि उत्पादन, मजबूत निजी खपत, अधिक निर्यात, व्यापक निवेश आदि होती है ।

औद्योगिकी उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष में दर्ज की गई 10.5% की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2010–11 में 7.8% पर कम रही। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2010–11 की अंतिम तिमाही में औद्योगिक उत्पादन में पुनः मजबूत तेजी आई ।

वर्ष 2011–12 के नवोन्मेष बजटकारी उपायो से वर्ष 2010–11 में राजकोषीय समेकन में प्रगति का संकेत मिलता है। चूंकि संरचनात्मक प्रतिबंधों को हटाने को महत्व देते हुए कुल मांग पर दबाव को कुछ कम करने के मध्यावधि उपायों से बुनियादी संरचनात्मक निवेश तथा समावेशी विकास को बढ़ावा मिला ।

Dear Shareholders,

I have great pleasure to welcome all of you to the Seventeenth Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report of your Bank for the period ended March 2011.

Global Economic Scenario & Financial Markets

The economic and financial conditions continue to face a variety of risks in different parts of the world combined with natural disasters, political turmoils etc making global recovery vulnerable and fragile.

The recurring sovereign debt fears and other risks in crisis affected economies require financial redressal in larger measures as such crisis keeps surfacing often and again.

The rising oil price has left large uncertainties and inflationary pressures on emerging and developing countries endangering their growth projections. Though, the International Monetary Fund (IMF) in its April 2011 World Economic Outlook (WEO) has assumed US dollar 107 a barrel for the full year 2011.

The Demand side on the commodities triggered with speculative movements in commodity derivatives coupled with bad weather and low inventories remain a cause for volatile prices. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), international food prices rose by 37 per cent (y-o-y) in March 2011, led by the prices of cereals (60 per cent), edible oils (49 per cent) and sugar (41 percent).

The US market continues to face deceleration in private consumption, increase in Import, decline in Government spending has lowered the GDP to 1.8% in the last quarter of 2010.

The unemployment rates continue to be on the other side in major advanced economies which pose a risk for Global Inflationary trends. The global GDP is forecasted by IMF at 4.4% in 2011 and for emerging developing economies at 6.5% with a promising growth rate for Asia.

Indian Economic Scenario

The Indian economy has rebounded strongly with a GDP growth of 8.6% in FY 2010-11 as against 8.0% for FY 2009-10, largely due to improved agriculture production, strong private consumption, higher exports, robust investment etc.

The Industrial Production growth of 7.8% for the year 2010-11 was lower as against 10.5% growth recorded in the previous year. However, the Industrial production regained strong momentum in the last quarter of the FY 2010-11.

The budgetary initiatives in 2011-12 indicate progress in the calibrated fiscal consolidation in 2010-11 as medium term measures for alleviating some pressures on aggregate demand by giving importance to removing structural constraints, promoting infrastructure investment and an inclusive growth.

मौद्रिक निभाव का क्रमिक आहरण मुद्रास्फीतिकारी दबाव को नियंत्रित करने तथा मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं जो मुख्यतया ईंधन तथा खाद्य कीमतों के कारण वर्ष 2010–11 की अधिकांश अवधि में उच्च स्तर पर रहीं, पर अंकुश लगाने में सहायक है।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख उपायों में बैंकों की एसएलआर अपेक्षाओं को 25% से कम करके 24% करना तथा रेपो दर को 5.25% से बढ़ाकर 7.25% और रिवर्स रेपो दर को 3.75% से बढ़ाकर 6.25% करना शामिल है। (वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान आठ बार)

जोखिमों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की गति को बनाए हुए है ।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए भावी परिदृश्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषित वार्षिक मौद्रिक नीति में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के 8% रहने, मुद्रा आपूर्ति वृद्धि 16%, कुल जमाराशि वृद्धि 17%, वृद्धि गैर खाद्यान्न ऋणों में 19% की वृद्धि होने और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लक्ष्य के उच्चतर प्रवृत्ति के साथ 6.0% पर रहने का अनुमान किया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 6,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त पूंजी सहायता देना नियत किया है ताकि टीयर–। पूंजी में न्यूनतम 8 प्रतिशत का जोखिम भारित अनुपात (सीआरएआर) सुनिश्चित किया जा सके। यह वित्तीय वर्ष 2010–11 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगाई जा रही 20,157 करोड़ रु. की राशि के अतिरिक्त है ।

दक्षिण–पश्चिम मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को सामान्य बनाने में इसका प्रभाव अनुमान से कम हो सकता है परन्तु खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों तथा वैश्विक खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति में यह एक मजबूत संरचनात्मक कारक है। पिछले 15 माह से अधिक समय से किए गए मौद्रिक उपायों का संचयी प्रभाव 2011–12 के दौरान महसूस किया जाता रहेगा जिससे विकास तथा मुद्रास्फीति दोनों के सामान्य रहने में सहायता मिलेगी।

वैश्विक आर्थिक बहाली 2011 में जारी रहने का अनुमान है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय उत्प्रेरक तथा मौद्रिक नियंत्रण बढ़ने के प्रभाव, तेल तथा अन्य जिंसों की बढ़ी हुई कीमतों आदि के कारण विकास मंदा होने का अनुमान है।

भारतीय बैंकिंग की प्रमुख घटनाएं

घरेलू आर्थिक दशाओं में हो रहे सुधार के मध्य, 2010–11 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्यनिष्पादन काफी प्रभावपूर्ण रहा। वर्ष 2010–11 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 15.08% की वृद्धि हुई और ये 52,04,703 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गईं जबकि इसी अवधि में ऋण प्रवाह में 21.4% की वृद्धि हुई और ये 39,38,659 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गए। मार्च, 2011 के अंत में स्थूल मुद्रा (एम3) 8,94,016 करोड़ रुपए रही और इसमें वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 15.9% की वृद्धि हुई।

बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं :

मैं वर्ष 2010–11 हेतु आपके बैंक का कार्यनिष्पादन आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करता हूं।

- 31 मार्च, 2011 को आपके बैंक का कुल कारोबार 31,451 करोड़ रुपए (15.38% की वृद्धि) की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के 2,04,442 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,35,893 करोड़ रुपये रहा। मार्च, 2011 के अंत में जमाराशियां और कुल अग्रिम क्रमशः 15.63% और 15.03% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1,39,054 करोड़ रुपये और 96,839 करोड़ रुपये हो गए।
- आपके बैंक का ऋण–जमा अनुपात मार्च 2010 के 70.22% की तुलना में मार्च, 2011 के अंत में 69.73% रहा। बैंक का अग्रिम संविभाग वैविध्यपूर्ण एवं संतुलित है और अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।
- बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 40% की निर्धारित सीमा से अधिक अर्थात् समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 42.70% रहे। मूल्य

A sequenced withdrawal of monetary accommodation is helping to contain inflationary pressures and anchor inflationary expectations which remained at elevated levels for a large part of 2010-11, largely driven by fuel and food prices.

The major RBI measures include decline in SLR requirement of the Banks from 25% to 24% and hike in the Repo Rate from 5.25% to 7.25% and Reverse Repo rate from 3.75% to 6.25%. (Eight times during FY 2010-11).

Notwithstanding the risks, the Indian economy is poised to sustain the growth momentum.

Outlook for FY 2011-12

RBI in its recently announced Annual Monetary Policy, has projected real GDP growth rate at 8%, Money Supply Growth at 16%, Aggregate Deposits Growth at 17%, Non food credit growth at 19% and target of WPI inflation at 6.0% with upward bias for the FY 2011-12.

In the Union Budget for FY 2011-12, GOI has earmarked a sum of Rs.6,000 crore towards additional capital support to the Public Sector Banks to maintain a minimum Tier I Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) at 8 per cent. This is an addition to the infusion of Rs. 20,157 crore in PSBs being done in FY 2010-11.

While the south-west monsoon 2011 is expected to be normal, its impact on moderation in food inflation may be less than commensurate, given a strong structural component in food inflation and elevated global food price situation. The cumulative impact of monetary measures over the last 15 months will continue to be felt over the course of 2011-12, contributing to moderation in both growth and inflation.

The Global recovery is expected to sustain in 2011 and growth is projected to decelerate in advanced economies as well as in EMEs due to impact of fiscal stimulus and monetary tightening, high oil and other commodity prices etc.

Developments in Indian Banking

Amidst the improving domestic economic conditions, performance of Scheduled Commercial Banks (SCBs) during 2010-11 has been quite impressive. Aggregate Deposits of the SCBs grew by 15.8% during the year 2010-11 to a level of Rs. 52,04,703 crore while credit flow achieved a growth of 21.4% during the same period, to reach a level of Rs. 39,38,659 crore. The Broad Money (M3) as at end March 2011 was Rs. Rs.8,94,016 crore, with a growth of 15.9% on year-on-year basis.

Performance Highlights of the Bank

I have immense pleasure in sharing with you, your Bank's performance for the year 2010-11.

- The Total Business Mix of your Bank stood at Rs.2,35,893 crore as on March 31, 2011 as against Rs.2,04,442 crore in the previous year reflecting an increase of Rs.31,451 crore (growth of 15.38%). As at end-March 2011, Deposits and Gross Advances stood at Rs.1,39,054 crore and Rs.96,839 crore, registering a growth of 15.63% and 15.03%, respectively.
- The CD ratio of your Bank stood at 69.73% as of March 2011 as against 70.22% as of March 2010. The Advances portfolio of the Bank is well diversified, balanced and the credit needs of productive sectors of the economy have been met.
- The Priority Sector (PS) Advances of your Bank constituted 42.70% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the

के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम मार्च, 2010 के अंत में रहे 29,384 करोड़ रुपये के अग्रिमों में 6,267 करोड़ रुपये (21.33% की वृद्धि) की वृद्धि के साथ मार्च, 2011 के अंत में 35,651 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गए।

- कृषि क्षेत्र के कुल अग्रिम 12,721 करोड़ रुपये रहे जिनमें से प्रत्यक्ष कृषि को दिए गए अग्रिमों की राशि 8,888 करोड़ रुपये रही। कुल कृषि अग्रिमों में 12.90% की वृद्धि हुई जबकि प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में 35.39% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 2010–11 के दौरान लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को दिए गए बैंक वित्त 40.56% की वृद्धि के साथ 12,571 करोड़ रुपये से बढ़कर 17,670 करोड़ रुपये हो गए।
- वर्ष 2010–11 के दौरान शिक्षा ऋण 13.4% की वृद्धि के साथ 972 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,102 करोड़ रुपये हो गए।
- वर्ष 2010–11 के दौरान आवास ऋण 1.2% की वृद्धि के साथ 7,946 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,042 करोड़ रुपये हो गए।
- मार्च, 2011 के अंत में बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष के अंत में 2,422 करोड़ रुपये के स्तर से 34.01% की वृद्धि के साथ 3,245 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान निवल ब्याज आय भी 43.69% की वृद्धि के साथ 2,907 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,178करोड़ रुपये हो गई।
- आपके बैंक का निवल लाभ वर्ष 2010–11 के दौरान रहे 1134.68 करोड़ रुपय के स्तर से बढ़कर वर्ष 2010–11 के दौरान 1,500 करोड़ रुपये पार करके 1,502.87 करोड़ रु0 पहुंच गया।
- आपके बैंक ने 2010–11 के दौरान एनपीए में 1284 करोड़ रुपये की वसूली की। कुल एनपीए 1,921 करोड़ रु. के स्तर पर रहे जो 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों का 1.98% है। मार्च, 2011 के अंत में बैंक के निवल एनपीए निवल अग्रिमों का 0.98% थे।

जोखिम प्रबन्धन / बासेल–II का कार्यान्वयन

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपका बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों के अनुसार बासेल–II अनुपालक है और बैंक का पूंजी में जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की न्यूनतम अपेक्षा से कहीं अधिक 14.23% रहा। बैंक ने अपेक्षित जोखिम प्रबन्धन पद्धतियां अपनाई हैं जिनकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षा की जाती है एवं इन्हें आवधिक तौर पर अद्यतन किया जाता है।

नवोन्मेष कार्य :

- मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम (केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड) की पिछली वित्तीय वर्ष के दौरान 119.12 करोड़ रुपए के पहले प्रीमियम के साथ 38097 पालिसियों की तुलना में 159.80 करोड़ रुपए के पहले प्रीमियम के साथ 42393 पॉलिसियां बेचीं। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान कुल 35.56 करोड़ रु. का कमीशन अर्जित किया ।
- बैंक ने लाभप्रदत्ता बढ़ाने के लिए कासा जमाराशियां जुटा कर कम लागत की निधियों पर अधिक ध्यान दिया। वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों को बचत बैंक खातों पर दैनिक उत्पाद आधार पर ब्याज देना आरंभ किया ।
- बैंक ने 50 के आयु वर्ग में भावी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 अप्रैल, 2011 से एक विशिष्ट मीयादी जमा योजना **''वरिष्ठ सम्मान''** आरंभ की। बैंक उद्योग में यह ऐसी पहली योजना है जो भावी वरिष्ठ नागरिकों को दीर्घावधि ब्याज लाभ देती है ।
- बैंक ने ग्रामीण उद्यमियों के सशक्तीकरण तथा मोची, लुहार, सब्जी विक्रेता,

requirement of 40%. In value terms, PS Advances increased by Rs.6,267 crore (a growth of 21.33%) to reach a level of Rs.35,651 crore as at end March 2011 from Rs.29,384 crore as at end March 2010.

- Total advances to Agriculture Sector stood at Rs.12,721 crore, out of which advances to Direct Agriculture was Rs.8,888 crore. Total Agriculture Advances grew by 12.90%. Direct Agriculture grew by 35.39%.
- Bank's exposure to Small and Medium Enterprises (SME) increased to Rs.17,670 crore from Rs.12,571 crore, thus growing by 40.56% during 2010-11.
- Loans for Education increased to Rs.1,102 crore from Rs.972 crore, thus recording a growth of 13.4% during the year 2010-11.
- Loans for Housing increased to Rs.8,042 crore from Rs. 7,946 crore, thus recording a growth of 1.2% during the year 2010-11.
- Operating Profit of the Bank as at end March 2011 recorded a growth of 34.01% to Rs.3,245 crore from a level of Rs.2,422 crore as at the end of the preceding year. During the same period, Net Interest Income (NII) increased by 43.69% to Rs.4,178 crore from Rs.2,907 crore.
- The Net Profit of your Bank crossed Rs.1,500 crore and reached to Rs.1,502.87 crore during 2010-11 from a level of Rs.1,134.68 crore during 2009-10.
- Your Bank made a recovery of Rs.1,284 crore in NPA during 2010-11. The Gross NPA stood at a level of Rs.1,921 crore which is 1.98% of Gross Advances as on 31.03.2011. The Net NPA of the Bank was at 0.98% of Net Advances at the end of March 2011.

Risk Management/Implementation of BASEL II

I am happy to inform you that your Bank is Basel II compliant in terms of the New Capital Adequacy Framework guidelines issued by the Reserve Bank of India and Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank stood at 14.23%, well above the minimum requirement of 9% as stipulated by RBI. The Bank has put in place adequate Risk Management Systems which are reviewed and updated periodically in the light of guidelines received from Reserve Bank of India from time to time.

New Initiatives

- During the Financial Year ended March 2011, the Bank marketed 42393 policies of its joint venture ("Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited") with first premium collection aggregating Rs. 159.80 crore as compared to 38097 policies with first premium collection of Rs. 119.12 crore during the last financial year. Bank earned a Gross Commission of Rs.35.56 crore during the Financial Year 2010-11.
- Towards improving profitability, the Bank has focused on raising low cost resources through mobilization of CASA deposits. During the year the Bank has started providing interest on SB accounts to customers on a daily product basis.
- The Bank pioneered a unique Term Deposit Scheme called "VARISHTH SAMMAN" w.e.f. 5th April, 2011 for prospective senior citizens in the 50's Age Bracket. It is a First such Scheme floated in Banking Industry which gives Long Term Interest Advantage to Prospective Senior Citizens.
- Bank has launched Oriental Grameen Swarojgar Card (a

दर्जियों इत्यादि जैसी सूक्ष्म गतिविधियों के लिए बैंक को आबंटित गांवों में पात्र निवासियों को वित्त प्रदान करके वित्तीय समावेशन को तीव्र करने के लिए **ओरियन्टल ग्रामीण स्वरोजगार कार्ड** (सूक्ष्म ऋण उत्पाद) आरम्भ किया है ।

- बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं से रहित लोगों के लिए संचयी जमा योजना के रूप में ''**ओरियन्टल ग्रामीण जमा योजना**'' नामक एक सूक्ष्म बचत योजना भी आरम्भ की है ।
- बैंक ने इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फोरेमेशन सर्विसिज जो अमेरिका के सबसे बड़े क्रेडिट ब्यूरो में से एक है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- बैंक अपने ग्राहकों तथा जनता को विशिष्ट पहचान संख्या(आधार) जारी करने के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बना।
- बैंक ने भारत में अपनी चुनी हुई शाखाओं के माध्यम से 999.9 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के सिक्कों की बिक्री आरंभ की ।

सूचना प्रौद्योगिकी के नवोन्मेष कदम

- एटीएम के माध्यम से आयकर भुगतान सुविधा का प्रारम्भ
- ऑनलाइन एएसबीए सुविधा लागू करना
- अंतर बैंक मोबाइल भुगतान पद्धति (आईएमपीएस) के माध्यम से तत्काल निधि अंतरण
- दृष्टिबाधितों के लिए वॉयस आधारित एटीएम और ग्रामीणों के लिए बायोमीट्रिक एटीएम लगाए गए।
- एटीएम के जरिए चेक की स्थिति संबंधी पूछताछ तथा भुगतान रोको अनुरोध इत्यादि मूल्य योजित सेवाएं।
- ओबीसी डेबिट कार्ड के जरिए द्वितीय प्रमाणन के रूप में वैरिफाइड बाई वीज़ा के साथ ऑनलाइन ई–कामर्स लेनदेन की सुविधा
- बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख बैंक के साथ मिलकर शीघ्र ही को–ब्रांडिड क्रेडिट कार्ड जारी करेगा ।

बेहतर ग्राहक सेवा हेतु प्रौद्यागिकी :

- आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे कुछेक बैंकों में से है जहां 100% कारोबार कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से किया जाता है । इस वर्ष के दौरान, बेहतर कार्यनिष्पादन तथा बढ़े हुए कारोबार को संभालने के लिए सीबीएस से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी ढ़ांचे को अपग्रेड किया गया। बैंक के सभी कार्यालय केन्द्रीकृत नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे ग्राहकों को एक ही स्थान पर अबाध सेवा प्रदान की जाती है । मार्च 2011 के अंत में आपके बैंक का एटीएम आधार 1192 हो गया और 25.83 लाख कार्डधारकों के माध्यम से प्रतिदिन 1.2 लाख से अधिक लेन–देन किए जा रहे हैं ।
- आपके बैंक की कारपोरेट वेबसाइट समसामयिक और हमारी कारपोरेट छवि के अनुरूप है । इस साइट में मूल्यवर्धित लिंक जैसे : एनएसई मार्किट ट्रैकर, एनएसई विदेशी मुद्रा ट्रैकर, बीएसई सेंसेक्स, एनएसई निफ्टी और स्पोटर्स अपडेट आदि को शामिल किया गया है। इस वेबसाइट को वेरीसाइन से एसएसएल एन्क्रीप्शन लागू करके सुरक्षित भी किया गया है ।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन एनईफटी, ई–कॉमर्स, शेयरों की ऑनलाइन ट्रेडिंग इत्यादि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। वर्ष के दौरान 77,000 नए ग्राहक बनने से इंटरनेट बैंकिंग का ग्राहक आधार 3.53 लाख तक पहुंच गया है व औसतन 26000 दैनिक हिट्स किए जा रहे है ।
- मोबाइल बैंकिंग सुविधा दी जा रही है जिससे बैलेंस की जानकारी, बैंकों निधि अंतरण, बैंक में निधि अंतरण आदि सुविधाएं दी जा रही हैं।

micro credit product) for empowerment of rural entrepreneurs and to further speed up financial inclusion by way of providing finance to micro activities like cobblers, vegetable vendors, tailors, etc. to eligible residents in the villages allotted to the Bank.

- Bank has also launched a Micro Thrift Scheme called "ORIENTAL GRAMEEN JAMA YOJANA" – a cumulative deposit scheme for the financially excluded people in rural areas.
- The Bank has signed a MoU with Equifax Credit Information Services which is one of the largest Credit Bureau of USA.
- The Bank became the 1st Public Sector Nationalised Bank to commence the enrollment process for issuance of Unique Identification Number (Aadhaar) for the customers of the Bank and public at large.
- Bank commenced the sale of 24 Carat Gold Coins of 999.9 fineness through its identified Branches across India.

IT Initiatives

- Launch of Income Tax Payment Facility through ATMs,
- Online ASBA Facility Operationalised,
- Instant Funds Transfer through Inter Bank Mobile Payment System (IMPS),
- Operationalised voice enabled ATMs for visually impaired and Biometric ATMs for rural masses,
- Value Added Services through ATMs like Cheque Status Inquiry & Stop Payment Request,
- Facility of Online e-commerce transaction through OBC Debit Card along with Verified by VISA as 2nd factor authentication.
- The Bank is in the process of launching a Co-Branded Credit Card with a leading Public Sector Bank.

Technology for Better Customer Service

- Your Bank is amongst the few Public Sector Banks where 100% of the business is routed through the Core Banking Solution. The CBS related IT infrastructure has been upgraded during the year for better performance and to cope with increased business load. All offices of the Bank are connected to the centralized network offering one stop seamless services to customers. As at the end of March 2011, your Bank has got ATM base of 1192 and more than 1.2 lakh transactions are happening per day through a card base of 25.83 lakh.
- Your Bank's Corporate Website is contemporary and in line with our Corporate image. Value added links like NSE Market Tracker, NSE Foreign Exchange Tracker, BSE Sensex, NSE Nifty and sports update etc have been incorporated in the site. The website has also been secured by implementing SSL encryption from VeriSign.
- Additional features such as Online NEFT, e-Commerce, Online Trading of shares etc. have also been made available through Internet Banking. With addition of 77,000 new customers during the year, the Internet Banking customer base has reached to 3.53 lakh and average daily hits to 26000.
- Mobile Banking Services are offered facilitating balance inquiry, Intra-Bank funds transfer, Inter-Bank funds transfer, etc.

- आपके बैंक ने वेरिफाइड बाय वीज़ा के माध्यम से डेबिट कार्ड के लिए ई–कामर्स सुविधा भी शुरू की है जिसके द्वारा ग्राहक नेट के जरिए वाणिज्यिक लेन–देन कर सकते है।
- आई–बैंकिंग के जरिए निधि अंतरण की सुविधा में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय पहचान :

आपके बैंक ने 30.03.2009 को दुबई में पहला प्रतिनिधि कार्यालय खोलकर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपना स्थान बनाया । यह विदेशी कार्यालय बैंक की भविष्य में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों में अपना विस्तार करने की महत्वाकांक्षा का शुभारंभ है। दुबई में हमारे प्रतिनिधि कार्यालय से, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कारोबार करने के अवसरों के बारे में सहायता दी जा रही है तथा हमारे उत्पादों और सेवाओं की मार्किटिंग की जा रही है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में आपके बैंक ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) स्थापित करने हेतु 09.12.2005 को 'ओबीसी ग्रामीण विकास न्यास' के नाम से एक न्यास की स्थापना की । इस न्यास ने चार जिलों अर्थात जयपुर, श्रीगंगानगर, फिरोजपुर एवं देहरादून में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं । ग्रामीण बेरोजगार युवकों का कौशल बढ़ाने के लिए उन्हें स्वरोजगार सृजित करने वाले क्रियाकलापों जैसे टेलरिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, फुलकारी ,लघु उद्योग स्तर पर कृषि खाद्य प्रोसेसिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । न्यास की गतिविधियों में, फसलों की विविधता, स्व–सहायता समूहों का गठन,कौशल विकास, उद्यमशीलता का विकास और ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस न्यास की स्थापना से लेकर अब तक 588 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 20586 प्रत्याशियों ने लाभ उठाया है।

बैंक ने नेत्रहीनों के लिए वॉइस एटीएम और बायोमीट्रिक एटीएम आरंभ किए हैं । आपके बैंक ने बच्चों में कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाने में सहयोग दिया और गैर सरकारी संस्थाओं तथा सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की ।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमः बैंक ने 2010–11 के दौरान 100% वित्तीय समावेशन के लिए 300गांवों को अंगीकार किया है। चयनित किए गए 1,77,116 घरों में से 77,940 को स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए नामांकित किया गया है। 25,823 व्यक्तियों को स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इस समय ग्रामीणों को हाथ में पकड़ने वाले यंत्र(पीओएस) के प्रयोग द्वारा उनके द्वार पर ही मूल बैंकिंग सेवाएं (नकद जमा और आहरण) दी जा रही हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान 270 और गांवों को वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की योजना है।

आपका बैंक शिवपुरी पट्टी गांव(जिला शिवगंगा) , तमिलनाडु में ओरियन्टल ग्रामीण क्लीनिक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है जिससे वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान लगभग 2500 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

कम्पनी अभिशासन

आपका बैंक उद्योग की श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाकर, कम्पनी अभिशासन के सर्वोच्च मानदंडों को कायम रखे हुए हैं । बैंक सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कम्पनी अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है ।

बैंक की कम्पनी अभिशासन नीतियों में हमारे सभी ग्राहकों जिनमें जमाकर्ता, ऋणदाता, ग्राहक, कर्मचारी एवं विनियामक प्राधिकारी शामिल हैं, के प्रति मंडल के उत्तरदायित्व और लिए गए निर्णयों के महत्व को स्वीकार किया गया है।

ग्राहक सेवा

हमारे ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक स्थायी सम्बन्ध है जो कई वर्षों के विश्वास से बने हैं और इस आशा पर आधारित है कि बैंक उनके सपनों को व्यावसायिक ढंग

- Your Bank has also launched e-commerce for Debit Cards through Verified by VISA, whereby customers can undertake merchandise transactions through net.
- Additional security measures introduced in facility of funds transfer through I-Banking.

International Presence

Your Bank made its foray in International arena on 30.03.2009 with the opening of its first representative office at Dubai. This overseas venture is the beginning of the Bank's quest to spread its wings at other important International Financial Centers in the future. Our representative office at Dubai has been extending assistance to NRIs and PIOs about business opportunities in India and marketing the Bank's products & services.

Corporate Social Responsibility

As a part of its Corporate Social Responsibility, your Bank set up a Trust in the name of 'OBC Rural Development Trust' on 09.12.2005 for setting up of Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) and taking up other developmental activities. The Trust set up training Institutes in four Districts, viz., Jaipur, Sriganganagar, Ferozepur and Dehradun. Free trainings on skill development to rural unemployed youth are being imparted for self-employment generating activities such as Tailoring, Dress designing & stitching, Embroidery, Phulkari, small scale agri food processing, etc. The activities of the Trust also cover education of farmers in crop diversification, formation of Self Help Groups, Skill improvement, Entrepreneurship development and promoting use of non-conventional energy. Since inception a total of 588 training programmes have been conducted benefiting 20,586 candidates.

Bank has operationalised voice enabled ATMs for the visually impaired and Bio-metric ATMs. Your Bank has assisted in improving computer literacy among children and has provided financial assistance to NGOs and Institutions committed to social causes.

Financial Inclusion Program: Bank has adopted 300 villages during 2010-11 for 100% Financial Inclusion. There are 1,77,116 identified households, of which 77,940 have been enrolled for issuing smart cards. Smart cards have been issued to 25,823 persons. Presently basic banking services (cash deposit & withdrawal) are being provided through smart cards by using hand held devices (POS) at the doorstep of villagers. During 2011-12, it is envisaged to cover 270 villages under the Financial Inclusion Plan.

Your Bank is providing free medical assistance to villagers in Sivapuri Patti village (Sivaganga District) Tamil Nadu through Oriental Rural Clinic programme which has benefitted about 2500 persons during the Financial Year 2010-11.

Corporate Governance

Your Bank has been maintaining the highest standards of Corporate Governance by adopting best industry practices. The Bank has been adhering to the corporate governance guidelines laid down by SEBI and RBI.

Bank's Corporate Governance policies recognize the accountability of the Board and the impact of its decisions on all our constituents including shareholders, depositors, lenders, customers, employees and the Regulatory authorities.

Customer Service

With our customers, we share a long and enduring relationship that is built over the years on trust and an abiding hope that the

से पूरा करने के लिए सदैव उन्हें सहयोग देगा । हम अपने सम्मानित ग्राहकों को श्रेष्ठ बैंकिंग सेवाएं, उत्पाद प्रदान करने और उत्कृष्टता की परम्परा निभाने के लिए वचनबद्ध हैं।

लाभांश

आपके बैंक की लाभांश घोषित करने की नीति शेयरधारकों को उचित प्रतिफल देने तथा स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने और भावी विकास में सहयोग करने हेतु लाभ के पुनर्निवेश पर आधारित है । तदनुसार, आपके निदेशकों ने गत वर्ष प्रदान किए गए 9.10 रुपए प्रति शेयर (91%) के लाभांश की तुलना में 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए 10.40 रुपए प्रति शेयर (104%)का लाभांश सहर्ष प्रस्तावित किया है ।

भावी योजना

आपके बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ वर्ष–दर –वर्ष सुसंगत कार्यनष्पिादन करते हुए ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रतिफलित होती है। हमारी प्रतिबद्ध टीम के साथ 1.5 मिलयन का विस्तृत ग्राहक आधार इसका प्रमाण है। ग्राहक सेवा के क्षेत्र में नए–नए कदम उठाते हुए बैंक ने विभिन्न डिलीवरी चैनल तथा कई ऑन–लाइन सेवाएं शुरू की हैं जिससे हमारी सेवा समय पर होने के साथ –साथ अधिक दक्ष, प्रभावी व त्रुटिहीन हो गई है।

बैंक वर्ष 2011–12 में कुल कारोबार में 20% से अधिक की वृद्धि करने की भावी योजना के प्रति आशावान हैं। इसके लिए हमने वर्ष 2011–12 के दौरान 150 से अधिक नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है ।

वर्ष 2010–11 के दौरान 241 विशेषज्ञ अधिकारियों सहित 1836 कर्मियों की नियुक्ति की गई। 526 विशेषज्ञ अधिकारियों,500 परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा 1750 लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न संवर्गों में कार्मिकों की भर्ती, निरंतर प्रशिक्षण जैसे नवोन्मेष उपायों से पुष्ट ओबीसी टीम अपने ग्राहकों की सेवा में प्रतिबद्ध है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान नए बायोमीट्रिक एटीएम लगाकर, नए बायोमीट्रिक कार्ड जारी करके, नो फ्रिल खातों के लिए ग्राहकों को नामांकित करके,अतिरिक्त गांवों को अंगीकार करके, कारोबार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने एवं नए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) बनाकर वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैंक के सर्वोच्च प्रबंध वर्ग का अंतिम लक्ष्य है : हमारे चार प्रमुख मानकों अर्थात् सुदृढ़ कासा, वैविध्यपूर्ण अग्रिम पार्टफोलियो, मजबूत निवल ब्याज मार्जिन तथा कड़े एनपीए प्रबंधन द्वारा बैंक को अधिक स्थिर व विकासोन्मुख बनाना।

निदेशक मंडल की ओर से और मैं अपनी ओर से सभी शेयरधारकों द्वारा प्रबंध वर्ग के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ । बैंक की सफलता हमारे पण्यधारकों द्वारा बैंक के मूल सिद्धांत स्वीकार करने , ग्राहक सेवा की उत्कट भावना तथा नेताओं की विश्वसनीयता में निहित है। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पण भावना तथा हमारे निष्ठावान ग्राहकों द्वारा दिए गए सतत् सहयोग व संरक्षण के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ । मैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का,उनके सतत मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

(नागेश पैड़ा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Bank will always partner for the fulfillment of their dreams in a professional manner. We are committed for bringing to our esteemed customers the best of banking services, products and a tradition of excellence.

Dividend

Your Bank's policy of declaring dividend is to reward the share holders as well as to plough back sufficient profits for maintaining a healthy capital adequacy ratio & supporting future growth. Accordingly, your Directors are happy to propose a dividend of Rs.10.40 per share (104%) for the year ended 31st March, 2011 as against Rs. 9.10 per share (91%) paid for the preceding year.

Looking Forward

Your Bank's financial soundness is reflected in its consistent performance over the years with a state of the art technology platform to meet the customer's aspiration. The 1.5 million strong customer base with a committed team force stands testimony to this. Taking forward the innovation in customer service, the bank has introduced various delivery channels and a number of on line services which makes service delivery efficient, effective and error free besides being timely.

For the year 2011-12, the Bank is looking optimistically for business mix growth of more than 20%. Towards this we have planned to add more than 150 branches during 2011-12.

1836 personnel including 241 Specialist Officers have been recruited during 2010-11. Recruitment process for 526 Specialist Officers, 500 Probationary Officers and 1750 Clerks is underway. Recruitment of personnel at different cadres & continuous training are some initiatives directed towards building the Team OBC in the service to its customers.

More importantly, a special focus is being laid on Financial Inclusion by way of installation of biometric ATMs, issuing fresh Biometric Cards, enrolling customers under No-Frill Accounts, adopting more villages, appointing Business Correspondents and forming new Self Help Groups (SHGs)/Joint Liability Groups (JLGs) during the year.

The ultimate objective of the Top Management of the Bank is to equip the Bank with more stability and growth orientation through four key parameters i.e. Healthy CASA, well – diversified Advances portfolio, strong NIM and stringent NPA Management.

On behalf of the Board of Directors and on my own behalf, I take this opportunity to express my sincere thanks and gratitude to all the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Management. The success of the Bank lies in attaining the acceptance of our stakeholders about the Bank's core values, passion for customer service and credibility of leaders. I also thank every employee of the Bank for their dedication and our loyal customers for their continued support and patronage. My sincere thanks to the Ministry of Finance, Government of India and the Reserve Bank of India for their continued guidance and support.

(NAGESH PYDAH)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्री नागेश पैड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Sh. Nagesh Pydah
Chairman & Managing Director

श्री एस.सी.सिन्हा
कार्यकारी निदेशक
Sh. S.C. Sinha
Executive Director

श्री वी. कण्णन
कार्यकारी निदेशक
Sh. V. Kannan
Executive Director

श्रीमती सुमिता डावरा
Smt. Sumita Dawra

श्री बी. श्रीनिवास
Sh. B. Srinivas

श्री टी. वल्लियप्पन
Sh. T. Valliappan

श्री यू. के. खेतान
Sh. U.K. Khaitan

श्री सी. के. सभरवाल
Sh. C.K. Sabharwal

श्री के.बी.आर. नायडू
Sh. K.B.R. Naidu

श्री के. एच. पाण्डेय
Sh. K.H. Panday

श्री एस.एस. शिशोदिया
Sh. S.S. Shishodia

d) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosure- (करोड़ रु. में)(Rs. in crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछले वर्ष Previous Year	
	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate Derivatives
i) डेरिवेटिव (अनुमानित मूलधन) Derivatives (Notional Principal Amount)				
a) बचाव व्यवस्था हेतु / For hedging	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) व्यापार हेतु / For trading	60.09*	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
ii) प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों की स्थिति Marked to market Positions				
a) आस्तियां (+)/Assets (+)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) देयताएं (-)/Liabilities (-)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii) ऋण एक्सपोज़र / Credit Exposure	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iv) ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
a) बचाव व्यवस्था डेरिवेटिव्स पर / On hedging derivatives	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) व्यापारिक डेरिवेटिव्स पर / On trading derivatives	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
v) वर्ष के दौरान देखा गया 100*पीवी01 अधिकतम तथा न्यूनतम प्रभाव Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a) बचाव व्यवस्था पर / On hedging	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) व्यापार पर / On trading	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
अधिकतम / Maximum		-1.74		0.0007
न्यूनतम / Minimum		0.00		0.00

*अंतर बैंक बाजार में कवर की गई स्थिति / Position covered in inter-bank market

10) आस्ति गुणवत्ता

क) गैर-निष्पादन कारी आस्तियां: (करोड़ रु.में)

मदें	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए(%)	0.98%	0.87%
ii) एनपीए में उतार चढ़ाव (सकल)		
क) अथ शेष	1468.75	1058.12
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	1556.00	1133.10
ग) वर्ष के दौरान कमी	1104.21	722.47
घ) इति शेष	1920.54	1468.75
iii) निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
क) अथ शेष	723.82	442.43
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	1556.00	1133.10
ग) वर्ष के दौरान कमी	1341.67	851.71
घ) इति शेष	938.15*	723.82*
iv) एनपीए हेतु प्रावधान में उतार–चढ़ाव (स्तरीय अस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
क) अथ शेष	728.55	594.65
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	245.09	133.90
ग) बट्टे खाते डाली गई राशि/ अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	0.00	0.00
घ) इतिशेष	973.64	728.55

10) ASSET QUALITY

a) Non-Performing Assets: (Rs. in Crores)

Items	Current Year	Previous Year
i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.98%	0.87%
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	1468.75	1058.12
b) Additions During the Year	1556.00	1133.10
c) Reductions During the Year	1104.21	722.47
d) Closing Balance	1920.54	1468.75
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	723.82	442.43
b) Additions during the year	1556.00	1133.10
c) Reductions during the year	1341.67	851.71
d) Closing balance	938.15*	723.82*
iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	728.55	594.65
b) Provisions Made During the Year	245.09	133.90
c) Write-off/ write-back of Excess Provisions	0.00	0.00
d) Closing balance	973.64	728.55

*उपर्युक्त आंकड़ों में 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार बैंक के एनपीए संविभाग के प्रति बैंक द्वारा किए गए 72.00 करोड़ रु0 के अस्थायी प्रावधानों का प्रभाव शामिल है तथा इसे 31.03.2011 को भी रखा गया है।

निवल एनपीए, ईसीजीसी/डीआईसीजीसी के निपटाए गए दावों और एनपीए पर प्रावधानों का समायोजन करने के बाद निकाले गये हैं।

31.03.2011 को बैंक का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) 76.79% (पिछले वर्ष 76.74%) है जिसकी गणना बैंक द्वारा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई कुल राशि को हिसाब में लेकर की गई ।

प्रावधान में जहां जरूरी हो, निर्धारित से अधिक दर पर किया गया प्रावधान शामिल है।

*The above figures include the effect of floating provisions of Rs. 72.00 crores, made by the bank towards NPA portfolio of the bank as on 31.3.2009 and the same is retained as on 31.03.2011 also.

Net NPA is arrived at after adjusting ECGC/DICGC claims settled and provisions on NPAs.

The Provisioning Coverage Ratio (PCR) for the Bank as on 31.03.2011 is Rs 76.79% (previous year 76.74%), which is calculated taking into account the total technical write offs .

Provision includes provisions made above the prescribed rates where ever necessary.

ख) पुनः संरचित खातों के विवरण
b) Particulars of Accounts Restructured

(राशि करोड़ रु. में) / (Amount in Rs. crores)

		सी.डी.आर तंत्र CDR Mechanism		एसएमई ऋण पुनः संरचना SME Debt Restructuring		अन्य Others	
		चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
पुनः रांरचित स्तरीय अग्रिम **Standard advances restructued**	ऋणियों की रांख्या No. of Borrowers	7	11	39	55	6933	278
	बकाया राशि Amount Outstanding	161.33	354.30	207.39	220.12	474.76	2897.19
	घाटा (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	16.29	13.70	4.05	4.42	21.00	13.68
पुनः संरचित अवस्तरीय अग्रिम **Sub Standard advances restructured**	ऋणियों की रांख्या No. of Borrowers	0	0	0	5	48	43
	बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	12.40	1.18	151.34
	घाटा (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15
पुनः संरचित संदिग्ध अग्रिम **Doubtful advances restructured**	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	0	0	1	1	0	5
	बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	0.34	0.25	0.00	0.26
	घाटा (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
कुल **Total**	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	7	11	40	103	6981	326
	बकाया राशि Amount Outstanding	161.33	354.30	207.73	500.17	475.94	3048.79
	घाटा (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	16.29	13.70	4.07	4.42	21.06	13.83

(प्रबंध वर्ग द्वारा समेकित और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है) / (Compiled by management and relied upon by the Auditors)

ग) आस्ति पुनःसंरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनः संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण (राशि करोड़ रु. मे)

क्रम सं.	मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ii)	एरारी/आररी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटा कर)	शून्य	शून्य
iii)	कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
iv)	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/ हानि	शून्य	शून्य

c) **Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction.**

(Amt. Rs in crores)

S.No.	Item	Current Year	Previous Year
i)	No. of Accounts	NIL	NIL
ii)	Aggregate value (Net of Provisions) of Accounts sold to SC/RC	NIL	NIL
iii)	Aggregate consideration	NIL	NIL
iv)	Additional consideration realized in respect of Accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
v)	Aggregate gain/loss over net book value	NIL	NIL

घ) खरीदी गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण (राशि करोड़ रु. मे)

क्रम सं.	मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. (क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुन:सरंचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

d) **Details of non-performing financial assets purchased:**

Amt. Rs in Crores

S.No.	Item	Current Year	Previous Year
1. (a)	No. of Accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a)	Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL

ङ) बेची गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	कुल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

e) **Details of non-performing financial assets sold:**

Amt. Rs. in crores

S.No.	Item	Current Year	Previous Year
1.	No. of Accounts sold	NIL	NIL
2.	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3.	Aggregate consideration received	NIL	NIL

च) स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधानः (करोड़ रु.मे)

मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधान	35.00	32.00

f) **Provisions Standard Assets:** (Rs. in crores)

Item	Current Year	Previous Year
Provisions towards Standard Assets	35.00	32.00

बैंक द्वारा धारित स्तरीय आस्तियो के लिए किया गया संचित प्रावधान ,जो वर्ष की समाप्ति पर 372.80 करोड़ रु0 है (पिछले वर्ष 337.80 करोड़ रु.), को तुलन पत्र की अनुसूची 5 में अन्य देयताओं व प्रावधान के तहत शामिल किया गया है।

The cumulative provision towards Standard Assets held by the Bank as at the year end amounting to Rs.372.80 crores *(previous year* Rs. 337.80 crores*)* is included under Other Liabilities And Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.

11 भारत सरकार ने सीमांत और लघु कृषकों को ऋण माफी तथा अन्य प्रत्यक्ष कृषि ऋण लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए 'कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008' (योजना) अधिसूचित की है । ऋण माफी के संबंध में दायर किए गए कुल 370.08 करोड़ रु. के दावे में से बैंक ने

11) Government of India notified "Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme, 2008"(Scheme) for giving debt waiver to marginal & small farmers and relief to other farmers who have availed direct agriculture loans. Out of the total claim lodged for Rs.370.08 crores in respect of Debt Waiver, the

पिछले वर्ष तक 243.39 करोड़ रु0 प्राप्त किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार से पूर्ण एवं अंतिम निपटान के तौर पर 126.69 करोड़ रु. की शेष राशि प्राप्त हुई है।

ऋण माफी के संबंध में बैंक को ऋण राहत के अंतर्गत एकबारगी समझौता योजना से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 82.81 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई । "अतिरिक्त अंतिम दावे –ऋण राहत–ब्याज के लिए अपात्र" के अंतर्गत 01.01.2010 से 30.06.2010 की अवधि के दौरान (01.02.2010 से 31.07.2010 तक शिकायत निपटान पद्धति के जरिए निपटाए गए मामलों सहित) ऋण राहत मामलों के संबंध में केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् सत्यापित 11.17 करोड़ रु. का एक अलग दावा 02.02.2011 को भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया जो भारत सरकार से लेना बाकी है।

Bank has received Rs.243.39 crores till last year & the balance amount of Rs.126.69 crores has been received during the current financial year as full and final settlement from the Government of India.

In respect of Debt Relief, the Bank has received a sum of Rs.82.81 crores during the current financial year on account of one time settlement scheme under Debt Relief. A separate claim of Rs. 11.17 Crore in respect of debt relief cases settled during the period 01.01.2010 to 30.06.2010 (including cases settled through grievances redressal mechanism operating from 01.02.2010 to 31.07.2010) under "Additional Final Claims-Debt Relief- Not eligible for interest", duly certified by Central Statutory Auditors has been lodged to Reserve Bank of India on 02.02.2011 which is pending to be received from Government of India.

12) कारोबार अनुपात

क्रम सं.	मदें	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	8.29%	8.23%
2.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय	0.66%	0.96%
3.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ	2.23%	1.94%
4.	आस्तियों पर आय	1.03%	0.91%
5.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां तथा अग्रिम) (लाख रु. में)	1419.50	1331.17
6.	प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रु.में)	9.04	7.39

12) Business Ratios

S.No.	Item	Current Year	Previous Year
1.	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.29%	8.23%
2.	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.66%	0.96%
3.	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.23%	1.94%
4.	Return on Assets	1.03%	0.91%
5.	Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in lacs)	1419.50	1331.17
6.	Profit per employee (Rs. in Lacs)	9.04	7.39

13) आस्ति एवं देयता प्रबंधन / ASSET LIABILITY MANAGEMENT

31.03.2011 के अनुसार आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता का ढांचा

Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on 31.03.2011.

(राशि करोड़ रु. में) (*Rs. in crores*)

परिपक्वता ढांचा MATURITY PATTERN	1 दिन 1 Day	2-7 दिन 2-7 Days	8-14 दिन 8 - 14 Days	15-28 दिन 15 - 28 Days	29 दिन से 3 माह 29 Days to 3 Months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 Months To 6 Months	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 Months To 1 Year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 Year To 3 Years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 Years To 5 Years	5 वर्ष से अधिक Over 5 Years	कुल TOTAL
जमाराशियां DEPOSITS											
चालू वर्ष Current Year	1405.42	3473.17	3859.40	5770.47	19962.67	20443.00	39714.03	28377.45	3756.47	12292.17	139054.25
पिछले वर्ष Previous Year	1306.14	2412.65	2309.68	5021.81	14234.10	22943.75	36810.86	19718.25	4095.29	11405.08	120257.60
ऋण एवं अग्रिम (कुल) LOANS & ADVANCES (Gross)											
चालू वर्ष Current Year	7364.70	1386.68	1079.59	4592.43	9500.62	9421.21	11588.60	29063.90	11997.45	10843.74	96838.90
पिछले वर्ष Previous Year	5103.60	1112.32	1376.85	3776.60	7650.10	8643.04	10443.38	17499.46	11321.18	17257.41	84183.94

निवेश INVESTMENTS (Gross)											
चालू वर्ष Current Year	40.32	911.77	99.70	115.73	2320.35	597.81	937.60	2956.33	5809.81	28363.62	42153.04
पिछले वर्ष Previous Year	0.00	0.00	0.00	143.70	217.06	525.86	576.74	3469.97	3831.92	27020.07	35785.32
उधार/पुनर्वित्त BORROWINGS /Refinance											
चालू वर्ष Current Year	0.05	0.03	0.03	960.11	0.17	36.42	424.11	172.63	0.44	0.75	1594.74
पिछले वर्ष Previous Year	0.00	275.00	0.00	0.00	0.05	1006.85	31.58	483.95	0.44	0.36	1798.23
विदेशी मुद्रा आस्तियां FOREIGN CURRENCY ASSETS											
चालू वर्ष Current Year	2761.82	1010.97	37.06	477.68	5938.35	2748.85	7074.98	300.06	203.15	00.00	20552.92
पिछले वर्ष Previous Year	1458.29	28.12	3.17	134.16	439.14	345.66	43.85	1.87	0.00	207.90	2662.16
विदेशी मुद्रा देयताएं FOREIGN CURRENCY LIABILITIES											
चालू वर्ष Current Year	2628.60	1131.46	65.35	850.31	6187.68	2232.58	7382.45	82.07	47.93	0.50	20608.93
पिछले वर्ष Previous Year	1597.94	157.70	1.95	28.42	322.80	152.85	255.12	40.71	36.89	0.31	2594.69

(प्रबंधवर्ग द्वारा तैयार किया गया और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया।)
(Compiled by management and relied upon by the Auditors)

14) वित्त

(क) पूंजी बाजार को वित्त

(करोड़ रु. में)

क्र.स.	मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी आधारभूत निधि का विशिष्ट निवेश कारपोरेट ऋणों में नहीं किया गया है।	582.70	474.78
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बाण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों/बाण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती अग्रिम	0.70	0.09
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां	216.83	225.93

14) EXPOSURE

a) Exposure to Capital Market

(Rs. In crores)

S. No.	Item	Current Year	Previous Year
(i)	direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	582.70	474.78
(ii)	advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.70	0.09
(iii)	advances for any other purposes	216.83	225.93

	शेयर अथवा परिवर्तनीय बाण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।		
(iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जो शेयर अथवा परिवर्तनीय बाण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों की सम्पार्श्विक प्रतिभूति की सीमा तक प्रतिभूत हों अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचर /इक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा अग्रिम पूरी तरह कवर न हो।	0.35	0.13
(v)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां ।	323.75	346.93
(vi)	कारपोरेटों को शेयरों/बाण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान वहन करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बाण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु शेयर दलालों को दिया गया वित्त	0.00	0.00
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए कुल वित्त इक्विटी के समतुल्य माने जाएंगे तथा पूंजी बाजार सीमा के अंतर्गत (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों) अनुपालन हेतु लिए जाएंगे।	192.84	167.03
	पूंजी बाजार को कुल ऋण	**1317.17**	**1214.89**

	where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		
(iv)	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds `does not fully cover the advances;	0.35	0.13
(v)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	323.75	346.93
(vi)	loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows/issues	0.00	0.00
(viii)	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	All exposure to venture capital funds(both registered & unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling(both direct & indirect)	192.84	167.03
	Total Exposure to Capital Market	**1317.17**	**1214.89**

ख) स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण (राशि करोड़ रु.में)

श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) प्रत्यक्ष ऋण।		
i) आवासीय बंधक : उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गई अथवा की जाने वाली अथवा किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह प्रतिभूत ऋण (इसमें प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने हेतु पात्र 4467.46 करोड़ रु0 के वैयक्तिक आवासीय ऋण भी शामिल हैं (पिछले वर्ष 3699.77 करोड़ रु.)	5085.00	4172.30
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	6148.47	6172.49

b) Exposure to Real Estate Sector: (Rs. in crores)

Category	Current Year	Previous Year
a.) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages: Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented [includes individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances amounting Rs. 4467.46 Crs (previous year Rs.3697.77 Crs)].	5085.00	4172.30
ii) Commercial Real Estate:	6148.47	6172.49

वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक आवासीय भवन, कई किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा भंडार गृह स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) के बंधक द्वारा प्रतिभूति ऋण । इसमें गैर-निधि आधारित (एनबीएफ)सीमाएं भी शामिल हैं ।		
iii.) बंधक द्वारा रामर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएरा) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण	0.00	0.00-
क) आवासीय		
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
(ख) अप्रत्यक्ष ऋण		
राष्ट्रीय आवारा बैंक(एनएचबी) और आवारा वित्त कंपनियों (एचएफसी)को निधि- आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण	3872.65	4585.93
स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र	**15106.12**	**14931.02**

Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.), including non-fund based (NFB) limits.		
iii.) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other Securitised Exposures:	0.00	0.00-
a) Residential		
b) Commercial Real Estate		
b) Indirect Exposure		
Fund Based and Non-fund Based Exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	3872.65	4585.93
Total Exposure to Real Estate Sector	**15106.12**	**14931.02**

(ग) जोखिम श्रेणीवार देश ऋण

(करोड़ रु0 में)

जोखिम श्रेणी	31मार्च, 2011 को एक्सपोज़र (निवल) (चालू वर्ष)	31मार्च, 2011 को प्रावधान (चालू वर्ष)	31मार्च, 2010 को एक्सपोज़र (निवल) (पिछले वर्ष)	31 मार्च, 2010 को प्रावधान (पिछले वर्ष)
मामूली	1134.79	0.00	712.71	0.00
कम	1221.97	0.00	971.68	0.00
सामान्य	234.87	0.00	157.89	0.00
उच्च	51.55	0.00	17.96	0.00
अत्यधिक उच्च	27.87	0.00	30.29	0.00
सीमित	4.20	0.00	0.79	0.00
न्यून ऋण	0.15	0.00	0.24	0.00
कुल	**2675.40**	**0.00**	**1891.56**	**0.00**

प्रत्येक देश के लिए जोखिम श्रेणी–वार देश ऋण हेतु बैंक के निवल निधिक ऋण 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम हैं तथा इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) के अतिक्रमण के विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्रं. सं.	ऋणी का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2011 को बकाया
1.	एचडीएफसी	1589.57	1700.00	1536.79

* अधिकतम उपभोग 1700 करोड़ रु. था। 01.04.10 से 23.08.10 के दौरान यह सीमा ऋण सीमा से अधिक हुई जिसकी अनुमति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गई।

c) Risk Category wise Country Exposure:

(Rs. in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2011 (Current Year)	Provision held as at March 31, 2011 (Current Year)	Exposure (net) as at March 31, 2010 (Previous Year)	Provision held as at March 31, 2010 (Previous Year)
Insignificant	1134.79	0.00	712.71	0.00
Low	1221.97	0.00	971.68	0.00
Moderate	234.87	0.00	157.89	0.00
High	51.55	0.00	17.96	0.00
Very High	27.87	0.00	30.29	0.00
Restricted	4.20	0.00	0.79	0.00
Off-credit	0.15	0.00	0.24	0.00
Total	**2675.40**	**0.00**	**1891.56**	**0.00**

Bank's net funded exposure for risk category-wise country exposures for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2011 and as such no provision is required in terms of RBI guidelines.

d) Details of Single Borrower Limit (SBL), exceeded by the Bank:

(Rs. in crores)

S.No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2011
1.	HDFC	1589.57	1700.00	1536.79

*The maximum availment was Rs.1700 crore. The limit exceeded the exposure ceiling during 01.04.10 to 23.08.10 which was permitted by the Bank's Board of Directors

(ङ) **बैंक द्वारा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण:** शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(च) **अप्रतिभूत अग्रिम:** 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 1976.66 करोड़ रु0 की राशि के (पिछले वर्ष 911.35 करोड़ रु.)अग्रिम अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे: अधिकार (राईट्स),लाइसेंस,प्राधिकार आदि के प्रभार द्वारा प्रतिभूत है। प्रबंधन के विचार में बैंक को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रभारित ऐसी अमूर्त प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य कम से कम बकाया राशि के मूल्य के बराबर है ।

15) **अतिरिक्त प्रकटीकरण**

क) जमाराशियों का संकेन्द्रीकरण (करोड़ रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सबसे बड़े बीस जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	13508.00	26949.78
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	9.71%	22.41%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण (करोड़ रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	21097.12	20057.57
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	21.79%	23.83%

ग) एक्सपोज़रों का संकेन्द्रीकरण (करोड़ रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	21256.85	20406.87
बैंक के कुल एक्सपोज़रों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों के एक्सपोज़रों का प्रतिशत	15.29%	17.01%

घ) एनपीए का संकेन्द्रीकरण (करोड़ रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सर्वोच्च चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	263.51	358.44

ङ) क्षेत्रवार एनपीए

क्रं सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	3.44	2.68
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु,मध्यम तथा बड़े)	2.73	2.43
3	सेवाएं	3.96	2.70
4	वैयक्तिक ऋण	5.05	5.91

e) **Details of Group Borrower Limit (GBL), exceeded by the Bank:** NIL (Previous year Nil)

f) **Unsecured Advances:** The advances amounting to is.1976.66 Crores as on 31.03.2011(previous year Rs911.35 crores) are secured by way of charge of intangible securities such as rights, licenses, authority etc. In the views of the management, the estimated values of such intangible securities charged to the bank as collateral are at least equal to the outstanding amount.

15) **ADDITIONAL DISCLOSURE:**

a) **Concentration of Deposits** (Rupees in Crores)

	Current Year	Previous Year
Total Deposits of twenty largest depositors	13508.00	26949.78
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	9.71%	22.41%

b) **Concentration of Advances** (Rupees in Crores)

	Current Year	Previous Year
Total Advances to twenty largest borrowers	21097.12	20057.57
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	21.79%	23.83%

c) **Concentration of Exposure** (Rupees in Crores)

	Current Year	Previous Year
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	21256.85	20406.87
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers to Total Exposures of the Bank on borrowers/customers	15.29%	17.01%

d) **Concentration of NPAs** (Rupees in Crores)

	Current Year	Previous Year
Total Exposure to top four NPA account	263.51	358.44

e) **Sector-wise NPAs**

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		Current Year	Previous Year
1	Agriculture & Allied activities	3.44	2.68
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	2.73	2.43
3	Services	3.96	2.70
4	Personal Loans	5.05	5.91

च) एनपीए का उतार चढ़ाव

(राशि करोड़ रुपये में)

S. No.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	01.04.2010 के अनुसार *कुल एनपीए (अथ शेष)	1468.75	1058.12
2	वर्ष के दौरान जोड़ (नए एनपीए)	1556.00	1133.10
	उप–जोड़ (क)	3024.75	2191.22
	घटाएं:		
(i)	अपग्रेडेशन	75.38	67.26
(ii)	वसूलियां (अपग्रेडिड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	333.13	266.25
(iii)	बट्टे खाते डाले गए	695.70	388.96
	उप–जोड़ (ख)	1104.21	722.47
	31 मार्च, 2011 के अनुसार कुल एनपीए-इति शेष-(क) घटा (ख)	1920.54	1468.75

छ) विदेश में आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(राशि करोड़ रुपये मे)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कुल आस्तियां	0.15	0.23
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

ज) तुलन-पत्र से इतर एसपीवी समर्थित (घरेलू एवं ओवरसीज़)-शून्य

16. क) वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों की राशि

(करोड़ रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय कर हेतु प्रावधान	550.94	537.20
आस्थगित कर देयता/(आस्ति) हेतु प्रावधान	(17.00)	(68.00)

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदण्ड का प्रकटन

आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर 42,950/- रु. का अर्थदंड लगाया गया ।

17. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन

क) लेखांकन मानक -एएस 5 : आलोच्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखांकन नीतियां में परिवर्तन

अनुसूची 16 के अंतर्गत "अन्य व्यय" में शामिल अवधि पूर्व व्यय 7.14 करोड़ रु. है (पिछले वर्ष 2.67करोड़ रु.) । अनुसूची 14 के अंतर्गत "अन्य आय" में शामिल अवधि पूर्व आय 3.30 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 0.68 करोड़ रु.) है ।

ख) लेखांकन मानक - एएस 9 : राजस्व मान्यता

लेखांकन नीति सं0 1 (ख)के अनुसार आय की कुछ मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण नकद आधार पर लिया गया है ।

f) **Movement of NPAs**

(Rupees in Crores)

S. No.	Sector	Current Year	Previous Year
1	Gross NPA s*as on 01.04.2010 (Opening balance)	1468.75	1058.12
2	Additions (fresh NPAs) during the year	1556.00	1133.10
	Sub-total (A)	3024.75	2191.22
	LESS:		
(i)	Upgradations	75.38	67.26
(ii)	Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	333.13	266.25
(iii)	Write-offs	695.70	388.96
	Sub-total (B)	1104.21	722.47
	Gross NPA as on 31st March, 2011 - Closing balance – **(A) less (B)**	1920.54	1468.75

g) **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(Rupees in Crores)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Assets	0.15	0.23
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.00	0.00

h) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (domestic & overseas) – Nil

16) . A) Amount of Provisions made for Income-tax during the year: (Rs. in crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Income Tax	550.94	537.20
Provision for Deferred Tax liability/(Asset)	(17.00)	(68.00)

b) **Disclosure of Penalties imposed by RBI:**

During the year a sum of Rs.42,950/- has been imposed on the Bank as penalty by RBI.

17) **COMPLIANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS (AS) ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA.**

a) **Accounting Standard AS-5** – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies:

Prior period expenses included in "Other Expenditure" under schedule 16 is Rs.7.14 crore(previous year 2.67 Crores). Prior period income included in "Other Income" under schedule 14 is Rs.3.30crore (previous year Rs.0.68 Crores).

b) **Accounting Standard AS-9 – Revenue Recognition:**

As per Accounting Policy No. 1(b), certain items of income are recognized on cash basis on account of statutory requirements or materiality.

ग) लेखांकन मानक -एएस 15 : कर्मचारी लाभ

बैंक एएस-15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" अपना रहा है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार है:

I. भविष्य निधि

बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक नियत अंशदान का भुगतान एक अलग न्यास को करता है, जो इन निधियों का निवेश अनुमोदित प्रतिभूतियों में करता है। इस कोष में आलोच्य अवधि के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक का दायित्व इस प्रकार के नियत अंशदान तक सीमित है।

II. उपदान

बैंक में 01.01.1983 से पहले कार्यग्रहण करने वाले /बनने वाले अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और कर्मकारों के लिए एक परिभाषित उपदान लाभ योजना है। प्रत्येक अधिकारी/कर्मकार जिसने पांच वर्ष अथवा इससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है वह अधिवार्षिकी, त्यागपत्र देने, सेवा–समाप्ति, विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर अधिकतम 20 माह का उपदान पाने का पात्र है। इस योजना का निधीयन बैंक करता है और इसका प्रबंध एक अलग न्यास करता है । इनके दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

III. पेंशन

बैंक में एक परिभाषित पेंशन लाभ योजना है। यह योजना 29/09/1995 की स्थिति के अनुसार बैंक के उन वर्तमान कर्मचारियों पर, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है और इसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना की देखरेख एक अलग न्यास करता है और इसका दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

IV. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभों में कर्मचारियों और आश्रितों को उनके गृह नगर (होम टाऊन) में बसाना और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ शामिल हैं। ये गैर निधिक हैं और इन्हें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना गया है ।

लाभ एवं हानि खाता और तुलन पत्र में लिए गए विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और निधिक स्थिति निम्नानुसार है :

c) Accounting Standard AS-15 – Employee Benefits:

The Bank is following AS-15 (revised 2005) 'Employee Benefits'. The defined employee benefit schemes are as under:-

I. Provident Fund

The Bank pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate Trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the profit & loss account. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution.

II. Gratuity

The Bank has a defined benefit gratuity plans for Officers who have joined / become Officer before 01/01/1983, Other Officers and Workman. Every Officer / workman who have rendered continuous services of five years or more is eligible for Gratuity, subject to a maximum of 20 months on superannuation, resignation, termination, disablement or on death. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

III. Pension.

The Bank has a defined benefit pension Plan. The plan applies to existing employees of the bank as on 29/09/1995 who have opted for the pension scheme and to all employees joining, thereafter. The scheme is managed by a separate Trust and the liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

IV Other Defined Retirement Benefits (ODRB)

Other Defined Retirement Benefits (ODRB) include settlement at home town for employees and dependents and post retirement medical benefit for CMD & ED. These are unfunded and are recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of various defined benefits recognized in the profit and loss account and balance sheet along with the funded status are as under:

(Rs. in crore)

Items	निधिक / FUNDED				गैर-निधिक / UNFUNDED	
	ग्रेच्युटी / Gratuity		पेंशन / Pension		छुट्टी भुनाई / Leave encashment	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
क) परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन: a) Changes in the Defined Benefit Obligation:						
परिभाषित लाभ बाध्यता अथशेष / Opening defined benefit obligation	289.57	263.54	895.82	780.53	128.30	115.44
अभिग्रहण समायोजन / Acquisition Adjustment	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	19.76	14.73	105.44	33.12	7.99	6.60
ब्याज लागत / Interest Cost	24.61	22.40	62.71	58.54	10.91	9.81
बीमांकिक हानि /लाभ / Actuarial loss/gain	-28.12	0.23	1498.39	46.31	24.05	2.04
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	-28.55	-11.33	-52.53	-22.68	-8.55	-5.59
परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष / Closing defined benefit obligation	449.27	289.57	2509.83	895.82	162.70	128.30
ख. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन b) Changes in Fair value of Plan Assets:						

	आस्तियों का उचित मूल्य अथशेष / Opening fair value of Assets	301.94	289.42	897.78	787.42	लागू नहीं Not Applicable	
	योजना आस्तियोंपर अनुमानित आय / Expected return on plan assets	24.16	23.15	92.23	66.38		
	बीमांकिक (लाभ)/हानि / Actuarial (gain)/loss	-0.26	0.60	-3.43	-0.17		
	नियोक्ता द्वारा अंशदान / Contributions by employer	0.05	0.10	892.18	66.84		
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	-28.56	-11.33	-52.53	-22.69		
	आस्तियों का उचित मूल्य इतिशेष / Closing fair value of assets	297.33	301.94	1826.23	897.78		
ग) c)	**तुलनपत्र में ली गई राशि** **Amount recognised in the Balance Sheet:**						
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य - वर्ष के अंत में - (i) Present Value of Obligation - as at the year end - (i)	449.27	289.57	2509.83	895.82	162.70	128.30
	आस्तियों से भिन्न उचित मूल्य - वर्ष के अंत में - (ii) Fair value off the Assets - as at the year end- (ii)	297.33	301.94	1826.23	897.78	0.00	0.00
	अंतर (ii) - (i)/Difference (ii) - (i)	-151.94	12.37	683.60	1.96	-162.70	-128.30
	तुलनपत्र में ली गई निवल (आस्ति /(देयता) Net asset/(liability) recognised in the Balance Sheet	-151.94	12.37	683.60	1.96	-162.70	-128.30
घ. d)	**लाभ हानि खाते में लिया गया व्यय** **Expenses recognised in the Profit and Loss account::**						
	वर्तमान सेवा लागत / Current Service cost	19.76	14.73	105.44	33.12	7.99	6.60
	पिछली सेवा लागत/मान्य / Past service cost/ recognised	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	परिभाषित लाभ बाध्यता पर ब्याज / Interest on defined benefit obligation	24.61	22.40	62.71	58.54	10.91	9.81
	योजना आस्तियों पर अनुमानित आय / Expected return on plan assets	-24.16	-23.15	-92.23	-66.37	0.00	0.00
	चालू वर्ष में लिया गया निवल बीमांकिक घाटा/(लाभ) Net actuarial loss/(gain) recognised in the current year	-27.86	-0.37	1501.80	46.48	24.05	2.04
	लाभ-हानि खाते में लिया गया व्यय Expenses recognised in the P&L a/c	26.75	13.61	429.87	71.77	42.95	18.45
	अमान्य पिछली सेवा लागत (उपदान सीमा के 3.50 लाख रु. से बढ़कर 10.00 लाख रु. होने के कारण) Unrecognised past service cost (Due to increase in gratuity limit from Rs3.50 lac to 10.00 lac.	137.56	--			0.00	0.00
ङ e)	**तुलनपत्र में ली गई देयता में उतार-चढ़ाव** **Movements in the Liability recognised in the Balance Sheet**						
	निवल देयता अथशेष / Opening Net Liability	-12.37	-25.88	-1.96	35.52	128.30	115.44
	निवल लाभ व्यय / Net Benefit Expense	164.31	13.61	683.60	71.77	34.40	12.86
	घटाएं : प्रदत्त अंशदान / Less: Contribution paid	0	0.10	1.96	109.25	0.00	0.00
	निवल देयता/(आस्ति) इतिशेष / Closing Net liability/(asset)	151.99	-12.37	683.60	-1.96	162.70	128.30
च. f)	**योजना आस्तियों के विवरण** **Details of Plan Assets:**						
	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	146.74	142.70	606.21	482.99	लागू नहीं Not Applicable	
	कारपोरेट बाण्ड/डिबेंचर / Corporate Bonds/debentures	72.90	74.38	171.80	168.20		
	बैंकों में जमाराशियां / Deposit in banks	71.11	77.87	190.01	138.50		
	अन्य / Others	6.58	6.99	14.66	0.00		
	कुल / Total	**297.33**	**301.94**	**982.67**	**789.69**		
	उपर्युक्त में से ओबीसी बाण्ड/ जमाराशियों में विनिधान Of the above, investment in OBC Bond/deposits	**85.60**	**92.09**	**248.01**	**196.50**		

छ. वर्ष के दौरान योजना आस्तियों पर आय की भारित औसत दर g) **Weighted Average rate of return on plan assets during the year**		**8.39%**	**8.05%**	**8.20%**	लागू नहीं Not Applicable	
ज. प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं h) **Principal actuarial assumptions used:**						
प्रयुक्त पद्धति Method used	अनुमानित यूनिट ऋण **Projected Unit Credit**		अनुमानित यूनिट ऋण **Projected Unit Credit**			
बट्टा दर (वार्षिक)/Discount rate (p.a.)	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
योजना आस्तियों पर आय की अनुमानित दर (वार्षिक) Expected rate of return on plan assets (p.a.)	8.00%	8.00%	8.05%	8.20%	0.00%	0.00%
भावी वेतन वृद्धि / Future Salary increase	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
झ. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ - गैर-निधिक i) **Other Long Term Employee Benefits – unfunded**						

	बीमारी की छुट्टी **Stick leave**		चिकित्सा सहायता **Medical Aid**	
	2010-11 करोड़ रु. में *Rs. in crore*	**2009-10** करोड़ रु. में *Rs. in crore*	**2010-11** करोड़ रु. में *Rs. in crore*	**2009-10** करोड़ रु.में *Rs. in crore*
परिभाषित लाभ बाध्यता अथशेष Opening defined benefit obligation	31.80	28.88	0.40	0.42
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	2.01	1.61	0.09	0.16
ब्याज लागत / Interest Cost	2.70	2.45	0.03	0.04
प्रदत्त लाभ / Benefits paid			-0.16	---
बीमांकिक हानि/लाभ / Actuarial loss/gain	3.73	-1.14	0.12	-0.22
परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष Closing defined benefit obligation	40.24	31.80	0.48	0.40
ञ. प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं j) **Principal actuarial assumptions used:**				
बट्टा दर (वार्षिक) Discount rate (p.a.)	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
भावी वेतन वृद्धि Future Salary increase	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

टिप्पणियां :

- बीमांकिक मूल्यांकन में ली गई भावी वेतन वृद्धि का अनुमान महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया ।
- आलोच्य वर्ष के दौरान छुट्टी किराया रियायत के लिए 1.17 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 0.55 करोड़ रु.) तथा स्टाफ सैटलमेंट व्यय हेतु शून्य (पिछले वर्ष 0.20 करोड़ रु.) प्रावधान किया गया है जो बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार है । तथापि, एलएफसी के लिए 20.96 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 21.00 करोड़ रु.) और स्टाफ सेटलमेंट व्यय के लिए 1.77 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1.72 करोड़ रु.) बकाया हैं।
- वेतन संशोधन के उपबंध पर कर्मचारी लाभ का प्रभाव बीमांकिक मूल्यांकन में नहीं लिया गया है।

पेंशन :

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने उन कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प पुनः दिया जिन्होंने पेंशन योजना (द्वितीय पेंशन विकल्प) नहीं चुनी थी । इसके परिणामस्वरूप 7888 कर्मचारियों द्वारा चुने गए विकल्प के लिए बैंक ने 1005.35 करोड़ रुपए की देयता का वहन किया ।

लेखांकन मानक (एएस) 15, कर्मचारी हित की अपेक्षाओं के अनुसार, 1005.35 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की जानी है । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः देने और उपदान सीमा में बढ़ोतरी – विवेकपूर्ण विनियामक संव्यवहार पर दिनांक 9 फरवरी, 2011 का परिपत्र सं0 डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010–11 जारी किया है । उक्त परिपत्र के उपबंधों के अनुसार, बैंक,पेंशन का दूसरा विकल्प चुनने वाले बैंक के वर्तमान कर्मचारियों के लिए पांच वर्षों की अवधि में पेंशन की राशि का परिशोधन कर सकता है और दूसरा पेंशन विकल्प चुनने वाले बैंक के सेवानिवृत्त/बैंक से अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की पूरी राशि प्रभारित कर सकता है । तदनुसार बैंक ने द्वितीय पेंशन देयता के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में निम्नानुसार राशि प्रभारित की है :

करोड़ रु. में

विवरण	निवल देयता	लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित राशि	टिप्पणियां
पेंशन का दूसरा विकल्प चुनने वाले बैंक के सेवानिवृत्त/अलग हुए कर्मचारियों के लिए देयता	150.85	150.85	पूरी देयता प्रभारित
पेंशन का दूसरा विकल्प चुनने वाले बैंक के वर्तमान कर्मचारियों के लिए देयता	854.50	170.90	पांचवा भाग बट्टे खाते डाला गया
कुल	1005.35	321.75	

भारतीय रिजर्व बैंक के उपरोक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार, आगे ले जाई गई शेष राशि अर्थात् 683.60 करोड़ रुपए (854.80 करोड़ रु. घटा 170.90 करोड़ रुपए) में बैंक से सेवानिवृत्त/अलग हुए किसी कर्मचारी की पेंशन देयता शामिल नहीं है ।

यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह परिपत्र जारी न किया गया होता तो एएस 15 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक के लाभ में 683.60 करोड़ रुपए की कमी हुई होती।

NOTE:

- The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation, takes into account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- During the year provision has been made for LFC at Rs.1.17 crore (previous year Rs. 0.55 Crore) and Staff settlement expenses at NIL (previous year Rs. 0.20 crore), which are as per Actuarial Certificate. However, outstanding for LFC is at Rs.20.96 crore (previous year Rs. 21.00 Crore) and Staff settlement expenses at Rs.1.77 crore (previous year Rs. 1.72 crore)
- Impact of Employee benefits on the provision of Wage Revision has not been considered in the Actuarial Valuation .

PENSION

During the year, the Bank has reopened the pension option for its employees who had not opted for the pension scheme (II Pension option). As a result of exercise of which by 7888 employees the bank has incurred a liability of Rs. 1005.35 Crores.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of Rs.1005.35 Crores is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the Reserve Bank of India has issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank may amortise the amount of pension over a period of five years for second pension optees who are existing employees of the Bank and charge the full amount of pension with respect to II Pension optees who have retired/separated from the Bank. Accordingly, the Bank has charged the following to the profit and loss account with respect to II pension liability:

(Rs in crore)

Particulars	Net Liability	Amount charged to Profit and loss Account	Remarks
Liability for second pension optees who have retired/separated from the bank	150.85	150.85	Full liability charged off
Liability for second pension optees who are existing employees	854.50	170.90	One fifth written off
Total	1005.35	321.75	

In terms of requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward i.e Rs. 683.60 crore (Rs. 854.50 crore minus Rs.170.90 crore) does not include pension liability for any employees who have retired/separated from the bank.

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the bank would have been lower by Rs. 683.60 Crores pursuant to application of the requirements of AS 15."

उपदान

वर्ष के दौरान उपदान रांदाय अधिनियम, 1972 में रांशोधन होने रो बैंक के कर्मचारियों को देय उपदान की सीमा बढ़ाई गई । इसके परिणामस्वरूप बैंक की उपदान देयता में 137.56 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । लेखांकन मानक (एएस) 15 कर्मचारी लाभ की अपेक्षाओं के अनुसार इस बढ़ी हुई देयता को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है ।

घ) लेखांकन मानक - 17 : खण्डवार रिपोर्टिंग

i) कारोबार खंड जो प्राथमिक खंड है , में निम्नलिखित शामिल हैं

- राजकोषीय परिचालन
- कारपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालन

ii) भौगोलिक खण्ड को गौण खण्ड के रुप में माना जाता है। चूंकि बैंक का विदेश में कोई परिचालन नहीं है, इसलिए भौगोलिक खण्ड में रिपोर्ट करने योग्य केवल घरेलू परिचालन हैं।

- राजकोषीय परिचालन : राजकोषीय परिचालन में प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार परिचालन में लेनदेन शामिल है।
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग : इनमें न्यासों, भागीदार फर्मों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को दिए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग में शामिल नहीं किया गया।
- रिटेल बैंकिंग : व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार, भागीदार फर्म, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सहकारी समितियों इत्यादि अथवा लघु कारोबार को 5.00 करोड रुपए तक का ऋण रिटेल बैंकिंग के तहत आता है। लघु कारोबार वह है जहां पिछले तीन वर्षों का वार्षिक पण्यावर्त (टर्नओवर) (मौजूदा कम्पनी के लिए वास्तविक और नई कम्पनी के लिए पूर्वानुमानित) 50 करोड़ रुपए से कम हो।
- अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालन: इनमें राजकोष, थोक बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग खण्डों में शामिल न किए गए अन्य सभी बैंकिंग परिचालन आते हैं। अन्य बैंकिंग कारोबार अवशिष्ट श्रेणी हैं।

iii) राजकोषीय परिचालनों से हुए खंड राजस्व को, राजकोषीय परिचालन में प्रयुक्त औसत अंतर-खण्डीय निधियों पर ब्याज के बाद दर्शाया गया है । ब्याज निधि लागत की दर पर प्रभारित किया गया है अर्थात् आलोच्य वर्ष हेतु औसत कार्यशील निधियों पर व्यय किए गए कुल ब्याज का प्रतिशत ।

Gratuity

During the year the limit of gratuity payable to the employees of the bank was enhanced pursuant to the amendment to Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the bank increased by Rs. 137.56 Crores. The said increased liability has been charged to the profit and loss account in terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employees Benefits.

d) Accounting Standard AS-17 – Segment Reporting:

i) The Business Segments, which is the Primary Segment include:

- Treasury Operations
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail banking
- Other banking business operations

ii) The Geographical segments are recognized as the Secondary Segment. As the Bank is not carrying on any foreign operations, the only reportable geographical segment is of Domestic operations.

- Treasury Operations: Treasury operations consist of dealing in securities and Money Market Operations
- Corporate / Wholesale Banking: Includes all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included under "Retail Banking"
- Retail Banking: The exposure up to Rs. 5.00 Crores to individual , HUF, Partnership firm ,Trust, Private Ltd. Companies, public ltd. Companies , Co-operative societies etc. or to a small business is covered under retail banking. Small business is one where average of last three years' annual turnover (Actual for existing & projected for new entities) is less than Rs.50 crores.
- Other banking business operations: Includes all other Banking operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail banking Segments. Other banking business is the residual category.

iii) The segment revenue from treasury operations is shown after interest on average inter-segment funds used in Treasury Operations. The interest has been charged at the rate of Cost of Funds i.e. percentage of total interest expended to average working funds for the year.

भाग क – कारोबार खंड
Part A – Business Segment

राशि करोड़ रु. में / *(Rs. in Crore)*

कारोबार खण्ड **BUSINESS SEGMENTS**	राजकोषीय **TREASURY**		कारपोरेट / थोक बैंकिग **CORPORATE/ WHOLESALE BANKING**		रिटेल बैंकिग **RETAIL BANKING**		अन्य बैंकिंग परिचालन* **OTHER BANKING OPERATION***		कुल **TOTAL**	
विवरण **Particular**	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year*	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
राजस्व **Revenue**	2861.65	2885.54	7591.64	6447.99	4492.06	3629.10	206.47	417.69	15151.82	13380.32
परिणाम **Results**	636.77	926.42	782.33	230.98	463.48	130.03	156.03	318.09	2038.61	1605.52
अनाबंटित व्यय **Unallocated Expenses**									0.00	0.00
परिचालन लाभ **Operating Profits**									2038.61	1605.52
आयकर **Income Taxes**									535.74	470.84
असाधारण लाभ/हानि **Extraordinary Profit/Loss**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ **Net Profit**									1502.87	1134.68
अन्य सूचना **Other Information**										
खण्ड आस्तियां **Segment Assets**	42790.89	36440.48	98877.27	83849.98	58506.79	47192.91	2689.23	5431.69	202864.17	172915.06
अनाबंटित आस्तियां **Unallocated Assets**									607.20	464.43
कुल आस्तियां **Total Assets**									203471.37	173379.49
खण्ड देयताएं **Segment Liabilities**	42790.89	36440.48	98877.27	84134.63	58506.79	47353.12	2689.13	5450.13	202864.17	173378.36
अनाबंटित देयताएं **Unallocated Liabilities**									607.20	1.13
कुल देयताएं **Total Liabilities**									203471.37	173379.49

(प्रबंध वर्ग द्वारा तैयार किया गया और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया)
*केवल प्रत्यक्ष लागत के आबंटन के आधार पर

लेखांकन मॉनक-एएस 18 : संबंधित पार्टी लेनदेन

i) बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1) श्री नागेश पैड़ा - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (01.01.2011 से 31.03.2011की अवधि के लिए)

2) श्री एस.सी. सिन्हा - (कार्यकारी निदेशक)

(Compiled by management and relied upon by the Auditors)
*based on allocation of direct cost only.

e) Accounting Standard AS-18 – Related Party disclosures:

i) Details pertaining to Related Party Transactions in respect of key managerial personnel of the Bank are as follows:-

1. Shri. Nagesh Pydah - Chairman & Managing Director (for the period 01.01.2011 to 31.03.2011).
2. Shri S. C. Sinha - Executive Director.

3) श्री वी. कण्णन–कार्यकारी निदेशक(01.12.2010 से 31.03.2011 तक)

4) श्री टी.वाई.प्रभु - भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (01-04-2010 से 31.12.2010 तक)

5) श्री एच. रत्नागर हेगड़े - भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (01-04-2010 से 30.11.2010 तक)

6) केनरा एचएसबीसी

ii) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को क्रमशः 0.17 करोड़ रु0 और 0.34 करोड़ रु0 का पारिश्रमिक दिया गया । (पिछले वर्ष क्रमशः 0,22 करोड़ रु0 और 0.31करोड़ रु0)

iii) केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स जीवन बीमा निगम कम्पनी लिमिटेड-(सहयोगी)

iv) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण निम्नानुसार है :

3. Shri V. Kannan - Executive Director (for the period 01.12.2010 to 31.03.2011).

4. Shri T. Y. Prabhu- Ex. Chairman & Managing Director (for the period 01.04.2010 to 31.12.2010).

5. Shri H. Rathnakara Hegde – Ex. Executive Director (for the period 01.04.2010 to 30.11.2010).

6. Canara HSBC

ii) Remuneration paid to Chairman & Managing Director and Executive Directors is Rs.0.17 crores and Rs 0.34 crores respectively (previous year Rs.0.22 crores and Rs 0.31 crores respectively).

iii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited - (Associate)

iv) Details of Related Party transactions are as under:

राशि करोड़ रु. में / *(Rs. in Crore)*

मद / संबंधित पार्टी Items/ Related Party	मूल (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार) Parent (As per ownership or control)		अनुषंगी कंपनियां Subsidaries		सहयोगी / संयुक्त उद्यम Associates/ Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @ Key Management Personnel @		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
उधार Borrowings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जमाराशियां Deposit at the End of the Year	-	-	-	-	-	-	0.56	0.00	-	-	0.56	0.00
वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the Year	-	-	-	-	-	-	0.61	0.00	-	-	0.61	0.00
जमाराशियां Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों का नियोजन Placement of deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम Advances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिधान Investments	-	-	-	-	46.00	23.00	-	-	-	-	46.00	23.00
गैर–निधि आधारित प्रतिबद्धताएं Non-Funded commitments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई पट्टा / किराया खरीद व्यवस्था Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राशि करोड़ रु. में / *(Rs. in Crore)*

मद / संबंधित पार्टी Items/ Related Party	मूल (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार) Parent (As per ownership or control)		अनुषंगी कंपनियां Subsidaries		सहयोगी / संयुक्त उद्यम Associates/ Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @ Key Management Personnel @		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज Interest Received	-	-	-	-	-	-	0.01	0.00	-	-	0.01	0.00
सेवाएं प्रदान करना Rendering of Services	-	-	-	-	36.99	34.82	-	-	-	-	36.99	34.82
सेवाएं प्राप्त करना Receiving of Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएं Mangement Contracts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

च) लेखांकन मानक -एएस 19: पट्टा

बैंक ने परिचालनपरक पट्टे के तहत विभिन्न पट्टा अवधियों के कई परिसर लिए हैं ।

f) Accounting Standard AS-19 – Leases:

The Bank has taken various premises under operating lease with varying lease periods.

छ) लेखांकन मानक -एएस 20 : प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.)

S.N.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन	59.90	45.29
ii)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन		
क)	असाधारण मदों के बाद और कर पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रु.)	1502.87	1134.68
ख)	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	25,08,78,506	25,05,39,700
ग)	मूल प्रति शेयर अर्जन (क/ख)	59.90	45.29
घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00

कोई संभाव्य ईक्विटी शेयर (परिवर्तनीय बाण्ड) बकाया नहीं है, अतः ह्रासित प्रति शेयर अर्जन, मूल प्रति शेयर अर्जन के बराबर है ।

g) Accounting Standard AS-20 - Earnings per Share (EPS):

S.N.	Particulars	Current Year	*Previous Year*
i)	Basic/Diluted EPS. (Rs.)	59.90	45.29
ii)	Calculation of Basic/ Diluted EPS.		
a)	Net Profit after Extraordinary Items and after Tax (Rs. Crores)	1502.87	1134.68
b)	Weighted Average No. of Equity Shares	25,08,78,506	25,05,39,700
c)	Basic Earning per Share (a/b)	59.90	45.29
d)	Nominal value per Share	10.00	10.00

There are no potential equity shares (convertible bonds) outstanding and as such the Diluted Earning per Share is same as Basic Earning per share.

ज) लेखांकन मानक - 22 आय पर कर हेतु लेखांकन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा "आय पर कर हेतु लेखांकन" पर जारी एएस-22 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया और तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं की पहचान की गई। 31.03.2011 को 41.00 करोड़ रुपए की आस्थगित कर आरित का (पिछले वर्ष 24.00 करोड़ रुपए की आस्थगित कर आस्ति) निवल शेष निम्नानुसार है :-

h) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:

The bank has complied with the requirements of AS 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax asset as on 31.03.2011 amounting to Rs 41.00 crores (Previous year Deferred tax asset Rs. 24.00 crores) consists of following:

(राशि करोड़ रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)आस्थगित कर आस्तियां :		
ऋण एवं अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान	249.00	192.00
छुट्टी नकदीकरण/छुट्टी किराया रियायत आदि के लिए प्रावधान	68.00	54.00
एएफएस से एचटीएम में स्थानांतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	32.00	33.00
अन्य	111.00	148.00
क का जोड़	**460.00**	**427.00**
ख)आस्थगित कर देयताएं :		
विनिधानों पर प्रोद्भूत परन्तु अदेय ब्याज	-237.00	-217.00
खंडित अवधि का ब्याज	-7.00	-10.00
विनिधानों का मूल्यह्रास	-88.00	-112.00
अन्य	-87.00	-64.00
ख का जोड़	**-419.00**	**-403.00**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं	**41.00**	**24.00**
आस्थगित कर आस्ति/देयता (पूर्णांकित)	**41.00**	**24.00**

(Rs. in crores)

Particulars	Current Year	*Previous Year*
A. Deferred Tax Assets:		
Additional Provision on Loans & Advances	249.00	192.00
Provision for Leave Encashment/ LFC etc	68.00	54.00
Depreciation on securities transferred from AFS to HTM	32.00	33.00
Others	111.00	148.00
Total of A	**460.00**	**427.00**
B. Deferred Tax Liabilities:		
Interest Accrued but not due on Investments	-237.00	-217.00
Broken Period Interest	-7.00	-10.00
Depreciation of Investment	-88.00	-112.00
Others	-87.00	-64.00
Total of B.	**-419.00**	**-403.00**
Net Deferred Tax Asset/(Liability)	**41.00**	**24.00**
Deferred Tax Asset/(liability) (Rounded off)	**41.00**	**24.00**

झ) लेखांकन मानक - 28: आस्तियों की अनर्जकता

बैंक की आस्तियों में मुख्यत: वित्तीय आस्तियां शामिल हैं जो एएस-28"आस्तियों की अनर्जकता" के तहत नहीं आतीं। बैंक प्रबंधन के मतानुसार उक्त लेखांकन मानक के अनुसार इसकी गैर वित्तीय आस्तियों के मूल्य में कोई अनर्जकता नहीं है ।

i) Accounting Standard – 28 Impairment of Assets:

The bank's assets substantially comprise of financial assets, which are not covered by AS-28 'Impairment of Assets'. In the opinion of bank's management there is no impairment in the value of its non financial assets in terms of said Accounting Standard.

ञ) लेखांकन मानक - 29: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

लेखों की अनुसूची 12 (खण्ड(i)और (vi))में यथाउल्लिखित आकस्मिक देयताएं, अदालती मामलों के निष्कर्षों/विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष दायर अपीलों के निपटान/ न्यायालय के बाहर समझौते तथा अन्य किसी घटना, यदि कोई हो, पर निर्भर है । उक्त अनुसूची की मद संख्या (i) और (vi)) के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

j) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Contingent Liabilities as stated in Schedule 12 [clause (i) and (vi)]to the accounts are dependent on the outcome of court cases / disposal of appeals filed before various authorities / out of court settlement and other development if any. No reimbursement is expected in respect of items Nos. (i) and (vi) of said schedule.

ट) अस्थायी प्रावधान

(राशि करोड़ रु0 में)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क.	अस्थायी पावधान खाते में अथ शेष	72.00	72.00
ख.	लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
ग.	लेखांकन वर्ष में आहरण द्वारा कमी की राशि	0.00	0.00
घ.	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	72.00	72.00

k) Floating provisions

(Rs. in crores)

S.N.	Particulars	Current Year	*Previous Year*
a)	Opening balance in the floating provision a/c	72.00	72.00
b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c)	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d)	Closing balance in the floating provisions a/c	72.00	72.00

18. बैंक द्वारा किए गए बैंकाश्योरेंस कारोबार के संबंध में 36.99करोड़ रु0 (पिछले वर्ष 34.82 करोड़ रु.) की फीस/पारिश्रमिक प्राप्त किया गया ।

18) Fees/ Remuneration received in respect of bancassurance business undertaken by the Bank is Rs.36.99 Crores.(previous year Rs.34.82 Crore)

19. पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स में समामेलन

पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड (ईजीटीबी) आर्थिक कार्य विभाग(बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "योजना " के रूप में अधिसूचित समामेलन योजना के अनुसार समामेलित किया गया । इस योजना के अनुसार, पूर्ववर्ती जीटीबी का कारोबार, संपत्तियां, आस्तियां और देयताएं निर्धारित तिथि 14 अगस्त, 2004 से बैंक को हस्तांतरित हो गई हैं।

बैंक ने पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की, उक्त योजना के अनुसार मूल्यांकित और निर्धारित आस्तियों और देयताओं सहित बैंक की पुस्तकों में 1285.26 करोड़ रुपए के सकल "सहज वसूली अयोग्य " अग्रिम, उनके प्रति 821.16 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा विवादग्रस्त मांगों के प्रति 41.21 करोड़ रुपए के प्रदत्त आयकर की "सहज वसूली अयोग्य " आस्तियां सम्मिलित की हैं। बैंक ने अधिग्रहीत सहज वसूली अयोग्य आस्तियों के प्रति अंतिम वसूली के आकलन के लिए मेमोरेंडम रिकार्ड रखने का निर्णय लिया है। सहज वसूली अयोग्य आस्तियों को जिस मूल्य पर अधिग्रहीत किया गया था उससे अधिक मूल्य पर अंतिम वसूली होने की स्थिति में,अधिगृहीत आस्तियों पर देयताओं के आधिक्य से अधिक होने पर,व्यय इत्यादि के समायोजन के बाद अधिशेष राशि को बारह वर्षों की अवधि के पश्चात् अथवा इससे पहले जो इस योजना के तहत निर्धारित हो,पूर्ववर्ती जीटीबी के पूर्ववर्ती शेयरधारकों में बांट दिया जाएगा।

19) Amalgamation of erstwhile Global Trust Bank Ltd. with Oriental Bank of Commerce:

The erstwhile Global Trust Bank Ltd. (eGTB) was amalgamated with the Bank as per the scheme of amalgamation notified by the Government of India, Ministry of Finance, Dept. of Economic Affairs (Banking Division) "the Scheme". As per the Scheme, the business, properties, assets and liabilities of eGTB stand transferred to the Bank with effect from August 14, 2004, the prescribed date.

The Bank has incorporated gross "Not Readily Realisable" Advances of Rs. 1,285.26 crores, a provision of Rs. 821.16 crores there against and "Not Readily Realisable" Assets comprising of Income-tax paid amounting to Rs 41.21 crores against disputed demands, in the books of the Bank along with assets and liabilities of eGTB as valued and determined in terms of the Scheme. The Bank has decided to maintain memorandum records for ascertaining the ultimate realization against the Not Readily Realizable Assets taken over. In the event of the ultimate realization from the Not Readily Realizable Assets, over and above the value at which they are taken over, exceeding the Excess of liabilities over assets taken over, the surplus after adjustment of expenses, etc. will be distributed to the erstwhile shareholders of eGTB after a period of twelve years or earlier as prescribed under the scheme.

20. लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं का विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	विनिधान पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	96.26	(0.52)
ii)	गैर निष्पादनकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	934.38	531.59
iii)	स्तरीय आस्तियों के लिए प्रावधान	35.00	32.00
iv)	आयकर के लिए प्रावधान(एफबीटी तथा आस्थगित कर सहित)	533.94	469.20
v)	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं (विवरण सहित)		
	(क) धन कर	1.79	1.64
	(ख) गैर निष्पादनकारी विनिधान	0.00	0.00
	(ग) अन्य	140.90	252.91
	जोड़	**1742.27**	**1286.82**

20) Break up of Provisions and contingencies shown under the head expenditure in Profit and Loss Account

(Amount Rs. Crores)

	Particulars	Current Year	*Previous Year*
i)	Provisions for depreciation on Investment	96.26	(0.52)
ii)	Provision towards NPA	934.38	531.59
iii)	Provisions towards Standard Assets	35.00	32.00
iv)	Provision made towards Income Tax (including FBT & Deferred Tax)	533.94	469.20
v)	Other Provisions and Contingencies (with details)		
	(a) Wealth Tax	1.79	1.64
	(b) Non Performing Investments	0.00	0.00
	(c) Others	140.90	252.91
	Total	**1742.27**	**1286.82**

21. क) ग्राहक शिकायतें

		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	वर्ष के आरंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	480	347
ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	9747	8576

21) (A) Customer Complaints

		Current Year	*Previous Year*
i)	No. of complaints pending at the beginning of the year	480	347
ii)	No. of complaints received during the year	9747	8576

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
iii) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	10022	8443
iv) वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	205	480

(ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) वर्ष के आरंभ में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	0	0
ii) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	9	6
iii) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	9	6
iv) वर्ष के अंत में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	0	0

22. चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटन

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उन्हें स्वीकृत ऋण सीमाओं के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है । प्रबन्ध वर्ग के मतानुसार विगत में, चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव और संचयी वित्तीय दायित्व निर्धारित नहीं किए गए हैं और वे अभी भी बकाया हैं । बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछले वष
1) 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	3307	2214
2) वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	8931	4108
3) वर्ष 2010-11 के दौरान परिपक्व हुए/रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	6551	3015
4) 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	5687	3307

25) पिछले वर्ष के आंकड़े,जहां भी जरूरी हैं, पुन:समूहित / पुन:व्यवस्थित / पुन: संरचित किए गए हैं।

	Current Year	*Previous Year*
iii) No. of complaints redressed during the year	10022	8443
iv) No. of complaints pending at the end of the year	205	480

(B) Awards passed by the Banking Ombudsman

	Current Year	*Previous Year*
i) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
ii) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	9	6
iii) No. of Awards implemented during the year	9	6
iv) No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

22) Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts (LOCs) on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(Rs in crores)

	Current Year	*Previous Year*
1) Letter of comforts outstanding as on 01.04.2010	3307	2214
2) Letter of comforts issued during the year 2010-11	8931	4108
3) Letter of comforts matured/ cancelled during the year 2010-11	6551	3015
4) Letter of comforts outstanding as on 31.03.2011	5687	3307

23) Previous year's figures have been re-grouped/re-arranged/recast wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारक
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
वित्तीय विवरणियां रिपोर्ट

1. हमने **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** के 31 मार्च, 2011 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2011 के तुलनपत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे एवं नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1355 शाखाओं को सम्मिलित किया गया है । हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया है । साथ ही, तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखे में ऐसी 245 शाखाओं की विवरणियों को भी सम्मिलित किया गया है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं होनी थी। ऐसी अलेखापरीक्षित शाखाओं के 2.83% अग्रिम, 3.24% जमाराशियां, 2.14% ब्याज आय तथा 2.61% ब्याज व्यय है ।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबन्ध वर्ग की जिम्मेदारी

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों, जो मिथ्याकथन चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, से मुक्त है, को तैयार करने से संबंधित डिजायन व आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा रख–रखाव करना शामिल है ।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपने अभिमत प्रकट करना है । हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की । इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं एवं योजना का पालन करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणियां भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं या नहीं, लेखापरीक्षा करें।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी निष्पादन प्रक्रिया शामिल है । चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणियों में भौतिक निष्पादन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी गलती के, से जुड़े जोखिमों का आकलन शामिल है । इस जोखिम आकलन के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों को डिजाइन करने के लिए, बैंक द्वारा वित्तीय विवरणियां तैयार करने तथा उनके निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयुक्त की गईं लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है ।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमारे लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त है ।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Shareholders,
Oriental Bank of Commerce
Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of the **Oriental Bank of Commerce** as at 31st March, 2011, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2011 and the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1355 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 245 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for2.83% of advances, 3.24% of deposits, 2.14% of interest income and 2.61% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

सापेक्ष अभिमत का आधार

6. हम अनुसूची 18 की टिप्पणी सं0 6 की ओर ध्यान दिलाते हैं जिसमें बहियों के मिलान, कुछेक खातों में बकाया प्रविष्टियों की पुष्टि/समाधान और निपटान के प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन न किए जा सकने के कारण उसे हिसाब में नहीं लिया गया ।

अभिमत

7. हमारे अभिमत में, बैंक की लेखा पुस्तकों में दिखाए अनुसार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सापेक्ष अभिमत के लिए आधार संबंधी पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर:

(i) लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक पूर्ण एवं सही तुलन-पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2011 तक के बैंक के कार्यों का सही-सही चित्र भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुत किया जा सके ।

(ii) लेखा टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ के वास्तविक शेष को भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दर्शाता है, तथा

(iii) नकद प्रवाह विवरणी इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह का सही एवं सत्य चित्र दर्शाती है ।

ध्यान दी जाने वाली बातें

8. अपने मत को व्यक्त किए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान दिलाते हैं:-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पुनः पेंशन विकल्प खोलने तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण नियामक कार्रवाई के विषय में अपने परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी / 80 / 21.04.018 / 2010–11 द्वारा लेखांकन मानक (एएस) 15, ''कर्मचारी लाभ'' के प्रावधान लागू करने से दी गई छूट के अनुसरण में 683.60 करोड़ रु. की पेंशन देयता के आस्थगन से संबंधित अनुसूची 18 की टिप्पणी सं 17 (ग)

(ii) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत भारत सरकार के पास बैंक द्वारा दाखिल किये गये दावे से संबंधित अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 11.

(iii) अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 19 पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के सहज वसूली अयोग्य अग्रिमों और सहज वसूली अयोग्य आस्तियों को बैंक की आस्तियों के भाग के रूप में शामिल किये जाने से संबंधित है, जिन्हें अन्यथा समामेलन योजना के अनुसार वसूली आधार पर लिया जाना अपेक्षित था।

(iv) अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 4 वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए प्रस्तावित लाभांश हेतु विनियामक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में है।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाएं

9. तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए गए क्रमशः फार्म "क" और "ख" में तैयार किए गए हैं ।

10. उक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के तहत तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा

Basis for Qualified Opinion

6. *We draw attention to note no. 6 of Schedule – 18 wherein the impact, if any, on account of balancing of books, confirmation/reconciliation and clearance of outstanding entries in certain accounts is not accounted for as the same is not ascertainable.*

Opinion

7. *In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph: -*

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2011, in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India , for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

8. Without qualifying our opinion, we draw attention to: -

(i) Note no.17(c) of schedule 18 regarding deferment of pension liability to the extent of Rs.683.60 Crores pursuant to exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, "Employee Benefits" vide its circular no. DBOD.BP.BC /80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

(ii) Note no.11 of schedule 18 regarding the claim lodged by the bank with Government of India under Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008.

(iii) Note no.19 of schedule 18 regarding inclusion of not readily realisable advances and not readily realisable assets pertaining to erstwhile global trust bank as part of assets of the bank, which was otherwise required to be taken on collection basis as per the scheme of amalgamation.

(iv) Note no.4 of Schedule 18 regarding obtaining of permission from regulatory authority for proposed dividend for the financial year 2010-11.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies

यथापेक्षित और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारिया और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है ।

(ii) बैंक के जो कारोबार हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है।

(iii) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ सामान्यतः समुचित पाया गया है और जहां विवरणियों में प्राप्त विवरण अपूर्ण/अपर्याप्त थे हमने प्रबंध वर्ग द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर विश्वास किया है ।

11. हमारे अभिमत के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है:

(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that: -

(i) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of audit and have found them to be satisfactory.

(ii) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

(iii) the returns received from the offices and branches of the Bank have been generally found adequate for the purposes of our audit and where the particulars in the returns received were incomplete/inadequate, we have relied upon the information and explanations furnished by the Management.

11. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते वी. कृष्णन एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. : 001541–एस	**कृते एस.पी.मरवाहा एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं.: 000229-एन	**For V KRISHNAN & CO.,** Chartered Accountants Firm Reg. No.: 001541-S	**For S.P. MARWAHA & CO.,** Chartered Accountants Firm Reg. No.: 000229-N
(के. उलगानाथन शंकर) भागीदार रा. सं. 208480	**(एम.एल.जोतवानी)** भागीदार स. सं. 009604	**(K.ULGANAATHAN SHANKAR)** Partner M No. 208480	**(M.L. JOTWANI)** Partner M.No. 009604
कृते मनियान एंड राव सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं0 001983-एस	**कृते तेज राज एंड पाल** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं0 304124-ई	**For MANIAN & RAO** Chartered Accountants Firm Reg. No.: 001983-S	**For TEJ RAJ & PAL** Chartered Accountants Firm Reg. No.: 304124-E
(परेश डागा) भागीदार स.सं. 211468	**(पी. वेणूगोपाला राव)** भागीदार स.सं. 010905	**(PARESH DAGA)** Partner M.No. 211468	**(P. VENUGOPALA RAO)** Partner M.No. 010905
कृते अगीवाल एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं0 000181-एन	**कृते बी.पुरूषोतम एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 0002808-एस	**For AGIWAL & ASSOCIATES** Chartered Accountants Firm Reg. No.: 000181-N	**For B. PURUSHOTTAM & CO.** Chartered Accountants Firm Reg. No.: 002808-S
(पी.सी. अगीवाल) भागीदार स.सं. 080475	**(बी.एस.पुरूषोत्तम)** भागीदार रा.सं. 026785	**(P.C. AGIWAL)** Partner M.No. 080475	**(B.S. PURSHOTHAM)** Partner M.No. 026785

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
ORIENTAL BANK OF COMMERCE

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(हजार रु. में) / (Rs. in thousands)

	31.03.2011	31.03.2010
क) परिचालनपरक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. Cash flow from operating activities		
I कर पश्चात् निवल लाभ		
I Net Profit after Tax	1502,86,80	1134,68,04
कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर को घटाकर)		
Provision for Tax (Net of deferred Tax)	533,94,42	469,20,00
कुल/Total (I)	**2036,81,22**	**1603,88,04**
II समायोजन :		
II Adjustment for		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि घटाकर)		
Depreciation on Fixed Assets (Net of Revaluation Reserve)	91,75,05	86,18,94
स्तरीय आस्तियों के प्रति प्रावधान		
Provision against Standard Assets	35,00,00	32,00,00
एनपीए अग्रिमों हेतु प्रावधान		
Provision for NPA advances	934,37,52	531,59,42
अन्य प्रावधान		
Other Provision	238,95,13	254,02,55
गौण ऋणों पर ब्याज		
Interest on subordinate Debts	257,41,22	214,16,77
व्ययों का परिशोधन		
Amortisation of Expenses	0	0
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि		
Profit/Loss on Sale of Fixed Assets	36,10	-33,72
कुल/Total (II)	**1557,85,02**	**1117,63,96**
परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालनपरक लाभ कुल (I)+(II)		
Operating Profit before changes in Operating Assets & Liabilities Total(I)+(II)	**3594,66,24**	**2721,52,00**
III परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन		
III Changes in Operating Assets & Liabilities		
विनिधान में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Investments	-6385,70,49	-7296,36,67
अग्रिमों में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Advances	-13353,29,54	-15520,52,44
जमा में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Deposits	18796,66,95	21888,73,92
उधारों में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Borrowings	252,18,24	1615,06,65
अन्य आस्तियों में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Other Assets	-836,80,49	65,50,44

अन्य देयताओं व प्रावधान में कमी/वृद्धि Decrease/Increase in Other Liabilities & Provisions	1240,71,89	157,50,63
कुल/Total (III)	**-286,23,44**	**909,92,53**
परिचालनों से सृजित नकदी **Cash generated from Operations**		
प्रदत्त कर (वापसी को घटाकर) Tax Paid (Net of Refund)	-408,56,74	-712,82,21
परिचालनपरक कार्यकलापों से निवल नकदी **Net Cash from Operating Activities**	**2899,86,06**	**2918,62,32**
ख. निवेशपरक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. Cash flow from Investing Activities**		
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर) Purchase of Fixed Assets (Net of Sales)	-126,87,80	-115,71,55
कुल (ख)/Total (B)	**-126,87,80**	**-115,71,55**
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **C. Cash Flow from Financing Activities**		
शेयर पूंजी जारी करना Issue of Share Capital	41,22,15	0
शेयर प्रीमियम Share Premium	1698,77,85	0
जारी किए गए गौण बॉण्ड Subordinate Bonds issued	500,00,00	0
गौण बॉण्डो पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Subordinate Bonds	-257,41,22	-214,16,77
लाभांश/लाभांश पर कारपोरेट कर का भुगतान Payment of Dividend/Corporate Tax on Dividend	-266,73,82	-213,97,68
कुल (ग)/Total (C)	**1715,84,96**	**-428,14,45**
घ. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क)+(ख)+(ग) **D. Net Changes in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)**	**4488,83,22**	**2374,76,32**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year**	**14599,89,96**	**12225,13,64**
वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash & Cash Equivalents at the end of the year**	**19088,73,18**	**14599,89,96**

टिप्पणी :

1. सभी ऋणात्मक (-) आंकड़े, अचल आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ, जिसे परिचालनपरक अस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले परिचालनपरक लाभ निकालने के लिए हिसाब में लिया गया है, को छोड़कर ''नकदी बाह्य प्रवाह'' को दर्शाते हैं।
2. भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों को परिचालनपरक कार्यकलापों से सृजित माना गया है और इन्हें निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों के मध्य विभाजित नहीं किया गया है।

Note:

1 All figures in minus represents " Cash out-flow', except profit on sale of fixed assets, considered to arrived at operating profit before changes in operating assets and liabilities.

2 Direct taxes paid are treated as arising from Operating activities and are not bifurcated between investing & financing activities.

रजत दासगुप्ता	आर.एल. अग्रवाल	वी. कण्णन	एस.सी.सिन्हा	नागेश पैड़ा
Rajat Dasgupta	**R.L. Aggarwal**	**V. Kannan**	**S.C. Sinha**	**Nagesh Pydah**
सहायक महाप्रबंधक (लेखा)	महाप्रबंधक (लेखा)	कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
AGM (Accounts)	एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager (Accounts) & CFO	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण की जांच की है। उक्त विवरण बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करार के खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और हमारी 29 अप्रैल, 2011 की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत बैंक के तदनुरूपी लाभ एवं हानि लेखा और तुलनपत्र पर आधारित है और इसके अनुरूप है।

AUDITORS' CERTIFICATE

We have examined the above Cash-flow Statement of the Oriental Bank of Commerce, New Delhi for the year ended 31st March, 2011. The statement has been prepared by the Bank in accordance with the requirements of listing agreement clause 32 with stock exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our report dated 29th April, 2011.

कृते वी. कृष्णन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001541-एस

कृते एस.पी.मरवाहा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 000229-एन

For V KRISHNAN & CO.,
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 001541-S

For S.P. MARWAHA & CO.,
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 000229-N

(के. उलगानाथन शंकर)
भागीदार
स. सं. 208480

(एम.एल.जोतवानी)
भागीदार
स. सं. 009604

(K.ULGANAATHAN SHANKAR)
Partner
M No. 208480

(M.L. JOTWANI)
Partner
M.No. 009604

कृते मनियान एंड राव
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं0 001983-एस

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं0 304124-ई

For MANIAN & RAO
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 001983-S

For TEJ RAJ & PAL
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 304124-E

(परेश डागा)
भागीदार
रा.सं. 211468

(पी. वेणूगोपाला राव)
भागीदार
स.सं. 010905

(PARESH DAGA)
Partner
M.No. 211468

(P. VENUGOPALA RAO)
Partner
M.No. 010905

कृते अगीवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं0 000181-एन

कृते बी.पुरूषोत्तम एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 0002808-एस

For AGIWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 000181-N

For B. PURUSHOTTAM & CO.
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 002808-S

(पी.सी. अगीवाल)
भागीदार
स.सं. 080475

(बी.एस.पुरूषोत्तम)
भागीदार
स.सं. 026785

(P.C. AGIWAL)
Partner
M.No. 080475

(B.S. PURSHOTHAM)
Partner
M.No. 026785

टिप्पणियां / NOTES

टिप्पणियां / NOTES

शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों द्वारा कागजरहित अनुपालन के लिए अनुमति देकर "कम्पनी अभिशासन में एक हरित कदम" उठाया है और 21 अप्रैल, 2011 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि किसी कंपनी द्वारा दस्तावेज की तामील इलैक्ट्रानिक माध्यम से की जा सकती ।

इस महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा एमसीए द्वारा जारी परिपत्र को ध्यान मे रखते हुए हम वार्षिक आम बैठक बुलाने संबंधी सूचना, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरिणयां, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप में भेजने का प्रस्ताव करते हैं ।

कृपया नोट करें कि शेयरधारकों को बैंक के शेयरधारक सदस्य होने के नाते, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति, उनसे मांग पर्ची प्राप्त होने पर भेजी जा सकेगी।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस हेतु अपनी सहमति भेजें तथा अपना ई–मेल पता हमारे रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट मैसर्स एमसीएस लि0 को निम्नलिखित फॉर्मेट पर भेजें।

स्थान_____

दिनांक :_____

एमसीएस लि0
एफ–65, प्रथम तल,
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेज–1, नई दिल्ली – 20

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में मेरी/हमारी शेयरधारिता के संबंध में इलैक्ट्रानिक रूप में दस्तावेज प्राप्त करने हेतु सहमति

शेयरधारक (कों)का नाम स्पष्ट अक्षरों में		धारित शेयरों की संख्या
1.		
2.		
3.		
फोलियो या डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं.	ई–मेल आईडी	दूरभाष सं.

मैं/हम एतद्द्वारा वार्षिक रिपोर्ट सहित बैंक के दस्तावेज/सूचनाएं उपरोक्तानुसार ई–मेल द्वारा प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ/देते हैं।

1. ----------

2. ----------

3. ----------

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

Important communication for shareholders

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has taken a "Green Initiative in the Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies and has issued a circular on April 21, 2011 stating that the service of document by a company can be made through electronic mode.

Keeping in view the underlying theme and the circular issued by MCA, we propose to send documents like the notice calling the annual general meeting, audited financial statements, directors' report, auditors' report etc. in electronic form.

Please note that the shareholders will be entitled to be furnished, free of cost, a copy of Annual Report of the Bank, upon receipt of a requisition from them, any time, as a shareholder member of the Bank.

The shareholders are requested to convey the consent to the same and register their email address with our Registrar and Transfer Agent, M/s. MCS Ltd. on the following format.

General Manager (MBD)

Place_____

Date : _____

MCS Ltd
F-65, Ist Floor,
Okhla Industrial Area
Phase-I, New Delhi-110020.

CONSENT FOR RECEIVING DOCUMENTS IN ELECTRONIC FORM IN RESPECT OF MY/OUR SHAREHOLDING IN ORIENTAL BANK OF COMMERCE

NAME OF SHAREHOLDER(S) IN BLOCK LETTERS		NO. OF SHARES HELD
1.		
2.		
3.		
FOLIO OR DPID/CLIENT ID NO.	EMAIL ID	PHONE NO.

I / We hereby give my consent for receiving Bank's documents / notices including Annual Report etc. by email as mentioned above.

1. ----------

2. ----------

3. ----------

Signature of Shareholder(s)

इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) मानक अधिदेश फॉर्म
ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) MODEL MANDATE FORM

सेबी के परिपत्र सं. डीसीसी/एफआईटीटी सीआईआर-3/2001 दिनांक 15.10.2001 के अनुसार अनिवार्य

Mandatory as per SEBI Circular No. DCC/FITT CIR-3/2001 dated 15.10.2001

1. निवेशक/ग्राहक का नाम/Investor/Customer's Name

2. धारित शेयरों की फोलियों सं./Folio in Which shares held

3. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account

   A. बैंक का नाम/Bank Name :

   B. शाखा का नाम/Branch Name :

   C. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक पर उल्लिखित बैंक तथा शाखा की 9 अंकों की कोड सं.
   9 Digit Code Number of the Bank and branch appearing on the MICR cheque issued by the bank

   D. खाते का प्रकार (कोड)/Account Type (Code) (कृपया सही का निशान लगाएं)/(Please Tick) — बचत बैंक खाता SB A/C; चालू खाता Current Account; नकद उधार खाता Cash Credit Account

   E. बैंक लैजर सं./Bank Ledger No.

   F. खाता सं. (जो चेक बुक में दी गई है)/Account Number (as appearing on the Cheque book)

प्रभावी होने की तारीख

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता (ती) हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही तथा पूर्ण हैं, यदि अपूर्ण अथवा गलत सूचना के कारण लेनदेन में देरी होती है अथवा लेनदेन नहीं हो पाता, तो मैं इसके लिए संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा (गी)। मैं इस योजना के अंतर्गत सहभागी होने का अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए सहमत हूं।

Date of Effect

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete, if the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I agree to discharge my responsibility as a participant under the scheme.

नोट : कृपया सभी कॉलम भरें। अपूर्ण फॉमों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Note: Kindly fill all columns. Incomplete forms shall not be entertained.

दिनांक/Date:

निवेशक/ग्राहक के हस्ताक्षर/Signature of the Investor/Customer

निवेशक/ग्राहक के बैंक का प्रमाण पत्र */Certificate of the Investor/Customer's Bank*

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही है।/

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

बैंक की मोहर/Bank's Stamp:

दिनांक/Date :

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the Authorised Official from the Bank

*(नोट : उपरोक्तानुसार प्राप्त किए जाने वाले बैंक प्रमाणपत्र के स्थान पर, ग्राहक/निवेशक कोरा ''रद्द'' किया हुआ चेक अथवा उसकी फोटो प्रति संलग्न कर सकते हैं।

*(Note: In lieu of the bank certificate to be obtained above, customers/investors can attach a blank 'cancelled' cheque or photocopy thereof)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली –110001

पंजीकृत फोलियों सं0 ..... (यदि अमूर्त न हो)
डीपीआईडी सं0 ..... ग्राहक आईडी सं0 ..... (यदि अमूर्त हो)

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम .....राज्य के .....

जिले के ..... का/के निवासी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा ..... राज्य के ..... जिले के निवासी श्री/श्रीमती ..... को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर .....

..... राज्य के ..... जिले के निवासी/श्री/श्रीमती .....

को 23 जून, 2011 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049 (प्रवेश गेट नं. 5) में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में तथा इसके किसी अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... माह के ..... दिन, 2011 को हस्ताक्षरित ।

कृपया 1 रुपए की रेवेन्यू स्टॉम्प लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता: _____

_____

_____

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

वार्षिक आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची–सह प्रवेश पत्र

दिनांक : 23 जून, 2011,
समय : प्रातः 10.00 बजे
स्थान : सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049 (प्रवेश गेट नं. 5)

उपस्थिति पर्ची/
(प्रवेश के समय जमा किया जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य /प्रॉक्सी)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं0	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रवेश पत्र

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य /प्रॉक्सी)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं0	शेयरों की संख्या

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हाल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें । प्रवेश–पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए । फिर भी प्रवेश आवश्यकता अनुसार आगे सत्यापन/जॉच के अध्यधीन होगा । किसी भी हालत में बैठक –हाल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी ।

पुनश्चः बैठक में कोई उपहार/कूपन नहीं बांटे जाएंगे ।

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि
   क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित हो ।
   ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य–रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित हो ।
   ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में कंपनी की मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी लिखित रूप में द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस का रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो ।
3. प्रॉक्सी के साथ
   क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित हो या
   ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति वार्षिक धारण आम बैठक प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **शनिवार, 18 जून, 2011** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् दोपहर **2.00 बजे** तक या उसके पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में चौथी मंजिल, काम्पीटेंट हाऊस, एफ–14, कनॉट प्लेस नई दिल्ली–110001 में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टाम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
8. शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है, उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा ।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फार्म 'बी' में न हो ।

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
HEAD OFFICE : NEW DELHI

Regd. Folio No. ……..... (If not Dematerialised)
DPID No.…….. Client ID No.…….. (If Dematerialised)

FORM 'B'
FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We, _____ Resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/s of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt._____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on 23rd June 2011, at Siri Fort Auditorium (Audi-II), August Kranti Marg, New Delhi – 110049 (Entry from Gate No. 5) and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011.

Please affix Rupee 1 revenue stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name : _____

Address: _____

_____

_____

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE : HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR ANNUAL GENERAL MEETING

Date : 23rd June, 2011
Time :10.00 A.M.
Place : Siri Fort Auditorium (Audi-II), August Kranti Marg, New Delhi – 110049 (Entry from Gate No. 5)

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy)	FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	No. of Shares

---

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

ENTRY PASS

NAME IN BLOCK (Member/Proxy)	FOLIO/DPID/CLIENT ID No.	No. of Shares

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S.: No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
   a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
   b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
   c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce.
3. The proxy together with
   a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Head Office of the Bank at IVth Floor, Competent House, F-14, Connaught Place, New Delhi-110001, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **2.00 p.m. of Saturday, 18th June, 2011**.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Oriental Bank of Commerce or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट

एमसीएस लिमिटेड

एफ-65, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया,

फेज-I,

नई दिल्ली-110020

फोन नं. : - 011-41406149

फेक्स : - 011-41709881

Registrar & Share Transfer Agents

MCS Ltd.

F-65, Okhla Industrial Area,

Phase-I,

New Delhi-110020

Phone 011-41406149

Fax 011-41709881

सहायक महाप्रबंधक

मर्चेंट बैंकिंग विभाग

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स

चौथी मंजिल, कम्पीटेंट हाउस

एफ-14, कनाट प्लेस,

नई दिल्ली-110001

टेलीफोन नं. : 23321821, 47651952

फेक्स नं. : 011-47651902

वेबसाइट : www.obcindia.co.in

ASSTT. GENERAL MANAGER

Merchant Banking Division

Oriental Bank of Commerce

4th Floor, Competent House,

F-14, Connaught Place,

New Delhi-110001

Tel No. 23321821, 47651952

Fax No. 011-47651902

Website : www.obcindia.co.in

7. औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध मधुर तथा सौहार्दपूर्ण बने रहे । बैंक सहभागिता प्रबंधन और सामूहिक समझौते के सिद्धांत अपनाता रहा। बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली पर्याप्त प्रभावपूर्ण है। कर्मचारियों की शिकायतें, यदि कोई हो, नियमित रूप से आयोजित होने वाली औद्योगिक संबंध बैठकों में परस्पर व द्विपक्षीय बातचीत द्वारा तत्काल दूर की जाती हैं। मधुर एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के फलस्वरूप बैंक निरंतर प्रगति कर रहा है।

8. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंक ने चरणबद्ध रूप से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) लागू की है जिसे मार्च, 2004 में प्रारंभ किया गया था। जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति और लेखापरीक्षा फार्मट, भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुरूप और बैंक द्वारा समय के साथ अर्जित अनुभव के अनुसार संशोधित किए गए हैं। वैंक ने 01.10.2006 से संशोधित नीति फार्मेट अपनाते हुए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को पूरी तरह अपना लिया है। वर्ष 2010–11 के दौरान 1505 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की गई ।

9. आंतरिक नियंत्रण पद्धति

शाखाओं के कार्यों की निगरानी करने के लिए बैंक के विभिन्न स्थानों पर 12 प्रादेशिक निरीक्षण कार्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि अपेक्षित सुधार लाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति को मजबूत किया जा सके और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए उच्च प्रबंध वर्ग को समय पर फीडबैक दिया जा सके । आंतरिक निरीक्षकों द्वारा हर वर्ष शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। कैलेंडर वर्ष 2010 हेतु सनदी लेखाकारों द्वारा सभी शाखाओं (संगामी लेखापरीक्षा की शाखाओं के अतिरिक्त) की आय एवं व्यय लेखापरीक्षा भी करवाई गई । भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप प्रतिष्ठित सनदी लेखाकारों द्वारा शाखाओं की संगामी लेखापरीक्षा भी की जा रही है जिसमें 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार बैंक की 69% जमाराशियों और 80% अग्रिम और कुल कारोबार का 74% कारोबार कवर किया गया है। 31.03.2011 को कुल 427 शाखाएं, जिनमें विशेषीकृत शाखाएं, सेवा शाखाएं और प्रधान कार्यालय के कुछ चुने हुए विभाग शामिल हैं, संगामी लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

9.1 ग्राहकों की शिकायतें

i	वर्ष 2010–11 के आरंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	480
ii	वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त हुईं शिकायतों की संख्या	9747
iii	वर्ष 2010–11 के दौरान निपटाई गईं शिकायतों की संख्या	10022
iv	31.03.11 को वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	205

9.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

i	वर्ष के आरंभ में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य
ii	बैंकिंग लोकपाल द्वारा वर्ष के दौरान पारित अधिनिर्णयों की संख्या	9
iii	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	9
iv	वर्ष के अंत में लागू न किए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य

7. INDUSTRIAL RELATIONS

Industrial Relations in the bank continued to remain cordial and harmonious. The Bank has effective grievance redressal mechanism. The grievances of the employees if any are resolved through mutual and bilateral discussions in the regularly held industrial relations meetings. As a result of cordial and harmonious industrial relations, the Bank has been able to sustain its growth path.

8. RISK BASED INTERNAL AUDIT

The Bank implemented Risk Based Internal Audit (RBIA) in a phased manner, starting from March 2004. The Risk Based Internal Audit Policy and the audit format(s) were revised in sync with revised guidelines of RBI and experience gained by the Bank in due course. The Bank has fully migrated to Risk Based Internal Audit w.e.f. 01.10.2006 on the revised policy format(s). Risk Based Internal Audit (RBIA) of all the eligible 1505 Branches was conducted during the year 2010-11.

9. INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has 12 Regional Inspectorates at different locations to oversee the working of Branches and to ensure that the internal control systems are strengthened to bring the desired improvement and give timely feedback to the Top Management to take immediate corrective steps. Risk Based Internal Audit (RBIA) of Branches is conducted every year by internal inspectors. The Income and Expenditure Audit of all the Branches (other than branches under Concurrent Audit) was also got conducted from Chartered Accountants for calendar year 2010. In conformity with RBI directives, Concurrent Audit of the Branches is also being conducted by reputed Chartered Accountants covering 69 % of the Deposit and 80 % of Advances and 74 % as per total working as on 31.03.2011. A total number of 427 branches including specialized branches, Service Branches and certain select Departments of Head office are under Concurrent Audit as on 31.03.2011.

9.1 Customer Complaints

i	No. of Complaints pending at the beginning of the year 2010-11	480
ii	Complaints received during the year 2010-11	9747
iii	Complaints redressed during the year 2010-11	10022
iv	No. of Complaints pending at the end of the year as on 31.03.2011	205

9.2 Awards Passed By The Banking Ombudsman

i	No. of Unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL
ii	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	9
iii	No. of Awards implemented during the year	9
iv	No. of Unimplemented Awards at the end of the year	NIL

10. ऋण पुनरीक्षा तंत्र

बैंक में 2004 में लागू किया गया ऋण पुनरीक्षा तंत्र ऋण संविभाग की गुणवत्ता का निरंतर मूल्यांकन करने और ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाने का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान ऋण पुनरीक्षा दलों द्वारा 208 शाखाओं के कुल 51,783 करोड़ रुपए के 806 खातों (5.00 करोड़ रुपये तथा अधिक के एक्सपोज़र) की पुनरीक्षा की गई।

11. सतर्कता तन्त्र

बैंक का सतर्कता तंत्र महाप्रबन्धक ओहदे के मुख्य सतर्कता अधिकारी की सर्वोपरि देखरेख के अंतर्गत कार्य कर रहा है और इसमें प्रधान कार्यालय में एक पूरा विभाग तथा फील्ड में कार्यरत 16 सतर्कता अधिकारी (कुछ चयनित प्रादेशिक कार्यालयों में) मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यरत हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के संरक्षण एवं मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक सतर्कता के सभी क्षेत्रों अर्थात् निवारक,खोजपूर्ण व दण्डात्मक सतर्कता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए उपाय कर रहा है।

स्टाफ को अधिक सतर्क बनाने और सतर्कता समारोहों में स्टाफ सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से 15 कर्मचारियों से अधिक की शाखाओं में तथा विशेषीकृत शाखाओं में सतर्कता समितियां गठित की गई हैं । इसी प्रकार, प्रादेशिक कार्यालयों में प्रादेशिक सतर्कता समितियां गठित हैं जो शाखा स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठकों की कार्यवाही पर विचार-विमर्श करती हैं तथा इनके कार्यचालन की समीक्षा करती हैं। प्रधान कार्यालय का सतर्कता विभाग प्रादेशिक अध्यक्षों व फील्ड में तैनात सतर्कता अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इन समितियों के कार्य की समीक्षा करता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के सभी कार्यालयों में 'सतर्कता जागरूकता अवधि–2010 मनाई गई जिसमें "भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार करने" पर विशेष जोर दिया गया। तदनुसार ग्राहकों/जनता को भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया गया और भ्रष्टाचार को दूर करने में उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई। जनता से संबंधित सभी मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ऋण प्रस्ताव ट्रैकिंग पद्धति तथा वेंडरों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के विवरण एवं स्थिति बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा ई–टेंडरिंग सॉल्यूशन को लागू करने के संबंध में कार्यवाही की गई ।

निवारक सतर्कता के उपाय के तौर पर, मंजूरी–पूर्व प्रक्रिया ,विशेषकर, बंधक (मॉरगेज) संबंधित मामलों , जहां धोखाधड़ी की बहुत अधिक संभावना है तथा धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा धोखाधड़ी जांच कार्य की पुनरीक्षा को सुदृढ़ बनाने के संबंध में विभिन्न कदम उठाए गए। धोखाधड़ी-उन्मुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए पद्धति व प्रक्रिया के अनुपालन के स्तर का आकलन करने के लिए चयनित आधार पर शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पाए गए व्यतिक्रम समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में लाए गए। प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करके तथा सूचना विश्लेषण द्वारा संभावित सतर्कता हेतु ऑफ़ साइट निगरानी को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सतर्कता अधिकारियों के जांच कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया ।

ऐसे मामले जिनमें दंडात्मक कार्यवाही अपेक्षित थी, का शीघ्र निपटान करने के लिए अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। सतर्कता विभाग

10. LOAN REVIEW MECHANISM

Loan Review Machanism (LRM) has proved to be an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvement in credit administraion. During the FY 2010-11, the LRM teams conducted review of 806 accounts (with exposure of Rs. 5.00 Cr. & above) with a total exposure amounting to Rs. 51,783 Cr. covering 208 branches.

11. VIGILANCE MACHINERY

The Vigilance set up of the Bank is under the overall supervision of the Chief Vigilance Officer of the rank of General Manager and comprises full-fledged department at Head Office and 16 Vigilance Officers posted in the field (at selected Regional Headquarters) functioning directly under the control of the Chief Vigilance Officer.

The Bank, under the aegis of and as per guidelines of Central Vigilance Commission, is taking measures for substantial improvement in all areas of vigilance i.e. preventive, detective and punitive.

In order to make the staff more vigilant and ensure their participation in the vigilance functions, Vigilance Committees have been formed at branches having more than 15 employees and at specialised branches. Similarly, Regional Vigilance Committees have been constituted at Regional Offices to deliberate on the observations of branch level Vigilance Committee meetings and review their functioning. The Vigilance Department at Head Office oversees the functioning of these committees through feedback received from the Regional Heads and the Vigilance Officers posted in the field.

As per the directions of Central Vigilance Commission, 'Vigilance Awareness Period-2010' was observed at all the offices of the Bank with focus on "Generation of awareness and publicity against corruption". Accordingly, the customers/public were informed of the harmful effect of corruption and their participation was solicited to fight corruption. To increase transparency in all matters related to the public, initiatives have been taken to implement Loan Proposal Tracking system, display details and status of bills submitted by vendors on Bank's website and e-tendering solutions.

As a preventive vigilance measure, various initiatives have been taken to strengthen pre sanction process particularly with regard to mortgage related issues wherein the incidence of frauds is very high and review of fraud risk management and fraud investigation functions. Surprise Inspections of the branches on selective basis were conducted to assess level of adherence to Systems & Procedure with special focus on fraud prone areas. The deviations observed are brought to the notice of the concerned authorities for taking corrective measures in time. Initiatives are being taken to augment off-site surveillance by leveraging technology and information analysis to move towards predictive vigilance.

With a view to improve the investigating skills of the Vigilance officers, they were exposed to various training programmes organised by reputed institutions besides in-house training programmes.

All efforts are made, in coordination with other departments, to have quick disposal of vigilance disciplinary cases warranting punitive action. The Vigilance Department maintains liaison with

केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सम्पर्क बनाए हुए है और बैंक के अंदर भी विभिन्न विभागों से प्रभावशाली ढंग से समन्वय बनाए हुए है ताकि सतर्कता प्रशासन की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके ।

12. पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं

वर्तमान पद्धतियां एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा बैंक के कार्यचालन का एक अभिन्न अंग है। तेजी से बदलते बैंकिंग परिदृश्य और ब्रिक एण्ड मोर्टार मॉडल से क्लिक बैंकिंग मॉडल में हुए आंशिक अंतरण से हमारी कार्य पद्धति में काफी बदलाव लाने की जरूरत हो गई है। इसके अतिरिक्त 100% केन्द्रीयकृत बैंकिंग समाधान अपनाने से वर्तमान पद्धति एवं प्रकियाओं की निरंतर समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उन्नत प्रौगिकी के आने से बैंकों द्वारा नए उत्पाद / सेवाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। संगठन एवं पद्धति कक्ष बैंक की वेबसाइट पर ग्राहकों से प्राप्त शंकाओं व सुझावों को मानीटर कर रहा है। कक्ष द्वारा इस प्रकार प्राप्त शंकाओं का तत्काल उत्तर दिया जाता है व बैंक के ग्राहकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना सुनिश्चित किया जाता है।

13. सूचना प्रौद्योगिकी

13.1 कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और वाइड एरिया नेटवर्क

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान 1620 शाखाओं और 24 विस्तार पटलों के 100% सीबीएस नेटवर्क की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता का लाभ उठाते हुए कई आईटी आधारित उत्पाद प्रस्तुत किए जैसे इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी के जरिए इलैक्ट्रोनिक धन प्रेषण सुविधाएं, ऑनलाइन शिक्षा ऋण, ई–शॉपे, ई–टैक्सेस, शेयरों की ऑनलाइन ट्रेडिंग, एसएमएस अलर्ट, प्रोटोन डेबिट कार्ड, छात्रों के लिए कैशमेट कार्ड, रेडी किट तथा मोबाइल बैंकिंग । बैंक ने अपने बढ़ते हुए कारोबार को संभालने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अपनी आधारिक संरचना का उन्नयन किया ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न सेवाओं की समग्र कार्यकुशलता को अधिक बेहतर बनाया जा सके।

सीबीएस साफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन किया गया जिससे कई सांविधिक व सांख्यिकी विवरणियां सृजित की जा सकती हैं जिसके परिणामतः कारपोरेट स्तर पर तत्क्षण सही सूचना निकाली जा सकती है।

ग्राहकों को अबाध सेवाएं देने हेतु बैंक की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, बैंक ने बैक–अप लिंक के तौर पर आईएसडीएन के साथ लीज्ड लाइन और उच्च स्तरीय अपटाइम के साथ वीसैट का प्रयोग करते हुए सशक्त कारपोरेट नेटवर्क बनाया है, जिससे समस्त नेटवर्क की सर्वोच्च अबाध कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके ।

13.2 आपदा वसूली सेट-अप

बैंक ने आईडीसी-II,डीएकेसी, वाशी, नवी मुम्बई में प्राइमरी डाटा केन्द्र के ज़रिए अपने आईडीसी-I पर नीयर लाइन साइट और ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में डिज़ास्टर रिकवरी साइट के जरिए त्रिआयामी डीआर ढांचा स्थापित किया है ताकि सीबीएस के लिए शून्य डाटा हानि सुनिश्चित की जा सके ।

प्राइमरी डाटा सेन्टर से डाटा की नीयर लाइन साइट में अनुकृति निरंतर साथ-साथ होती रहती है और नीयर लाइन साइट से डीआरएस में प्रतिलिपित होती है। इससे सुनिश्चित होता है कि प्राइमरी डाटा सेन्टर पर बड़ी खराबी होने के मामले में सीबीएस का संपूर्ण डाटा यथासंभव न्यूनतम समय में डीआरएस में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डीआर साइट का ढांचा भी अपग्रेड किया गया।

13.3 एटीएम

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 212 अतिरिक्त एटीएम लगाए जिनमें से 18 एटीएम महानगरीय केन्द्रों पर, 65 एटीएम शहरी स्थानों पर, 75 एटीएम अर्द्ध–शहरी स्थानों पर और 54 एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इस प्रकार मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के एटीएम नेटवर्क में 1192 एटीएम हैं जिनमें 878 ऑनसाइट एटीएम, 314 ऑफ साइट एटीएम हैं ।

Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation and also co-ordinates with various departments within the Bank to ensure efficacy of vigilance administration.

12. SYSTEMS & PROCEDURES

The review of existing systems & procedures is an integral part of Bank's functioning. Fast changing banking scene and partial shift of banking from brick & mortar model to click banking has necessitated many changes in the way we work. More over, with the 100% migration to CBS platform the existing systems & procedures need constant review. Further, with advancement of technology new products/services are being offered by the banks. The O&M cell is monitoring the Query & Suggestions received from the constituents on the website of the bank. The cell gives prompt response to the queries received and ensures providing of instant solutions to the problems faced by the customers of the Bank.

13. INFORMATION TECHNOLOGY

13.1 Core Banking Solution (CBS) and Wide Area Network

Leveraging its IT capability of 100% CBS Network of 1620 branches and 24 extension counters offering an array of IT products viz. Internet Banking, Electronic Remittance facilities through RTGS/ NEFT, Online Education Loan, e-Shoppe, e-Taxes, Online Trading of Shares, SMS Alerts, Proton Debit Cards, Cash Mate Cards for Students, Ready Kits and Mobile Banking, the Bank has successfully upgraded its IT Infrastructure to support its increasing Business and to further improve overall functionality of the various services, during the current financial year.

The CBS software has been customized to generate large number of Statutory and Statistical Returns thereby ensuring correct generation of the information at corporate level on instantaneous basis.

To strengthen the Bank's commitment towards uninterrupted service to its customers, it has built a robust Corporate Network using Leased lines with ISDN as backup links and VSATs with highest level uptime, thereby ensuring highest uptime of the entire network.

13.2 DR Setup

Bank has implemented 3-way DR architecture through Primary Data Centre at IDC-II, DAKC,Vashi, New Mumbai, Near Line Site at its IDC-I and Disaster Recovery Site at Greater Kailash, New Delhi for Zero Data Loss for CBS.

The data is synchronously replicated from PDC to NLS and is asynchronously replicated from NLS to DRS. This ensures that in case of major problem at PDC, complete data of CBS can be made available at DRS within the shortest possible time.

The infrastructure at DR site, has also been upgraded during the current financial year.

13.3 ATMs

During this financial year, Bank has deployed 212 additional ATMs out of which 18 ATMs deployed at Metro locations, 65 ATMs deployed at Urban locations, 75 ATMs at Semi-Urban locations and 54 ATMs at Rural Areas. Thus, as on March 2011, Bank's ATM network stands at 1192 ATMs, which includes 878 Onsite ATMs, 314 Offsite ATMs.

बैंक के एटीएम कार्ड, देश भर में लगे 72000 से भी अधिक एटीएम पर स्वीकार किए जाते हैं। इस समय कुल 25.83 लाख एटीएम– सह–डेबिट कार्डधारक हैं और पूरे बैंक में लगभग 79% पात्र नकद लेन–देन एटीएम के ज़रिए किए जा रहे हैं ।

खाता खोलते समय ही ग्राहकों को तत्काल एटीएम कार्ड जारी किए जाने की दृष्टि से, वर्ष के दौरान 'रेडी किट' पद्धति लागू की गई जिसके ग्राहकों को खाता खोलते समय तत्काल एटीएम कार्ड, एटीएम पिन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

13.4 इंटरनेट बैंकिंग

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक ने रिटेल तथा कारपोरेट दोनो प्रकार के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के माध्यम से ऑनलाइन अप्रत्यक्ष कर जमा कराने की सुविधा आरंभ की। अतिरिक्त विशेष सुविधाएं जैसे कि ऑनलाइन एनईएफटी / आरटीजीएस, ई–कामर्स, शेयरों की ऑनलाइन ट्रेडिंग एएसबीए, फॉर्म 26 एएस भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए उपलब्ध कराई गई हैं। इस वर्ष रिटेल ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पर दैनिक हिट्स की संख्या में 24% की वृद्धि हुई । वित्तीय वर्ष के दौरान इंटरनेट बैंकिंग के लिए 78000 नए ग्राहक पंजीकृत किए गए जिससे कुल ग्राहक आधार 3.53 लाख हो गया । औसत दैनिक हिट्स की संख्या भी बढ़कर प्रतिदिन 26000 हो गई ।

13.5 इलेक्ट्रानिक भुगतान पद्धति

बैंक की सभी शाखाएं आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए अंतर-बैंक प्रेषण की सुविधा दे रही हैं जो आईडीआरबीटी द्वारा नियंत्रित एसएफएमएस के सुरक्षित चैनल का प्रयोग करती हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को, अंतर-बैंक प्रेषण के लिए एनईएफटी की ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है ।

उपरोक्त इलेक्ट्रानिक भुगतान पद्धति में वर्ष दर वर्ष आधार पर लेन–देनों में काफी वृद्धि हुई। मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष में आरटीजीएस तथा एनईएफटी के जरिए संव्यवहारों की कुल संख्या क्रमशः 11.6 लाख तथा 7.16 लाख रही, जो वर्ष–दर–वर्ष आधार पर क्रमशः 46% तथा 178% की वृद्धि दर्शाती हैं ।

13.6 कारपोरेट वेबसाइट

बैंक ने अपनी कारपोरेट वेबसाइट को अधिक इंटर-एक्टिव तथा सूचनाप्रद बनाते हुए इसे पूरी तरह नवीकृत कर दिया है। कारपोरेट छवि को ध्यान में रखते हुए इसकी रूपरेखा को परिष्कृत किया गया और साइट में एनएसई मार्किट ट्रैकर, एनएसई विदेशी मुद्रा ट्रैकर, बीएसई सूचकांक, एनएसई निफ्टी, एस एण्ड पी सी एन एक्स, क्रिकेट स्कोर डब्ल्यू 3सी मार्गनिर्देश इत्यादि जैसे मूल्य वर्धित इंटरफेस जोड़े गए। वेबसाइट को वेरीसाइन से एसएसएल इन्क्रिप्शन लागू करके सुरक्षित किया गया है।

बैंक ने अपनी कारपोरेट वेबसाइट पर ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए ऑनलाइन ग्राहक शिकायत पद्धति भी शुरू की है। बैंक की कारपोरेट वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को सुझाव देने व प्रश्न पूछने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ।

13.7 एसएमएस बैंकिंग

बैंक की एसएमएस बैंकिंग अलर्ट सेवा को काफी प्रोत्साहन मिला है और यह व्यापक रूप से ग्राहकों द्वारा अपनाई जा रही है । आपके लेनदेनों को मॉनिटर करने तथा साइबर अपराध को रोकने का यह कारगर साधन है । मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत ग्राहकों की संख्या लगभग 12.32 लाख है और लगभग 1 करोड़ एसएमएस संदेश प्रतिमाह भेजे जा रहे हैं ।

The ATM cards of the Bank are accepted across more than 72000 ATMs deployed in the country. As of now total Cardbase of ATM-cum-Debit card is 25.83 lacs and about 79% of eligible cash transactions are happening through the ATMs for the Bank as a whole.

In order to issue ATM card to the customers immediately at the time of opening accounts, the 'Ready Kit' system has been put in place through which ATM Card, ATM PIN is made available to the customers immediately at the time of opening of account.

13.4 Internet Banking

During the year under reference, the Bank has launched facility to deposit Indirect Tax online through both Retail and Corporate Internet Banking customers. Additional features such as Online NEFT/ RTGS, e-Commerce, Online Trading of shares, ASBA, Form 26 AS etc. have also been made available through Internet Banking. Within this year, Bank's Internet Banking for Retail customers has seen 24% increases in daily hits. During the financial year, 78000 new customers have been registered for Internet Banking, taking the total base to 3.53 lacs. The average daily hits has also increased to 26000 per day.

13.5 Electronic Payment System

All the branches of the Bank offer Inter-Bank remittances through RTGS and NEFT which uses secured channel of SFMS managed by IDRBT. Internet Banking subscribers of Bank are encouraged to use online facility of NEFT for inter-bank remittances.

The above Electronic Payment System has witnessed many fold increase in transactions on y-o-y basis. RTGS and NEFT Transactions has reached a cumulative figure of 11.6 lacs and 7.16 lacs respectively for the year ended March 2011 showing an increase of 46% and 178% respectively on year to year basis.

13.6 Corporate Website

Bank has totally revamped its Corporate Website by making it more interactive and informative. The look and feel has been enhanced keeping in view the corporate identity and value added interfaces like NSE Market Tracker, NSE Foreign Exchange Tracker, BSE Sensex, NSE Nifty, S&P CNX, Cricket Score, W3C guidelines etc. have been incorporated in the site. The website has also been secured by implementing SSL encryption from VeriSign.

Bank has also implemented Online Customer Complaint system on its corporate website for prompt disposal of complaints. Customers are also encouraged to give suggestions and raise queries through Bank's corporate website.

13.7 SMS Banking

The Bank received an overwhelming response for SMS Banking Alert Service and it is being widely accepted by the customers. It is an effective tool to monitor your transactions and prevent Cyber crime. As on March 2011, there are about 12.32 lacs registered customers and about 1 Crore SMS messages are being sent per month.

13.8 मोबाइल बैंकिंग

वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहकों के लिए एक और डिलीवरी चैनल जोड़ा और अपने स्थापना दिवस को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं आरंभ की । अब ग्राहक खाता शेष संबंधी जानकारी, अंतिम 10 लेनदेनों को देखना, अंतर बैंक तथा अंतः बैंक निधि अंतरण, शाखा लोकेटर तथा एटीएम लोकेटर जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं ।

13.9 आई टी सुरक्षा

बैंक ने अपने मुख्य एवं गौण डाटा केन्द्रों पर अत्याधुनिक सुरक्षा संयंत्र और निगरानी उपस्कर स्थापित किए हैं। सुरक्षा कार्यों की 24 x 7 x 365 आधार पर निगरानी की जाती है। बैंक ने मार्च, 2010 माह में मैसर्स एसटीक्यूसी,सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,भारत सरकार से अपने प्रमुख डाटा केन्द्र(पीडीसी), डीआर साईट, नीयर लाइन साईट और सीबीएस कक्ष तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान कार्यालय में संबंधित प्रक्रियाओं के लिए आईएसओ–27001 सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन प्राप्त किया। यह प्रमाणपत्र 3 वर्ष के लिए मान्य है। बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (आईएसएमएस) के लिए सर्वोच्च सुरक्षा मानक प्राप्त किया ।

समस्त संव्यवहार/शाखाओं से डाटा केन्द्रों में जाने वाली सभी सूचना राउटर स्तर पर आईपी सैक लागू करके और डाटा केन्द्रों पर वीपीएन कन्सन्ट्रेटर स्थापित कर सुरक्षित रखी जाती है ।

बैंक के कारपोरेट वेबपोर्टल https://obcindia.co.in और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन https://obconline.co.in अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त वेरीसाइन एसएसएल प्रमाणन द्वारा सुरक्षित है जिससे बैंक की वेबसाइट के प्रयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग तथा कारपोरेट वेबसाइट के जरिए लाभग्राही पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करके अपने ग्राहकों को किसी भी संभावित फिशिंग और सामाजिक इंजीनियरिंग आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है । बैंक के स्टाफ को भी शिक्षित किया गया है कि वे इस प्रकार के खतरों से ग्राहकों को अवगत कराएं। बैंक के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना सुरक्षा पर अलग सत्र रखे जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त, बैंक सिक्योरिटी इंटीग्रेटर के जरिए अपने महत्वपूर्ण आईटी ढांचे का समय–समय पर आईएस ऑडिट कराता है जिसमें डाटा केन्द्रों पर आईटी पद्धति का आंतरिक संवेदनशीलता मूल्यांकन,बैंक के कारपोरेट तथा नेटबैंकिंग वेबसाइट आदि की बाहरी भेदता का परीक्षण इत्यादि शामिल है।

13.10 कार्यान्वित किए जा रहे सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट

इस समय निम्नलिखित प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्टों पर कार्य किया जा रहा है :

- कारोबार आसूचना व ग्राहक संबंध प्रबंधन का कार्यान्वयन
- इंटरप्राइज़ डाटा वेयरहाउस का कार्यान्वयन
- सरकार की केन्द्रीय प्लान योजना निगरानी पद्धति
- ई–लर्निंग अवधारणा का कार्यान्वयन
- सभी तीनों डाटा केन्द्रों के लिए अतिरिक्त स्टोरेज
- चल शाखाओं(ब्रांचेस ऑन व्हील्स) का नियोजन
- कई एजेंसियों के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग करना
- सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना
- दस्तावेज प्रबंध पद्धति का कार्यान्वयन
- विभिन्न स्थानों पर सूचना कियोस्क लगाना
- मेल संदेश पद्धति का नवीकरण
- आंकड़ा अनुलिपिकरण के लिए बैण्डविड्थ को बढ़ाना

13.8 Mobile Banking

During the year, the Bank added one more Delivery Channel for the customers and launched Mobile Banking Services on its foundation day. As of now, the customer can avail services like, Account Balance information, viewing last 10 transactions, Inter-Bank and Intra-Bank Fund Transfer, Branch Locator and ATM Locator.

13.9 IT Security

Bank has put in place state of the art security equipments and monitoring tools at its Primary and Secondary Data Centres. The security events are monitored on 24x7x365 basis. Bank has achieved ISO 27001 Information Security Management System accreditation in the month of March' 2010 from M/s STQC, Ministry of Information Technology, Govt. of India for its PDC, DRS, NLS and processes at CBS Cell and at DIT, HO. The above accreditation is valid for 3 years. Bank has achieved highest security standard for Information Security Management System (ISMS).

All the transactions / information flows from branches to Data Centres are secured by way of implementing IPSec at Router level and installing VPN Concentrator at Data Centres.

Bank's Corporate Web Portal https://obcindia.co.in and Internet Banking Application https://obconline.co.in are secured through internationally accepted VeriSign SSL certification, thereby bringing in security comfort for users of the Bank's websites.

Bank has also been guarding its customers through Internet Banking as well as Corporate website against any possible Phishing and social engineering attacks by introducing beneficiary registration process. Bank's staff has also been advised to educate customers on such kind of attacks. Separate session on Information Security is incorporated in all trainings held across all the Training Centres of the Bank.

Further, Bank has been conducting IS Audit of its critical IT Setup from time to time through the Security Integartor which includes Internal Vulnerability Assessment of IT Systems at Data Centres, External Penetration Testing of Bank's Corporate and NetBanking websites etc.

13.10 IT Projects under implementation:

The Following major IT Projects of the Bank are presently under implementation:

- Implementation Business Intelligence and Customer Relationship Management
- Implementation of Enterprise Data Warehouse
- Central Plan Scheme Monitoring System with Government
- Implementation of e-Learning Concept
- Additional Storage for all three Data Centres
- Deployment of Branches on Wheels
- Enabling Online Trading with multi agencies
- Setting up of Security Operations Centre (SOC)
- Implementation of Document Management System
- Deployment of Information Kiosks at various locations
- Revamping of Mail Messaging Setup
- Bandwidth Augmentation for data replication

13.11 स्टाफ शिक्षा

बैंक ने अपने स्टाफ को बैंकिंग के विभिन्न पक्षों के संबंध में प्रशिक्षित करने हेतु सुदृढ कदम उठाए हैं, जिनमें नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर प्रशिक्षण भी शामिल हैं। बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । कर्मचारियों को नवीनतम आईटी उत्पादों का व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है ताकि इन सेवाओं को और बढ़ाया जा सके। बैंक ने विस्तृत सीडी तैयार की है, जिसमें बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों और सेवाओं की जानकारी दी गई है तथा मार्किटिंग विभाग,प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा ग्राहक बैठकों के दौरान प्रस्तुति हेतु इस सीडी का प्रयोग किया जा रहा है। कई प्रादेशिक कार्यालयों में एमआईएस डाटा की शुद्धता और पूर्णता पर तथा सीबीएस में ऋण, एनपीए इत्यादि जैसे उन्नत पक्षों पर सेमिनार आयोजित किए गए ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक के सभी आई टी विशेषज्ञ अधिकारियों को समसामयिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें कारोबार आसूचना, डाटा वेयर हाउसिंग शामिल है।

13.11 Staff Education

Bank has taken strong initiatives to train its staff on various aspects of Banking including training on latest IT Products. Regular Training Programmes are being conducted at Bank's Training colleges and at other reputed institutes. Officials are extensively trained on latest IT Products to further promote these services. Bank has prepared comprehensive CD containing information on IT Based products and services of the Bank which is being used by Marketing Department, Regional Offices and branches for making presentations during the Customers' Meet. Seminars were organized at large number of Regional Offices on correction and completion of MIS data and also for handling of the advanced CBS features such as Loans, NPAs, etc.

All IT Specialist Officials of the Bank were exposed to contemporary technologies including Business Intelligence, Data Warehousing during the year under reference.

संशोधित पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार बासेल-II (पिलर 3) के अंतर्गत प्रकटन

1. प्रयोज्यता का विषय क्षेत्र

1.1 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी कोई अनुषंगी संस्था नहीं है ।

1.2 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए मार्च, 2007 में केनरा बैंक और एचएसबीएस इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स लि0 के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त उपक्रम कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार में केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि0 के नाम से सितम्बर, 2007 में पंजीकृत करवाया गया। कंपनी ने जून, 2008 में कार्य आरंभ कर दिया है ।

इस कम्पनी की शेयरधारिता निम्नानुसार है

- केनरा बैंक – 51%
- एचएसबीसी– 26%
- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स 23%

उपर्युक्त में ओवीसी के निवेश को लेखांकन एवम् विनियामक प्रयोजन हेतु जोखिम भारित किया गया है।

1.3 पूंजी की कमी की कुल राशि–शून्य

1.4 पूंजीकरण विवरण

इस कंपनी की कुल प्राधिकृत पूंजी 1050 करोड़ रु. है जिसमें से प्रदत्त पूंजी 700 करोड़ रु. (प्रति 10/-रु. के 70.00 करोड़ शेयर) और एचएसबीएस इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स लि0 द्वारा प्रदत्त प्रीमियम की राशि 125.00 करोड़ रु.है।

2. पूंजी संरचना

2.1 पूंजी लिखतों की मुख्य शर्तों एवं नियमों/विशेषताओं संबंधी संक्षिप्त जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में पूंजी निधियों को टियर–I और टियर–2 पूंजी में वर्गीकृत किया गया है। टियर–I पूंजी में प्रदत्त ईक्विटी पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि, अन्य प्रकटित मुक्त आरक्षित निधि, पूंजी आरक्षित निधि और टियर–1 पूंजी में शामिल होने के पात्र नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत (टियर–I बांड) शामिल है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षा का पालन करते हैं। टियर–2 पूंजी में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि (55% बट्टे पर), सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि, टियर–2 पूंजी में शामिल होने के पात्र उच्च टियर–2 लिखत (उच्च टियर–2 बांड) और गौण ऋण लिखत (निम्न टियर–2 बांड) शामिल है। बैंक ने ऋण लिखत जारी किए हैं जो टियर–1 और टियर–2 पूंजी का भाग है। इन लिखतों के लिए लागू नियम एवं शर्तें निर्धारित नियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में है ।

नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत(टियर I बांड) गैर-संचयी और बेमीयादी हैं और इनमें 10 वर्षों के बाद कॉल आप्शन है (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से)। उच्च टियर II बांड की 15 वर्षों की मूल न्यूनतम परिपक्वता अवधि है तथा इन्हें 10 वर्षों के बाद काल आप्शन (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से) के साथ जारी किया जा सकता है। निम्न टियर II बांड संचयी हैं और इनकी 5 वर्षों की न्यूनतम मूल परिपक्वता अवधि है ।

बैंक द्वारा टियर I बांड के जरिए जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल टियर I पूंजी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ उच्च टियर II लिखत किसी भी समय टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं

Disclosure under Basel II (Pillar 3) in terms of Revised Capital Adequacy Framework

1. SCOPE OF APPLICATION

1.1. Oriental Bank of Commerce is a Public Sector Bank having no subsidiary.

1.2. Oriental Bank of Commerce signed a Memorandum of Understanding with Canara Bank and HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Ltd. in March 2007 for setting up Joint Venture in Life Insurance. The Joint Venture Company got registered with Registrar of Companies as Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd in September 2007. The Company has started its operation in June 2008.

The shareholding pattern of the Company is as given below.

- Canara Bank -51%
- HSBC -26%
- OBC -23%

OBC's investment in the above is risk weighted for accounting and regulatory purpose.

1.3 Aggregate Amount of Capital Deficiencies- NIL

1.4 Capitalization Details:

Total Authorized Capital of the company is Rs. 1050 Crore, out of which paid up capital is Rs.700 Crore (70.00 Crore shares of Rs.10 each) plus Rs.125.00 Crore is the amount of premium paid by HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd.

2. CAPITAL STRUCTURE

2.1. Summary information on main terms and conditions / features of capital instruments

RBI's capital adequacy norms classify capital funds into Tier-1 and Tier-2 capital. Tier-1 capital includes paid-up equity capital, statutory reserves, other disclosed free reserves, capital reserves and innovative perpetual debt instruments (Tier-1 bonds) eligible for inclusion in Tier-1 capital that comply with requirements specified by RBI. Elements of Tier-2 capital include revaluation reserves (at 55% discount), general provision and loss reserve, upper Tier-2 instruments (upper Tier-2 bonds) and subordinate debt instruments (lower Tier-2 bonds) eligible for inclusion in Tier-2 capital. Bank has issued debt instruments that form a part of Tier-1 and Tier-2 capital. The terms and conditions applicable for these instruments comply with the stipulated regulatory requirements.

Innovative Perpetual Debt Instruments (Tier-1 bonds) are non- cumulative and perpetual in nature with a call option (with RBI approval) after 10 years. Upper Tier-2 bonds have an original minimum maturity of 15 years and may be issued with call option (with RBI approval) after 10 years. The lower Tier-2 bonds have an original minimum maturity of 5 years.

The total amount raised by the Bank through Tier I Bonds shall not exceed 15% of the total Tier I capital of the Bank as on March 31 of the previous financial year. Upper Tier II instruments along with other components of Tier II capital, shall not exceed100% of Tier I capital at any time.

होंगे। गौण ऋण लिखत (निम्न टियर II) बैंक की टियर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे।

Subordinated debt instruments (Lower Tier II) will be limited to 50% of Tier I capital of the Bank.

2.2 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार टियर I पूंजी

(करोड़ ₹ में)

टियर I पूंजी अंश	राशि
प्रदत्त शेयर पूंजी / सामान्य स्टॉक	291.76
आरक्षित निधि	9918.97
नवोन्मेष टियर I पूंजी लिखत	850.00*
अन्य पूंजी लिखत	0.00
कुल टियर I पूंजी	11060.73
कटौती :	
संचित हानि	0.00
आस्थगित कर आस्तियां	41.00
निवल टियर I पूंजी	**11019.73**

*वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 300 करोड़ रु. जुटाए गए।

2.2. Tier-1 capital as on March 31, 2011

(₹ in Cr)

Tier-1 capital elements	Amount
Paid-up share capital/common stock	291.76
Reserves	9918.97
Innovative Tier-1 capital instruments	850.00*
Other Capital Instruments	0.00
Gross Tier-1 capital	11060.73
Deductions:	
Accumulated Losses	0.00
Deferred tax Assets	41.00
Net Tier I Capital	**11019.73**

*Rs. 300 Crore raised during Financial Year 2010-11

2.3 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार टियर II पूंजी

(करोड़ ₹ में)

टियर II पूंजी अंश	राशि
स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधान	372.80
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	398.89
उच्च टियर II बांड	1200.00
गौण बांड	1000.00
विशेष आरक्षित निधि	0.00
निवल टियर II पूंजी	**2971.69**

2.3. Tier- II Capital as on March 31, 2011

(₹ in Cr)

Tier- II capital elements	Amount
Provision for Standard Assets	372.80
Revaluation Reserves	398.89
Upper Tier II Bonds	1200.00
Subordinate Bonds	1000.00
Special reserve	0.00
Net Tier II Capital	**2971.69**

2.4 टियर II पूंजी में समावेश हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखत

(करोड़ ₹ में)

	उच्च टियर II	निम्न टियर II
कुल बकाया राशि	1200.00	1000.00
वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि	200.00	-
पूंजी निधियां माने जाने हेतु पात्र राशि	1200.00	1000.00

पूंजी से अन्य कटौती––शून्य

2.4. Debt capital instruments eligible for inclusion in Tier-2 capital

(₹ in Cr)

	Upper tier II	Lower Tier II
Total Amt. Outstanding	1200.00	1000.00
Amt. Raised during current financial year	200.00	-
Amount eligible to be considered as capital funds	1200.00	1000.00

Other deductions from Capital - Nil

2.5 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार कुल पात्र पूंजी

(करोड़ ₹ में)

	राशि
पात्र टियर-1 पूंजी	11019.73
पात्र टियर-2 पूंजी	2971.69
कुल पात्र पूंजी	13991.42

2.5. Total eligible capital as on 31.03.2011

(₹ in Cr)

	Amount
Eligible Tier-1 capital	11019.73
Eligible Tier-2 capital	2971.69
Total eligible capital	13991.42

3. पूंजी पर्याप्तता

3.1 पूंजी आकलन

बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्देश लागू होते हैं जो बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के निर्देशों पर आधारित है । पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक को निरंतर आधार पर कुल पूंजी में जोखिम भारित आस्तियों (सीआरएआर) का न्यूनतम 9% अनुपात रखना अपेक्षित है ।

बैंक ने मण्डल द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन पद्धति (आइसीएएपी) बनाई है। बैंक की अनुमानित पूंजी आवश्यकताओं का आकलन और समीक्षा आवधिक अंतरालों पर की जाती है ।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप नए पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे–बासेल–II को लागू करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया है :

- ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण
- बाजार जोखिम हेतु मानक अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण

विभिन्न जोखिम क्षेत्रों के लिए पूंजी आवश्यकता (31 मार्च, 2011)

(करोड़ ₹ में)

जोखिम क्षेत्र	राशि
ऋण जोखिम	
अपेक्षित पूंजी	7777.39
○ मानक दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो	7777.39
○ प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य
मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम	
अपेक्षित पूंजी	487.06
ब्याज दर जोखिम हेतु	326.28
विदेशी मुद्रा विनिमय (स्वर्ण सहित) जोखिम हेतु	4.50
इक्विटी क्रय–विक्रय स्थिति जोखिम हेतु	156.28
मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम	
अपेक्षित पूंजी	584.29
9% पर कुल पूंजी अपेक्षा	**8848.74**
बैंक की कुल पूंजी निधियां	**13991.42**
कुल जोखिम भारित आस्तियां	**98319.43**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	**14.23%**

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात

पूंजी अनुपात	
टियर-I पूंजी अनुपात	11.21%
टियर-II पूंजी अनुपात	3.02%
टियर-III पूंजी अनुपात	14.23%

4. ऋण जोखिम

4.1 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया

बैंक में ऋण जोखिम का प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और वसूली नीति द्वारा किया जाता है। बैंक को अपने ऋण

3. CAPITAL ADEQUACY

3.1. Capital assessment

The Bank is subject to the capital adequacy guidelines stipulated by RBI, which are based on the framework of the Basel Committee on Banking Supervision. As per the capital adequacy guidelines, the Bank is required to maintain a minimum ratio of total capital to risk weighted assets (CRAR) of 9% on an ongoing basis.

The bank has evolved well laid down Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework. Assessment and review of Bank's projected capital requirements are carried out at periodical intervals.

In line with RBI guidelines Bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for Credit Risk
- Standardised Duration Approach for Market Risk
- Basic Indicator Approach for Operational Risk

Capital requirements for various risk areas (March 31, 2011)

(₹ in Cr)

Risk area	Amount
Credit risk	
Capital required	7777.39
○Portfolio subject to standardized approach	7777.39
○Securitisation exposure	Nil
Market risk under Standardised Duration Approach	
Capital required	487.06
For interest rate risk	326.28
For foreign exchange (including gold)	4.50
risk For equity position risk	156.28
Operational risk under Basic Indicator Approach	
Capital required	584.29
Total capital requirement at 9%	8848.74
Total capital funds of the Bank	13991.42
Total risk weighted assets	98319.43
Capital adequacy ratio	14.23%

Capital adequacy ratio as on 31.03.2011

Capital Ratios	
Tier-I Capital ration	11.21%
Tier-II Capital ration	3.02%
Tier-III Capital ration	14.23%

4. CREDIT RISK

4.1. Credit risk management policy and processes

Management of credit risk in the Bank is governed by a Board approved Credit Risk Management Policy and Recovery

परिवालनों में ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है । ऋण जोखिम, बैंक के साथ किसी वित्तीय संविदा की शर्तों और नियमों का पालन करने में किसी भी प्रतिपक्ष के असफल होने पर होने वाली हानि का जोखिम है जो कि मुख्यतः अपेक्षित भुगतान न करने के कारण होता है । इसका मुख्य प्रयोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति है :

- भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों के मार्गनिर्देशों/ नीतियों का पालन
- कारपोरेट, सरकारी, लघु एवं मध्यम उद्यम, ग्रामीण/माइक्रो बैंकिंग, कृषि और रिटेल ग्राहकों का पसंदीदा बैंक बनना
- सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल एवं दक्षता पूर्वक करके उनसे सौहार्द पूर्ण व्यावसायिक संबंध बनाए रखना
- जोखिम आधारित ऋण प्रदान करके और ऋण पोर्टफोलियो को सक्रिय बनाते हुए विविधीकृत गुणवत्ता परक आस्ति पोर्टफोलियो बनाना
- उपयुक्त निकास विकल्पों के साथ इष्टतम जोखिम वापसी प्रोफाइल बनाना
- इस नीति में कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम, रिटेल, ग्रामीण/कृषि और निवेश संबंधी ऋणों को शामिल किया गया है । इसमें व्यापक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ एक संरचित और मानक ऋण अनुमोदन प्रक्रिया शामिल हे । किसी भी वित्तीय प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए बैंक उधारकर्ताओं और संबंधित उद्योग से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करता है । बैंक निम्नानुसार विचार करके उधारकर्ता के जोखिम का मूल्यांकन करता है :
- उधारकर्ता की वित्तीय विवरणियों, पिछले वित्तीय कार्यनिष्पादन, पूंजी जुटाने के लिए इसकी वित्तीय क्षमता और इसकी नकद प्रवाह पर्याप्तता का आकलन करते हुए उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन
- उधारकर्ता की सापेक्ष बाजार स्थिति और परिचालन दक्षता
- प्रबंधन की गुणवत्ता जो उनके पिछले रिकार्ड, खाते के संचलन के विश्लेषण द्वारा आंकी जाती है ।

बैंक निम्नानुसार विचार करके उद्योग जोखिम का मूल्यांकन करता है :

- कतिपय औद्योगिक विशेषताएं जैसे अर्थव्यवस्था में उस उद्योग की महता, विकास के प्रति उसका दृष्टिकोण, वक्रीयता और उस उद्योग के संबंध में सरकारी नीतियां
- उद्योग की प्रतिस्पर्धा भावना और
- कतिपय औद्योगिक वित्तीय आंकड़े जिसमें नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, परिचालन मार्जिन और आय स्थिरता शामिल है ।

ऋण अनुमोदक प्राधिकारी

निदेशक मंडल ने मंडल की प्रबंध समिति, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों, प्रधान कार्यालय के महाप्रबन्धकों को अधिकार प्रायोजित किए हैं। प्रादेशिक कार्यालय स्तर पर भी विभिन्न फील्ड पदाधिकारियों को अर्थात् प्रादेशिक अध्यक्ष, प्रादेशिक कार्यालय में द्वितीय प्रभारी और शाखा प्रभारियों को भी उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं मंजूर करने के विवेकाधिकार दिए गए हैं। अधिकारों के प्रत्यायोजन का ढाचा इस प्रकार बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च एक्स्पोज़र और जोखिम–स्तर के संव्यवहार तदनुरूपी अगले मंच/समिति को अनुमोदन हेतु भेजा जाए ।

प्रस्तावों की गुणवतापरक समीक्षा करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के निम्नलिखित मार्गनिर्देश अपनाए जा रहे हैं ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाया जा सके :

Policy. The Bank is exposed to credit risk in its lending operations. Credit risk is the risk of loss that may occur from the failure of any counterparty to abide by the terms and conditions of any financial contract with the Bank, principally the failure to make required payments. The broad objectives are to meet the following goals:

- Adhere to the guidelines / policies enunciated by RBI and other regulatory authorities.
- Be the preferred bank for corporate, government, small and medium enterprises, rural/micro banking, agriculture and retail customers.
- Maintain cordial business relationship with all customers by servicing their needs promptly and efficiently.
- Build a diversified good quality asset portfolio through risk based lending and active churning of the portfolio.
- Optimise risk return profile with adequate exit options.
- The policy covers corporate, small and medium enterprise, retail, rural/agriculture and investment related exposures. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry. The Bank evaluates borrower risk by considering:
- The financial position of the borrower by analyzing the financial statements, its past financial performance, its financial flexibility in terms of ability to raise capital and its cash flow adequacy.
- The borrower's relative market position and operating efficiency
- The quality of management by analysing their track record and conduct of account.

The Bank evaluates industry risk by considering:

- Certain industry characteristics, such as the importance of the industry to the economy, its growth outlook, cyclicality and government policies relating to the industry.
- The competitiveness of the industry and
- Certain industry financials, including return on capital employed, operating margins and earnings stability.

Credit Approval Authorities:

The Board of Directors has delegated the authority to the Management Committee of the Board, Chairman & Managing Director, Executive Directors, General Managers at Head Office. Also at Regional Office level, various Field Functionaries i.e. Regional Head, Second man at the Region and the Branch Incumbents have also been delegated discretionary powers for sanction of various types of credit facilities to various segments of borrowers. The delegation of structure has been designed to ensure that the transactions with higher exposure and level of risk are put up to the corresponding higher forum/committee for approval.

Following guidelines of Credit Risk Management Policy duly approved by the Board of Directors are being adopted for the purpose of screening of the proposals qualitatively so as to ensure healthy credit portfolio of the Bank

1. बैंक के प्रधान कार्यालय में ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग और सभी प्रादेशिक कार्यालयों में ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किए गए हैं । जोखिम प्रबंधन विभाग का कार्य, ऋण प्रस्ताव की प्रोसेसिंग/मूल्यांकन/ मंजूरी से भिन्न है ।
2. बैंक के प्रधान कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालयों के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरुप ऋण अनुमोदन ग्रिड बनाए गए हैं । बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक, ऋण अनुमोदन ग्रिड के सदस्य हैं ।
3. ग्रिड की बैठक की गणपूर्ति के लिए जोखिम प्रबन्धन विभाग और ऋण विभाग के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है ।
4. ऋण सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी खाते (स्टाफ ऋण तथा बैंक की अपनी सावधि जमाराशियों के प्रति ऋण को छोड़कर), लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई), आवास ऋण सहित रिटेल ऋण के सभी खातों का मूल्यांकन हमारे जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा विकसित तथा आंतरिक रूप से अपनाए गए ऋण मूल्यांकन माडलों के आधार पर किया जाता है ।
5. ऋण विभाग द्वारा ऋण प्रस्ताव,गुणवत्तापरक जांच और सांस्तुति किए जाने हेतु ऋण अनुमोदन ग्रिड के समक्ष रखा जाता है और ग्रिड के सदस्यों के मतों सहित मंजूरीदाता प्राधिकारी को भेजा जाता है ।

इस ढांचे का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाना है। ऋण पोर्टफोलियो की संरचना का विश्लेषण(मूल्यांकन वार/उद्योगवार) ऋणकर्ताओं के मूल्यांकन में हुए परिवर्तन के साथ छमाही आधार पर 'जोखिम प्रबन्धन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति' के समक्ष रखा जाता है ।

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह दोनों के लिए समेकित स्तर पर निर्धारित एक्सपोजर संबंधी मानदंडों का पालन करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बैंक की समेकित पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन्हें नियमित आधार पर मानीटर किया जाता है। बैंक ने उद्योगों, संवेदनशील क्षेत्रों और उधारकर्ताओं के गठन के आधार पर उनके लिए आंतरिक रूप से विभिन्न एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की हैं (पर्याप्त एक्सपोजर सहित) ।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की परिभाषा और वर्गीकरण

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण (अग्रिम प्रकृति के ऋण एवं डिबेंचर) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक ऋणों में करता है ।

गैर-निष्पादक आस्ति ऐसे ऋण अथवा अग्रिमों के रूप में परिभाषित है जहां

I. मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है । किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि "अतिदेय" तब होगी यदि राशि बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा न की गई हो ।

II. ओवरड्राफ्ट /नकद उधार (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता लगातार 90 दिनों तक "अनियमित" बना रहता है। खाते को **"अनियमित"** माना जाएगा यदि :

- बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहे।
- जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/ आहरण अधिकार से कम हो किन्तु तुलन-पत्र की तारीख को, लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा जमा की गई राशि लेखांकन अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो ।

1. Credit Risk Management Department is set up at Head Office and Credit Risk Management Cell at all the Regional Offices of the Bank. The function of Risk Management Department is independent of processing/ appraisal/ sanction of the proposal.
2. Credit Approval Grids for different functionaries at Head Office and Regional offices of the Bank are set up in accordance with the Credit Risk management Policy of the Bank. The senior executives of the Bank are members of the Credit Approval Grid.
3. The presence of the members from Risk Management Department and Credit Department is mandatory for quorum of the meeting of the Grid.
4. Rating of all the accounts availing credit facility (except staff Loan and loan against Bank's own Fixed Deposits) , Small & Medium Enterprises (SME), Retail credit including Housing Loan is done on the basis of internally adopted credit rating models developed through our risk management consultants.
5. The Proposal is placed before the Credit Approval Grid by the credit department for qualitatively screening and recommendations along with the views of the members of the Grid to the sanctioning authority.

The objective of this framework is to ensure healthy credit portfolio of the Bank by following the set principles of Risk Management. The analysis of the composition of the credit portfolio (Rating wise/Industry wise) is placed to the Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) on half yearly basis along with the migration of rating of borrowers.

Bank complies with the norms on exposure stipulated by RBI for both single borrower as well as borrower group at the consolidated level. Limits have been set up as a percentage of the Bank's consolidated capital funds and are regularly monitored. The Bank has also stipulated internally various exposure limits (including substantial exposure) to industries, sensitive sectors and for the borrowers based on their constitution.

Definition and classification of non-performing assets (NPA)

The Bank classifies its advances (loans and debentures in the nature of an advance) into performing and non-performing loans (NPL) in accordance with the extant RBI guidelines.

An NPA is defined as a loan or an advance where:

I. Interest and/ or instalment of principal remains overdue for more than 90 days in respect of a term loan. Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank;

II. The account remains 'out of order' in respect of an overdraft/ cash credit (OD/CC) facility continuously for 90 days. An account is treated as 'out of order' if:

- The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power
- Where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of the balance sheet or, credits in the account are not enough to cover the interest debited during the accounting period

- खाते में आहरण की अनुमति लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी स्टॉक विवरणियों के आधार पर परिकलित आहरण अधिकार के अनुसार की गई हो जो 3 माह से अधिक पुरानी हो चाहे यूनिट कार्य कर रही हो अथवा उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो ।
- नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण देय तिथि/तदर्थ मंजूरी की तिथि के 180 दिनों के भीतर न किया गया हो ।

III. बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा हो ।

IV. कृषि ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त, छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसल मौसम और लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम तक अतिदेय रहे।

इसके अतिरिक्त, गैर निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अवस्तरीय, संदिग्ध और घाटे वाली आस्तियों के रूप में किया जाता है । अवस्तरीय आस्ति वह है, जो 12 माह से कम अथवा इसके बराबर अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी आस्ति रही हो । किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह 12 माह के लिए अवस्तरीय श्रेणी में रही हो । घाटे वाली आस्ति वह है, जहां घाटे का पता, बैंक अथवा इसके आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों को अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान लगा हो परंतु राशि पूरी तरह से बट्टे खाते नहीं डाली गई हो ।

4.2. कुल ऋण जोखिम एक्सपोजर (31 मार्च, 2011)

(करोड़ ₹ में)

ऋण एक्सापोजर की श्रेणी	राशि
निधि आधारित सुविधाएं	96838.90
गैर निधि आधारित सुविधाएं*	26749.65
कुल	123588.55

*गैर निधि आधारित सीमाओं में बैंक गारंटी और साख पत्र शामिल है.

4.3. ऋण जोखिम एक्सपोजर पर आधारित जोखिम भारित आस्तियां (31 मार्च, 2011)

(करोड़ ₹ में)

ऋण एक्सपोजर की श्रेणी	जोखिम भारित आस्तियां
निधि आधारित सुविधाएं	72875.93
गैर निधि आधारित सुविधाएं	13539.53
कुल	86415.46

ऋण एक्सपोजर में मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधाएं (अर्थात् निधिक सुविधाएं जैसे नकद-उधार, मांग ऋण, अस्थाई सीमाएं तथा गैर निधिक सुविधाएं जैसे साख-पत्र, सह-स्वीकृतियां, वित्तीय गारंटी, निष्पादन गारंटी तथा बैंकिंग बही में निवेश आदि) के प्रति एक्सपोज़र शामिल हैं । उपर्युक्त में ऐसे निवेश शामिल नहीं हैं, जो बाजार जोखिम में शामिल किए गए हैं ।

4.4. ऋण एक्सपोज़र का भौगोलिक वितरण (31 मार्च, 2011)

(करोड़ ₹ में)

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
घरेलू	96838.90	26749.65
विदेशों में	शून्य	शून्य
कुल	96838.90	26749.65

- Drawings have been permitted in the account for a continuous period of 90 days based on drawing power computed on the basis of stock statements that are more than three months old even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory
- The regular/ad-hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction.

III. A bill purchased/discounted by the Bank remains overdue for a period of more than 90 days.

IV. Interest and/or instalment of principal in respect of an agricultural loan remain overdue for two crop seasons for short duration crops and one crop season for long duration crops.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as Doubtful if it has remained in the Sub-Standard category for 12 months. A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

4.2 Gross Credit Risk Exposure (March 31, 2011)

(₹ in crore)

Category Credit exposure	Amount
Fund-based facilities	96838.90
Non-fund based facilities*	26749.65
Total	123588.55

*Non Fund based facility includes Bank Guarantee (BG) and Letter of Credit (LC).

4.3 Risk Weighted Assets based on credit risk exposure (March 31, 2011)

(₹ in crore)

Category Credit exposure	Risk Weighted Assets
Fund-based facilities	72875.93
Non-fund based facilities*	13539.53
Total	86415.46

Credit exposure includes exposure towards term loans; working capital facilities (i.e. funded facilities like cash credit, demand loan, temporary limits and non-funded facilities like letter of credit, co-acceptances, financial guarantee, performance guarantee and investment in Banking Book etc.). The above excludes investments which are covered under Market Risk.

4.4 Geographic distribution of credit exposures (March 31, 2011)

(₹ in crore)

	Fund-based	Non-fund based
Domestic	96838.90	26749.65
Overseas	Nil	Nil
Total	96838.90	26749.65

4.5 ऋण राशि का उद्योगवार संवितरण/Industry-wise distribution of exposures (31.03.2011) (करोड़ ₹ में/ ₹ in crore)

S.No.		निधि आधारित Fund based	गैर-निधि आधारित Non-fund based
1	खनन तथा उत्खनन (कोयला सहित)/Mining and quarrying (incl. Coal)	123.14	4.13
2	लौह और इस्पात/Iron & Steel	5522.57	1946.59
3	अन्य धातु और धातु उत्पाद/Other metal and metal products	887.10	562.67
4	सभी इंजीनियरिंग/All Engineering	1842.80	1752.28
4.1	विद्युत/electronics	371.46	341.20
4.2	अन्य/others	1471.34	1411.08
5	सूती वस्त्र/Cotton Textiles	2523.30	137.02
6	जूट वस्त्र/Jute Textiles	19.33	1.57
7	अन्य वस्त्र/Other Textiles	2109.45	327.10
8	चीनी/Sugar	1189.77	144.54
9	चाय/Tea	0.68	0.24
10	खाद्य संसाधन/Food Processing	1806.31	387.82
11	खाद्य तेल और वनस्पति/Vegetable Oil and Vanaspati	453.89	204.89
12	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद/Tobacco and Tobacco Products	364.41	23.27
13	कागज और कागज उत्पाद/Paper and Paper Products	1002.63	269.90
14	रबड़ और रबड़ उत्पाद/Rubber and Rubber products	681.63	146.01
15	रसायन, रंजक और पेन्ट आदि/Chemicals, Dyes, Paints etc	866.22	274.73
15.1	उर्वरक/Fertilizers	105.34	1.71
15.2	औषधि व भेषज/Drugs and Pharmaceuticals	415.56	41.95
15.3	पेट्रो रसायन/Petro Chemicals	5.32	21.12
15.4	अन्य/Others	340.00	209.95
16	सीमेंट/Cement	531.83	278.17
17	चमड़ा और चमड़ा उद्योग/Leather and Leather Products	116.31	1.63
18	रत्न और आभूषण/Gems and Jewellery	616.06	2004.24
19	निर्माण/Construction	296.96	515.20
20	पेट्रोलियम/Petroleum	843.07	535.85
21	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल/Automobiles including Trucks	412.52	14.80
22	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/Computer Software	70.54	0.00
23	बुनियादी/Infrastructure	18195.95	2758.99
23.1	ऊर्जा/Power	10519.51	1656.69
23.2	दूरसंचार/Telecommunications	2096.25	222.92
23.3	सड़क एवं परिवहन/Roads and Transportation	2868.50	55.20
23.4	अन्य बुनियादी संरचना/Other infrastructure	2711.69	824.18
25	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां/NBFCs	3242.97	0.00
26	ट्रेडिंग/Trading	1633.89	0.00
27	अन्य उद्योग/Other Industries	1286.53	732.42
28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम/Residuary Other Advances	50199.04	13725.59
	कुल जोड़/Grand Total	96838.90	26749.65

4.6. आस्तियों का अवशिष्ट संविदापरक परिपक्वता संबंधी विवरण

31 मार्च 2011 को आस्तियों के परिपक्वता ढांचें का विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैं।

करोड़ ₹ में

परिपक्वता बकेट	कुल अग्रिम	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियां
अगले दिन	7364.70	40.32	2761.82
2-7 दिन	1386.68	911.77	1010.97
8-14 दिन	1079.59	99.70	37.06
15-28 दिन	4592.43	115.73	477.68
29 दिन-3 माह	9500.62	2320.35	5938.35
> 3 माह-6 माह	9421.21	597.81	2748.86
> 6 माह-1 वर्ष	11588.60	937.60	7074.98
> 1 वर्ष-3 वर्ष	29063.90	2956.33	300.06
> 3 वर्ष-5 वर्ष	11997.45	5809.81	203.15
> 5 वर्ष	10843.74	28363.62	0.00
कुल	96838.90	42153.04	20552.92

4.7. गैर निष्पादनकारी आस्तियों की राशि (31 मार्च, 2011को एनपीए)

करोड़ ₹ में

एनपीए का वर्गीकरण	कुल एनपीए	निवल एनपीए
अवस्तरीय	872.14	773.68
संदिग्ध	1002.21	309.62
संदिग्ध -1	313.05	135.49
संदिग्ध -2	434.31	174.13
संदिग्ध -3	254.85	0.00
हानि	46.19	-64.40
कुल	1920.54	938.15*
एनपीए अनुपात	1.98%	0.98%

* 1. उपरोक्त आंकड़ों में एनपीए के लिए ₹ 72.00 करोड़ का अस्थायी प्रावधान, ईसीजीसी/डीआईसीजीसी से ₹ 8.75 करोड़ का समायोजन और ₹ 64.40 करोड़ का अतिरिक्त आकस्मिक प्रावधान शामिल है।

2. कुल गैर निष्पादनकारी आस्ति अनुपात की गणना, कुल अग्रिमों में कुल गैर निष्पादनकारी आस्तियों के अनुपात के रूप में की गई है।

3. निवल गैर निष्पादनकारी आस्ति अनुपात की गणना, निवल अग्रिमों में निवल गैर निष्पादनकारी आस्तियों के अनुपात के रूप में की गई है।

4.8. एनपीए में उतार-चढ़ाव

	कुल (करोड़ रु. में)	निवल (करोड़ ₹ में)
01.04.2010 को अथ शेष	1468.75	723.82
वर्ष के दौरान वृद्धि	1556.00	1556.00
वर्ष के दौरान कमी	1104.21	1341.67
31.03.2011 को इति शेष	1920.54	938.15

4.6 Residual contractual maturity break-down of assets

The maturity pattern of assets as on 31st March 2011 is detailed in the table below.

(₹ in crore)

Maturity Buckets	Gross Advances	Investment (Gross)	Foreign currency Assets*
Next day	7364.70	40.32	2761.82
2 – 7 days	1386.68	911.77	1010.97
8 -14 days	1079.59	99.70	37.06
15-28 days	4592.43	115.73	477.68
29 days-3 months	9500.62	2320.35	5938.35
>3 months – 6months	9421.21	597.81	2748.85
>6months-1 Yr	11588.60	937.60	7074.98
>1 Yr-3Yrs	29063.90	2956.33	300.06
>3Yr-5Yrs	11997.45	5809.81	203.15
>5Yrs	10843.74	28363.62	0.00
Total	96838.90	42153.04	20552.92

4.7 Amount of non-performing Assets (NPAs as on Mar 31, 2011)

(₹ in crore)

NPA Classification	Gross NPA	Net NPA
Sub- standard	872.14	773.68
Doubtful	1002.21	309.62
Doubtful-1	313.05	135.49
Doubtful-2	434.31	174.13
Doubtful-3	254.85	0.00
Loss	46.19	-64.40
Total	1920.54	938.15*
NPA ratios	1.98%	0.98%

* 1. The above figures include the effect of floating provision on NPAs ₹ 72.00 crore, adjustment of ECGC/DICGC - ₹ 8.75 crore and additional contingent provision of ₹ 64.40 crore.

2. Gross NPA ratio is computed as a ratio of Gross NPAs to Gross Advances.

3. Net NPA ratio is computed as a ratio of Net NPAs to Net Advances.

4.8 Movement of NPA

	Gross (₹ in crore)	Net (₹ in crore)
Opening Balance as on 01.04.2010	1468.75	723.82
Addition during the year	1556.00	1556.00
Reduction during the year	1104.21	1341.67
Closing balance as on 31.03.2011	1920.54	938.15

4.9. एनपीए हेतु प्रावधान में उतार-चढ़ाव

	राशि (करोड़ ₹ में)
01.04 2010 को अथ शेष	728.55
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	245.09
वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	0.00
अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन	0.00
31.03.2011 को इति शेष	973.64

4.10. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों में गैर-निष्पादनकारी निवेशों (एनपीआई) की राशि

	राशि (करोड़ ₹ में)
31.03.2011 की स्थिति के अनुसार कुल गैर निष्पादनकारी निवेश	88.93
कुल धारित प्रावधान	88.93
निवल गैर निष्पादनकारी निवेश	शून्य

4.11. निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान में उतार-चढ़ाव

	राशि (करोड़ ₹ में)
01.04.2010 को अथ शेष	0.00
किए गए प्रावधान	78.28
बट्टे खाते डाली गई राशि /अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन	0.00
31.03.2011 को इति शेष	78.28

5. ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग

5.1. बाह्य मूल्यांकन

बारोल - II मार्गनिर्देशों में बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे विनिर्दिष्ट बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों (ईसीएआई) अर्थात् घरेलू प्रतिपक्षों हेतु क्रिसिल, केयर, आईसीआरए तथा फिच (भारत) तथा विदेशी प्रतिपक्षों के लिए स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज एण्ड फिच द्वारा दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों के उपयोग हेतु बैंकों की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। यह मूल्यांकन निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों प्रकार के एक्सपोज़र के लिए किया जाता है।

उपरोक्त सभी प्रकार की चयनित मूल्यांकन एजेन्सियों के मूल्यांकनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्सपोज़र हेतु निम्नानुसार किया जाता है :

(i) एक वर्ष से कम या उसके बराबर संविदागत परिपक्वता वाले एक्सपोज़र हेतु (नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और परिक्रामी साख के अतिरिक्त), बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा किया गया अल्पावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

(ii) घरेलू नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी साखों (अवधि कुछ भी हो) और (या एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण) हेतु दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

(iii) विदेशों में एक्सपोज़र हेतु, संविदागत परिपक्वता कुछ भी हो, अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन एजेन्सियां द्वारा किया गया दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

(iv) एक कारपोरेट समूह के भीतर किसी संस्था विशेष को दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग उसी समूह के भीतर अन्य संस्थाओं के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता ।

4.9 Movement of Provisions for NPA

	Amount (₹ in crore)
Opening Balance as on 01.04.2010	728.55
Provision made during the year	245.09
Write-Off during the year	0.00
Write back of excess provision	0.00
Closing balance as on 31.03.2011	973.64

4.10 Amount of non-performing investments (NPI) in securities, other than Government and other approved securities

	Amount (₹ in crore)
Gross NPI as on 31.03.2011	88.93
Total provision held	88.93
Net NPI	Nil

4.11 Movement of provision for depreciation on investment

	Amount (₹ in crore)
Opening balance as on 01.04.2010	0.00
Provision made	78.28
Write Off/ Write back of excess provision	0.00
Closing balance as on 31.03.2011	78.28

5 CREDIT RISK: PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

5.1 External ratings

The Basel II guidelines require banks to use ratings assigned by specified External Credit Assessment Agencies (ECAIs) namely CRISIL, CARE, ICRA & Fitch (India) for domestic counterparties and Standard & Poor's, Moody's and Fitch for foreign counterparties. There is no change in banks policy for utilisation of RBI approved ECAIs. The rating is used for both fund based and Non-fund based exposure.

All the above identified Rating Agencies' ratings are used for various types of exposures as follows:

(i) For Exposure with a contract maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits) , Short -Term Rating given by ECAIs will be applicable.

(ii) For Domestic Cash Credit, Overdrafts and other Revolving Credits (irrespective of the period) and (or Term Loan exposures of over one year, Long Term Rating will be applicable.

(iii) For Overseas exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Rating given by International Rating Agencies will be applicable.

(iv) Rating assigned to one particular entity within a corporate group cannot be used to risk weight other entities within the same group.

बैंक के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने वाली विशेषीकृत एजेन्सी की सहायता से बैंक अपने ग्राहकों का मूल्यांकन करने हेतु आंतरिक मूल्यांकन तंत्र का भी प्रयोग करता है ताकि मॉडल का बाज़ार के प्रतिभागियों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, बैंक नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार जोखिम भार की गणना करने के लिए बाह्य मूल्यांकनों का प्रयोग करता है ।

5.2. जोखिम भार द्वारा ऋण एक्सपोज़र

नीचे दी गई सारणी में तीन प्रमुख जोखिम बकेटों में ऋण एक्सपोज़र हेतु (निवेश व गैर–निधि बकाया राशि सहित) बैंक की कुल सकल बकाया राशि दी गई है

करोड़ ₹ में

एक्सपोज़र श्रेणी	बकाया राशि	जोखिम भारित आस्तियां
100% से कम जोखिम भार	129074.14	25178.72
100% जोखिम भार	68902.93	42164.19
100% से अधिक जोखिम भार	17976.26	19072.55
कटौती की गई	0.00	0.00

❍ :इसमें ऋण एक्सपोज़र शामिल हैं और निवेश व डेरिवेटिव एक्सपोज़र शामिल नहीं है, जो बाजार जोखिम में शामिल किए गए हैं ।

6. ऋण जोखिम कम करना

नीतियां एवम् पद्धतियां, जिनसे पता चलता है कि बैंक तुलन पत्र की तथा तुलन पत्र से इतर मदों का समायोजन (नेटिंग) का उपयोग किस सीमा तक करे :

बैंक तुलन पत्र की मदों का समायोजन ,उसी ऋणी के लिए ऋण जोखिम को कम करने की तकनीक के रूप में करता है, चूंकि बैंक को समंजन का अधिकार है । इसके लिए बैंक साम्पार्श्विक (बैंक जमाराशियां) पर सामान्य ग्रहणाधिकार रखता है और ऋणी से समंजन के अधिकार का प्रयोग करने हेतु वचन–पत्र लेता है जो बैंक के लिए कानूनी रूप से प्रवृत्त किए जाने वाला दस्तावेज़ है ।

ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्वीकृत प्रबंधन नीति

बैंक में मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसमें सम्पार्श्विक का चयन,सम्पार्श्विक के जोखिम, सम्पार्श्विक का मूल्यांकन व निरीक्षण,पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक,गारंटी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मार्जिन दिए गए हैं ।

बैंक द्वारा सम्पार्श्विक की परिभाषा ऋण सुविधा की प्रतिभूति के लिए ऋणी अथवा अन्य पक्ष द्वारा बैंक को दी गई आस्तियों या अधिकारों के रूप में दी गई है । ऋणी / बाध्यताधारी के दायित्वों हेतु प्रतिभूति के रूप में दी गई आस्तियों / संविदाओं के संबंध में बैंक को प्रतिभूत लेनदार के अधिकार होंगे ।

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्यांकन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंक बासेल-II मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट, पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना करते समय पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा कम किए गए जोखिम की सीमा तक प्रतिपक्ष को दी जाने वाली ऋण राशि कम कर देता है। बासेल-II मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में भविष्य में संभावित उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के लिए प्राप्त हुई किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य का उपयोग, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार करता है। ये समायोजन, जिन्हें "मार्जिन" भी कहा गया है,संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु अस्थिरता-समायोजित राशि निकालने के लिए, लागू जोखिम भारों पर आधारित पूंजी प्रभार की गणना करते समय एक्सपोज़र में से घटा दिए जाते हैं ।

The Bank also uses an internal rating mechanism for rating its clients with the assistance of specialised agency acting as Bank's consultants to ensure that the model is in line with market participants. However, the Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weights as per the new capital adequacy framework.

5.2 Credit exposures by risk weights

The table below discloses the amount of the Bank's Total Gross outstanding for credit exposures (including Investments and Non Fund outstanding also) in three major risk buckets

₹ in Crore

Exposure Category	Amount outstanding	Risk Weighted Assets
Less than 100% risk weight	129074.14	25178.72
100% risk weight	68902.93	42164.19
More than 100% risk weight	17976.26	19072.55
Deducted	0.00	0.00

❍ Includes credit exposures and excludes investment & derivative exposures covered in market risk.

6. CREDIT RISK MITIGATION

Policies and Processes for, and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off- balance sheet netting:

Bank uses the on-balance sheet netting as the Credit Risk Mitigation (CRM) technique of the same borrower as the right of set off is with the Bank. For that bank creates the general lien on the collateral (Bank Deposits) and takes the undertaking from the borrower to use the right of set off, which is legally enforceable document for the Bank.

Credit risk mitigation and collateralised management policy

Bank has Board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, which covers guidelines for selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts.

The Bank defines collateral as the assets or rights provided to the Bank by the borrower or a third party in order to secure a credit facility. The Bank would have the rights of secured creditor in respect of the assets/ contracts offered as security for the obligations of the borrower/ obligor.

Collateral valuation and management: As stipulated by the RBI guidelines, the Bank uses the comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, the Bank reduces its credit exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible financial collateral as specified in the Basel II guidelines. In line with Basel II guidelines, the Bank adjusts the value of any collateral received to adjust for possible future fluctuations in the value of the collateral in line with the requirements specified by RBI guidelines. These adjustments, also referred to as 'haircuts', to produce volatility-adjusted amounts for collateral, are reduced from the exposure to compute the capital charge based on the applicable risk weights.

रिटेल उत्पादों हेतु ली जाने वाली प्रतिभूति, संबंधित उत्पादों की उत्पाद नीति में परिभाषित की गई है । आवास ऋणों और अन्य रिटेल ऋणों के लिए वित्त पोषित की जाने वाली संपत्ति / आस्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है । संपत्तियों का मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा करवाया जाता है । बैंक ऐसे उत्पाद भी प्रस्तुत करता है जो प्रमुखतया संपार्श्विक प्रतिभूति पर आधारित होते हैं, जैसे शेयर, विनिर्दिष्ट सिक्योरिटीज़, भंडारित जिंस और स्वर्ण आभूषण । ये उत्पाद अनुमोदित उत्पाद टिप्पणियों के अनुरूप प्रस्तावित किए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों, मूल्यांकन और मार्जिन आदि से संबंधित हैं ।

बैंक उच्च श्रेणी के ग्राहकों और कुछेक उत्पादों जैसे डेरिवेटिव, व्यक्तिगत ऋणों आदि के लिए बेजमानती सुविधाएं भी प्रदान करता है । बेजमानती सुविधाओं के संबंध में ऋण सीमाओं का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया ।

प्रत्येक संव्यवहार के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार और मात्रा के संबंध में निर्णय, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण अनुमोदन प्राधिकार के अनुसार, ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है । अनुमोदित उत्पाद नीतियों के अनुसार, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं (रिटेल उत्पाद, शेयरों की जमानत पर ऋण आदि) के लिए उक्त नीति के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाती है ।

पात्र वित्तीय संपार्श्विक के प्रकार

बैंक, ऋण जोखिम को कम करने के लिए बासेल-II मार्गनिर्देशों के अनुसार पूंजी राहत प्रदान करने हेतु पात्र केवल विशिष्ट प्रकार की वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति को ही मान्यता प्रदान करता है । इसमें नकदी (बैंक के पास जमा), सोना (बुलियन और आभूषण, 99.99% शुद्धता के बेंचमार्क वाले संपार्श्वीकृत आभूषणों के अध्यधीन), केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां, इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बीमा क्षेत्र के नियामक द्वारा नियमित किसी बीमा कंपनी द्वारा घोषित अभ्यर्पण मूल्य रहित जारी जीवन बीमा पॉलिसियां, किसी मान्यता प्राप्त ऋण मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा मूल्यांकित कुछेक ऋण प्रतिभूतियां, ऐसी म्युचुअल फंड इकाइयां, जहां दैनिक निवल आस्ति मूल्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और म्युचुअल फंड ऊपर सूचीबद्ध प्रपत्रों में निवेश करने के लिए सीमित है तथा कुछेक विशिष्ट संस्थाओं से गारंटियां शामिल हैं । वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अतिरिक्त बैंक जोखिम को कम करने के लिए अलग-अलग प्रतिपक्षों से गारंटियां जैसे सरकार, कम्पनियों और व्यक्तियों से गारंटी भी स्वीकार करता है।

बैंक गैर वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति भी स्वीकार करता है अर्थात् स्टॉक, बही ऋण, आवासीय संपत्ति और वाणिज्यिक संपत्ति और संयंत्र और मशीनरी का बंधक ।

जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार अथवा साख) के बारे में जोखिम कम करने संबंधी सूचना

पात्र वित्तीय संपार्श्विक व समंजन राशि द्वारा कवर प्राप्त कुल एक्सपोज़र		प्रयुक्त पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक की राशि	प्रयुक्त समंजन राशि
निधि –आधारित	96838.90	6836.09	4139.85
गैर–निधि आधारित	26749.65	4611.94	-
कुल	123588.55	11448.03	4139.85

ऋण संकेन्द्रण जोखिम

ऋण संकेन्द्रण जोखिम विभिन्न श्रेणियों अर्थात् उद्योग, उत्पादों, भौगोलिक, अंतर्निहित संपार्श्विक प्रकृति, एकल/समूह उधारकर्ता को एक्सपोजर आदि के अंतर्गत ऋणों के संकेन्द्रिकरण के कारण होता है। कारपोरेट पोर्टफोलियो के अंतर्गत विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, जिसका उद्देश्य बेहतर जोखिम प्रबंधन और

For retail products, the security to be taken is defined in the product policy for the respective products. Housing loans and other retail loans are secured by the security of the property/ asset being financed. The valuation of the properties is carried out by an approved valuation agency. The Bank also offers products, which are primarily based on collateral such as shares, specified securities, warehoused commodities and gold jewellery. These products are offered in line with the approved product notes, which also deal with types of collateral, valuation and margining.

The Bank extends unsecured facilities to high rated clients and for certain products such as derivatives, personal loans etc. The limits structure with respect to unsecured facilities has been approved by the Board of Directors.

The decision on the type and quantum of collateral for each transaction is taken by the credit approving authority as per the credit approval authorisation approved by the Board of Directors. For facilities provided as per approved product policies (retail products, loan against shares etc.), collateral is taken in line with the policy.

Types of eligible financial collateral

The Bank recognizes only specified types of financial collateral to be eligible for providing capital relief in line with Basel II guidelines towards credit risk mitigation. This includes cash (deposited with the Bank), gold (including bullion and jewellery, subject to collateralized jewellery being benchmarked to 99.99% purity), securities issued by Central and State Governments, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificates, life insurance policies with a declared surrender value issued by an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator, certain debt securities rated by a recognized credit rating agency, mutual fund units where daily Net Asset Value (NAV) is available in public domain and the mutual fund is limited to investing in the instruments listed above and guarantees from certain specified entities. In addition to the financial collateral bank also accepts guarantee from different counterparties to mitigate the risk like guarantee from Government, Corporate and Individuals.

Bank also accepts non-financial collateral i.e. Stock, book debts, mortgage of residential property & commercial property and plant and machinery.

Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

Total exposure covered by Eligible Financial Collateral & Set Off Amount		Amount of used Eligible financial Collateral	Amount of used set off
Fund Based	96838.90	6836.09	4139.85
Non-Fund Based	26749.65	4611.94	-
Total	123588.55	11448.03	4139.85

Credit concentration risk

Credit concentration risk arises mainly on account of concentration of exposures under various categories viz. industry, products, geography, underlying collateral nature, single/group borrower exposures etc. Within corporate portfolio, as a prudential

जोखिमों के संकेन्द्रीकरण से बचना है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकल उधारकर्ताओं तथा समूह उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले बैंक के अधिकतम एक्सपोजर पर नियामक सीमाएं निर्धारित की है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत, दीर्घावधि के एक्सपोजर से होने वाले संकेन्द्रण जोखिम को सीमित करने के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा उधारकर्ता ग्रुप को दिए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर के लिए निर्धारित उपसीमाएं अनुमोदित की हैं । संकेन्द्रण जोखिम से निपटने के लिए ऋण नीति में विभिन्न सीमाएं निर्धारित की गई हैं । एकल उधारकर्ता, ग्रुप, उद्योग, ग्रुप को दीर्घावधि के एक्सपोजर के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं ।

सामान्य

1. बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं, उद्योग ऋण सीमाएं, ऋण जोखिम रेटिंग पद्धति, जोखिम आधारित मूल्यांकन तथा ऋण पुनरीक्षा तंत्र साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऋण जोखिम का मापन विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों को दी गई खंडवार एक्सपोजर सीमाओं द्वारा जोखिम के विस्तार, विवेकपूर्ण एक्सपोजर तथा सार्थक एक्सपोजर की उच्चतम सीमाओं द्वारा किया जाता है और सांपार्श्विक तथा गारंटियों की प्राप्ति द्वारा जोखिम को कम किया जाता है ।
2. 100% सीबीएस से ऋण जोखिम की केन्द्रीय निगरानी में सहायता मिलती है।

   9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता ₹ 7777.39 करोड़ है ।

7. प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है ।

8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

8.1. बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन नीतियां

ट्रेडिंग बही में बैंक के पास निवेश का एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो है । शेष आस्तियां अर्थात् एचटीएम के अंतर्गत निवेश और अग्रिमों को बैंकिंग बुक के रूप में माना जाता है ।

नीतियां एवं प्रक्रियाएं

बाजार जोखिम प्रबंधन तरलता जोखिम के अंतर्गत ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी जोखिम मानिटर किए जाते हैं । बैंक इस समय जिंसों में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है ।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम को मानिटर करने के लिए पाक्षिक आधार पर अंतर विश्लेषण किया जाता है। अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित विवेकपूर्ण सीमाएं मॉनिटर की जाती है । इसके अतिरिक्त, बाजार उधार दैनिक और औसत मांग ऋण - अंतर बैंक देयताएं, खरीदी गई निधियों आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं हैं। निवेश समिति द्वारा दैनिक आधार पर उच्च मूल्य की बल्क जमाराशियां मॉनिटर की जाती हैं । तरलता स्थिति का जायजा लेने के लिए अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें कारोबार वृद्धि पर भी विचार किया जाता है । आकस्मिकताओं से निपटने के लिए आकस्मिक निधीयन योजना बनी हुई है । योजना की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है । तरलता संकट होने और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से निधियां लेने की स्थिति में बैंक को होने वाली संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण(स्ट्रैस टेस्टिंग) भी किया जाता है ।

measure aimed at better risk management and avoidance of concentration of risks, the RBI has prescribed regulatory limits on banks' maximum exposure to single borrowers and group borrowers. In order to restrict the concentration risk arising out of longer tenure exposure within the prudential limits set by RBI, the Board of Directors of the Bank has approved prescribed sub limits for the maximum exposure the Bank can have to a borrower group. Within the various limits are stipulated in the credit policy to address concentration risk. Limits have been stipulated on single borrower, group, industry, longer tenure exposure to a group.

General

1. Credit approving authority, prudential exposure limits, industry exposure limits, credit risk rating system, risk based pricing and loan review mechanisms are the instruments used by the bank for credit risk management. Credit Risk is measured through dispersion of risk through segmental exposure limits to various industries and sectors, prudential exposure and substantial exposure ceilings and risk mitigation by obtaining collateral and guarantees.
2. The CBS coverage of 100% provides comfort in central monitoring of credit risk.

   The capital requirements for credit risk under standardised approach @ 9% is ₹ 7777.39 crore.

7 SECURITISATION: Disclosure for standardized Approach

Bank does not have any Securitisation Exposure.

8 MARKET RISK IN TRADING BOOK

8.1 Market risk management policy

Risk management policies

In trading book Bank holds HFT and AFS portfolio of Investment. The rest of Assets i.e. Investment under HTM and Advances are treated as banking book.

Strategies and processes

Under Market Risk Management Liquidity risk, Interest rate risk , Foreign exchange risk and equity risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

Liquidity Risk

Gap analysis is followed for monitoring liquidity risk on fortnightly basis. Prudential limit based on RBI guidelines for the short- term buckets are monitored. Besides prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc. High value bulk deposits are monitored on daily basis by the Investment Committee. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is reviewed on quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

ब्याज दर जोखिम

अगले 12 माह के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है । बैंक अवधि अंतराल विश्लेषण का भी प्रयोग करता है ।

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो अवधि विश्लेषण के आधार पर मॉनिटर किए जाते हैं।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का पता लगाने के लिए बाजार दर में 200 बेसिस प्वाइंट तक के परिवर्तन के आघात का समावेश करके दबाव परीक्षण किया जाता है।

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम

बैंक ने विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम दिन व रात के(डेलाइट और ओवरनाइट) एक्सपोजर निर्धारित किए हैं । इसके साथ, डीलरों के फोरेक्स परिचालनों की मॉनिटरिंग के लिए हानि रोध सीमा, लाभ लेने की सीमा और एकल सौदा सीमाएं निर्धारित की गई हैं ।

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश योजना ने ईक्विटी डीलरों के लिए हानि रोध सीमाएं निश्चित की हैं । लेन-देनों तथा लाभ के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन रिपोर्टिंग की जाती है ।

बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन :

जोखिम प्रबंधन का कार्य मंडल द्वारा किया है जो तीन स्तरों द्वारा समर्थित है -

(i) निदेशकों की जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति जो पर्यवेक्षण करती है और जहां आवश्यक हो,निर्देश जारी करती है / जोखिम प्रबंधन नीतियों इत्यादि का अनुमोदन करती है ।

(ii) आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जो नीतिगत मुद्दों पर विचार करती है और

(iii) जोखिम प्रबंधन कक्ष जो आधारभूत स्तर पर सहायता प्रदान करता है ।

जोखिम रिपोर्टिंग और /अथवा मापन पद्धति का क्षेत्र तथा स्वरूप

घरेलू कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों जैसे-पाक्षिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करना, ट्रेडिंग बुक निवेशों का दैनिक आधार पर अवधि विश्लेषण,तरलता जोखिम / बाजार जोखिम का तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण, घरेलू तुलनपत्र तथा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का तिमाही आधार पर अवधि विश्लेषण किया जाता है । ब्याज दर संवेदनशीलता की कारपोरेट स्तर पर आल्को द्वारा नियमित अंतरालों पर पुनरीक्षा की जाती है । तरलता जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्दशों के अनुसार बाजार उधार व ऋण के संबंध में विभिन्न विवेकपूर्ण प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं । संरचनात्मक तरलता विवरणी दैनिक आधार पर तैयार की जाती है और अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है और आल्को को रिपोर्ट की जाती है । स्ट्रैस टेस्टिंग तथा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव पर किए गए तिमाही अध्ययन के परिणाम आल्को को रिपोर्ट किए जाते हैं । ट्रेडिंग बुक स्थिति के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन सूचित किया जाता है ।

बचाव व्यवस्था और / अथवा जोखिम कम करने की नीतियां

निवेश प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन तथा बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत नीतियां लागू है, जिनमें बाजार जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं विस्तार से दी गई हैं।

Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis.

Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate upto 200 basis points.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed maximum daylight and overnight exposure for foreign exchange exposure in various currencies. Also, stop loss limit, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Equity Price Risk.

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily reporting to Top Management on the transactions and profit is done.

Structure and Organisation of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-

(i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies etc.,

(ii) Asset Liability Management Committee (ALCO) who consider policy issues and

(iii) Risk Management Cell providing support at the ground level.

Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

In respect of domestic business the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as, Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a fortnightly basis, Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis, conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. Duration analysis of domestic balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a quarterly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed at regular internals by ALCO at the corporate level Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to ALCO. The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position is reported daily to Top Management.

Policies for hedging and / or mitigating risk.

Detailed policies are operational for Investment management, Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

8.2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

निम्न के लिए पूंजी अपेक्षाएं	राशि करोड़ ₹ में
• ब्याज दर जोखिम	326.28
• ईक्विटी स्थिति जोखिम और	4.50
• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	156.28
बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी	487.06

9.1 परिचालन जोखिम

क. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है और बासेल-II के अंतर्गत अपेक्षित पूंजी प्रावधान कर रहा है।

ख. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं जिसमें बैंक को परिचालन जोखिम में डालने वाली घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं ।

ग. बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित जोखिम प्रोफाइल टेम्पलेट पर भी विचार करता है।

घ. बैंक ने मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ पिछले चार वर्षों की हानि घटनाओं का डाटा भी एकत्रित किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार डाटा आठ व्यापारिक क्रियाकलापों में जुटाया जा रहा है। इसके अलावा, मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के अंतर्गत अपेक्षित पूंजी की संगणना के लिए विभिन्न कारोबारी क्रियाकलापों के अंतर्गत आय रिकार्ड करने के संबंध में सीबीएस पद्धति के जरिए प्रक्रिया पूरी हो गई है। बैंक ने परिचालन जोखिम पूंजी गणना के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में आवेदन कर दिया है।

ङ बैंक, भारतीय बैंक संघ जो हानि डाटा एकत्रित करने तथा परिचालन जोखिम का जायजा लेने और पूंजी प्रभार की संगणना के लिए मॉडल तैयार करने हेतु एक प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहा है, के साथ मिलकर "ऋण एवं परिचालन जोखिम हानि डाटा विनिमय (CORDEX)" उद्यम में पहले से ही काम कर रहा है ।

9.2 गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक विभिन्न कारोबारी गतिविधियों के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में अंतर्निहित परिचालन जोखिमों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता है और उनकी पहचान करता है। सभी नए उत्पाद, क्रियाकलाप तथा पद्धतियां ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)/आस्ति देयता समिति (आल्को) के माध्यम से दिए जाते है ।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति को धोखाधड़ी तथा उससे संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग की जाती है। मूल संकेतक दृष्टिकोण के माध्यम से परिचालन जोखिम का परिमाण लगाया जाता है। बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन में ड्यूटियों को पृथक् करने, प्रशिक्षण, स्पष्ट निर्धारित प्रक्रियाओं आदि की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाता है।

10. बैंक बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

10.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा, जिसमें आई.आर.आर.बी.बी. की प्रकृति और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, में ऋणों की पूर्व–अदायगी से संबंधित अवधारणाएं और गैर–परिपक्व जमाराशियों की प्रवृत्ति तथा आई.आर.आर.बी.बी. उपायों की बारम्बारता निहित है ।

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम की संगणना तिमाही आधार पर की जाती है । बैंकिंग बुक में सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो में रखे गए निवेश शामिल हैं । रणनीतियां तथा प्रक्रियाएं / संरचना तथा संगठन / जोखिम रिपोर्टिंग का क्षेत्र तथा प्रकृति / नीतियां आदि वहीं हैं जो मद संख्या 8.1 में दर्शाई गई हैं ।

8.2 Quantitative disclosures

The capital requirements for :	Amount in ₹ cr.
• interest rate risk:	326.28
• equity position risk: and	4.50
• foreign exchange risk:	156.28
Total Capital for market risk	487.06

9.1 Operational risk

a. The Bank is following Basic Indicator Approach and providing for requisite capital under Basel II as per RBI guidelines.

b. The Operational Risk Management Committee meets at regular intervals wherein the incidents exposing the Bank to Operational risk are deliberated at length and suitable steps are initiated to check recurrence of such events.

c. The Bank is also deliberating on Risk Profiling Templates required in terms of RBI guidelines in the Operational Risk Management Committee.

d. Besides adopting Basic Indicator Approach, Bank has collected data pertaining to loss events for past four years and data is being mapped into eight business lines as per RBI guidelines. Further, the exercise with regard to recording income under various business lines for calculation of capital required under The Standardised Approach (TSA) has been completed through CBS system. The Bank has already applied to RBI for migration to TSA of Operational Risk Capital calculation.

e. The Bank is already collaborating with IBA in a venture "Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX)" as one of the promoters for collecting loss data and framing models for measuring operational risk and formulating models for computing capital charge.

9.2 Qualitative disclosures

The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Lines of Business on ongoing basis. All new products, activities and systems are being routed through Credit Risk Management Committee (CRMC) / Asset Liability Committee (ALCO).

Fraud and related reporting is done to Audit Committee of Board. Operational Risk is quantified through Basic Indicator Approach. Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

10 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

10.1 Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement:

Interest Rate Risk in banking book is calculated on quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies & processes/ structure & organization/ scope and nature of risk reporting/ policies etc are the same as reported under point – 8.1

आईआरआरबीबी मापन में कार्यविधि तथा प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार है :

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विधि पर आधारित।
- अग्रिमों एवं जमाराशियों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में बैंक का 100% कारोबार कर रही नेटवर्क से जुड़ी हुई शाखाओं से प्राप्त साप्ताहिक सूचना के आधार पर विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की दर संवेदनशीलता तथा अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में विभिन्न समय–श्रेणियों में ब्याज दर संवेदनशील विवरणी तैयार की जाती है।
- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक समयावधि के मध्य बिन्दु को परिपक्वता तारीख के रूप में लेकर और औसत आय को कूपन के रूप में तथा भुनाई के उद्देश्य से मार्किट दर लेकर निकाली जाती है । निवेशों के लिए वास्तविक समयावधि ली जाती है क्योंकि डाटा पूरे विवरण के साथ उपलब्ध रहता है।
- उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक समयावधि के लिए देयताओं एवं आस्तियों की संशोधित अवधि निकाली जाती है और ब्याज दर में 1% के परिवर्तन से मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को जोड़कर निकाला जाता है जिससे निवल स्थिति निकाली जाती है जिससे पता चलता है कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि होगी अथवा अन्यथा होगी।

10.2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार आईआरआरबीबी मापने के लिए प्रबंध वर्ग के तरीके के अनुसार ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के आघातों के लिए आय तथा आर्थिक मूल्य (या प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त सापेक्ष उपाय) में वृद्धि (कमी) ।

बैंकिंग बही में ब्याज दर

		कुल (करोड़ ₹ में)
1. अर्जन पर प्रभाव	1 वर्ष के लिए 0.50% पर	97.00
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बेसिस प्वाइंट शॉक	(2393.70)
ईक्विटी मूल्य में प्रतिशत कमी		23.54%

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows

- Based on method suggested by RBI
- Based on Weekly information from networked branches on the residual maturity of the advances and the deposits covering 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars.
- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned by adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

10.2 Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, as per RBI guidelines.

INTEREST RATE IN BANKING BOOK

		Total (₹ in Cr)
1. Impact on Earnings	At 0.50% for 1 year	97.00
2. Economic Value of Equity at Risk	200 basis point shock	(2393.70)
Drop in equity value in percentage terms		23.54%

कम्पनी अभिशासन

1. कम्पनी अभिशासन संहिता पर बैंक की अवधारणा

हमारी कंपनी अभिशारान नीतियाँ, हमारे साभी ग्राहकों जिसमें जमाकर्ता, ऋणदाता, ग्राहक, कर्मचारी शामिल हैं और विनियामक प्राधिकारियों के प्रति मंडल के उत्तरदायित्व और इसके निर्णयों के महत्व को मानती हैं और यह दर्शाती हैं कि शेयरधारक ही हमारी आर्थिक गतिविधियों के अंतिम लाभग्राही हैं । मंडल तथा कार्यपालक प्रबंधन के कार्य सुपरिभाषित हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सदैव सुदृढ़ अभिशासन पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए स्वेच्छा से प्रयास किए हैं ।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनकी बैठकें नियमित अंतरालों पर होती हैं व बैंक के कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर किए जाने वाले कार्यों को मानीटर करती है और सुनिश्चित करती हैं कि मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णय बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980/2007 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

वर्तमान में मंडल में अन्य निदेशकों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं दो कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

मंडल के अन्य सदस्यों में भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि और कर्मकार व गैर-कर्मकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा सरकार द्वारा नियुक्त तीन अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक तथा केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा चुने गए तीन निदेशक शामिल हैं ।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (छ) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशक का पद 13.12.2009 से खाली है ।

CORPORATE GOVERNANCE

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

Our Corporate Governance policies recognize the accountability of the Board and the importance of its decisions to all our constituents including depositors, lenders, customers, employees and the regulatory authorities, and to demonstrate that the shareholders are the cause of ultimate beneficiaries of our economic activities. The functions of the Board and the executive management are well defined and are distinct from one another. OBC has always voluntarily made efforts to implement sound governance practices.

OBC has set up various Committees of the Board which meet at regular intervals and monitor the activities of the Bank, which are being carried out on a daily basis by the executives of the Bank and ensure that the Bank implements the decisions taken at the Board Meeting.

2. BOARD OF DIRECTORS

Composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 & Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980/2007.

Presently, the Board comprises Chairman & Managing Director and two Executive Directors as whole time directors appointed by the Government of India besides other Directors.

The other members of the Board included Representative of Government of India, Representative of Reserve Bank of India, Directors nominated by the Government of India to represent the interests of workmen and non-workmen and three Part-time Non-official Directors appointed by the Govt. as well as three Directors elected by the shareholders – other than the Central Government.

The position of Chartered Accountant Director to be appointed under Sec 9 (3) (g) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980 is lying vacant since 13.12.2009.

क्र. स.	निदेशक का नाम	कार्य–अवधि	आयु (वर्ष)	योग्यता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वर्ष में प्रदत्त सिटिंग शुल्क (₹5000/– प्रति मंडल बैठक और ₹2500 प्रति समिति बैठक की दर से)
1	श्री टी.वाई.प्रभु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.10 – 31.12.10	60	बी कॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी	शून्य	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी प्रा.लि.	1.मंडल की प्रबंध समिति 2.जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 4.शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 5.मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 6.मंडल की ग्राहक सेवा समिति 7. डीपीसी समिति	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3.बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 4.मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 5.मंडल की ग्राहक सेवा समिति 6. डीपीसी समिति	लागू नहीं
2	श्री नागेश पै॰ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.01.11 – आज तक	59	बी कॉम, सीएआईआईबी, न्यूयार्क यूनिवर्सिटी से मनी मार्केट एवं फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिप्लोमा,	शून्य	–	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 4. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 5. गंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 6. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 7. डीपीसी समिति	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर गंडल की विशेष समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 5. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 6. डीपीसी समिति	लागू नहीं
3	श्री एच. रत्नाकर हेगड़े कार्यकारी निदेशक	01.04.10 – 30.11.10	60	बी.एरारी	शून्य	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी प्रा.लि.	1.मंडल की प्रबंध समिति 2.मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3.जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी रामिति 4.बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 5. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 6. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 7.मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. डीपीरी रामिति	शून्य	लागू नहीं

Sl.	Name of the Director	Tenure	Age (Yrs.)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in Other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committee	Sitting Fees paid during the year. [@ Rs.5000/- per board meeting and Rs.2500/- per committee meeting]
1.	Sh. T Y Prabhu Chairman & Managing Director	01.04.10-31.12.10	60	B.Com, LLB, CAIIB	NIL	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Pvt. Ltd.	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Board on Risk Management 3. Special Committee of Board on Large Value Frauds 4. Shareholders / Investors Grievance Committee 5. IT Committee of Board 6. Committee of Board on Customer Service 7. Committee on DPC	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Board on Risk Management 3.Special Committee of Board on large value Frauds 4.IT Committee of Board 5.Committee of Board on Customer Service 6.Committee on DPC	N.A.
2.	Sh. Nagesh Pydah Chairman & Managing Director	01.01.11-till date	59	B.Com,CAIIB Diploma in Money Market & ForexTrading from New York University	NIL	—	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Board on Risk Management 3. Special Committee of Board on Large Value Frauds 4. Shareholders / Investors Grievance Committee 5. IT Committee of Board 6. Committee of Board on Customer Service 7. Committee on DPC	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Board on Risk Management 3.Special Committee of Board on large value Frauds 4.IT Committee of Board 5.Committee of Board on Customer Service 6.Committee on DPC	N.A.
3.	Sh. H. Rathnakara Hegde Executive Director	01.04.10-30.11.10	60	B.Sc	NIL	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Pvt. Ltd.	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Board on Risk Management 4. Special Committee of Board on Large Value Frauds 5. Shareholders / Investors Grievance Committee 6. IT Committee of Board 7. Committee of Board on Customer Service 8. Committee on DPC	NIL	N.A.

4	श्री एरा.सी. सिन्हा कार्यकारी निदेशक	01.04.10 – आज तक	58	बी.कॉम (ऑनर्स) सीएआईआईबी	शून्य	शून्य	1.मंडल की प्रबंध समिति 2.मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3.जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 4.बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 5. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 6.मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 7.मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. डीपीसी समिति	शून्य	लागू नहीं
5	श्री वी. कण्णन कार्यकारी निदेशक	01.12.10 – आज तक	57	बी.एससी (ऑनर्स) पीजीडीबीए, सीएआईआईबी	शून्य	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2.मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3.जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 4.बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 5. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 6.मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 7.मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8.डीपीसी समिति	शून्य	लागू नहीं
6	सुश्री सुमिता डावरा	01.04.10 – आज तक	46	एम.ए व एम.फिल (अर्थशास्त्र), एमबीए (मार्केटिंग एंड फाइनेंस), एमबीए (पब्लिक पॉलिसी)	शून्य	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 3.डीपीसी समिति 4.पारिश्रमिक समिति 5. नामांकन समिति	शून्य	लागू नहीं
7	श्री एस.के. न्यूले	01.04.10 – 29.07.10	70	एम.एससी (भौतिकी), सीएआईआईबी	शून्य	तनेजा एयरोस्पेस व एविएशन लि0	1.मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2.मंडल की प्रबंध समिति 3. डीपीसी समिति 4.जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 5.पारिश्रमिक समिति 6. नामांकन समिति	नामांकन समिति	57500/–
8	श्री बी. श्रीनिवास	30.07.10 – आज तक	58	एम.एससी (सांख्यिकी) सीएआईआईबी	शून्य	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2.मंडल की प्रबंध समिति 3.डीपीसी समिति 4. पारिश्रमिक समिति	शून्य	लागू नहीं
9	श्री विजय जागीरदार	01.04.10 – 12.11.10	52	एम.ए., पीजीडीएमएम	शून्य	शून्य	1.मंडल की प्रबंध समिति 2.बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा समिति	शून्य	60000/–
10	डॉ. आर.एस. महर्षि	01.04.10 – 12.11.10	64	एमडीएच, एम.एससी (होमियोपैथी), विद्यावाचस्पति, आई.ए., लाइसेंशिएट (इंग्योरेंस)	शून्य	शून्य	1.जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 2. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 3. मंडल की प्रबंध समिति	शून्य	52500/–

4.	Sh. S.C. Sinha Executive Director	01.04.10-till date	58	B.Com (Hons.), CAIIB	NIL	NIL	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Board on Risk Management 4. Special Committee of Board on Large Value Frauds 5. Shareholders / Investors Grievance Committee 6. IT Committee of Board 7. Committee of Board on Customer Service 8. Committee on DPC	NIL	N.A.
5.	Sh. V Kannan Executive Director	01.12.10-till date	57	B.Sc (Hons.), PGDBA, CAIIB	NIL	NIL	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Board on Risk Management 4. Special Committee of Board on Large Value Frauds 5. Shareholders / Investors Grievance Committee 6. IT Committee of Board 7. Committee of Board on Customer Service 8. Committee on DPC	NIL	N.A.
6.	Ms. Sumita Dawra	01.04.10-till date	46	M.A. & M. Phil (Economics), MBA (Marketing and Finance), MBA (Public Policy)	NIL	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Special Committee of Board on Large Value Frauds 3. Committee on DPC 4. Remuneration Committee 5. Nomination Committee	NIL	N.A.
7.	Sh. S.K. Newlay	01.04.10-29.07.10	70	M.Sc (Phy.), CAIIB	NIL	Taneja Aerospace and Aviation Ltd.	1. Audit Committee of Board 2. Management Committee of Board 3. Committee on DPC 4. Supervisory Committee on Risk Management 5. Remuneration Committee 6. Nomination Committee	Nomination Committee	57,500/-
8.	Sh. B Srinivas	30.07.10-till date	58	M.Sc (Stat.), CAIIB	NIL	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Management Committee of Board 3. Committee on DPC 4. Remuneration Committee	NIL	N.A.
9.	Sh. Vijay Jagirdar	01.04.10-12.11.10	52	MA, PGDMM	NIL	NIL	1. Management Committee of Board 2. Special Committee of Large Value Fraud 3. Committee of Board on Customer Service	NIL	60,000/-
10	Dr. R S Maharshi	01.04.10-12.11.10	64	MDH, M.Sc (Homeopathy), Vidyawachaspati I.A. Licentiate (Insurance)	NIL	NIL	1. Supervisory Committee of Board on Risk Management 2. Shareholders / Investors Grievance Committee 3. Management Committee of Board	NIL	52,500/-

11	श्री टी. वल्लियप्पन	01.04.10 – आज तक	63	बी.एरारी, एम.एरारी (गणित), शार्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर एपलीकेशन्स	100	आईएराएआररी (सिडबी)	1.मंडल की लेखापरीक्षा रामिति 2.गंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 3. मंडल की प्रबंध समिति 4. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति	मंडल की लेखापरीक्षा समिति – 28.09.2010 तक	115000 / –
12	श्री यू.के. खेतान	01.04.10 – आज तक	63	बी.ए. (ऑनर्स), एलएलबी	36248	इंडो कॉन्टिनेंटल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लि., नेहरू प्लेस होटल्स लि., अय्यर मेनिस रबर रटेट लि., फेरो एलोयस कारपोरेशन लि., कम्बाइन फाइनेंशियल प्रॉडक्ट प्रा. लि., कम्बाइन एक्यूरेट फाइनेंशियल सर्विसिज इंडिया लि., न्यूमरो उनो क्लोदिंग लि., कम्बाइन ओवरसीज लि., हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लि., सुतलेज टैक्सटाइल्स एंड इंड. लि., के एंड के फीस्ट मेकर्स प्रा.लि., ओरियन्ट अब्रेसिव्स लि.,	1.मंडल की प्रबंध समिति 2.बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 3.जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 4.शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति 5.पारिश्रमिक समिति	शेयरधारक / निवेशक शिकायत रामिति	90,000 / –
13	श्री रौ.के. राभरवाल	01.04.10 – आज तक	62	बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशारत्र, विधि व प्रबंधन	100	क्रॉप हेल्थ प्रोडक्ट्स लि., क्रॉर्प हेल्थ केमिकल्स (प्रा.) लि., ऑप्टिमा फार्म सॉल्यूशन लि.	1.मंडल की प्रबंध समिति 2.मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 5.मंडल की ग्राहक सेवा समिति 6. पारिश्रमिक समिति	मंडल की लेखापरीक्षा सगिति 29.09.2010 से	142500 / –
14	श्री के.बी.आर. नायडू	01.04.10 – आज तक	50	बीएससी,एमएससी, (वनस्पति विज्ञान), एम.फिल (वनस्पति विज्ञान)	शून्य	शून्य	1.शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति 2.मंडल की ग्राहक सेवा समिति	शून्य	70000 / –
15	श्री के. एच. पाण्डेय	31.05.10 – आज तक	52	एम.कॉम, सीएआईआईबी	शून्य	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2.जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी रामिति 3.मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति	शून्य	62500 / –
16	श्री एरा.एरा. शिशौदिया	21.07.10 – आज तक	57	बी.कॉम	शून्य	शून्य	1.मंडल की प्रबंध समिति 2.मंडल की ग्राहक सेवा समिति	शून्य	67500 / –

11	Sh. T Valliapal	01.04.10-till date	63	B.Sc, M.Sc (Math), Short Term Course on Computer Applications	100	ISARC (SIDBI)	1. Audit Committee of Board 2. IT Committee of Board 3. Management Committee of Board 4. Special Committee of Board on Large Value Frauds	Audit Committee of Board till 28.09.10	1,15,000/-
12	Sh. U.K. Khaitan	01.04.10-till date	63	B.A. (Hons.), L.L.B.	36248	Indo Continental Hotels & Resorts Ltd., Nehru Place Hotels Ltd., Aiyer Manis Rubber Estate Ltd., Ferro Alloys Corporation Ltd., Combine Fin Products Pvt. Ltd. Gee Pee Agri Products Pvt. Ltd. Combine Accurate Financial Services India Ltd. Numero Uno Clothing Ltd., Combine Overseas Ltd., Hindustan Everest Tools Ltd., Sutlej Textiles & Industries Ltd. K&K Feast Makers Pvt. Ltd., Orient Abrasives Ltd.	1. Management Committee of Board 2. Special Committee of Board on Large Value Frauds 3. Supervisory Committee of Board on Risk Management 4. Shareholders / Investors Grievance Committee 6. IT Committee of Board 5. Remuneration Committee	Shareholders/ Investors Grievance Committee	90000/-
13	Sh. C.K. Sabharwal	01.04.10-till date	62	B.A (Hons.), Economics, Law and Management	100	Crop Health Products Ltd. Crop Health Chemical (P) Ltd. Optima Farm Solutions Ltd.	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Shareholders / Investors Grievance Committee 4. IT Committee of Board 5. Committee of Board on Customer Service 6. Remuneration Committee	Audit Committee of Board from 29.09.2010	142500/-
14	Sh. K.B.R. Naidu	01.04.10-till date	50	B.Sc., M.Sc. (Botany), M.Phil. (Botany) M.Sc (Phy.), CAIIB	NIL	NIL	1. Shareholders / Investors Grievance Committee 2. Committee of Board on Customer Service	NIL	70000/-
15	Sh. K.H. Pandey	31.05.10-till date	52	M.Com, CAIIB	NIL	NIL	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee on Risk Management 3. IT Committee of Board	NIL	62500/-
16	Sh. S.S. Shishodia	21.07.10-till date	57	B.Com	NIL	NIL	1. Management Committee of Board 2. Committee of Board on Customer Service	NIL	67500/-

3. वर्ष के दौरान नियुक्तियां

वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशकों की सूची :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	बैककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01.	श्री नागेश पैड़ा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.01.2011	धारा 9(3) (क) के अंतर्गत
02.	श्री वी. कण्णन	कार्यकारी निदेशक	01.12.2010	धारा 9(3) (क) के अंतर्गत
03.	श्री बी. श्रीनिवास	भा.रि.बैं. द्वारा नामित निदेशक	30.07.2010	धारा 9(3) (ग) के अंतर्गत
04.	श्री के.एच. पाण्डेय	कर्मकार निदेशक	31.05.2010	धारा 9(3) (ङ.) के अंतर्गत
05.	श्री एस.एस. शिशौदिया	अधिकारी निदेशक	21.07.2010	धारा 9(3) (च) के अंतर्गत

4. वर्ष के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशक :

वर्ष के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशकों की सूची :

क्र. स.	निदेशक का नाम	पदनाम	अधिसूचना की तिथि/ पूरे किए गए कार्यकाल	बैककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01.	श्री टी.वाई. प्रभु	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	31.12.2010	धारा 9(3) (क) के अंतर्गत
02.	श्री एच. रत्नाकर हेगड़े	कार्यकारी निदेशक	30.11.2010	धारा 9(3) (क) के अंतर्गत
03.	श्री एस.के. न्यूले	भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक	29.07.2010	धारा 9(3) (ग) के अंतर्गत
04.	श्री विजय जागीरदार	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	12.11.2010	धारा 9(3) (छ) के अंतर्गत
05.	डॉ. आर.एस. महर्षि	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	12.11.2010	धारा 9(3) (छ) के अंतर्गत

5. निदेशकों का परिचय

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल पर नियुक्त तथा कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का परिचय निम्नानुसार है :

1. श्री नागेश पैड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मद्रास विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान के एसोशिएट हैं । इन्होंने, न्यूयार्क यूनिवर्सिटी से मनी मार्किट तथा फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिप्लोमा भी किया है । श्री पैड़ा ने 1973 में बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया । बैंकिंग उद्योग में अपने 37 वर्षों से

3. APPOINTMENTS DURING THE YEAR

List of Directors appointed during the year: -

S. No.	Name of Director	Designation	Date of Appointment	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980
01.	Sh. Nagesh Pydah	Chairman & Managing Director	01.01.2011	U/s Sec 9 (3) (a)
02.	Sh. V Kannan	Executive Director	01.12.2010	U/s Sec 9 (3) (a)
03.	Sh. B Srinivas	RBI Nominee Director	30.07.2010	Us/ Sec 9 (3) (c)
04.	Sh. K H Pandey	Workmen Employee Director	31.05.2010	U/s Sec 9 (3) (e)
05.	Sh. S S Shishodia	Officer Employee Director	21.07.2010	U/s Sec 9 (3) (f)

4. DIRECTORS OUT GOING DURING THE YEAR:

List of Outgoing Directors during the year:

S. No.	Name of Director	Designation	Date of Notification /Tenure Completed	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980
01.	Sh. T Y Prabhu	Chairman & Managing Director	31.12.2010	U/s Sec 9 (3) (a)
02.	Sh. H Rathnakara Hegde	Executive Director	30.11.2010	U/s Sec 9 (3) (a)
03.	Sh. S K Newlay	RBI Nominee Director	29.07.2010	Us/ Sec 9 (3) (c)
04.	Sh. Vijay Jagirdar	Part-time Non-Official Director	12.11.2010	U/s Sec 9 (3) (h)
05.	Sh. R S Maharshi	Part-time Non-Official Director	12.11.2010	U/s Sec 9 (3) (h)

5. PROFILE OF THE DIRECTORS

The profile of the Directors who were appointed on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2010-11 is furnished hereunder:

1. Shri Nagesh Pydah, Chairman & Managing Director is a Commerce Graduate from University of Madras and an Associate of the Indian Institute of Bankers. He also holds a Diploma in Money Market and Forex Trading from New York University. Shri Pydah started his career in 1973 as

अधिक के कैरियर के दौरान इन्होंने भारत में तथा विदेश में बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में गहन अनुभव अर्जित किया। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की विदेश में स्थित न्यूयार्क शाखा में 4 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया। श्री पैड़ा ने कारपोरेट बैंकिंग, एसएमई बैंकिंग, विदेशी कारोबार, बुलियन एण्ड डायमंड बैंकिंग, आयोजना तथा एमआईएस और कार्ड उत्पाद इत्यादि क्षेत्रों में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। ये मुम्बई और हैदराबाद में बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालयों के अध्यक्ष रहे। ये वर्ष 2005 – 07 के दौरान सिबिल (CIBIL) के बोर्ड पर बैंक ऑफ इंडिया के नामिती निदेशक रहे । मार्च, 2009 में इन्हें पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया । पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान ये पीएनबी गिल्ट लि., पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड एवं पंजाब इंवेस्टमेंट सर्विसेज लि. के निदेशक भी रहे। इन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2011 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला ।

Probationary Officer in Bank of India. During his career spanning over 37 years in the Banking Industry, he has had extensive exposure to all facets of Banking in India and abroad. He had an overseas stint at Bank of India's New York Branch for over 4 years. Shri Pydah had held several important positions covering Corporate Banking, SME Banking, Foreign Exchange, Bullion & Diamond Banking, Planning & MIS and Card Products, etc. He has headed the Zonal Offices of Bank of India at Mumbai and Hyderabad. He was BOI's Nominee Director on the Board of CIBIL during the period 2005-07.In March 2009, he was elevated as Executive Director, Punjab National Bank. During his tenure at PNB, he was also a Director on PNB Guilts Ltd., PNB Housing Ltd. and PNB Investment Services Ltd.He took charge as Chairman & Managing Director of the Bank on 01.01.2011.

2. श्री वी. कण्णन, कार्यकारी निदेशक बी.एससी. (ऑनर्स) होने के साथ–साथ व्यवसाय प्रशासन (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त हैं । ये भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणपत्रित सदस्य भी हैं । इन्हें बैंकिंग का 34 वर्षों का गहन अनुभव है । उन्होंने 1976 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यग्रहण किया । इन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं, प्रचालन एवं प्रशासन दोनों, में विभिन्न पदों जैसे अधिकारी, शाखा प्रबंधक, फॉरेक्स इंचार्ज, सहायक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक जैसे पदों पर कार्य करने का अनुभव है । इन्होंने जून, 2006 में महाप्रबंधक का पदभार संभाला और वाणिज्यिक एवं कारपोरेट ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का कार्यभार संभाला । ये बैंक के मुंबई क्षेत्र के अध्यक्ष भी रहे । श्री कण्णन 2007 से भारतीय स्टेट बैंक की सहायक संस्था एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड के मंडल में बैंक के नामजद निदेशक भी रहे । इन्होंने अमेरीकन एक्सप्रेस बैंक, साउथ ईस्ट एशियन बैंकर्स सेमिनार, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिकागो में प्रबंध विकास कार्यक्रम व यूनाइटिड किंगडम लंदन में फाइनेंशियल सर्विसिस अथोरिटी के साथ बैठक सहित देश व विदेश में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं रांगोष्ठियों में भाग लिया है ।

2. Sh.V Kannan, Executive Director is B.Sc(Hons.) and Post Graduate Diploma holder in Business Administration. He is also a certified member of the Indian Institute of Bankers. He has a rich experience of 34 years in Banking. He joined Bank of Maharashtra in 1976.He has experience in various aspects of banking, both operational and administrative, in different capacities as Officer, Branch Manager, Forex Incharge, AGM, DGM and GM. He took over the charge as General Manager in June' 2006 and held the portfolio of commercial and corporate credit, priority sector, treasury and international Banking. He also headed the Mumbai Region of the Bank. He has been on the Board of SBI Global Factors Ltd as director, which is a subsidiary of State Bank of India in the capacity of Nominee Director since 2007.He attended various training programs and seminars at Institutes of national repute in India as well as abroad including South East Asian Banks Seminar at American Express Bank, Management Development Program at Kellogg School of Management Chicago and meeting with Financial Services Authority of UK, London.

3. श्री बी. श्रीनिवास, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक बंगलुरू विश्वविद्यालय से स्टेटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट (एमएससी) हैं और 1974 में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए इन्हें गोल्ड मैडल प्राप्त हुआ। ये भारतीय बैंकर्स संस्थान के एसोशिएट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यभार संभालने से पहले इन्होंने एक कमर्शियल बैंक में छह वर्षों से भी अधिक समय तक अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया । नवंबर, 1981 में इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड बी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद तथा बंगलुरू में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इन्होंने केंद्रीय बैंकिंग कार्य के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे एक्सचेंज नियंत्रण, मुद्रा प्रबंधन, सरकारी खाते, बैंकिंग पर्यवेक्षण तथा सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया है। इन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, स्विटजरलैंड तथा सिंगापुर के सेंट्रल बैंकों में नेतृत्व, बैंकिंग पर्यवेक्षण तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। हाल ही में इन्होंने एफडीआईसी, वाशिंगटन डीसी में वर्कशॉप ऑन क्लेम मैनेजमेंट में भाग लिया । डीआईसीजीसी, मुंबई में 26 अप्रैल, 2010 से मुख्य महाप्रबंधक का वर्तमान पदभार संभालने से पहले ये गुजरात तथा कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक थे ।

3. Shri B.Srinivas, RBI Nominee Director is a Post-graduate (M.Sc) in Statistics from Bangalore University and recipient of Gold Medal for securing the Ist Rank in 1974. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. Prior to joining RBI he has worked in a commercial bank for more than six years as an officer in various capacities. He joined RBI as Gr.B Officer in November 1981 and worked in different capacities in Mumbai, Nagpur, Ahmedabad and Bangalore. He has worked in all major areas of Central Banking functions such as Exchange Control, Currency Management, Government Accounts, Banking Supervision and Information Technology. He has undergone training programmes in leadership, banking supervision and technology areas in the central banks of England, France, Switzerland and Singapore. He has recently participated in a workshop on Claims Management at FDIC, Washington DC. He was the Regional Director for Gujarat and Karnataka prior to the current assignment with DICGC, Mumbai as Chief General Manager with effect from April 26, 2010.

4. श्री के.एच. पाण्डेय 31.05.2010 से तीन वर्षों की अवधि के लिए ओबीसी के निदेशक मंडल में कर्मकार निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं । श्री पाण्डेय

4. Shri K H Pandey has been appointed as Workmen Employee Director on the Board of Directors of OBC for a

एम.कॉम तथा सीएआईआईबी हैं और 1981 में इन्होंने बैंक में कार्यग्रहण किया । बैंक–सेवा में आए इन्हें 30 वर्ष हो गए हैं और वर्तमान में आगरा क्षेत्र की मथुरा शाखा में विशेष सहायक के रूप में तैनात हैं । इस समय ये उत्तर प्रदेश की ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स इम्प्लॉइज यूनियन के महासचिव तथा ऑल इंडिया ओरियन्टल बैंक इम्प्लॉइज फेडरेशन के सहायक महासचिव हैं। ये ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन की महापरिषद के सदस्य भी हैं ।

5. श्री एस.एस. शिशौदिया 21.07.2010 से तीन वर्षों की अवधि के लिए ओबीसी के निदेशक मंडल में अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं । श्री एस.एस. शिशौदिया बी.कॉम हैं और इन्होंने बैंक में 1975 में कार्यग्रहण किया तथा इन्हें बैंक की सेवा में 36 वर्ष हो गए हैं । वर्तमान में ये हमारी मिंटो रोड शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में तैनात हैं । ये ऑल इंडिया ओरियन्टल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं ।

6. मण्डल की बैठकें

वर्ष 2010–11 के दौरान, मंडल की 13 बैठकें 29 अप्रैल, 2010, 28 मई, 2010, 23 जून, 2010, 29 जुलाई, 2010, 04 सितम्बर, 2010, 27 सितंबर, 2010, 03 नवंबर, 2010, 30 नवंबर, 2010, 30 दिसंबर, 2010, 28 जनवरी, 2011, 14 फरवरी, 2011, 05 मार्च, 2011 और 26 मार्च, 2011 को हुईं ।

मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण उनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या के साथ इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है ।

7. निदेशकों / कार्यपालकों की समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार, निदेशकों की विभिन्न समितियां गठित की गई हैं ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया तीव्र हो सके तथा उनके विचारार्थ विषयों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की उपयुक्त मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके। मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :

7.1 मंडल की प्रबन्ध समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हुए, निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13 का पालन करते हुए ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौते / बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण, निवेश, दान आदि जैसे विभिन्न कारोबारी मामलों पर विचार करने के लिए मंडल की प्रबन्ध समिति गठित की गई है । इस समिति में इस समय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, दोनों कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री वी. श्रीनिवास तथा तीन स्वतंत्र / गैर–कार्यपालक निदेशक, श्री यू.के. खेतान, श्री सी.के. सभरवाल तथा श्री एस.एस. शिशौदिया हैं, जो प्रत्येक छः माह के लिए रोटेशन आधार पर हैं । बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (छ) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट निदेशक का पद दिनांक 13.12.2009 से खाली है ।

वर्ष के दौरान कुल मिलाकर समिति की 20 बैठकें हुईं । प्रबंध समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण और उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या इस रिपोर्ट में अगले पृष्ठ पर दी गई है।

period of three years from 31.05.2010.Shri K H Pandey is an M.Com, CAIIB and joined the Bank in 1981. He has put in 30 years of service in the Bank and is presently posted as Special Assistant at Mathura Branch in Agra region. He is presently General Secretary of Oriental Bank of Commerce Employees Union of UP Chapter and Assistant General Secretary of All India Oriental Bank Employees Federation. He is also a General Council Member of All India Bank Employees Association.

5. Shri S S Shishodia has been appointed as Officer Employee Director on the Board of Directors of OBC for a period of three years from 21.07.2010. Shri S S Shishodia is a B.Com and joined the Bank in 1975 and has put in 36 years of service in the Bank . Presently he is posted as Senior Manager at our Minto Road Branch. He is presently General Secretary of All India Oriental Bank Officer's Association and Central Committee Member–All India Bank Officer's Association.

6. BOARD MEETINGS

During the year 2010-11, 13 Board Meetings were held on April 29 2010, May 28 2010, June 23 2010, July 29 2010, September 4, 2010, September 27, 2010, November 03, 2010, November 30, 2010 December 30, 2010, January 28, 2011, February 14, 2011, March 05, 2011 and March 26, 2011.

The details of the attendance of the Directors in the Board Meetings along with number of meetings held during their tenure is given elsewhere in the report.

7. COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Various Committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India directives in order to quicken decision-making, proper monitoring and follow-up of the various activities falling within their terms of reference. The important Committees of the Board are as under:

7.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors in adherence to Clause 13 of the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provision) Scheme, 1980 for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition of premises, investments, donations etc.The Committee presently consists of Chairman & Managing Director, Executive Directors, RBI Nominee Director, Sh B Srinivas, and three independent/non executive directors, Sh.U K Khaitan, Sh C K Sabharwal and Shri S S Shishodia on rotation basis for every six months. The position of Chartered Accountant Director to be appointed under Sec 9 (3) (g) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980 is lying vacant since 13.12.2009.

In all, 20 meetings of the Committee were held during the year.The details of the attendance of the Directors in the Management Committee Meetings along with number of meetings held during their tenure is given on the next page.

		मंडल बैठक Board Meeting		मंडल की प्रबन्ध समिति Management Committee of Board		मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of Board	
	अध्यक्ष CHAIRMAN	श्री टी.वाई. प्रभु Shri T.Y. Prabhu (01.04.10 - 31.12.10) श्री नागेश पैड़ा Sh.Nagesh Pydah (01.01.11 - 31.03.11)		श्री टी.वाई. प्रभु Shri T.Y. Prabhu (01.04.10 - 31.12.10) श्री नागेश पैड़ा Sh.Nagesh Pydah (01.01.11 - 31.03.11)		श्री टी. वल्लियप्पन Sh. T. Valliappan (01.04.10 - 28.09.10) श्री सी.के. सभरवाल Sh.C.K. Sabharwal (29.09.10 - 31.03.11)	
क्र.सं Sl.	निदेशक का नाम Name of the Director	आयोजित बैठकें MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED	आयोजित बैठकें MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED	आयोजित बैठक MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED
1	श्री टी.वाई प्रभु Sh. T.Y. Prabhu (01.04.10-31.12.10)	9	9	15	15	लागू नहीं N.A	-
2	श्री नागेश पैड़ा Sh. Nagesh Pydah (01.01.11- आज तक)	4	4	5	5	लागू नहीं N.A	-
3	श्री एच.रत्नाकर हेगड़े Sh. H. Rathnakara Hegde (01.04.10 - 30.11.10)	8	8	14	14	7	7
4	श्री एस.सी.सिन्हा Sh. S. C. Sinha (01.04.10 - आज तक)	13	13	20	20	10	10
5	श्री वी. कण्णन Sh.V. Kannan (01.12.10 - आज तक)	5	5	6	6	3	3
6	सुश्री सुमिता डावरा Ms. Sumita Dawra (01.04.10 - आज तक)	13	6	लागू नहीं N.A	-	10	5
7	श्री एस.के. न्यूले Sh. S.K. Newlay (01.04.10-29.07.10)	4	4	7	7	4	4
8	श्री बी. श्रीनिवास Sh.B. Srinivas (30.07.10-आज तक)	9	9	13	11	6	6
9	श्री विजय जागीदार Sh.Vijay Jagirdar (01.04.10-12.11.10)	7	6	9	8	लागू नहीं N.A	-
10	डॉ. आर.एस. महर्षि Dr.R.S. Maharshi (01.04.10-12.11.10)	7	7	4	4	लागू नहीं N.A	-
11	श्री टी वल्लियप्पन Sh. T. Valliappan (01.04.10 - आज तक)	13	13	9	9	5	5
12	श्री यू.के. खेतान Sh. U.K.Khaitan (01.04.10 - आज तक)	13	9	11	7	लागू नहीं N.A	-
13	श्री सी.के. सभरवाल Sh. C. K. Sabharwal (01.04.10 - आज तक)	13	13	11	11	5	5
14	श्री केबीआर नायडू Sh. K.B.R. Naidu (01.04.10 - आज तक)	13	12	लागू नहीं N.A	-	लागू नहीं N.A	-
15	श्री के.एच. पाण्डेय Sh.K.H. Pandey (31.05.10- आज तक)	11	9	9	5	लागू नहीं N.A	-
16	श्री एस.एस. शिशौदिया Sh.S.S. Shishodia (21.07.10- आज तक)	10	10	6	6	N.A	-

लागू नहीं – समिति के सदस्य नहीं / N-A: Not a Member of the Committee

आयोजित बैठक: निदेशक की कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठक / Meetings Held : Meeting Held during the tenure of the Director

7.2 मंडल की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है जिसमें इस समय 5 निदेशक अर्थात् दोनों कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार की नामिती सुश्री सुमिता डावरा और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक श्री बी. श्रीनिवास तथा एक स्वतंत्र निदेशक श्री सी.के. सभरवाल हैं। इस समिति की बैठक की अध्यक्षता गैर–कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (छ) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट निदेशक का पद दिनांक 13.12.2009 से खाली है। वर्ष 2010–11 के दौरान समिति की दस बैठकें हुई ।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति, दिशानिर्देश देने के साथ–साथ बैंक के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यों को भी देखती है, जिनमें संगठन, परिचालन, आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण पद्धति के गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। यह समिति आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों/लेखापरीक्षा कार्यों का पुनरीक्षण करती है तथा लांग फॉर्म आडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए.आर.) में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है और लॉंग फार्म ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में बाहरी लेखापरीक्षकों से बातचीत करती है। समिति लेखांकन मानदंडो, रिपोर्टिंग पद्धति, वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की भी समीक्षा करती है। यह समिति बैंक की प्रबंध लेखापरीक्षा रिपोर्टों और आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों व उनके अनुपालन की पुनरीक्षा करती है। यह आंतरिक व्यवस्था तथा अंतर–शाखा रामाधान की स्थिति का पुनरीक्षण करने के साथ–साथ असंतोषजनक रेटिंग वाली शाखाओं की रिपोर्टों की पुनरीक्षा भी करती है। कम्पनी सचिव, सूचीकरण करार के खंड 49(II) के प्रावधानों के अनुसार मंडल की लेखापरीक्षा समिति का सचिव है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण और उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या पिछले पृष्ठ पर दी गई है ।

7.3 मंडल की शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

बैंक और उसके शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही निवेशक सेवाओं को मॉनिटर करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा इस समिति का गठन सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसरण में किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में शेयरधारक/स्वतंत्र निदेशक श्री यू.के. खेतान तथा सदस्य के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों के अलावा दो अन्य स्वतंत्र निदेशक श्री सी.के. सभरवाल एवं श्री के.वी. आर. नायडू (30.12.2010 से) (इनसे पहले डॉ. आर.एस. महर्षि सदस्य थे) हैं । इस समिति की वर्ष में चार बैठकें हुई और इस समिति ने तुलन–पत्र प्राप्त न होने, शेयरों के हस्तांतरण, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, टीयर-II बाण्ड धारिता की स्थिति आदि जैसी शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों को दूर करने संबंधी मामले देखे। श्री सी.एम. खुराना, महाप्रबन्धक को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

7.2 AUDIT COMMITTEE OF BOARD

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, the Audit Committee of the Board is presently constituted with 5 Directors viz. Executive Directors, Nominees of Government of India, Ms. Sumita Dawra and Reserve Bank of India, Sh.B Srinivas, and one independent director, Sh. C K Sabharwal. The meetings of the Committee are chaired by the Non Executive Director. The position of Chartered Accountant Director to be appointed under Sec 9 (3) (g) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980 is lying vacant since 13.12.2009.The Committee met ten times during the year 2010-11.

The Audit Committee of Board provides directions, and also oversees the operations of the total audit functions of the Bank, which include organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the statutory/external audit of the Bank and Annual Financial Inspection by Reserve Bank of India. The Committee reviews internal inspection reports/audit functions follow-up of all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with external auditors in respect of the LFAR. The Committee also reviews the compliance of accounting standards, reporting process, disclosure of financial information and compliance of other statutory requirements. It reviews the Management Audit Reports of the Bank, Internal Inspection Reports and its compliance. It also reviews inspection reports of branches with unsatisfactory ratings, besides reviewing the position of housekeeping and inter-branch reconciliation. The Company Secretary is the secretary to the Audit Committee of the Board in terms of provisions of Clause 49(II) of the Listing Agreement.

The details of the attendance of the Directors in the Audit Committee Meetings along with number of meetings held during their tenure is given on the previous page.

7.3 SHAREHOLDERS / INVESTORS GRIEVANCE COMMITTEE OF BOARD

The Bank has constituted this committee pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, with a view to monitor the activities of investor services provided by the Bank and it's Share Transfer Agent. The Committee consists of shareholder/independent director, Sh U K Khaitan, as the Chairman of the Committee and two other independent directors, Sh. C K Sabharwal & Sh. K B R Naidu (w.e.f 30.12.2010) (previously Dr.R S Maharshi was the member) apart from Chairman and Managing Director and Executive Directors as the members. The Committee met four times in the year and looked after the redressal of shareholders and Investors complaints like non receipt of Balance Sheets, Transfer of Shares, non receipt of dividend declared, status of Tier-II Bond holding etc. Sh. C M Khurana, General Manager, has been designated as a Compliance Officer.

क्र.सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1	28.04.2010	1. यू.के. खेतान 2. टी.वाई. प्रभु 3. एच.रत्नाकर हेगड़े 4. एस.सी. सिन्हा 5. डॉ0 आर.एस. महर्षि 6. सी.के. सभरवाल	शून्य
2	28.07.10	1. यू.के. खेतान 2. टी.वाई. प्रभु 3. एच.रत्नाकर हेगड़े 4. एस.सी. सिन्हा 5. डॉ0 आर.एस. महर्षि 6. सी.के. सभरवाल	शून्य
3	30.11.10	1. यू.के. खेतान 2. टी.वाई. प्रभु 3. एच.रत्नाकर हेगड़े 4. एस.सी. सिन्हा 5. सी.के. सभरवाल	शून्य
4	27.01.11	1. यू.के. खेतान 2. नागेश पैड़ा 3. एस.सी. सिन्हा 4. वी. कण्णन 5. सी.के. सभरवाल 6. के.बी.आर. नायडू	शून्य

S.No.	Date of Meetings	Members	Absent
1.	28.04.10	1. U.K. Khaitan 2. T.Y. Prabhu 3. H Rathnakara Hegde 4. S. C. Sinha 5. Dr. R S Maharshi 6. C K Sabharwal	Nil
2.	28.07.10	1. U. K. Khaitan 2. T.Y. Prabhu 3. H. Rathnakara Hegde 4. S. C. Sinha 5. Dr R S Maharshi 6. C K Sabharwal	Nil
3.	30.11.10	1. U. K. Khaitan 2. T.Y. Prabhu 3. H. Rathnakara Hegd 4. S. C. Sinha 5. C K Sabharwal	Nil
4.	27.01.11	1. U. K. Khaitan 2. Nagesh Pydah 3. S. C. Sinha 4. V. Kannan 5. C K Sabharwal 6. K.B. R Naidu	Nil

7.4 मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति

बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, दोनों कार्यकारी निदेशक, बैंक के निदेशक श्री टी. वल्लियप्पन और सी.के. सभरवाल तथा श्री के.एच. पाण्डेय (30.12.2010 से) शामिल हैं । वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की पांच बैठकें हुई ।

7.4 IT COMMITTEE OF BOARD

The Committee is constituted to review the implementation of IT projects of the Bank. The Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors, Sh T Valliappan, Sh. C. K. Sabharwal and Sh.K H Pandey (w.e.f 30.12.10), the Directors of the Bank. During the year IT Committee met five times.

क्र.सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1	22.06.10	1. टी.वाई प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. टी. वल्लियप्पन 5. सी.के. सभरवाल	शून्य
2	28.07.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. टी. वल्लियप्पन 5. सी.के. सभरवाल	शून्य

S.No.	Date of Meetings	Members	Absent
1.	22.06.10	1. T.Y. Prabhu 2. H Rathnakara Hegde 3. S. C. Sinha 4. T. Valliappan 5. C K Sabharwal	Nil
2.	28.07.10	1. T.Y. Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S. C. Sinha 4. T Valliappan 5. C K Sabharwal	NIL

3	03.09.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. टी. वल्लियप्पन 5. सी.के. सभरवाल	शून्य
4	22.11.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. टी. वल्लियप्पन 5. सी.के. सभरवाल	शून्य
5	27.01.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. टी. वल्लियप्पन 5. सी.के. सभरवाल 6. के.एच. पाण्डेय	शून्य

7.5 जोखिम प्रबन्धन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोर दिया गया है, जोखिम प्रबंधन और बासेल–II के मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन को मानीटर करने की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने मंडल स्तर की समिति का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दोनों कार्यकारी निदेशक, बैंक के निदेशक सर्वश्री एस.के. न्यूले, डा. आर.एस. महर्षि, यू.के. खेतान और श्री के.एच. पाण्डेय (30.12.2010 से) हैं। इस समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार वर्ष के दौरान चार बैठकें हुईं। यह समिति तीन महत्वपूर्ण जोखिमों की समीक्षा करती है अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम तथा इस विषय पर सामन्वित दृष्टिकोण अपनाती हैं। समिति द्वारा उपयुक्त निर्देश, यदि आवश्यक हो, अनुपालन हेतु जारी किए जाते हैं ।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1	22.06.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. एस.के. न्यूले 5. डा. आर.एस. महर्षि 6. यू.के. खेतान	डॉ. आर.एस. महर्षि श्री यू.के. खेतान
2	27.09.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. डा. आर.एस. महर्षि 5. यू.के. खेतान	श्री यू.के. खेतान

3.	03.09.10	1. T.Y. Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S. C. Sinha 4. T. Valliappan 5. C K Sabharwal	NIL
4.	22.11.10	1. T.Y. Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S. C. Sinha 4. T Valliappan 5. C K Sabharwal	NIL
5.	27.01.11	1. Nagesh Pydah 2. S. C. Sinha 3. V. Kannan 4. T. Valliappan 5. C K Sabharwal 6. K. H. Pandey	NIL

7.5 SUPERVISORY COMMITTEE OF DIRECTORS ON RISK MANAGEMENT

In view of the importance of monitoring implementation of guidelines under risk management and BASEL-II as emphasized by Reserve Bank of India, the Bank has formed a Board level committee comprising Chairman & Managing Director, Executive Directors, S/Shri S.K.Newlay, Dr. R. S. Maharishi, U.K Khaitan and Sh.K H Pandey (w.e.f 30.12.10), the directors of the Bank. The Committee met as per prescribed frequency of four times during the year. The Committee reviews the three important risk functions viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk and takes an integrated view of the subject. Suitable directions required, if any, are issued by the Committee for compliance.

S.No.	Date of Meetings	Members	Absent
1.	22.06.10	1. T.Y. Prabhu 2. H Rathnakara Hegde 3. S. C. Sinha 4. S. K. Newlay 5. Dr. R S Maharshi 6. U K Khaitan	Dr. R S Maharshi Sh. U.K.Khaitan
2.	27.09.10	1. T.Y. Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S. C. Sinha 4. Dr. R S Maharshi 5. U K Khaitan	Sh.U.K.Khaitan

3	06.12.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. यू.के. खेतान	शून्य
4	25.03.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. यू.के. खेतान 5. के.एच. पाण्डेय	शून्य

7.6 अत्यधिक बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मण्डल की विशेष समिति

एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की अत्यधिक बड़ी राशि की धोखाधड़ी को मॉनिटर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मंडल की एक विशेष समिति का गठन किया गया। यह समिति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करती है जिसमें दोनों कार्यकारी निदेशक, सरकार की नामिती निदेशक सुश्री सुमिता डावरा तथा दो अन्य स्वतंत्र निदेशक सर्वश्री यू.के.खेतान और विजय जागीरदार हैं। श्री टी. वल्लियप्पन को (30.12.2010 से) समिति में शामिल किया गया। वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं ।

क्र.स.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1	28.05.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. सुमिता डावरा 5. विजय जागीरदार 6. यू.के. खेतान	शून्य
2	03.09.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. सुमिता डावरा 5. विजय जागीरदार 6. यू.के. खेतान	श्री विजय जागीरदार
3	03.11.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. सुमिता डावरा 5. विजय जागीरदार 6. यू.के. खेतान	शून्य
4	14.02.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. सुमिता डावरा 5. यू.के. खेतान 6. टी. वल्लियप्पन	श्रीमती सुमिता डावरा

3.	06.12.10	1. T.Y. Prabhu 2. S. C Sinha 3. Dr. R S Maharshi 4. U K Khaitan	NIL
4.	25.03.11	1. Nagesh Pydah 2. S. C. Sinha 3. V. Kannan 4. U K Khaitan 5. K. H Pandey	NIL

7.6 SPECIAL COMMITTEE OF BOARD ON LARGE VALUE FRAUDS

Special Committee of Board for monitoring of large value frauds involving amounts of Rupees One Crore and above was constituted as per the directions of Reserve Bank of India. The Committee is headed by the Chairman & Managing Director and consists of Executive Directors, Government Nominee Director, Ms. Sumita Dawra and two other independent directors, Sh. U K Khaitan and Sh Vijay Jagirdar. Sh.T.Valliappan was inducted in the Committee (w.e.f 30.12.10). The Committee met as per prescribed frequency of four times during the year.

S. No.	Date of Meetings	Members	Absent
1	28.05.10	1. T.Y Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S C Sinha 4. Sumita Dawra 5. Vijay Jagirdar 6. U.K.Khaitan	NIL
2	03.09.10	1. T.Y Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S C Sinha 4. Sumita Dawra 5. Vijay Jagirdar 6. U.K.Khaitan	Sh.Vijay Jagirdar
3	03.11.10	1. T.Y Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S C Sinha 4. Sumita Dawra 5. Vijay Jagirdar 6. U.K.Khaitan	NIL
4	14.02.11	1. Nagesh Pydah 2. S C Sinha 3. V.Kannan 4. Sumita Dawra 5. U.K.Khaitan 6.T.Valliappan	Smt. Sumita Dawra

7.7 बैंक में ग्राहक सेवा पर मंडल की समिति

बैंक द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा को निरंतर बेहतर बनाने की दृष्टि से इस समिति का गठन किया गया था । यह सीपीपीएपीएस के अनुपालन सहित स्थायी समिति का कार्य देखती है और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा सभी वर्गों के ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार लाने के लिए कदम भी उठाती है । इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, दोनों कार्यकारी निदेशक, बैंक के निदेशक सर्वश्री विजय जागीरदार, सी.के. सभरवाल और के.बी.आर नायडू शामिल हैं। श्री एस.एस. शिशौदिया, निदेशक 30.12.10 से समिति के सदस्य बने। वर्ष के दौरान समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार चार बैठकें हुई।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1	22.06.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. विजय जागीरदार 5. सी.के. सभरवाल 6. के.बी.आर. नायडू	शून्य
2	27.09.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एच.रत्नाकर हेगड़े 3. एस.सी. सिन्हा 4. विजय जागीरदार 5. सी.के. सभरवाल 6. के.बी.आर. नायडू	शून्य
3	06.12.10	1. टी.वाई. प्रभु 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. सी.के. सभरवाल 5. के.बी.आर. नायडू	शून्य
4	25.03.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. सी.के. सभरवाल 5. के.बी.आर. नायडू 6. एस.एस. शिशौदिया	श्री के.बी.आर. नायडू

7.8 मंडल की पारिश्रमिक समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन का निर्धारण करने हेतु पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें भारत सरकार की नामिती निदेशक सुश्री सुमिता डावरा, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस.के.न्यूले एवं दो अन्य स्वतंत्र निदेशक सर्वश्री यू.के. खेतान और सी.के.सभरवाल हैं। वित्त वर्ष 2010–11 हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के कार्यनिष्पादन आधारित पारिश्रमिक के बारे में निर्णय करने हेतु इस समिति की बैठक एक बार 28.05.10 को हुई ।

7.7 COMMITTEE OF BOARD ON CUSTOMER SERVICE IN BANK

The Committee was constituted to bring about ongoing improvements in the customer service provided by the Bank. It oversees the Standing Committee including compliance with CPPAPS and also suggests innovative measures for enhancing the quality of service and improving the level of customer satisfaction for all categories of clientele. The Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors, S/Sh. Vijay Jagirdar, C K Sabharwal and K B R Naidu, the directors of the Bank. Sh. S.S.Shishodia, Director was inducted as the member in the Committee w.e.f 30.12.10. During the year the Committee met as per prescribed frequency of four times.

S. No.	Date of Meetings	Members	Absent
1	22.06.10	1. T.Y.Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S.C .Sinha 4.Vijay Jagirdar 5. C. K. Sabharwal 6. K.B.R Naidu	NIL
2	27.09.10	1. T.Y.Prabhu 2. H. Rathnakara Hegde 3. S.C .Sinha 4.Vijay Jagirdar 5. C. K. Sabharwal 6. K.B.R Naidu	NIL
3	06.12.10	1. T.Y.Prabhu 2. S.C .Sinha 3. V.Kannan 4. C. K. Sabharwal 5. K.B.R Naidu	NIL
4	25.03.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C .Sinha 3. V.Kannan 4. C. K. Sabharwal 5. K.B.R Naidu 6. S.S.Shishodia	Sh.K.B.R Naidu

7.8 REMUNERATION COMMITTEE OF BOARD

A Remuneration Committee was constituted to evaluate the performance-linked incentive of the Chairman & Managing Director and Executive Director as per the notification from Ministry of Finance, Government of India, consisting of Govt. of India Nominee Director, Ms. Sumita Dawra, RBI Nominee Director, Sh.S K Newlay and two other independent directors, Sh. U K Khaitan & Sh. C K Sabharwal. The Committee met once on 28.05.10 to decide upon the performance-linked incentive of the Chairman & Managing Director and Executive Director for the Financial Year 2010-11.

क्र.सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1	28.05.10	1. सुमिता डावरा 2. एस.के. न्यूले 3. यू.के. खेतान 4. सी.के. सभरवाल	शून्य

S. No.	Date of Meetings	Members	Absent
1	28.05.10	1. Sumita Dawra 2. S. K. Newlay 3. U. K. Khaitan 4. C. K. Sabharwal	Nil

7.9 नामांकन समिति

"नामांकन समिति" का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3) (झ) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों पर चुने गए मौजूदा निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए "सक्षम व उपयुक्त" मानदण्ड निर्धारित/निश्चित करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3क क) और (3 क ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना डीबीओडी.बीसी. सं0. 46/29.39.001/2007-08 द्वारा किया गया। वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

7.10 शेयर हस्तांतरण समिति

शेयर हस्तांतरण समिति, जिसमें तीन महाप्रबन्धक, एक उप महाप्रबंधक एवं एक सहायक महाप्रबन्धक सहित पांच सदस्य हैं, कम से कम एक पखवाड़े में एक बार शेयरों के हस्तांतरण और प्रेषण का अनुमोदन करती है। इस हस्तांतरण समिति की बैठकों का कार्यविवरण निदेशक मण्डल की अगली बैठक में पुष्टिकरण हेतु पस्तुत किया जाता है। 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान उक्त शेयर हस्तांतरण समिति की 36 बैठकें आयोजित हुईं। बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयर हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर सभी शेयर विधिवत् हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरधारकों की शिकायतों का एक निश्चित अवधि में निपटान कर दिया जाए तथा जिन शिकायतों में अंतिम निपटान हेतु जांच किए जाने की आवश्यकता हो, उनके संबंध में शेयरधारकों को तत्काल अंतरिम उत्तर/सूचना देते हुए उन पर कार्रवाई की जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक को निवेशकों से 674 शिकायतें प्राप्त हुईं और इन सभी का निवारण कर दिया गया ।

7.11 निवेश समिति

यह बैंक के कार्यपालकों की समिति है जिसके अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं, जिसकी प्रतिदिन होने वाली बैठक में मौजूदा निवेशों, सांविधिक चलनिधि/गैर–सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों के संबंध में नए निवेश संबंधी निर्णयों, सरकारी प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग और बैंक की निधियों की स्थिति सहित कई अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार–विमर्श किया जाता है ।

8. सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत सीएफओ प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
नई दिल्ली
यह प्रमाणित किया जाता है कि–

(क) हमने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स की वित्तीय विवरणियों और नकदी प्रवाह विवरणियों की पुनरीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

7.9 NOMINATION COMMITTEE

"Nomination Committee" was constituted vide Reserve Bank of India notification DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 in exercise of powers conferred on it under subsections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for laying down/determine 'Fit & Proper' Criteria for existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the of Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act 1970/80 on the Boards of Nationalised Banks. During the year the Committee did not meet as no requirements were there.

7.10 SHARE TRANSFER COMMITTEE

The Share Transfer Committee of five officials comprising three General Managers, one Dy. General Manager and one Assistant General Manager approve the transfer and transmission of shares at least once in a fortnight. The minutes of the transfer committee are placed for confirmation in the forthcoming meeting of the Board of Directors. 36 meetings of the Share Transfer Committee were held during the period April 1, 2010 to March 31, 2011. The Bank ensures that all the transfer of shares are duly affected within a period of one month from the date of their lodgment.

The Bank ensures that shareholders' complaints are disposed off in a time bound manner and the complaints, which need investigation for final disposal, are attended with immediate interim reply/information to the shareholders. During the year under review, the Bank received 674 complaints from investors and all of them have been redressed.

7.11 INVESTMENT COMMITTEE

It is a committee of executives of the Bank chaired by the Executive Director which meets daily to take a view on existing investments, fresh investment decisions with regard to SLR/NON-SLR Securities, G-Sec Trading and other allied matters including funds position of the Bank.

8. CFO CERTIFICATE UNDER CLAUSE 49 OF THE LISTING AGREEMENT

The Board of Directors
Oriental Bank of Commerce
New Delhi
This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Oriental Bank of Commerce for the year ended 31st March 2011 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) इन विवरणियों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ा नहीं गया है अथवा कोई भ्रामक विवरणियां नहीं है।

(ii) ये विवरणियां कुल मिलाकर कम्पनी के कार्यों का सही एवं निष्पक्ष मत प्रस्तुत करती हैं और वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों तथा विनियमों के अनुरूप हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए हैं जो धोखाधड़ी पूर्ण, अवैध हों अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों। इसमें बैंक के निदेशक मंडल को पहले सूचित किए जा चुके 454 मामले शामिल नहीं हैं।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प अथवा परिचालन में कमियां , यदि कोई हो, जिनसे हम अवगत हैं, के बारे में और ऐसी कमियों को दूर करने हेतु हमारे द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :

(i) आलोच्य वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ii) आलोच्य वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और इन्हें वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; और

(iii) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण मामले और इनमें प्रबंधवर्ग अथवा ऐसे किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

महाप्रबन्धक (लेखा) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 29.04.2011

9. निदेशकों / वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता से संबंधित प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2010–11 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(नागेश पैड़ा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct, other than total 454 cases already reported to the Board of the Bank.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee :

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

General Manager (Accounts) **Chairman & Managing Director**

Dated 29.04.2011

9. CERTIFICATE RELATED TO CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS/SENIOR MANAGEMENT

This is to certify that as per Clause 49 of the Listing Agreement, the Code of Conduct has been laid down for all the Board Members and Senior Management of the Oriental Bank of Commerce. The Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Bank's code of conduct for the year 2010-11.

(Nagesh Pydah)
Chairman & Managing Director

10 वार्षिक आम बैठकें

पिछली आम बैठकों की तारीख एवं स्थल			
क्र.सं	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थल
1.	चौदहवीं वार्षिक आम बैठक	18 जून, 2008 को प्रातः 11.00 बजे	फिक्की आडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110001
2.	पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	23 जून, 2009 को प्रातः 11.00 बजे	फिक्की आडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110001
3.	सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	23 जून, 2010 को प्रातः 11.00 बजे	फिक्की आडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सभी वार्षिक आम बैठकें बैंक के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा लेखों में ली गई अवधि हेतु बैंक के कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने/अपनाने के लिए आयोजित की गईं । दिनांक 23.06.2010 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक में श्रीमती सुमिता डावरा तथा श्री उमेश कुमार खेतान के अतिरिक्त सभी पूर्ववर्ती निदेशक उपस्थित थे जो पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाए।

10.1 असाधारण आम बैठकें

बैंक की असाधारण आम बैठक 29 मार्च,2011 को 422.11 रु. प्रति शेयर की दर से (प्रतिशेयर 412.11 रु. के प्रीमियम सहित) 10/ रु. प्रत्येक के कुल 1740.00 करोड़ रु. के 41221482 ईक्विटी शेयर, भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी व आबंटित करने का अनुमोदन देने के लिए आयोजित की गई। भारत सरकार को अधिमानी आधार पर 4,12,21,482 इक्विटी शेयर आबंटित करने के परिणामस्वरूप 31.03.2011 को भारत सरकार की शेयरधारिता 51.09% से बढ़कर 58.00% हो गई।

11. प्रकटीकरण

1. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 द्वारा बैंक किसी निदेशक को या ऐसी किसी फर्म, जिसमें निदेशक हितबद्ध हैं या ऐसी किसी कम्पनी, जिसमें बैंककारी कम्पनी का कोई निदेशक, प्रबन्धक, कर्मचारी या गारंटीदाता है या जिसमें वह पर्याप्त रूप से हितबद्ध हैं, को ऋण व अग्रिम दिए जाने का निषेध करती है । इसलिए, बैंक का अपने निदेशकों, प्रबन्धन, उनके अनुषंगियों और/या रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ जिसके सामान्य तौर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना हो ।
2. किसी नियामक प्राधिकारी जैसे : स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर किसी कानून, मार्गनिर्देशों और निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कोई अर्थदंड या जुर्माना नहीं लगाया गया।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक गैर–कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए निर्धारित की गई फीस जो निम्नानुसार है, के अलावा किसी भी राशि का भुगतान नहीं करता है।

मंडल की बैठक के लिए	5000/– रुपए प्रति बैठक
समिति की बैठक के लिए	2500/– रुपए प्रति बैठक

4. भारतीय रिजर्व बैंक/आइसीएआई के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेनों को 31.03.2011 के तुलनपत्र की अनुसूची 18 में लेखा टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

12. संचार साधन

तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम अंग्रेजी में बिजनेस स्टैण्डर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, मिंट तथा हिन्दी में जनसत्ता तथा

10. ANNUAL GENERAL BODY MEETINGS

Date & Venue of Previous General Meetings			
SN	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Fourteenth Annual General Meeting	18.06.2008 at 11.00 a.m	FICCI Auditorium, Tansen Marg, New Delhi 110001.
2.	Fifteenth Annual General Meeting	23.06.2009 at 11.00 a.m	FICCI Auditorium, Tansen Marg, New Delhi 110001.
3.	Sixteenth Annual General Meeting	23.06.2010 at 11.00 a.m	FICCI Auditorium, Tansen Marg, New Delhi 110001.

All Annual General Meetings were held for discussing / adopting the Balance Sheet, Profit & Loss Accounts & Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the respective periods covered by the accounts and auditor's report thereon. The last Annual General Meeting held on 23.06.2010 was attended by all the directors except Smt. Sumita Dawra & Sh. Umesh Kumar Khaitan who could not attend the meeting due to preoccupation.

10.1 EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on 29th March 2011 to approve the issue and allotment of 4,12,21,482 equity shares of Rs.10 each @ Rs.422.11 per share (including premium of Rs.412.11 per share) aggregating to Rs.1740.00 crore to Government of India on preferential basis. As a result of allotment of 4,12,21,482 equity shares to Govt. of India on preferential basis, shareholding of Govt. of India has gone up from 51.09% to 58.00% as on 31.03.2011.

11. DISCLOSURES

1. Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949, prohibits grants of loans and advances by the bank to directors or to any firm in which the directors are interested or to any company of which any of the director of the Banking company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest. Hence, there are no materially significant related transactions of the Bank with its Directors, Management, their subsidiaries and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large.
2. No penalties and strictures have been imposed on the Bank by any regulatory authorities viz. Stock Exchanges, SEBI or any other statutory authority for non-compliance of any law, guidelines and directives.
3. The remuneration of the CMD & EDs is fixed by the Government of India. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors excepting sitting fees fixed by the Government of India, Which is as under:

For Board Meeting	Rs. 5000 per meeting
For Committee Meeting	Rs. 2500 per Meeting

4. The Related Party Transactions of the bank as per RBI/ICAI guidelines are disclosed in the Notes on Accounts in Schedule 18 of the balance sheet as at 31.03.2011.

12. MEANS OF COMMUNICATION

The Quartely, Half-Yearly & Annual Financial Results were published in Business Standard, Financial Express, Business Line & Mint in English and Jansatta & Business Standard in Hindi.

बिजनेस स्टैण्डर्ड में प्रकाशित किए गए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी प्रदर्शित किए गए है।

13. शेयरधारक - सूचना

13.1 सूचीकरण

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। मार्च, 2011 की समाप्ति पर, देश के सम्पूर्ण भागों में इसकी 1620 शाखाएं और 30 प्रादेशिक कार्यालय हैं।

बैंक के शेयर निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और ईक्विटी शेयर निम्न कोडों के अंतर्गत कोट किए गए है:-

स्टॉक एक्सचेंज	रिक्रप कोड	रायटर्स कोड	ब्लुमबर्ग कोड
मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज, फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई	500315	ORBC.BO	OBC:IB
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि0 एक्सचेंज प्लॉजा, 5वीं मंजिल, बांद्रा-कुरला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई-400051	ORIENT BANK	ORBC.NS	OBC:IN

दोनों स्टाक एक्सचेंजों को आज तक के देय सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

13.2 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

विवरण	एनएसडीएल	सीडीएसएल
ईक्विटी शेयरों के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A01014**	**141A01014**
8.50% गौण ऋण बाण्ड के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A09058**	**141A09058**
9.25% गौण ऋण बाण्ड के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A09066**	**141A09066**
9.40% बेमीयादी बाण्ड के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A09074**	**141A09074**
9.95% गौण ऋण बाण्ड के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A09082**	**141A09082**
8.75% गौण ऋण बाण्ड के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A09090**	**141A09090**
9.10% बेमीयादी बाण्ड के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A09108**	**141A09108**
9.05% बेमीयादी बाण्ड के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A09116**	**141A09116**
8.68% गौण ऋण बाण्ड के लिए उपलब्धता आईएसआईएन नं0	**141A09124**	**141A09124**

The results are also displayed on the Bank's website at www.obcindia.co.in

13. SHAREHOLDER'S INFORMATION

13.1 LISTING

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at New Delhi. The Bank has its presence in all parts of the country with network of 1620 Branches and 30 Regional Offices as at end of March 2011.

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges and the Equity Shares are quoted under the following codes :

Stock Exchange	Scrip Code	Reuters Code	Bloomberg Code
Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai	500315	ORBC.BO	OBC:IB
National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400 051	ORIENT BANK	ORBC.NS	OBC:IN

Listing fee has been paid to both the Stock Exchanges due till date.

13.2 DEMATERIALISATION OF SECURITIES

PARTICULARS	NSDL	CDSL
For Equity Shares Available At ISIN No.	**141A01014**	**141A01014**
For 8.50% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	**141A09058**	**141A09058**
For 9.25% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	**141A09066**	**141A09066**
For 9.40% Perpetual Bonds Available At ISIN No.	**141A09074**	**141A09074**
For 9.95% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	**141A09082**	**141A09082**
For 8.75% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	**141A09090**	**141A09090**
For 9.10% Perpetual Bonds Available At ISIN No.	**141A09108**	**141A09108**
For 9.05% Perpetual Bonds Available At ISIN No.	**141A09116**	**141A09116**
For 8.68% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	**141A09124**	**141A09124**

13.3 शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारकों का विवरण (31.03.2011 के अनुसार) निम्नानुसार है:-

	मूर्त	अमूर्त	कुल
इक्विटी शेयर	40,65,541	28,76,95,641	29,17,61,182
(प्रतिशत में)	(1.39)	(98.61)	(100.00)
शेयरधारक	39475	72459	111934
(प्रतिशत में)	(35.27)	(64.73)	(100.00)

13.3 Details of Shareholders

The Particulars of the Shareholders (as on 31.03.2011) are as under:

	PHYSICAL	DEMAT	TOTAL
Equity Shares	40,65,541	28,76,95,641	29,17,61,182
(In percentage)	(1.39)	(98.61)	(100.00)
Shareholders	39475	72459	111934
(In percentage)	(35.27)	(64.73)	(100.00)

13.4 शेयर हस्तांतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयर से संबंधित सभी हस्तांतरण शेयर जमा कराए जाने की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर-अंदर विधिवत् रूप से कर दिए जाते हैं। मंडल ने एक शेयर हस्तांतरण समिति बनाई है जिसकी बैठक बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों से संबंधित सभी मामलों में कार्रवाई करने के लिए नियमित अंतरालों पर होती है ।

रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेन्ट, एमसीएस लिमिटेड के कार्यालय में शेयर हस्तांतरण, लाभांश भुगतान और निवेशक से संबंधित अन्य सभी कार्यकलाप किए जाते हैं । शेयरधारक हस्तांतरण विलेख और अन्य कोई दस्तावेज, शिकायतें और कठिनाइयां निम्न में से किसी को भी निम्न पते पर भेज सकते हैं–

(क) शेयर अंतरण एजेंट
मैसर्स एमसीएस लिमिटेड
एफ-65, ओखला
इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज - 1
नई दिल्ली - 110020
फोन : 011-41406149
फैक्स : 011-41709881

(ख) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग
चौथा तल, कम्पीटेंट हाऊस
एफ-14, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली - 110 001
टेलीफोन नं. 011-47651952/23321821
फैक्स - 011-47651902

13.4 Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

The bank ensures that all transfers are duly effected within the period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee for Shares, which meets on regular intervals for transacting the business of all matters relating to shares issued by the Bank.

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer Agent, MCS Limited. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints either to

(a) Share Transfer Agent
M/s MCS Limited
F-65, Okhla Industrial Area,
Phase –I,
New Delhi-110020
Phone : 011-41406149
Fax: 011-41709881

(b) Oriental Bank of Commerce,
Merchant Banking Division
4th Floor, Competent House
F-14, Connaught Place
New Delhi – 110001
Ph : 011-47651952 / 23321821
Fax : 011-47651902

13.5 शेयर बाजार आंकड़े/STOCK MARKET DATA

2010–11 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर भाव, खरीदे-बेचे गए शेयरों की संख्या
Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchange during 2010-11

	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज/NSE			मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज/BSE		
माह/MONTH	उच्च/High	निम्न/Low	संख्या/Volume	उच्च/High	निम्न/Low	संख्या/Volume
अप्रैल/APRIL	356.65	315.25	1,51,94,569	357.00	314.40	18,38,559
मई/MAY	353.90	307.25	1,08,35,195	353.95	307.50	10,15,323
जून/JUNE	346.45	316.10	89,32,498	345.85	319.10	10,04,202
जुलाई/JULY	406.75	317.00	1,80,17,671	406.50	317.20	26,53,707
अगस्त/AUGUST	448.50	320.65	1,88,85,259	448.35	389.00	27,07,979
सितम्बर/SEPTEMBER	476.80	424.50	1,46,86,036	476.75	426.00	15,63,574
अक्टूबर/OCTOBER	515.00	460.05	1,61,51,085	522.00	404.90	19,57,363
नवम्बर/NOVEMBER	545.50	394.30	1,78,65,001	545.00	395.05	23,15,192
दिसम्बर/DECEMBER	471.70	369.40	2,10,77,880	470.60	368.70	29,40,149
जनवरी/JANUARY	411.50	303.55	1,67,49,396	411.90	303.60	26,18,097
फरवरी/FEBRUARY	354.50	302.40	1,46,52,630	354.50	303.60	14,34,710
मार्च/MARCH	401.00	325.00	1,03,35,040	399.80	325.10	16,79,109
बंद मूल्य/Closing Price (31.03.2011)		₹389.05			₹386.95	
बाजार पूंजीकरण/Market Capitalisation		₹11350.97 Cr.			₹11289.70 Cr.	

14. वित्तीय कैलेण्डर

लेखों और लाभांश पर विचार करने हेतु मंडल की बैठक	29 अप्रैल, 2011
वार्षिक आम बैठक की तिथि ,समय और स्थान	बृहस्पतिवार, 23 जून, 2011 को प्रातः 10.00 बजे सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, (ऑडी–II), अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110049 (प्रवेश गेट सं. 5 से)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	28 मई, 2011
बही बंदी की तारीख	16 जून, 2011 से 23 जून, 2011
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	18 जून, 2011
लाभांश के भुगतान की तारीख	22जुलाई,2011

14. FINANCIAL CALANDER

Board Meeting for considering Accounts and dividend.	29th April, 2011
Date, Time & Venue of the AGM	Thursday, 23rd June 2011 at 10.00 a.m at Siri Fort Auditorium (Audi-II), August Kranti Marg, New Delhi-110049 (Entry from Gate No. 5)
Posting of Annual Report	28th May 2011
Book closure dates	16th June 2011 to 23rd June 2011
Last Date for receipt of proxy forms	18th June 2011
Date of payment of dividend	22nd July 2011

15. 31 मार्च, 2011 के अनुसार शेयरधारिता की स्थिति

क्र. स.	श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयर	शेयरों का %
1.	भारत सरकार	1	16,92,21,482	58.00
2.	जनता	1,09,541	1,31,44,401	4.50
3.	कारपोरेट	1,299	42,16,461	1.45
4.	गैर घरेलू कम्पनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक तथा अनिवासी भारतीय	959	4,03,65,982	13.84
5.	बैंक, भारतीय वित्तीय संस्थाएं, म्युचुअल फंड, बीमा कम्पनियां तथा अन्य	134	6,48,12,856	22.21
	कुल	**1,11,934**	**2917,61,182**	**100.00**

15. Share Holding Pattern as on 31st March, 2011

SN	Category	No. of Holders	Shares	% to Shares
1.	Government of India	1	16,92,21,482	58.00
2.	Public	1,09,541	1,31,44,401	4.50
3.	Corporates	1,299	42,16,461	1.45
4.	Non Domestic Companies, FIIs & NRIs	959	4,03,65,982	13.84
5.	Banks, IFI, Mutual Fund, Insurance Companies & Others	134	6,48,12,856	22.21
	TOTAL	**1,11,934**	**2917,61,182**	**100.00**

16. 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार संवितरण तालिका

(प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य - 10/-रुपए)

शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	धारिता की श्रेणी	शेयरों की संख्या	कुल का %
111553	99.66	1 से 5000	12811824	4.40
95	0.08	5001 से 10000	724918	0.25
118	0.11	1000 से 50000	2840467	0.97
37	0.03	50001 से 100000	2607711	0.89
131	0.12	100001 और अधिक	272776262	93.49
111934	100.00	कुल	291761182	100.00

16. DISTRIBUTION SCHEDULE AS ON 31.03.2011

(NOMINAL VALUE OF EACH SHARE – Rs.10/-)

NO. OF SHARE-HOLDERS	% TO TOTAL	HOLDING RANGE	NO. OF SHARES	% TO TOTAL
111553	99.66	1 TO 5000	12811824	4.40
95	0.08	5001 TO 10000	724918	0.25
118	0.11	10001 TO 50000	2840467	0.97
37	0.03	50001 TO 100000	2607711	0.89
131	0.12	100001 AND ABOVE	272776262	93.49
111934	100.00	TOTAL	291761182	100.00

17. 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार राज्यवार शेयरधारिता विवरण/STATE WISE SHARHOLDING DISTRIBUTION AS ON 31.03.2011

राज्य STATE	धारकों की संख्या NO. OF HOLDERS	कुल धारिता TOTAL HOLDING	प्रतिशत PERCENTAGE
अण्डमान और निकोबार/Andaman & Nikabar	4	665	**0.00**
आंध्र प्रदेश/Andhra Pradesh	5614	693321	**0.24**
असम/Assam	673	70762	**0.02**
बिहार/Bihar	769	78615	**0.03**
छत्तीसगढ़/Chattisgarh	1189	134918	**0.05**
दिल्ली/Delhi	17175	172436029	**59.10**
गोआ/Goa	327	65023	**0.02**
गुजरात/Gujrat	10710	1213205	**0.42**
हरियाणा/Haryana	3299	381062	**0.13**
हिमाचल प्रदेश/Himachal Pradesh	258	24902	**0.01**
जम्मू और कश्मीर/J&K	463	51390	**0.02**
झारखंड/Jharkhand	1285	120813	**0.04**
कर्नाटक/Karnataka	4841	546961	**0.19**
केरल/Kerala	566	54766	**0.02**
मध्य प्रदेश/Madhya Pradesh	3233	323630	**0.11**
महाराष्ट्र/Maharashtra	21972	108790505	**37.28**
उड़ीसा/Orissa	1081	119754	**0.04**
पंजाब/Punjab	5138	612207	**0.21**
राजस्थान/Rajasthan	5623	569735	**0.20**
तमिलनाडु/Tamilnadu	7654	2475110	**0.85**
त्रिपुरा/Tripura	26	2078	**0.00**
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh	10274	1148927	**0.39**
पश्चिम बंगाल/West Bengal	7174	1360501	**0.46**
अन्य/Others	2586	486303	**0.17**
कुल/Total	**111934**	**291761182**	**100.00**

26 अप्रैल, 2011

शेयरधारक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रिय महोदय,

कम्पनी अभिशासन के संबंध में प्रमाणपत्र

हमने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 में यथाविनिर्दिष्ट, कम्पनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कम्पनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। हमारी जांच बैंक द्वारा कम्पनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई कार्यविधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित रही। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उसके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति।

हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथाविनिर्दिष्ट कम्पनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा कथन है कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेशक की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है तो एक माह से अधिक समय से लम्बित हो।

हमारा यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन ना तो बैंक की भावी सक्षमता न ही प्रबन्ध वर्ग द्वारा बैंक के कार्यों को करने में बरती गई कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के प्रति एक आश्वासन है।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते वी कृष्णन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(जी. परी)
भागीदार
स. सं. 026769

कृते एस.पी.मरवाहा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एम.एल.जोतवानी)
भागीदार
स. सं. 009604

कृते मनियान एंड राव
सनदी लेखाकार

(परेश डागा)
भागीदार
स.सं. 211468

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार

(पी. वेणूगोपाला राव)
भागीदार
स.सं. 010905

कृते अगीवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(पी.सी. अगीवाल)
भागीदार
स.सं. 080475

कृते बी.पुरूषोत्तम एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(बी.एस.पुरूषोत्तम)
भागीदार
स.सं. 026785

26th April, 2011

The Shareholders,
Oriental Bank of Commerce,

Dear Sir,

CERTIFICATE RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance for the year ended 31st March, 2011 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange(s) i.e. NSE & BSE.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance(s) is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Thanking you,

Yours sincerely,

For V. Krishnan & Co.
Chartered Accountants

(G.PARI)
Partner
(M.No. 026769)

For S.P. Marwaha & Co.
Chartered Accountants

(M.L. JOTWANI)
Partner
(M. No. 09604)

For Manian & Rao
Chartered Accountants

(PARESH DAGA)
Partner
(M. No. 211468)

For Tej Raj & Pal
Chartered Accountants

(P. VENUGOPALA RAO)
Partner
(M. No.010905)

For Agiwal & Associates
Chartered Accountants

(P.C.AGIWAL)
Partner
(M. No. 080475)

For B Purushottam & Co.
Chartered Accountants

(B.S. PURSHOTHAM)
Partner
(M. No. 026785)

घोषणा एवं प्रमाण पत्र

1. सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों से वर्ष 2010-11 के लिए बैंक में कारपोरेट प्रबंध संबंधी प्रमाण पत्र ले लिया है और यह प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
2. सूचीकरण करार के खंड 49 के तहत सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और इसकी प्रति कंपनी अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है।
3. प्रबंध वर्ग ("निदेशक मंडल" के रूप में परिभाषित) के महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहार, जिनमें उनका निजी हित निहित है और जिनसे समग्रतः बैंक के हित पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, की सूचना समय-समय पर मंडल को दी गई है।
4. बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी सभी अपेक्षाओं का पालन किया है और स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक पर कोई अर्थदण्ड अथवा जुर्माना नहीं लगाया गया। यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को मंडल की लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने के लिए मना नहीं किया गया। बैंक ने वार्षिक आम बैठकें आयाजित की है और सांविधिक समय-सीमा के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया है।
5. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खड 49 के प्रावधानों के अनुसार यथालागू सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है।
6. गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के पालन की सूचना निम्नानुसार है :

DECLARATIONS AND CERTIFICATES

1. In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained form the Statutory Central Auditors on Corporate Governance in the Bank for the Year 2010-11 and the same is annexed to this report.
2. The certificate of CEO & CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is furnished in Corporate Governance Report.
3. Material financial and commercial transactions of the management (defined as "Board of Directors") where they have personal interest, that may have a potential conflict with the interest of the Bank at large have been reported to the Board from time to time.
4. The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the Stock Exchange or SEBI or any other statutory authority during the last three years. It is affirmed that no personnel has been denied access to Audit Committee of the board. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.
5. The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.
6. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished below.

अपेक्षा	Requirement
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को बैंक के खर्च पर अध्यक्ष कार्यालय चलाने और अपने कर्तव्यों के निर्वाह पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार होना चाहिए।	A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's office at the bank's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.
मंडल द्वारा पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाए जो उनकी ओर से और शेयरधारकों की ओर से कार्यकारी निदेशकों हेतु विशिष्ट पारिश्रमिक पेकेज जिसमें पेंशन अधिकार और अन्य कोई क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल हैं , के संबंध में सहमत विचारार्थ विषयों सहित कंपनी की नीति पर विचार करे।	The Board should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference the company's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.
अनुपालन	**Compliance**
बैंक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अतः यह अपेक्षा लागू नहीं होती। बैंक के पूर्णकालिक निदेशकां/गैर-कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक सिटिंग शुल्क का भुगतान भारत सरकार के मार्गनिर्देषों के अनुसार किया जाता है। बैंक ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को देय भत्तों के भुगतान के संबंध में एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।	The Bank is chaired by an Executive Chairman and as such this requirement in not applicable. Remuneration/sitting fee paid to the Wholetime Directors/ Non-Executive Directors is as per the guidelines of the Government of India. The Bank has constituted a remuneration committee to look into the incentives payable to the CMD and EDs as per the directives of the Government of India.

पत्राचार हेतु पता

सहायक महाप्रबंधक (म.बैं.प.)
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स
चौथा तल, कम्पीटेंट हाऊस,
एफ-14, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001
टेलीफोन नं0 : 23321821, 47651952
फैक्स - 47651902
ई-मेल : mbd@obc.co.in
वेबसाइट : www.obcindia.co.in

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

Asstt. General Manager (MBD)
Oriental Bank of Commerce
4th Floor, Competent House,
F-14, Connaught Place, New Delhi-110001
Tel No. : 23321821, 47651952
Fax No. : 47651902
E-mail : mbd@obc.co.in
website : www.obcindia.co.in

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

नई दिल्ली
29 अप्रैल, 2011

(नागेश पैडा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For and on behalf of Board of Directors

New Delhi
29th April 2011

(Nagesh Pydah)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

31 मार्च, 2011 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	अनुसूची Schedule	31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
पूंजी और दायित्व / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	291,76,12	250,53,97
आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि / Reserves & Surplus	2	10805,38,41	7987,40,91
निक्षेप / Deposits	3	139054,25,70	120257,58,75
उधार / Borrowings	4	5639,21,04	4887,02,80
अन्य दायित्व और प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	5552,76,05	4048,42,90
कुल / TOTAL		**161343,37,32**	**137430,99,33**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष Cash & Balances With Reserve Bank Of India	6	9515,13,37	8086,79,05
बैंकों में अधिशेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि Balances With Banks and Money at Call & Short Notice	7	9573,59,81	6513,10,91
विनिधान / Investments	8	42074,76,80	35785,31,95
अग्रिम / Advances	9	95908,21,70	83489,29,68
स्थायी आस्तियां / Fixed Assets	10	1397,80,05	1394,04,97
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	2873,85,59	2162,42,77
TOTAL		**161343,37,32**	**137430,99,33**
आकस्मिक दायित्व / Contingent Liabilities	12	58978,53,84	48263,10,78
संग्रहण हेतु बिल / Bills for Collection		3992,78,98	3260,34,48
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंश है।
Schedules 1 to 18 form an integral Part of the Accounts

(रजत दासगुप्ता)	(आर.एल. अग्रवाल)	(वी. कण्णन)
सहायक महाप्रबंधक	महाप्रबंधक (लेखा)	कार्यकारी निदेशक
(RAJAT DASGUPTA)	(R.L. AGGARWAL)	(V. KANNAN)
ASSTT. GENERAL MANAGER	GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)	EXECUTIVE DIRECTOR

निदेशक / DIrectors

(बी. श्रीनिवास)	(टी. वल्लियप्पन)	(यू.के. खेतान)	(सी. के. सभरवाल)	(के.बी.आर. नायडू)
(B. SRINIVAS)	(T. VALLIAPPAN)	(U.K. KHAITAN)	(C.K. SABHARWAL)	(K.B.R. NAIDU)
			(के.एच. पाण्डेय)	(एस.एस. शिशौदिया)
			(K.H. PANDEY)	(S.S. SHISHODIA)

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Dated : 29 अप्रैल, 2011/29th April, 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

		अनुसूची Schedule	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
I	आय / INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	12087,81,43	10257,12,71
	अन्य आय / Other Income	14	960,07,07	1200,04,39
	कुल / TOTAL		13047,88,50	11457,17,10
II	व्यय / EXPENDITURE			
	अपचित ब्याज / Interest Expended	15	7910,26,49	7349,68,99
	परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	1892,48,14	1685,98,09
	प्रावधान और आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		1742,27,07	1286,81,98
	कुल / TOTAL		11545,01,70	10322,49,06
III	वर्ष का निवल लाभ / NET PROFIT FOR THE YEAR		1502,86,80	1134,68,04
	आगे ले जाया गया लाभ / Profit brought forward		57,97	82,90
	कुल / TOTAL		1503,44,77	1135,50,94
IV	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		376,00,00	284,00,00
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Revenue & Other Reserves		692,00,00	351,00,00
	विशेष आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Special Reserves		82,00,00	60,00,00
	पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		0,00	173,19,15
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		303,43,16	227,99,11
	लाभांश पर कर / Tax On Dividend		49,22,42	38,74,71
	तुलन पत्र में ले जाया गया अधिशेष Balance Carried over to Balance Sheet		79,19	57,97
V.	कुल / TOTAL		1503,44,77	1135,50,94
	प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share			
	मूल और ह्रासित (रु. में) / Basic & Diluted (In Rs.)		59.90	45.29

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date annexed

(एस. सी. सिन्हा)
कार्यकारी निदेशक
(S.C. SINHA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(नागेश पैड़ा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(NAGESH PYDAH)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

कृते वी कृष्णन एंड कंपनी सनदी लेखाकार	कृते एस.पी.मरवाहा एंड कंपनी सनदी लेखाकार	कृते मनियान एंड राव सनदी लेखाकार	कृते तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार	कृते अगीवाल एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	कृते बी.पुरूषोत्तम एंड कंपनी सनदी लेखाकार
For V. Krishnan & Co. Chartered Accountants FRN 001541-S	For S.P. Marwaha & Co. Chartered Accountants FRN 000229-N	For Manian & Rao Chartered Accountants FRN 001983-S	For Tej Raj & Pal Chartered Accountants FRN 304124-E	For Agiwal & Associates Chartered Accountants FRN 000181-N	For B Purushottam & Co. Chartered Accountants FRN 002808-S
के. उलगानाथन शंकर भागीदार स. सं. 208480	(एम.एल.जोत्वानी) भागीदार स. सं. 009604	(पेरेश डागा) भागीदार स.सं. 211468	(पी. वेणुगोपाला राव) भागीदार स.सं. 010905	(पी.सी. अगीवाल) भागीदार सा.सं. 080475	(बी.एस.पुरूषोत्तम) भागीदार स.सं. 026785
K.ULAGANAATHAN SHANKAR Partner (M.No. 208480)	M.L. JOTWANI Partner (M. No. 009604)	PARESH DAGA Partner (M. No. 211468)	P. VENUGOPALA RAO Partner (M. No.010905)	P.C.AGIWAL Partner (M. No. 080475)	B.S. PURSHOTHAM Partner (M. No. 026785)

अनुसूचियां / Schedule

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष)(Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष)(Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-1		
पूंजी / CAPITAL		
अधिकृत पूंजी / AUTHORISED CAPITAL	3000,00,00	3000,00,00
(भारत के राजपत्र में दि. 10.11.2009 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3124 के अनुसार पिछले वर्ष अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये की गई)		
[In terms of notification no. S.O. 3124 dated 10.11.2009 in Gazette of India, Authorised Capital was increased to Rs. 3000 Crores in previous year]		
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL	291,76,12	250,53,97
प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के 29,17,61,182 (पिछले वर्ष 25,05,39,700) ईक्विटी शेयर (केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के 128 करोड़ रु. के 12.80 करोड़ ईक्विटी शेयर सहित)		
*प्रत्येक 10/– रु. मूल्य के 29,17,6118 (पिछले वर्ष 25,05,39,700) ईक्विटी शेयर (केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक 10/– रु. मूल्य के 169,2214,820/–रु. (पिछले वर्ष 1,28,00,00,000/–रु.) राशि के 169,22,14,820 (पिछले वर्ष 12,80,00,000) ईक्टिवी शेयरों सहित)		
29,17,61,182 (Previous Year 25,05,39,700) equity shares of Rs.10/- each (Includes 16,92,21,482 (Previous year 12,80,00,000) equity shares of Rs.10/- each amounting to Rs.169,22,14,820/- (Previous year Rs.128,00,00,000/-) held by Central Govt.)		
कुल / TOTAL	**291,76,12**	**250,53,97**
अनुसूची / SCHEDULE-2 : आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि / RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVES		
अथशेष / Opening Balance	2020,00,00	1736,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	376,00,00	284,00,00
कुल / Total	**2396,00,00**	**2020,00,00**
II. पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVES		
क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / a) REVALUATION RESERVE		
अथशेष / Opening Balance	917,42,87	951,10,03
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकित अंश के प्रति मूल्यह्रास तथा पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की बिक्री के कारण हुए प्रत्यावर्तन पर मूल्यह्रास) Deductions during the year (being depreciation on revalued portion of property and reversals on account of sale of revalued assets)	31,01,57	33,67,16
कुल (क) / Total (a)	**886,41,30**	**917,42,87**
ख) अन्य / b) OTHERS		
अथशेष / Opening Balance	552,47,10	379,27,95
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	-	173,19,15
कुल (ख) / Total (b)	552,47,10	552,47,10
कुल (क+ख) Total (a+b)	**1438,88,40**	**1469,89,97**
III. शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM		
अथशेष / Opening Balance	1714,69,85	1714,69,85
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	1698,77,85	--
कुल / Total	**3413,47,70**	**1714,69,85**
IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां / REVENUE & OTHER RESERVES		
(क) राजस्व व अन्य आरक्षित निधियां / a) REVENUE & OTHER RESERVES		
अथशेष / Opening Balance	2636,23,12	2285,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	692,00,00	351,23,12
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	--	--
कुल (क) / Total (a)	**3328,23,12**	**2636,23,12**
(ख) आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि b) SPECIAL RESERVE u/s 36(1)(viii) OF IT ACT		
अथशेष / Opening Balance	146,00,00	86,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	82,00,00	60,00,00
कुल (ख) Total (b)	**228,00,00**	**146,00,00**
कुल (क+ख) Total (a+b)	**3556,23,12**	**2782,23,12**
V. लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष / BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	79,19	57,97
कुल / TOTAL (I,II,III,IV & V)	**10805,38,41**	**7987,40,91**

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-3 : निक्षेप / DEPOSITS		
क / A I. मांग निक्षेप / Demand Deposit		
(i) बैंकों से / From Banks	68,39,14	75,53,79
(ii) अन्यों से / From Others	9329,17,06	10141,78,61
	9397,56,20	**10217,32,40**
II. बचत बैंक निक्षेप / Saving Banks Deposits	24750,44,19	19805,59,42
III. आवधिक निक्षेप / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From Banks	104,15,16	290,39,58
(ii) अन्यों से / From Others	104802,10,15	89944,27,35
	104906,25,31	**90234,66,93**
कुल / Total (I, II & III)	**139054,25,70**	**120257,58,75**
ख / B I. भारत में शाखाओं का निक्षेप		
Deposits of Branches in India	139054,25,70	120257,58,75
II. भारत से बाहर शाखाओं का निक्षेप		
Deposits of Branches outside India	—	—
कुल / Total	**139054,25,70**	**120257,58,75**
अनुसूची / SCHEDULE 4 : उधार / BORROWINGS		
I. भारत में उधार* / BORROWINGS IN INDIA*		
(i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	0	275,00,00
(ii) अन्य बैंक/Other Banks	464,35,33	472,48,31
(iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेन्सियां / Other Institutions and Agencies	4180,38,86	3600,74,49
कुल / Total	**4644,74,19**	**4348,22,80**
II. भारत के बाहर से उधार / Borrowing Outside India	994,46,85	538,80,00
कुल / Total (I & II)	**5639,21,04**	**4887,02,80**
प्रतिभूत उधार (I और II में सम्मिलित)/Secured Borrowings (Included in I and II)	—	—

*850 करोड़ रु. के नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) (पिछले वर्ष 550 करोड़ रुपये) तथा 2200 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 2000 करोड़ रु.) के गौण ऋण (टियर II बाण्ड) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उधार के अन्तर्गत रखे गए हैं।

* Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) Rs. 850 Crs. (Previous year: Rs. 550 Crs.) and Subordinated Debt (Tier II bonds) amounting to Rs. 2200 Crs (Previous year: Rs. 2000 Crs) classified under Borrowings as per RBI Guidelines.

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-5 :		
अन्य दायित्व एवं प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल / Bills Payable	450,62,63	441,28,07
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustments (net)	304,24,08	13,79,90
III. उपचित ब्याज / Interest Accrued	600,60,70	572,33,68
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) / Others (Including provisions)	4197,28,64	3021,01,25
कुल / TOTAL	**5552,76,05**	**4048,42,90**
अनुसूची / SCHEDULE-6 :		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष		
CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		
Cash in Hand (Including foreign currency notes)	406,61,92	289,04,47
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष		
Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खातों में / In Current Account	9108,51,45	7797,74,58
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	—	—
कुल / TOTAL(I & II)	**9515,13,37**	**8086,79,05**

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-7 :		
बैंकों के पास अधिशेष और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि		
BALANCES WITH BANKS AND MOENY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
(i) बैंकों के पास अधिशेष / Balances with Banks		
(क) चालू खातों में		
(a) In Current Accounts	233,73,60	407,86,17
(ख) अन्य निक्षेप खातों में		
(b) In Other Deposit Accounts	7470,64,56	6069,72,94
(ii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि / Money at Call & Short Notice		
(क) बैंकों में		
(a) With Banks	600,00,00	–
(ख) अन्य संस्थाओं में		
(b) With Other Institutions	–	–
कुल / Total (i&ii)	**8304,38,16**	**6477,59,11**
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
(i) चालू खातों में		
In Current Accounts	689,48,15	35,51,80
(ii) अन्य निक्षेप खातों में		
In Other Deposit Accounts	579,73,50	–
(iii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि		
Money at Call & Short Notice	–	–
कुल / Total(i,ii & iii)	**1269,21,65**	**35,51,80**
कुल जोड़ / GRAND TOTAL(I & II)	**9573,59,81**	**6513,10,91**

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-8:		
विनिधान		
INVESTMENTS		
क / A. I भारत में विनिधान / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
Government Securities	36599,74,97	32752,98,00
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
Other Approved Securities	101,27,07	129,32,94
(iii) शेयर		
Shares	657,13,48	520,71,37
(iv) डिबेंचर और बांड		
Debentures & Bonds	1803,63,63	1925,58,98
(v) सहयोगी संस्थाएं और / अथवा संयुक्त उद्यम		
Subsidiaries and / or Joint Ventures	161,00,00	115,00,00
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट और म्युचुअल फंड के यूनिट) Others (Commercial paper, Indira Vikas Patras, Units of UTI & Mutual funds)	2751,97,65	341,70,66
कुल / TOTAL	**42074,76,80**	**35785,31,95**
II. भारत में बाहर विनिधान		
Investments Outside India	—	—
कुल जोड़ / GRAND TOTAL (I & II)	**42074,76,80**	**35785,31,95**
ख / B. क) / a) भारत में कुल विनिधान / Gross Investments in India	42153,04,46	35785,31,95
घटाएं : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
Less Provisions for depreciation	78,27,66	—
निवल विनिधान / Net Investments	**42074,76,80**	**35785,31,95**
(ख) / b) भारत से बाहर विनिधान / Investments Outside India	—	—

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

		31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-9: अग्रिम / ADVANCES			
क) / A. (I)	खरीदे गए और मितिकाटे पर दिए गए विनिमय–पत्र		
	Bills Purchased and Discounted	2684,85,75	2865,00,07
(II)	नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण		
	Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	38324,51,93	28964,24,33
(III)	मीयादी ऋण		
	Term Loans	54898,84,02	51660,05,28
कुल / TOTAL		**95908,21,70**	**83489,29,68**
ख) / B. I)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों के प्रति दिए गए अग्रिमों सहित)		
	Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	78402,91,71	67807,63,99
II)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित		
	Covered by Banks/Govt. Guarantees	5825,57,72	5205,50,67
III)	अप्रतिभूत		
	Unsecured	11679,72,27	10476,15,02
कुल / TOTAL		**95908,21,70**	**83489,29,68**
ग / C. I.	भारत में अग्रिम		
	Advances in India		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
	Priority Sector	34958,56,40	28095,39,68
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र		
	Public Sector	11465,57,58	11660,45,95
(iii)	बैंक		
	Banks	150,06,42	12
(iv)	अन्य		
	Others	49334,01,30	43733,43,93
कुल / TOTAL		**95908,21,70**	**83489,29,68**
II.	भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India	—	—
कुल जोड़ ग (I एवं II) / GRAND TOTAL (C.I. & C.II)		**95908,21,70**	**83489,29,68**

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-10:		
स्थायी आस्तियां / FIXED ASSETS		
I. परिसर / PREMISES		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर		
At cost as on 31st March of the preceding year	1365,90,65	1344,40,75
वर्ष के दौरान वृद्धि		
Additions during the year	16,54,56	21,49,90
वर्ष के दौरान कटौतियां		
Deductions during the year	0	0
उपजोड़ / SubTotal	**1382,45,21**	**1365,90,65**
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यांकन के प्रति अद्यतन वृद्धि		
Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	0	0
घटाइए: अद्यतन अवक्षयण (पुनर्मूल्यांकन के प्रति 100,83,43 रु. सहित–पिछले वर्ष 69,81,86 रु.)		
Less: Depreciation to date(Including Rs 100,83,43. on account of revaluation-previous year Rs.69,81,86)	217,21,80	174,91,03
जोड़िए: चल रहा निर्माण कार्य		
Add: Construction work in progress	24,11,13	12,07,66
I का कुल / TOTAL OF 1	**1189,34,54**	**1203,07,28**
II अन्य स्थायी आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)		
OTHER FIXED ASSETS (Including furnitures & fixtures)		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर		
At cost as on 31st March of the preceding year	772,62,40	718,47,61
वर्ष के दौरान वृद्धि		
Additions during the year	97,10,86	96,97,84
वर्ष के दौरान कटौतियां		
Deductions during the year	15,77,26	42,83,05
अद्यतन अवक्षयण		
Depreciation to date	645,50,49	581,64,71
II का कुल / TOTAL OF II	**208,45,51**	**190,97,69**
जोड़ / (I तथा II)/TOTAL (I&II)	**1397,80,05**	**1394,04,97**

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-11:		
अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS		
(i) उपचित ब्याज / Interest Accrued	847,97,69	825,55,62
(ii) स्रोत पर काटा गया कर / वसूली योग्य आय कर Tax deducted at source/ Income Tax Recoverable	565,36,44	439,98,76
(iii) लेखन सामग्री और टिकट Stationery and stamps	56,35	1,45,17
(iv) गैर–बैंककारी आस्तियां, जो दावों की तुष्टि में अर्जित की गई हैं Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	65,59,31	65,59,31
(v) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	41,00,00	24,00,00
(vi) अन्य / Others*	1353,35,80	805,83,91
कुल / TOTAL	**2873,85,59**	**2162,42,77**
* इसमें स्टाफ को बिना ब्याज पर दिए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।		
*Includes non-interest bearing loans and advances to staff	1,04	1,63
अनुसूची / SCHEDULE-12:		
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के खिलाफ ऋण के रूप में स्वीकृत न हुए दावे (अपीलाधीन / संदर्भाधीन विवादास्पद आयकर और ब्याज कर दायित्व आदि सहित) Claims against the bank not acknowledged as debts (Including disputed Income tax and Interest tax liablity under Appeal/Reference etc.)	613,23,45	632,52,08
II. अंशतः प्रदत्त विनिधानों के लिए दायित्व Liabilities for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	31603,65,74	26128,95,81
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
क / a) भारत में / In India	12750,17,36	10519,88,84
ख / b) भारत के बाहर / Outside India	391,12,69	279,11,79
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	13608,35,19	10691,91,24
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other items for which the bank is contingently liable	11,99,41	10,71,02
कुल / TOTAL	**58978,53,84**	**48263,10,78**

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	A31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-13:		
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / मितिकाटा		
Interest/discount on advances/bills	8953,92,84	7567,47,19
II. विनिधान पर आय		
Income on Investments	2774,42,95	2461,80,04
III. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिवेषों और अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज		
Interest on Balances with Reserve Bank of India and inter-bank funds	334,93,54	209,58,31
IV. अन्य / Others	24,52,10	18,27,17
कुल / TOTAL	**12087,81,43**	**10257,12,71**
अनुसूची / SCHEDULE 14: अन्य आय / OTHER INCOME		
I) कमीशन, विनिमय एवं दलाली		
Commission, Exchange & Brokerage	634,90,39	572,11,83
II) विनिधानों की बिक्री पर लाभ		
Profit on sale of Investments	121,52,50	463,37,90
घटाइए: विनिधानों की बिक्री पर हानि		
Less: Loss on sale of investments	46,13,87	39,82,86
	75,38,63	**423,55,04**
III) विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ		
Profit on revaluation of investments	—	—
घटाइए: विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		
Less Loss on revaluation of investments	—	—
IV) स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ		
Profit on sale of fixed assets	63,25	1,05,60
घटाइए: स्थायी आस्तियों की बिक्री पर हानि		
Less: Loss on sale of fixed assets	99,35	71,89
	-36,10	**33,71**
V) विनिमय लेन–देनों पर लाभ (निवल)		
(इसमें विदेशी मुद्रा आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन पर लाभ के संबंध में 12102.93 लाख रु. (गतवर्ष 7219.53 लाख रु.) शामिल हैं)		
Profit on Exchange Transactions (Net)	123,33,05	75,93,04
(Including Rs. 12102.93 lacs (Previous year Rs. 7219.53 lacs) on account of profit on valuation on Foreign Currency Assets & liablities)		
VI) विविध आय / Miscellaneous Income	126,81,10	128,10,77
कुल / TOTAL	**960,07,07**	**1200,04,39**

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

			31.03.2011 को As on 31/3/2011 (चालू वर्ष) (Current Year)		31.03.2010 को As on 31/3/2010 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची / SCHEDULE-15:					
अपचित ब्याज / INTEREST EXPENDED					
I.	निक्षेपों पर ब्याज				
	Interest on Deposits		7474,37,77		7028,21,10
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अन्तर बैंक उधारों पर ब्याज				
	Interest on Reserve Bank of India/ Inter Bank Borrowings		22,96,41		7,15,51
III.	अन्य / Others		412,92,31		314,32,38
कुल / TOTAL			**7910,26,49**		**7349,68,99**
अनुसूची / SCHEDULE - 16 :					
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES					
I.	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान				
	Payments to and Provisions for employees		1048,45,17		971,29,24
II.	भाटक, कर और रोशनी				
	Rent,Taxes and Lighting		206,85,35		170,09,02
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री				
	Printing and Stationery		22,71,52		20,44,09
IV.	विज्ञापन और प्रचार				
	Advertisement and Publicity		9,06,55		11,73,39
V.	बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षयण / परिशोधन				
	Depreciation/Amortisation on Bank's Property	122,76,63		119,86,11	
	घटाइए: पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि में समायोजित				
	Less - Adjusted with Revaluation Reserve	31,01,57	91,75,06	33,67,16	86,18,95
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च				
	Director's Fees, allowances and expenses		45,57		45,26
VII.	लेखापरीक्षकों (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) की फीस और खर्चे				
	Auditor's Fees and expenses (including Branch Auditors)		27,31,52		20,87,85
VIII.	विधि प्रभार / Law Charges		19,56,64		18,59,53
IX.	डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि				
	Postage, Telegrams, Telephones etc.		31,97,10		30,67,66
X.	मरम्मत और रख रखाव / Repairs and Maintenance		26,47,92		23,50,67
XI.	बीमा / Insurance		141,65,28		118,86,08
XII.	अन्य व्यय / Other Expenditure		266,20,46		213,26,35
कुल / TOTAL			**1892,48,14**		**1685,98,09**

अनुसूची-17

अनुसूचियां, जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखों का भाग हैं

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 सामान्य

(क) वित्तीय विवरणियां हिस्टॉरिकल लागत तथा गतिमान प्रतिष्ठान अवधारणा के आधार पर तैयार की गई हैं और देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और पद्धतियों, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, के अनुरूप हैं ।

(ख) राजस्व और व्यय को, सामान्यतया उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है। तथापि, प्राप्त/प्रदत्त कमीशन, लॉकर किराया, वाद दायर खातों पर कानूनी व्यय और इनमें हुई वसूली, गैर–निष्पादकारी आस्तियों पर आय, विनिधान पर लाभांश, अतिदेय बिलों पर ब्याज, आवास ऋणों पर प्रदत्त बीमा प्रीमियम तथा कर–वापसी पर ब्याज को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है ।

(ग) अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का प्रावधान बचत बैंक जमा दर पर किया गया है और शेष को नवीकरण के समय हिसाब में लिया गया है ।

2 विदेशी मुद्रा लेन-देन

क) मौद्रिक आस्तियां और देयताएं , वित्त वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित की गई हैं और इससे हुए लाभ /हानि को राजस्व में लिया गया है ।

ख) आय तथा व्यय मदों को परिकलन लेन–देन की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दरों पर हिसाब में लिया गया है।

ग) वायदा विनिमय संविदाओं तथा बिलों को, वायदे की तारीख को प्रभावी विनिमय दर पर लिया गया है। बकाया विदेशी मुद्रा संविदाओं और बिलों का पुनर्मूल्यांकन फेडाई की दरों के अनुसार किया गया है और परिणामत: उनपर हुए लाभ /हानि को राजस्व में लिया गया है।

घ) वित्त वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य देयताओं का उल्लेख फेडाई दरों पर किया गया है ।

3. विनिधान

क. <u>वर्गीकरण:</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के विनिधानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है ।

i) परिपक्वता तक धारित (परिपक्वता तक धारित की जाने हेतु आशयित विनिधान)

ii) व्यापार हेतु धारित (अभिग्रहण की तिथि से 90 दिन के भीतर बिक्री हेतु धारित विनिधान)

iii) बिक्री हेतु उपलब्ध (उपर्युक्त (i) व (ii) में वर्गीकृत न किए गए विनिधान)

तथापि, तुलन–पत्र में प्रकटीकरण हेतु, विनिधानों को निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर एवं बॉण्ड (ङ) अनुषंगी /संयुक्त उद्यम तथा (च) अन्य

ख. मूल्यांकन:

<u>परिपक्वता तक धारित:</u>

i) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत विनिधानों को अभिग्रहण

SCHEDULE -17

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1) GENERAL

a) The financial statements are prepared on historical cost convention, on a going concern basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country except as otherwise stated.

b) Revenue and expenses have generally been accounted for on accrual basis. However, commission received / paid, locker rent, legal expenses for suit filed accounts and recoveries there against, income on non-performing assets, dividend on investments, interest on overdue bills, insurance premium paid on Housing Loans and interest on tax refunds are accounted for on cash basis.

c) The interest on overdue deposits is provided for at the Saving Bank Deposit Rate and the balance is accounted for at the time of renewal.

2) FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

a) Monetary assets and liabilities are revalued at exchange rates advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the close of the financial year and the resultant gain/loss is taken to revenue.

b) Income and expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

c) Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI rates and the resultant gain/loss is taken to revenue.

d) Foreign currency guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at FEDAI rates as at the close of the financial year.

3) INVESTMENTS

a) <u>Classification</u>:-

In accordance with RBI guidelines, investments are classified into three categories.

i) Held to Maturity (Investments intended to be held till maturity)

ii) Held for Trading (Investments held for sale within 90 days from the date of acquisition)

iii) Available for Sale: (Investments not classified in (i) and (ii), above.)

However, for disclosure in the Balance Sheet, Investments are classified under the following heads. (a) Government Securities (b) Other Approved Securities (c) Shares (d) Debentures and Bonds (e) Subsidiaries / Joint Ventures and (f) Others.

b) Valuation:

<u>**Held to Maturity**</u>**: -**

i. Investments under "Held to Maturity" category are

लागत पर लिया गया है। जहां बही मूल्य, अंकित मूल्य/प्रतिदेय मूल्य से अधिक हो, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि में किया गया।

ii) संयुक्त उद्यम में विनिधानों को, अस्थायी स्वरूप के विनिधानों को छोड़कर, रखाव लागत घटा मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, पर मूल्यांकित किया गया है।

iii) जोखिम पूँजी में विनिधान रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित

1.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	भारतीय मुद्रा विनिमय व्यापारी संघ (एफ.आई.एम.एम.डी.ए.) द्वारा दी गई कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर
2.	राज्य विकास ऋण /अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एफ.आई.एम.एम.डी.ए. के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय के आधार पर
3.	राजकोषीय बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा–प्रमाण पत्र	रखाव लागत पर
4.	ईक्विटी शेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : जहां नवीनतम तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है, अवशिष्ट मूल्य पर अन्यथा प्रति कम्पनी 1/-रुपए
5.	अधिमानी शेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय पर
6.	डिबेंचर/बॉण्ड	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर परिपक्वता पर उपयुक्त आय पर
7.	म्यूचुअल फंड के यूनिट	i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर ii) कोट न किए गए : पुनर्खरीद मूल्य / निवल आस्ति मूल्य पर
8.	असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लि0 (एआरसीआईएल) की प्रतिभूति रसीदें	एआरसीआईएल द्वारा घोषित आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन शेयर-वार किया गया है तथा प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को जोड़ा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल वृद्धि को छोड़ते हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है ।

ग. प्रतिभूतियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण को, अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत/ बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया गया है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का पूरा प्रावधान किया गया है।

घ. भारतीय रिजर्व के पास तरलता समायोजन सुविधा के तहत खरीदी /बेची गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया और संव्यवहार

carried at acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value , the premium is amortized over the remaining period of maturity.

ii. Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any, other than temporary in nature.

iii. Investment in venture capital is valued at carrying cost.

Available for Sale and Held for Trading

1.	Government of India Securities	At market prices as per quotations published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA).
2.	State Development Loans /Other Approved Securities	At appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
3.	Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits	At carrying cost.
4.	Equity Shares	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At break up value, where latest balance sheet is available (not more than one year old), otherwise at Re. 1/- per company.
5.	Preference Shares	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
6.	Debentures / Bonds	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At appropriate yield to maturity based on rating assigned by Rating Agencies.
7.	Units of Mutual Funds	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At repurchase price/ Net Asset Value.
8.	Security receipts of Asset Reconstruction Company of India Ltd. (ARCIL)	At net asset value of the asset as declared by ARCIL.

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading are done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored.

c) Transfer of securities from one category to another is accounted for at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The Depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

d) Securities purchased/sold under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest

की परिपक्वता पर इसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया। उसपर उपचित/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया गया।

ङ. **अन्य**

i) अभिग्रहण लागत में से अभिदान पर प्राप्त दलाली/ कमीशन को घटा दिया गया है ।

ii) प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री पर खंडित अवधि के प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है।

iii) विनिधानों पर, गैर निष्पादनकारी विनिधानों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण प्रतिमान लगाए गए हैं तथा गैर निष्पादनकारी प्रतिभूतियों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

iv) किसी भी श्रेणी के विनिधान में बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ–हानि खाते में लिया गया है। तथापि, ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के तहत विनिधानों की बिक्री पर लाभ होने पर समान राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते में समायोजित किया गया है।

v) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध संविभाग (एएफएस) का मूल्यांकन क्रमशः दैनिक तथा तिमाही आधार पर किया जाता है और यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसे बही में तिमाही आधार पर लिया जाता है।

च. व्युत्पन्न लेन–देन व्यापारिक या बचत व्यवस्था प्रयोजनों से किए जाते हैं। व्यापारिक लेन–देनों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार विनिमय की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

i) **बचाव विनिमय** : ब्याज दर संबंधी विनिमय सौदों, जो ब्याज वाली आस्ति या देयता का बचाव करते हैं, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है, केवल ऐसे विनिमय सौदे को छोड़कर, जो बाजार मूल्य पर ली गई आस्ति या देयता के लिए है या वित्तीय विवरणी में लागत से कम पर ली गईं आस्ति या देयता के साथ विनिर्दिष्ट है। विनिमय सौदे समाप्त होने पर हुए लाभ या हानि को सौदे की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो कम हो, उसके आधार पर लिया जाता है ।

ii) **व्यापारिक विनिमय सौदे:** व्यापारिक विनिमय सौदों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और संबंधित परिवर्तनों को वित्तीय विवरणी में दर्ज किया जाता है।

4 अग्रिम /प्रावधान/वसूली

क) अग्रिमों को निष्पादनकारी/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं ।

ख) अग्रिमों में गैर–निष्पादनकारी आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान तथा तकनीकी रुप से बट्टे खाते डाली गई राशि शामिल नहीं है ।

ग) निष्पादनकारी आस्तियों हेतु प्रावधान को ''अन्य देयताएं व प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।

घ) गैर–निष्पादनकारी आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन और तत्पश्चात् ब्याज के प्रति विनियोजित किया गया है।

5 (क) अचल परिसंपत्तियां

(i) अचल परिसंपत्तियों को उनकी हिस्टॉरिकल लागत पर संचित मूल्यह्रास घटाकर दिखाया गया है। इसमें ऐसी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

(ii) परिसरों में भूमि का मूल्य शामिल है।

(iii) किराए पर लिए गए परिसरों के फिक्सचरों व फिटिंग को अस्थायी ढ़ांचा माना गया है।

expended/earned thereon is accounted for as expenditure/revenue.

e) Others:

i) Brokerage/commission received on subscription is deducted from cost of acquisition.

ii) Broken period interest paid / received on purchase /sale of securities is recognised as interest expense / income.

iii) Prudential norms of RBI for non performing investment Classification are applied to Investments and appropriate provisions are made in respect of non performing securities.

iv) Profit/Loss on sale of any Investment in any category is taken to Profit & Loss Account. However, in case of profit on Sale of Investments under 'Held to Maturity' category, an equal amount is appropriated to Capital Reserve Account.

v) Valuation of HFT and AFS portfolio is done on daily and quarterly basis respectively and depreciation if any is booked on quarterly basis.

f) The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

i) **Hedge swaps:** Interest rate swaps which hedges interest bearing asset or liability is accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) **Trading swaps:** Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

4) ADVANCES / PROVISIONS / RECOVERIES

a) Classification of Advances into performing / non-performing assets and provisions thereon are made as per the Prudential Norms Prescribed by the Reserve Bank of India.

b) Advances are net of provisions and technical write-offs made for non-performing Assets.

c) Provision for performing Assets is shown under the head "Other Liabilities & Provisions".

d) Recoveries in Non-Performing Assets are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

5. a) FIXED ASSETS

(i) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on account of revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(ii) Premises include cost of land.

(iii) Fixtures and fittings in rented premises are treated as Temporary Erection.

(ख) अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास :

- परिसंपत्तियों (पुनर्मूल्यांकित परिसम्पत्तियों सहित) पर मूल्यह्रास, आयकर नियम, 1962 में यथानिर्धारित दरों पर अपलिखित मूल्य पर प्रभारित किया गया है। इनमें कम्प्यूटरों को शामिल नहीं किया गया है, जिनपर मूल्यह्रास का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सीधी कटौती प्रणाली से 33.33% की दर से किया जाता है।
- आस्तियों की बिक्री / निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया।
- आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के प्रति समायोजित किया गया ।

(ii) जहां भूमि की कीमत भवन से अलग नहीं की जा सकती, वहां मूल्यह्रास का प्रावधान भवनों पर लागू दर से सम्मिश्र राशि पर किया गया।

(iii) पट्टाधारी भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया।

(iv) सॉफ्टवेयर पर किए गए व्यय को राजस्व में प्रभारित किया गया है ।

6. पट्टा लेन-देन

क) (i) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व वित्तीय पट्टे के तहत दी गई आस्तियों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गनिर्देशात्मक टिप्पणी के अनुसार किया गया है । ऐसी आस्तियों को अन्य अचल आस्तियों में शामिल किया गया है और इन पर मूल्यह्रास का प्रावधान पट्टे की अवधि में समान रूप से किया गया है।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार, वित्त- पट्टे को निष्पादनकारी और गैर-निष्पादनकारी रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा तदनुसार प्रावधान किए गए हैं।

ख) वित्तीय पट्टे के तहत ली गई आस्तियों को, पट्टाकृत आस्तियों के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य में से जो भी कम हो, पर माना गया है और इसे अन्य अचल आस्तियों में शामिल किया गया है।

पट्टा भुगतान का विनियोजन वित्त प्रभार और बकाया देयता के बीच किया गया है ताकि वित्त प्रभारों को पट्टे की अवधि में नियत आवधिक ब्याज दर पर हिसाब में लिया जा सके ।

ग) वित्तीय पट्टे के अलावा अन्य पट्टे को परिचालनपरक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) पट्टा किराया और मूल्यह्रास को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-19) के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

7. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

क) बैंक ने लाभों के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता के लिए भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ को लागू किया है।

ख) दीर्घकालिक परिभाषित कर्मचारी लाभों– उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी किराया रियायत तथा बीमारी की छुट्टी के प्रति देयताओं का निर्धारण अनुमानित यूनिट लागत पद्धति से वर्ष के अंत में, कर्मचारी स्वतंत्र बीमांकनकर्ताओं द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित देयताओं की उपदान और पेंशन संबंधी राशि बैंक के अनुमोदित न्यासों को अदा की गई है और अन्यों के लिए प्रावधान किया गया है।

b) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

(i) Depreciation:

- on assets (including revalued assets), is charged on the Written Down Value at the rates prescribed by the Income Tax Rules, 1962; except in respect of computers on which depreciation is provided on Straight Line Method @ 33.33% as per RBI guidelines;
- is not provided in the year of sale/disposal of asset;
- on the revalued portion of assets, is adjusted against the Revaluation Reserve

(ii) Wherever the cost of land cannot be separately segregated, from buildings depreciation is provided on the composite amount, at the rate applicable to buildings.

(iii) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

(iv) Software expenditure is charged to Revenue in the year of incurrence.

6) LEASE TRANSACTIONS:

a) i) Accounting for assets given under finance lease before April 1, 2001, has been done as per the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Such assets are included under Other Fixed Assets and depreciation thereon is provided equally over the lease period.

ii) In accordance with prudential norms issued by RBI, finance leases are classified as performing and non-performing and accordingly provisions are made.

b) Assets taken under financial lease are recognized at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments are included under Other Fixed Assets.

The lease payments are apportioned between finance charge and the outstanding liability so as to account for the finance charge at the constant periodic rate of interest over the lease period.

c) Lease other than financial lease is classified as operating lease.

d) Lease rental and depreciation are accounted for as per Accounting Standard (AS-19) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7) STAFF RETIREMENT BENEFITS

a) The Bank has applied Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

b) Liability towards long term defined employee benefits – gratuity, pension, leave encashment, leave fare concession and sick leave are determined on actuarial valuation by independent actuaries at the year end by using Projected Unit Cost method. Liability so determined is funded, to the approved trusts of the bank, in the case of gratuity and pension and provided for in other cases.

ग) मौजूदा कर्मचारियों, जिन्होंने पहले पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, द्वारा पेंशन योजना का विकल्प चुनने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011 से पेंशन देयता के कम से कम एक पांचवे हिस्से का परिशोधन आरंभ किया गया।

घ) भविष्य निधि के संबंध में, अवधि के लिए अंशदान को खर्च के रूप में मान्यता दी गई है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ङ) लघु आवधिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में गैर बट्टाकृत राशि पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हों।

8) आयकर

क) कर का प्रावधान चालू और आस्थगित करों दोनों के लिए किया गया है ।

ख) चालू कर का प्रावधान लागू कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए कर योग्य आय पर किया गया है।

ग) समय के परिवर्तन से होने वाली आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं, जिनका प्रत्यावर्तन बाद की अवधि में किया जा सकता हो, को तुलनपत्र की तारीख तक, लागू या बाद में लागू होने वाली कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गई है।

घ) आस्थगित कर आस्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी गई जब तक कि इस बात की "वास्तविक निश्चितता" न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियां प्राप्त की जाएंगी।

9) आस्तियों की अनर्जकता

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 28 "आस्तियों की अनर्जकता" के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित अचल आस्तियों पर अनार्जक घाटे, यदि कोई हों, लिए गए हैं और इन्हें लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

10) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 - "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार बैंक ऐसे प्रावधानों को तभी मानता है जब पिछली घटना के परिणामत: इनमें वर्तमान दायित्व हो, यह संभावना है कि इन दायित्वों को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों का समावेश करते हुए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता हो तथा जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो। वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को नही लिया गया है क्योंकि इससे ऐसी आय मान्यता हो सकती है जो कभी वसूल न हो सके।

11) निवल लाभ

निवल लाभ निम्नलिखित "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" को हिसाब में लेने के बाद निकाला गया है

क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आयकर और धन कर हेतु प्रावधान

ख) स्तरीय परिसंपत्तियों पर प्रावधान

ग) गैर-निष्पादनकारी अग्रिमों और विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान

घ) बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण

ङ) अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान

c) In respect of Pension scheme opted by existing employees who had not opted for Pension earlier, the Pension liability is amortized minimum one-fifth starting from financial year 2010-11 as permitted by RBI.

d) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to profit and loss account.

e) Short term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the profit and loss account of the year in which the related services are rendered.

8) INCOME TAX

a) Provision for Tax is made for both current and deferred taxes.

b) Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws.

c) Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

d) Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

9) IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India and charged to Profit and Loss Account.

10) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per the Accounting Standard 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

11) NET PROFIT:

The Net Profit is arrived at after accounting for the following "Provisions and Contingencies":

a) Provision for taxes on income and wealth tax in accordance with statutory requirements.

b) Provision on Standard Assets.

c) Provision for Non Performing Advances and depreciation on Investments.

d) Bad debts written off.

e) Other usual and necessary provisions.

अनुसूची- 18

लेखा टिप्पणियां

1 11.71 करोड़ रु.(पिछले वर्ष 12.33 करोड़ रु.) की लागत के कुछ परिसरों के संबंध में बैंक के पक्ष में दस्तावेजों का पंजीकरण/निष्पादन अभी पूरा होना बाकी है जिसके लिए उपयुक्त कार्रवाई आरंभ की गई है और 2.10 करोड़ रु.(पिछले वर्ष 7.24 करोड़ रु.)की लागत की सम्पत्तियों के हक–विलेख अभी पंजीकरण कार्यालय से लिए जाने हैं ।

2 कुछ अग्रिमों में प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से संबंधित सूचना के अभाव में, रिकार्ड पर उपलब्ध मूल्य को लिया गया है।

3 मीयादी जमाओं पर प्रोद्भूत किन्तु अदेय ब्याज को संबंधित जमाराशियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4 **प्रस्तावित लाभांश**

प्रदत्त पूंजी पर 104% की दर से प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान किया गया है। यह बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 15 व 17 के अनुसारण में विनियामक प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

5 **कराधान हेतु प्रावधान**

यथालागू अधिनियमन, न्यायिक घोषणा और कानूनी मतानुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए चालू आयकर हेतु 550.94 करोड़ रु. का (पिछले वर्ष 537.20 करोड़ रु.) का प्रावधान किया गया है।

बैंक/आयकर प्राधिकारियों द्वारा दायर अपीलों पर अंतिम निर्णय होने तक विभिन्न निर्धारण वर्षों हेतु 203.14 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 212.63 करोड़ रु0) की विवादग्रस्त कर देयता को (ब्याज सहित) अनुसूची 12 में "आकस्मिक देयताओं" के अंतर्गत दिखाया गया है। बैंक का विश्वास है कि ये मांगें मुख्यत: अधारणीय हैं और अंतत: इनका निपटान हो जाएगा। तदनुसार उक्त विवादग्रस्त देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और इन मांगों के प्रति किए गए भुगतानों/समायोजनों को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों " के तहत 'वसूली योग्य आयकर' के रूप में शामिल किया गया है।

6. बहियों का मिलान, उचन्त, फुटकर, समाशोधन समायोजन,मांग ड्राफ्टों, वसूली हेतु बिलों, अन्य बैंकों में नोस्ट्रो खातों सहित खातों, विनिमय गृह खातों और अन्तर शाखा खातों में बकाया प्रविष्टियों की पुष्टि /समाधान और समाशोधन का कार्य चल रहा है। इसके प्रभाव को, यदि कोई है, इनका मिलान/समाधान होने पर शामिल/समायोजित किया जाएगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंतर-शाखा खातों का समाधान किया जा चुका है ।

SCHEDULE -18

NOTES TO ACCOUNTS

1) Registration / Execution of documents, in favour of the Bank is yet to be completed, in respect of certain premises costing Rs. 11.71 crores *(previous year Rs. 12.33 crores)* for which adequate steps have been initiated and title deeds of properties costing Rs. 2.10 crores (previous year Rs7.24 crore) is yet to be collected from Registration office.

2) In the absence of information as to the realizable value of securities in certain advances, the value as per records has been considered.

3) Interest accrued but not due on term deposits has been included under the relevant deposits.

4) **PROPOSED DIVIDEND**

Proposed Dividend @104% on the paid up capital has been provided for. This is subject to approval from Regulatory Authorities in pursuance of section 15 & 17 of Banking Regualation Act 1949.

5) **PROVISION FOR TAXATION**

The provision for current income tax for the year ended March 31, 2011 Rs. 550.94 crores (previous year Rs. 537.20 crores) has been made as per the applicable enactments, judicial pronouncements and legal opinions.

Pending final outcome of the appeals filed by the bank/income tax authorities, disputed tax liabilities (including interest), for various assessment years, amounting to Rs. 203.14 crores (previous year Rs. 212.63 crores) are shown in Schedule 12 under "Contingent Liabilities". The bank believes that these demands are largely unsustainable and will eventually be set aside. Accordingly, no provision has been made against the said disputed liabilities and payments/adjustments to the extent made against these demands have been included in Schedule 11 under "Other Assets" as Income Tax Recoverable.

6) Balancing of books, confirmation /reconciliation and clearance of outstanding entries in Suspense, Sundries, Clearing Adjustment, Demand Drafts, Bills for Collection, Accounts with other Banks including NOSTRO accounts, Exchange Houses Accounts and Inter Branch accounts are in progress. Impact, if any, shall be accounted / adjusted on balancing/reconciliation thereof. However, Inter-branch accounts have been reconciled up to the period specified by Reserve Bank of India.

7) पूंजी

	मदें	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	**सीआरएआर (%)**		
	बासेल – I	12.30%	10.83%
	बासेल – II	14.23%	12.54%
ii)	**सीआरएआर टीयर– 1 पूंजी (%)**		
	बासेल– I	9.69%	8.02%
	बासेल – II	11.21%	9.28%
iii)	**सीआरएआर टीयर– II पूंजी (%)**		
	बासेल – I	2.61%	2.81%
	बासेल – II	3.02%	3.26%
iv)	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.00%	51.09%
v)	टीयर–1 पूंजी के रूप में आईपीडीआई जारी करके जुटाई गई राशि (करोड़ रु. में)	300.00	300.00
vi)	उच्चतर टीयर–2 प्रपत्र जारी करके जुटाई गई राशि (करोड़ रु. में)	200.00	-

*बैंक ने निम्नानुसार टीयर–2 बाण्डों से पूंजी जुटाई:

वर्ष के दौरान जुटाई गई	राशि	दर (%)
2007-08	500.00	9.95
2008-09	500.00	8.75
2009-10	-	-
2010-11	200.00	8.68

7) CAPITAL

	Items	Current year	Previous year
i)	**CRAR (%)**		
	Basel – I	12.30%	10.83%
	Basel – II	14.23%	12.54%
ii)	**CRAR – Tier 1 Capital (%)**		
	Basel – I	9.69%	8.02%
	Basel – II	11.21%	9.28%
iii)	**CRAR – Tier II Capital (%)**		
	Basel – I	2.61%	2.81%
	Basel – II	3.02%	3.26%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the bank	58.00%	51.09%
v)	Amount raised by issue of IPDI as Tier-I capital - (Rs. in crores)	300.00	300.00
vi)	Amount raised by issue of Upper Tier –II instruments- (Rs. in crores)*	200.00	-

*The Bank has raised the following Tier-II Bonds: (Rs. in crores)

Raised during the year	Amount	Rate (%)
2007-08	500.00	9.95
2008-09	500.00	8.75
2009-10	-	-
2010-11	200.00	8.68

8) विनिधान

(राशि करोड़ रु. में)

	मदें	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	विनिधानों का मूल्य		
	i) विनिधानों का सकल मूल्य		
	a) भारत में	42153.0	435785.32
	b) भारत के बाहर	-	--
	ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-	
	a) भारत में	78.28	--
	b) भारत के बाहर	-	--
	iii) विनिधानों का निवल मूल्य		
	a) भारत में	42074.76	35785.32
	b) भारत के बाहर		--
2.	विनिधानों पर मूल्यह्रास के प्रति किए गए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव		
	i) अथ शेष	0.00	169.44
	ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	78.28	--
	iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का फुराकना	-	169.44
	iv) इति शेष	78.28	0.00

8) INVESTMENTS

(Rs. in crores)

	Items	Current year	Previous year
1.	Value of Investments		
	i) Gross Value of Investments		
	a) In India	42153.04	35785.32
	b) Outside India	--	--
	ii) Provisions for Depreciation	--	
	a) In India	78.28	--
	b) Outside India	--	--
	iii) Net value of Investments		
	a) In India	42074.76	35785.32
	b) Outside India	--	--
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
	i) Opening balance	0.00	169.44
	ii) Add: Provisions made during the year	78.28	--
	iii) Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	-	169.44
	iv) Closing Balance	78.28	0.00

क) रेपो लेनदेन

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया राशि	31 मार्च 2011 के अनुसार बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	5500.00 (1400.00)	1460.19 (7.95)	0.00 (0.00)
ii. कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
iii. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	3850.00 (4200.00)	117.81 (1015.60)	0.00 (0.00)
iv. कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(कोष्ठक में दिए गए आकड़े पिछले वर्ष है)

a) Repo Transactions (Rs. in crores)

Particulars	Minimum outstanding During the Year	Maximum outstanding During the Year	Daily Average outstanding During the Year	outstanding as on March 31, 2011
Securities sold under repo				
i. Government Securities	0.00 (0.00)	5500.00 (1400.00)	1460.19 (7.95)	0.00 (0.00)
ii. Corporate debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities Purchased under Reverse Repo				
iii. Government Securities	0.00 (0.00)	3850.00 (4200.00)	117.81 (1015.60)	0.00 (0.00)
iv. Corporate debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(Figures in brackets are for the previous year)

ख) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

b) Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेश की निर्गम संरचना

i) Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ रु में)/(Rs. in crores)

क्रम सं. No.	जारी कर्ता Issuer	राशि Amount	निजी स्थापन की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड से कम' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'गैर मूल्यांकित' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/PSUs	472.47 (428.17)	381.75 (381.84)	0.00 (0.00)	15.00 (17.07)	10.00 (12.07)
ii)	वित्तीय संस्थान/FIs	433.63 (446.20)	347.59 (362.74)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	83.24 (83.24)
iii)	बैंक/Banks	648.81 (492.00)	588.29 (489.20)	0.00 (0.00)	0.00 (5.00)	0.00 (0.00)
iv)	निजी कंपनियां/ Private Corporate	944.69 (1079.94)	695.47 (890.62)	0.00 (0.00)	0.00 (0.62)	111.79* (102.45)
v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	161.00 (115.00)	161.00 (115.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	161.00** (115.00)
vi)	अन्य/Others	2751.98 (341.70)	239.48 (243.44)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
vii)	**कुल/Total (i to vi)**	**5412.58 (2903.01)**	**2413.58 (2482.84)**	**0.00 (0.00)**	**15.00 (22.69)**	**366.03 (312.76)**
viii)	घटाएं : मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान Less : Provision Held Towards Depreciation	38.83 (0.00)	38.83 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	कुल/Total (vii-viii)	**5373.75 (2903.01)**	**2374.75 (2482.84)**	**0.00 (0.00)**	**15.00 (22.69)**	**366.03 (312.76)**

(कोष्ठक में दिए गए आकड़े पिछले वर्ष के है)/***(Figures in brackets are for the previous year)***

*एचएफसीएल के जीरो कूपन बांड में 67.03 करोड़ रु. का छूट प्राप्त निवेश शामिल

** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–सूचीबद्ध श्रेणी से छूट प्राप्त

कॉलम सं. 4, 5, 6, व 7 में दी गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

*includes exempted investment of Rs. 67.03 crores in zero coupon bond of HFCL.

** exempted from unlisted category as per RBI guidelines.

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.

ii) गैर–निष्पादनकारी गैर–एसएलआर निवेश (राशि करोड़ रु. में)

विवरण	राशि 31.03.2011	राशि 31.03.2010
अथशेष	88.93	88.93
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
उक्त अवधि के दौरान कमी	0.00	0.00
इति शेष	88.93	88.93
कुल धारित प्रावधान	**88.93**	**88.93**

ii) Non performing Non-SLR investments (Rs. in crores)

Particulars	Amount as at 31.03.2011	Amount as at 31.03.2010
Opening Balance	88.93	88.93
Additions during the year since 1st April	0.00	0.00
Reductions during the above period	0.00	0.00
Closing Balance	88.93	88.93
Total Provisions held	**88.93**	**88.93**

c) विनिधानों का वर्गीकरण / CATEGORISATION OF INVESTMENTS

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और लेखांकन नीति सं. 3 के अनुसार विनिधान संविभाग को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया है

In accordance with Reserve Bank of India guidelines and as stated in Accounting Policy No. 3, investment portfolio has been categorized as under:

(राशि करोड़ रु. में) / (Rs. in crores)

प्रतिभूति / Security	31 मार्च, 2011 के अनुसार स्थिति Position as on March 31, 2011				31 मार्च, 2010 के अनुसार स्थिति Position as on March 31, 2010			
	एचटीएम HTM	एचएफटी HFT	एएफएस AFS	कुल Total	एचटीएम HTM	एचएफटी HFT	एएफएस AFS	कुल Total
सरकारी प्रतिभूतियां Govt. Securities	29604.29	0.00	7034.90	36639.19	27994.29	0.00	4758.69	32752.98
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	0.00	0.00	101.27	101.27	0.00	0.00	129.33	129.33
शेयर Shares	30.66	0.49	661.07	692.22	30.66	0.00	490.05	520.71
डिबेंचर / बॉण्ड Debentures /Bonds	0.00	0.00	1807.39	1807.39	0.00	0.00	1925.59	1925.59
अन्य वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र, यूटीआई, म्यूचुअल फंड आदि Others Commercial , Paper, IVP, UTI, Mutual Funds etc.	78.40	636.23	2037.34	2751.97	58.71	0.00	283.00	341.71
अन्य (संयुक्त उद्यम बीमा) Others (Jt. Venture Insurance)	161.00	0.00	0.00	161.00	115.00	0.00	0.00	115.0
कुल Total	**29874.35**	**636.72**	**11641.97**	**42153.04**	**28198.66**	**0.00**	**7586.66**	**35785.32**

एचटीएम- परिवक्वता तक धारित, एचएफटी - ट्रेडिंग हेतु धारित, ए.एफ.एस. - बिक्री हेतु उपलब्ध

HTM – Held to Maturity; HFT – Held for Trading; AFS – Available for Sale

घ) परिवक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों के संबंध में ,वर्ष के दौरान परिशोधित प्रीमियम राशि 92.97 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 83.21करोड़ रु0) है और इसे अनुसूची 13 में "विनिधानों पर आय" में से कटौती के रूप में "अर्जित ब्याज" शीर्ष के तहत लिया गया है।

ङ) **विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान:**
31मार्च, 2011 के अनुसार "बिक्री हेतु उपलब्ध" तथा ' ट्रेडिंग हेतु धारित " श्रेणियों के अंतर्गत विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु 78.28 करोड़ रु0 (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया।

च) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने कुल 1720.17 करोड़ रु0 (पिछले वर्ष 1271.48 करोड़ रु0)की "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी से "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में तथा 962.34 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 979.59 करोड़ रु.) 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी से 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किए। उपर्युक्त प्रतिभूतियों के अंतरण पर 64.05 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 137.76करोड़ रु0) के "बाजार मूल्य पर अंकित मूल्यह्रास " को लाभ व हानि खाते में नामे डाला गया है ।

छ) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने जीवन बीमा कारोबार हेतु केनरा बैंक और एचएसबीसी के साथ "केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड" नाम एवं स्वरूप की संयुक्त उद्यम कम्पनी में पूंजी अंशदान के लिए 46.00 करोड़ रु0 (पिछले वर्ष 23.00 करोड़ रु0) का निवेश किया । 31.03.2011 को कुल बकाया पूंजी 161.00 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 115.00 करोड़ रु.) है, जो बैंक के 23% के पूंजी अंशदान के प्रति है ।

बैंक द्वारा किए गए उक्त निवेश को संयुक्त उद्यमों में विनिधान शीर्ष के तहत "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी मे वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसे संयुक्त उद्यम निवेश के रूप में धारित करने की मंशा थी यद्यपि यह धारिता भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित 25% से कम है । प्रबंध वर्ग के मतानुसार आरंभिक घाटों के कारण उक्त विनिधानों के मूल्य का प्रभाव स्थायी स्वरूप का नहीं है इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

9. डेरिवेटिव्स

बैंक ने आलोच्य वर्ष के दौरान डेरिवेटिव लेन-देन अर्थात् ब्याज दर संबंधी भावी सौदे, मुद्रा संबंधी भावी सौदे एवं ब्याज दर विनिमय सौदे किए। 31.03.2011 स्थिति के अनुसार ब्याज दर संबंधी भावी सौदों तथा विनिमय सौदों के संबंध में कोई बकाया नहीं है। तथापि,31.03.2011 की स्थिति के अनुसार अंतरबैंक बाजार में किए गए मुद्रा भावी सौदे में एक बकाया स्थिति थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ग्राहकों की ओर से विदेशी मुद्रा वायदा सांविदाओं के अंतर्गत लेन-देन भी किए गए और आज की तारीख तक बकाया राशि 31603.66 करोड़ रु0 है(पिछले वर्ष 26,128.96 करोड़ रु.)।

क) **वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप**

(राशि करोड़ रू0 में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) स्वैप व्यवस्थाओं का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करता है तो होने वाली हानि	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बुक का सही मूल्य	शून्य	शून्य

d) In respect of investments under Held to Maturity category, the premium amount amortized during the year is Rs. 92.97 crores (previous year Rs. 83.21 crores) and the same has been accounted for in Schedule No.13 under the head 'Interest Earned' as deduction from 'Income on Investments'.

e) **Provision for Depreciation on Investments:**
Provision for depreciation on investments under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories as on March 31, 2011, is Rs. 78.28 crore (previous year nil).

f) The Bank has transferred Securities aggregating to Rs. 1720.17 crores *(previous year Rs. 1271.48 crores)*, from 'Available for Sale' category to 'Held to Maturity' category and Rs. 962.34 crores from Held to Maturity category to Available for Sale category (previous year 979.59 crores) during the year in accordance with the RBI guidelines. The Mark to Market depreciation on shifting of above mentioned securities was Rs. 64.05 crores (previous year Rs. 137.76 crores), and the same has been debited to Profit and Loss Account.

g) During the financial year 2010-11 Bank has invested Rs. 46.00 crores (previous year Rs. 23.00 crores) towards capital contribution in joint venture Company for Life Insurance Business with Canara Bank and HSBC under the name and style of "Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited". The total capital outstanding as on 31.03.2011 is Rs. 161.00 crores (previous year Rs. 115.00 crores), which amounts to 23% capital contribution by the bank.
The said investment made by the Bank has been classified under `Held to Maturity' category under the head investment in joint ventures, as the intention is to hold as joint venture investment although the holding is less than 25% as required under RBI norms. In the opinion of the management the impact in the value of the said investment on account of initial losses is not permanent in nature and hence no provision is considered necessary.

9) DERIVATIVES

The Bank has undertaken Derivative Transactions viz. Interest Rate Future, Currency Futures and Interest Rate Swap (OIS) during the year. There is no outstanding in respect of Interest Rate Future and Interest Rate Swap (OIS) as on 31-3-2011. However, there is an outstanding position in currency future which is covered in interbank market as on 31-3-2011. Also, transactions under Foreign Exchange Forward Contracts have been undertaken on behalf of various clients and outstanding as on date is Rs. 31,603.66 crores (previous year Rs26128.96 crores).

a. **Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap**

(Rs. in crores)

Particulars	Current year	Previous year
i.The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii. Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v.The fair value of the swap book	NIL	NIL

ख) एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि करोड़ रू0 में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. वर्ष के दौरान एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखत–वार)		
क) मार्च संविदा	शून्य	2.24
ख) जून संविदा	1.00	1.76
2. वर्ष के दौरान एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि 31 मार्च 2011 को बकाया	शून्य	शून्य
3. वर्ष के दौरान एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि– बकाया एवं "अत्यधिक प्रभावी" नहीं	शून्य	शून्य
4. एक्सचेंज में किए गए बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव्स जो अत्यधिक प्रभावी नहीं हैं, का "बाजार को अंकित मूल्य"	शून्य	शून्य

ग) परिणामात्मक प्रकटन

ट्रेजरी विभाग में परिचालनों को तीन कार्यक्षेत्रों में बांटा गया अर्थात् फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस तथा बैक ऑफिस, जिनमें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा प्रशिक्षित अधिकारी हैं, जिनके उत्तरदायित्व सुपरिभाषित हैं।

बैंक की राजकोषीय नीति में वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों के प्रकारों, प्रयोग क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है । व्युत्पन्न लेनदेनों में ब्याज दर जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, बाजार जोखिम, मुद्रा जोखिम, निपटान जोखिम, खुली स्थिति जोखिम तथा परिचालनपरक जोखिम रहते हैं। राजकोषीय नीति में आंतरिक नियंत्रण सीमाओं जैसे क्रय विक्रय की खुली स्थिति सीमाओं, सौदे की सीमाओं, हानि रोध सीमाओं, अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग/बचाव के लिए सौदा प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके और व्युत्पन्न लेनदेनों से अधिक से अधिक आय हो सके ।

मिड आफिस व्यापारिक बहियों में लेनदेनों को मानिटर करता है और प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) स्थिति की गणना द्वारा व्यापारिक बही में दैनिक आधार पर लेनदेनों में वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है । दैनिक बाजार मूल्य स्थिति की दैनिक रिपोर्ट निवेश समिति को प्रस्तुत की जाती है ।

बैंक में अपने तुलनपत्र में लिए गए एक्सपोज़र के बचाव की नीति है । बैंक की राजकोषीय नीति में एक्सपोज़र के बचाव हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है । बचावकारी लेनदेनों को नियमित आधार पर मॉनिटर किया जाता है।

बचावकारी/ व्यापारिक लेनदेन अलग-अलग दर्ज किए जाते हैं । बचावकारी लेनदेनों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है । सामरत व्यापारिक संविदाएं बाजार को अंकित की जाती हैं तथा परिणामतः सकल हानि को विवेकसम्मत आधार पर लाभ की अनदेखी करते हुए हिसाब में लिया जाता है।

बैंक करेंसी फ्यूचर/ब्याज दर फ्यूचर के लिए तीन एक्सचेजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), एमसीएक्स–एसएक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स-एसएक्स, युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज (यूएसई) का व्यापारिक एवं निकासी (क्लीयरिंग) सदस्य है । बैंक करेंसी फ्युचर्स, ब्याज दर फ्युचर्स तथा ब्याज दर स्वैप में स्वामित्व लेनदेन करता है । बैंक ने फ्रंट, मिड तथा बैक ऑफिस परिचालनों लिए आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित की है ,विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) तथा मार्जिन दायित्वों का निपटान एक्सचेंजों के साथ किया जाता है।

राजकोषीय नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार तैयार की गई है :-

b. Exchange Traded Interest rate derivatives

(Rs. in crores)

Particulars	Current year	Previous year
1. Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
a) March Contract	NIL	2.24
b) June Contract	1.00	1.76
2. Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March, 2011	NIL	NIL
3. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective'.	NIL	NIL
4. Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective'.	NIL	NIL

c) Qualitative disclosure:

Operations in the Treasury Department are segregated into three functional areas, i.e. Front Office, Mid Office and Back Office equipped with necessary infrastructure and trained Officers, whose responsibilities are well defined.

The Treasury Policy of the Bank clearly lays down the types of financial derivative instruments, scope of usage, approval process. Derivative transactions contain interest rate risk, counterparty risk, market risk, currency risk, settlement risk, open position risk and operational risk. Treasury Policy clearly specify the internal control limits like open position limits, deal size limits, stop-loss limits, deal initiating authority for trading/hedging in approved instruments to contain the risk and maximize return on the derivative transactions.

The mid office monitors the transactions in the trading books and also measures the financial risks for the transactions in the trading book on a daily basis by way of calculating Mark to market (MTM) of positions. Daily MTM position is reported to the Investment Committee.

The Bank also has a policy for hedging its balance sheet exposures. The treasury policy of the Bank spells out the approval process for hedging the exposures. The hedged transactions are monitored on a regular basis.

The hedging/trading transactions are recorded separately. The hedge transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are market to market and resultant gross loss is accounted for ignoring the gain on a prudence basis.

The Bank is Trading & Clearing Member of three exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), MCX-SX Stock Exchange (MCX-SX), United Stock Exchange (USE) for currency futures /interest rate futures. The Bank undertakes proprietary trading in currency futures, interest rate futures & interest rate swaps. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back Office operations, daily mark to market (MTM) and margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the regulators.

Treasury Policy has been drawn up in accordance with RBI guidelines

एक नजर कार्यनिष्पादन पर
Performance at a glance

राशि (करोड़ रुपए में) Amount (Rs. in Crore)

वित्त वर्ष के अंत में For the Financial Year Ended	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पूंजी एवं आरक्षित निधि/Capital and reserves	5600.31	5775.90	7403.45	8237.95	11097.14
कुल जमाराशियां/Total Deposits	63995.97	77856.70	98368.85	120257.59	139054.26
अग्रिम (निवल)/Advances (Net)	44138.47	54565.83	68500.37	83489.30	95908.22
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/Priority Sector	15955.20	18759.83	22315.07	29383.61	35650.71
जिसमें से/of which:					
(i) कृषि/Agriculture	5732.28	6930.05	8614.03	11267.51	12721.13
(ii) लघु उद्योग/Small Scale Industries	3364.09	5015.05	5576.33	10868.81	15844.45
(iii) अन्य/Others	6858.83	6814.73	8124.71	7247.29	7085.13
कुल आस्तियां/देयताएं/Total Assets/Liabilities	73936.27	90705.32	112582.59	137430.99	161343.37
कुल आय/Total Income	5768.16	7454.84	9927.79	11457.17	13047.89
कुल व्यय/Total Expenditure	4941.34	6613.90	9037.37	10322.49	11545.02
बट्टे खाते डालने से पूर्व वर्ष का निवल लाभ Net profit for the year before write-off	826.81	840.94	890.42	1134.68	1502.87
बट्टे खाते डालने के पश्चात् वर्ष का निवल लाभ* Net profit for the year after write-off*	580.81	353.22	890.42	1134.68	1502.87
शाखाओं की संख्या (वास्तविक)/No. of Branches (in actuals)	1273	1323	1401	1508	1620
कर्मचारियों की संख्या (वास्तविक)/No. of Employees (in actuals)	14730	14804	14656	15358	16618

*पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की हानि (2004-05 से 2006-07 तक प्रत्येक वर्ष 246 करोड़ रु. और 2007-08 में 487.72 करोड़ रु. बट्टे खाते डाले गए)।

*Erstwhile Global Trust Bank's Losses (Rs. 246 crore being written-off every year from 2004-05 to 2006-07 and Rs. 487.72 crore in 2007-08)

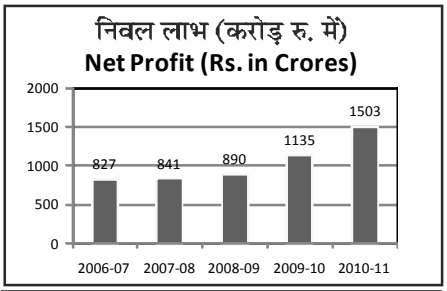

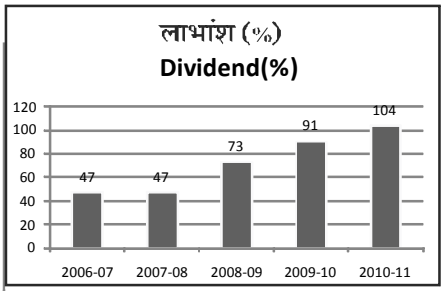

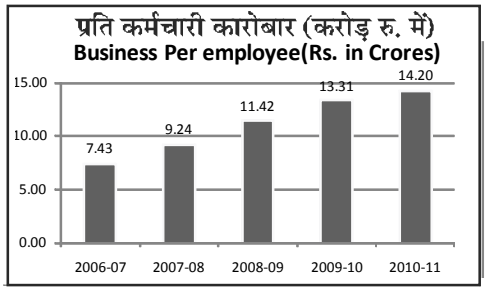

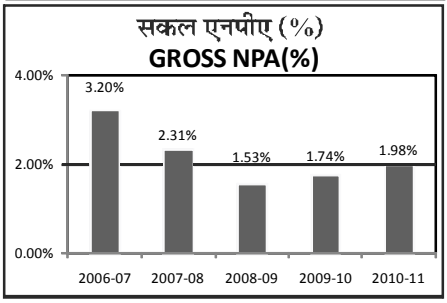

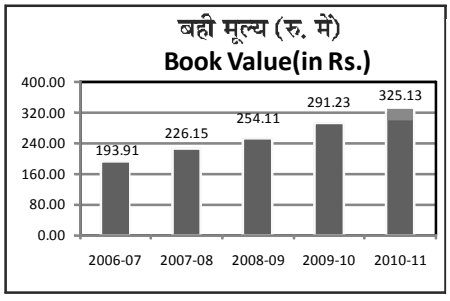

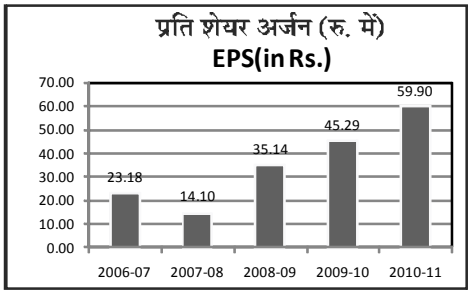

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 23 जून, 2011 को प्रात: 10.00 बजे सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, (ऑडी-II) अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 (गेट नं. 5 से प्रवेश), में आयोजित होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

मद संख्या 1 : बैंक के 31 मार्च, 2011 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा, लेखों में ली गई अवधि हेतु बैंक के कार्यचालन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन करना तथा इन्हें अपनाना।

मद संख्या 2. वित्त वर्ष 2010-2011 हेतु इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

नई दिल्ली
29 अप्रैल, 2011

सी.एम. खुराना
महाप्रबंधक

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office : Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi- 110001

NOTICE

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held at Siri Fort Auditorium (Audi-II), August Kranti Marg. New Delhi-110049 (Entry from Gate No. 5), on Thursday, 23rd June 2011 at 10.00 a.m. to transact the following business:

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare dividend on equity shares for the financial year 2010-2011.

New Delhi
29th April 2011

C.M.KHURANA
General Manager

टिप्पणियां

मतदान के अधिकार

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान के अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा ।

प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक, बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है ।

तथापि, इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने हेतु यह 18 जून, 2011 को बैंक के कार्य घंटे समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए ।

सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही 16 जून, 2011 से 23 जून, 2011 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

लाभांश का भुगतान

मंडल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निश्चित लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है तो उसका भुगतान उन सदस्यों को 22 जुलाई, 2011 को या इससे पहले तथा इसकी घोषणा के 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा जिनके नाम 15 जून, 2011 को (डी मैट के माध्यम से) बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे या जिन्होंने उस तिथि तक अंतरण हेतु अपने शेयर (मूर्त) जमा करा दिए होंगे ।

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट बैंक द्वारा शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् मै0 एमसीएस लिमिटेड के माध्यम से एनइसीएस अथवा अन्य अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से 22 जुलाई, 2011 को या उससे पहले भेज दिए जाएंगे या लाभांश राशि जमा कर दी जाएगी ।

लाभांश वारंट में बैंक लेखे का विवरण /इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट समाशोधन)- (ईसीएस) / (एनईसीएस)

सेबी ने बैंकों सहित सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए लाभांश वारंट वितरित करते समय लाभांश वारंट में शेयरधारक द्वारा दिए गए बैंक खाते का विवरण लिखना तथा जहां उपलब्ध हो, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) सुविधा का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शेयरधारकों के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट ईसीएस /एनईसीएस के माध्यम से किया जाएगा । कुछेक केंद्रों में ईसीएस / एनईसीएस सुविधा न होने पर तथा कुछ शेयरधारकों द्वारा ऐसी सुविधा का लाभ न उठाए जाने की स्थिति में, बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण लाभांश वारंटों में मुद्रित कर देगा।

जिन शेयरधारकों के पास शेयर मूर्त रूप में हों, वे अपने ईसीएस अधिदेश संबंधी विवरण (फार्म संलग्न) बैंक के निवेशक सेवा विभाग अथवा हमारे शेयर

NOTES

VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

The proxy form in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank before the closing hours of the Bank on 18th June, 2011.

CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books will remain closed from 16th June 2011 to 23rd June 2011 (Both days inclusive).

PAYMENT OF DIVIDEND

The dividend, as proposed by the Board, if declared at the Annual General Meeting , will be paid on 22nd July 2011, within 30 days of declaration thereof, to those shareholders who stand registered on the Bank's Register of Members on 15th June 2011 (through demat) or have submitted shares for transfer (physical) by that date.

The dividend warrants to such shareholders would be mailed or dividend amount will be credited through NECS or other approved electronic mode by the Bank through the Share Transfer Agent, viz., M/s MCS Limited, on or before 22nd July 2011.

DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/ ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – (ECS)/(NECS)

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the dividend warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the Electronic Clearing Service (ECS) facility wherever available. Direct credit to the bank account of the shareholder is done through ECS/NECS as specified by the Reserve Bank of India. In the absence of ECS/NECS facility at certain centres and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the Bank details, as available with it in the dividend warrants.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their ECS Mandate details (form enclosed) to Investor

हस्तांतरण एजेंट मै0 एमसीएस लिमिटेड, नई दिल्ली को रिकार्ड में आवश्यक संशोधन करने हेतु भेज सकते हैं। जिन शेयरधारकों के पास अमूर्त रूप में शेयर हैं, वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने निक्षेपागार भागीदार से संपर्क कर सकते हैं ।

अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की नई धारा 10बी के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और तत्पश्चात् भुगतान का कोई दावा बैंक को अथवा आईईटीएफ को नहीं किया जा सकेगा।

जिन शेयर धारकों ने पिछले किसी भी वर्ष के लाभांश वारंट न तो भुनाए हैं और न प्राप्त किए हैं, जो अभी तक आईईपीएफ को अंतरित नहीं किए गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट वारंट जारी करने के लिए बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट से संपर्क करें ।

शेयरधारकों को असुविधा न हो, इसके लिए बैंक ने डुप्लीकेट लाभांश पत्र हेतु नोटरी स्टाम्प क्षतिपूर्ति बंधपत्र के लिए अपेक्षित सीमा को बढ़ाकर 50,000.00 रु. कर दिया है । तदनुसार, 50,000.00 रु. तक के डुप्लीकेट लाभांश पत्र जारी करने के लिए गैर–स्टांपित वचन पत्र (क्षतिपूर्ति बंधपत्र) स्वीकार किया जाता है।

स्रोत पर कर की कटौती

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115-ओ के अंतर्गत शेयरधारकों को दिए गए लाभांश में से स्रोत पर किसी प्रकार के कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

लेखों संबंधी सूचना

लेखों के संबंध में किसी प्रकार की सूचना चाहने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में वार्षिक आम बैठक से कम से कम सात दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक संबंधित सूचना तैयार रख सके।

उपस्थिति पर्ची

सदस्य प्रॉक्सी इसके साथ भेजी जा रही उपस्थिति पर्ची पूरी तरह भरकर बैठक स्थल पर लाएं । प्रवेश के समय पर आपको प्रवेश.पास दिया जाएगा, जिसे बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखें ।

अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार / उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति तथा वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं ।

कड़े सुरक्षा कारणों से, ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है । अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु व्यवस्था स्वयं करें ।

Services Department of the Bank or to our Share Transfer Agent M/s MCS Ltd., New Delhi, for necessary updation of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participant for necessary action in this connection.

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

As per the new Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

The shareholders who have neither encashed nor received the dividend warrants for any of the previous years, which are not yet transferred to the IEPF, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate dividend warrant.

In order to avoid inconvenience to the shareholders, the Bank has raised the limit for requirement of Notarized Stamp Indemnity Bond for duplicate dividend warrant to Rs.50,000.00. As such, unstamped letter of Undertaking (Indemnity Bond) is accepted for the issue of duplicate dividend warrant upto Rs.50,000.00

DEDUCTION OF TAX AT SOURCE

Under Section 115-O of the Income Tax Act, 1961, no tax will be deducted at source in respect of dividend paid to the shareholders.

INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information with regard to accounts are requested to write to the Bank at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

ATTENDANCE SLIP

The members/proxies should bring the Attendance Slip, sent herewith, duly completed at the venue. On admission, an entry pass will be given which should be kept till end of the meeting.

OTHER INFORMATION:

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting

Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.

Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखा सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1. कारोबार परिचालन

बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष के 204441.53 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2011 को 235893.16 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बैंक की कुल जमाराशियां 139054.26 करोड़ रुपए रहीं जिनमें15.63% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 18796.67 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । जमा लागत वित्तीय वर्ष 2009-10 के 6.57% के मुकाबले 6.03% रही । बैंक ने उच्च लागत वाली जमाराशियां न लेने और इनके स्थान पर सामान्य दर पर तथा निम्न लागत वाली जमाराशियां लेने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया ताकि जमा लागत को कम किया जा सके । दूसरी ओर मार्च, 2011 के अंत में निवल अग्रिम 14.87% की वृद्धि दर्ज करते हुए 95908.22 करोड़ रुपए रहे। राजकोषीय वर्ष 2010–11 के दौरान, अग्रिमों पर आय पिछले वर्ष के 10.20% से बढ़कर 10.32% हो गई । बैंक द्वारा अग्रिमों पर आय बढ़ाने के लिए एसएमई , मध्यम कारपोरेट तथा रिटेल क्षेत्र को ऋण देने के साथ-साथ ब्याज की आधार दर लागू किए जाने के उपाय करने से अग्रिमों पर आय में सुधार हुआ ।

बैंक का ऋण जमा अनुपात मार्च, 2011 के अंत में 69.73% रहा । बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादनपरक क्षेत्रों को उपयुक्त एवं पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया। बैंक का ऋण एवं अग्रिम संविभाग सुविस्तृत और संतुलित है । बैंक ने सुनिश्चित किया कि पूँजी बाजार, स्थावर संपदा, एनबीएफसी आदि जैसे संवेदनाशील क्षेत्रों को दिए गए ऋण नियामक तथा विवेकपूर्ण सीमा के अन्दर हैं।

2. पूंजी और आरक्षित निधि

आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने 2010-11 के लाभ में से 1150 करोड़ रुपए आरक्षित निधियों में अंतरित किए (इसमें 376.00 करोड रुपए सांविधिक आरक्षित निधि, 774.00 करोड़ रुपए राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि में अंतरित किए गए)। इससे 31 मार्च, 2011 को बैंक की पूंजी एवं आरक्षित निधियां मार्च, 2010 के 8237.95 करोड़ रुपए से बढ़कर 11097.14 करोड़ रुपए हो गईं तथा औसत कार्यशील निधि की तुलना में पूंजी एवं आरक्षित निधि का अनुपात 31.03.2011 को 7.62% रहा जबकि 31 मार्च, 2010 को यह 6.61% था ।

3. पूंजी पर्याप्तता अनुपात

31 मार्च, 2011 को बासेल-II के अंतर्गत बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31मार्च, 2010 के (बासेल-II के अंतर्गत) 12.54% की तुलना में 14.23% रहा। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9.0% की न्यूनतम नियामक अपेक्षा से काफी अधिक है ।

4. वित्तीय कार्यनिष्पादन

राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की कुल आय पिछले वर्ष की 11457.17 करोड़ रुपए की तुलना में 13047.89 करोड़ रुपए रही और इसमें 1590.72 करोड़ रुपए की वृद्धि (13.88% की वृद्धि) हुई । बैंक का परिचालन लाभ 34.01% की वृद्धि दर्ज करता हुआ पिछले वर्ष के 2421.50 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 3245.14 करोड़ रुपए हो गया। राजकोषीय वर्ष 2010–11 के दौरान सभी अपेक्षित प्रावधान करने के बाद बैंक का निवल लाभ 368.19करोड़ रुपए (32.45%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 1502.87 करोड़ रुपए रहा ।

निवल लाभ में से विनियोजन अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका के अनुसार किया गया है :

DIRECTOR'S REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting this Annual Report together with the Audited balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2011.

1. BUSINESS OPERATIONS

The Business of the Bank stood at Rs. 235893.16 crore on 31st March 2011 as against Rs. 204441.53 crores in the previous year. Total deposits of the Bank stood at Rs. 139054.26 crore and have shown an increase of Rs. 18796.67 crore depicting a growth of 15.63%. Cost of deposit stood at 6.03% as against 6.57% for financial year 2009-10. The Bank has taken conscious decision of shedding high cost deposit and substituting the same with normal rate and lower cost deposits so as to contain the cost of deposits. On the other hand, net advances as at 31st March 2011 stood at Rs. 95908.22 crore, registering a growth of 14.87%. During the fiscal 2010-11, yield on advances has increased to 10.32% from previous year's level of 10.20%. The measures taken up by the bank to improve yield on advances through lending to SME, Mid Corporate and Retail sector besides implementation of Base Rate has enabled the bank to improve the yield on advances.

The credit deposit ratio of the Bank, as at 31st March 2011, stood at 69.73% . The Bank ensured adequate flow of credit to the productive sectors of the economy. The Loans & Advances portfolio of the bank is well diversified and balanced. The Bank has ensured that its exposure to sensitive sectors such as Capital Markets, Real Estate, NBFCs etc. is well within the regulatory & prudential cap.

2. CAPITAL & RESERVES

During the year, the bank transferred a sum of Rs.1150 crore to Reserves (which includes Rs. 376.00 crore transferred to Statutory Reserves, Rs. 774.00 crore to Revenue and other Reserves) out of the profit for the year 2010-11. With this, capital & reserves as on March 31, 2011 have gone upto Rs.11097.14 crore as against Rs. 8237.95 crore as at end March 2010 and the ratio of Capital & Reserves to average working funds stood at 7.62% as on 31.03.2011 as against 6.61% as on 31st March 2010.

3. CAPITAL ADEQUACY RATIO

As on March 31. 2011 the Capital Adequacy Ratio of the Bank under Basel –II stood at 14.23% as against 12.54% as on 31st March, 2010(under Basel-II). This is well above the regulatory minimum requirement of 9.0%.

4. FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank has posted a total income of Rs. 13047.89 crore during the year as against Rs. 11457.17 crore last year thus registering an increase of Rs. 1590.72 crore (a growth of 13.88% during the fiscal 2010-11. Operating Profit of the Bank has increased to Rs. 3245.14 crore as against Rs 2421.50 crore last year showing a growth of 34.01% The Bank has made a net profit of Rs. 1502.87 crore, after making all requisite provisions showing an increase of Rs. 368.19 crore (growth of 32.45%) during the fiscal 2010-11.

Appropriation from the Net Profit have been effected as per table given on next page:-

तालिका - 1: वित्तीय कार्यनिष्पादन (करोड़ रु0 में)

	31.03.2011	31.03.2010
ब्याज आय	12087.82	10257.13
अन्य आय	960.07	1200.04
कुल आय	13047.89	11457.17
प्रदत्त ब्याज	7910.27	7349.69
परिचालन व्यय	1892.48	1685.98
कुल व्यय	9802.75	9035.67
परिचालन लाभ	3245.14	2421.50
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	1742.27	1286.82
निवल लाभ	**1502.87**	**1134.68**
जोड़िए: आगे लाया गया लाभ	**0.58**	**0.83**
विनियोजन हेतु उपलब्ध निवल लाभ	**1503.45**	**1135.51**
विनियोजन		
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	376.00	284.00
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि में अंतरण	692.00	351.00
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	82.00	60.00
पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण	---	173.19
प्रस्तावित लाभांश	303.43	227.99
लाभांश पर कर	49.22	38.75
तुलनपत्र में ले जाया गया शेष	0.79	0.58

Table 1 : Financial Performance (Rupees in crore)

	31.03.2011	31.03.2010
Interest Income	12087.82	10257.13
Other Income	960.07	1200.04
Total Income	13047.89	11457.17
Interest Paid	7910.27	7349.69
Operating Expenses	1892.48	1685.98
Total Expenses	9802.75	9035.67
Operating Profit	3245.14	2421.50
Provisions & Contingencies	1742.27	1286.82
Net Profit	**1502.87**	**1134.68**
Add-Profit brought forward	**0.58**	**0.83**
Net Profit available for appropriation	**1503.45**	**1135.51**
APPROPRIATION		
Transfer to Statutory reserve	376.00	284.00
Transfer to Revenue and Other reserves	692.00	351.00
Transfer to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of I-T Act	82.00	60.00
Transfer to capital reserve	---	173.19
Proposed Dividend	303.43	227.99
Tax on Dividend	49.22	38.75
Balance carried over to Balance Sheet	0.79	0.58

5. लाभांश

आपके बैंक की लाभांश घोषित करने की नीति शेयरधारकों को उचित प्रतिफल देने तथा स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने और भावी विकास में सहयोग करने हेतु लाभ के पुनर्निवेश पर आधारित है। तदनुसार आपके निदेशक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए 104% (अर्थात् 10.40 रुपए प्रति शेयर) का कुल लाभांश देने का सहर्ष प्रस्ताव करते हैं जबकि पिछले वर्ष यह 91% (अर्थात् 9.10 रुपए प्रति शेयर) था ।

6. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों में 21.33% की वृद्धि दर्ज करते हुए 6267.10 करोड़ रु. की वृद्धि हुई, जो मार्च, 2010 के 29383.61 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2011 में 35650.71 करोड़ रुपए हो गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 40% की अपेक्षा की तुलना में बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 42.70% रहे । मार्च, 2010 तथा मार्च, 2011 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न खंडों के अंतर्गत अग्रिमों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

		(करोड़ ₹ में)	
क्र. सं.	क्षेत्र	मार्च, 2010	मार्च, 2011
1.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	29383.61	35650.71
2.	कृषि	11267.51	12721.13
3.	प्रत्यक्ष कृषि	6564.47	8887.91
4.	अप्रत्यक्ष कृषि	4703.04	3833.22
5.	लघु उद्योग / लघु उद्यम	10868.81	15844.45
6.	शिक्षा ऋण	942.72	1065.15
7.	आवास ऋण	6258.03	5979.69
8.	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	46.54	40.29

5. DIVIDEND

Your Bank's policy of declaring dividend is to reward the share holders as well as to plough back profit for maintaining a healthy capital adequacy ratio & for supporting future growth. Accordingly, your Directors are pleased to propose a total dividend of 104 % (i.e Rs.10.40 per share)for the year ended 31st March, 2011 as against 91%(i.e. Rs.9.10 per share) paid for the preceding year.

6. SECTORAL DEPLOYMENT OF CREDIT TO PRIORITY SECTOR

Bank's advances to priority sector increased by Rs. 6267.10 crore from Rs. 29383.61 crore in March 2010 to Rs. 35650.71 crore in March 2011 registering a growth of 21.33%. The Priority Sector Advances constituted 42.70% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulation of 40%. The comparative position of advances under various segments under Priority Sector as at the end of March 2010 and March 2011 is as follows:

		(Amount ₹ in crore)	
S.No.	Sectors	March 2010	March 2011
1.	Priority sector credit	29383.61	35650.71
2.	Agriculture	11267.51	12721.13
3.	Direct Agriculture	6564.47	8887.91
4.	Indirect Agriculture	4703.04	3833.22
5.	SSI / SE	10868.81	15844.45
6.	Educational Loan	942.72	1065.15
7.	Housing Loan	6258.03	5979.69
8.	Other P.S.	46.54	40.29

6.1 कृषि अग्रिम

कृषि क्षेत्र को बैंक के अग्रिमों में 12.90% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1453.62 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो मार्च, 2010 के 11267.51 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2011 में 12721.13 करोड़ रुपए हो गए। प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में 35.39% की वृद्धि के साथ 2323.44 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और ये 31.03.2010 के 6564.47 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.03.2011 को 8887.91 करोड़ रुपए हो गए। अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष कृषि ऋणों के वर्गीकरण प्रतिमानों में परिवर्तन किए जाने से 18.49% की गिरावट के साथ 869.82 करोड़ रुपए की कमी आई और ये 31.3.2010 के 4703.04 करोड़ रुपए से घटकर 31.3.2011 को 3833.22 करोड़ रु. हो गए।

6.1.1 कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह (नए संवितरण)

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान कृषि क्षेत्र को 6947.06 करोड़ रु. के ऋण दिए गए। इस वर्ष के दौरान कुल 221651 नए कृषि ऋण खाते खोले गए। इनमें प्रति ग्रामीण व अर्धशहरी शाखा के लिए निर्धारित 250 खातों की तुलना में औसतन 293 नए कृषि ऋण खाते शामिल हुए ।

6.1.2 हाई–टैक डेरी

बैंक हाई–टैक वाणिज्यिक डेरी योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु ऋण प्रदान कर रहा है । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एंजेसियों / डेरी विकास बोर्ड द्वारा बेरोजगार युवकों को उनके कौशल उन्नयन के लिए एक माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 722 इकाईयों में 84.03 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई ।

6.1.3 ओरियन्टल सौर ऊर्जा दोहन योजना

गैर पारपम्पिक ऊर्जा संसाधनों के गहन प्रयोग की संभावनओं का पता लगाने तथा सीमित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए बैंक ऊर्जा के पारम्परिक रोत के व्यावहारिक विकल्प के रूप में, रौर जल तापन और प्रकाशन पद्धति के वित्तपोषण हेतु एक योजना को क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना व्यक्तिगत, संस्थागत, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। बैंक आइआरईडीए की एमएनआरई योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा जल तापन पद्धति के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। बैंक ने एमएनआरई गठबंधन व्यवस्था के अंतर्गत सौर ऊर्जा जल तापन पद्धति के लिए 25.79 लाख रु0 के ऋण प्रदान किए और बैंक ने वर्ष के दौरान 4.83 लाख रु0 की इमदाद राशि का दावा किया।

6.1.4 लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई)

मार्च, 2011 के अंत में लघु उद्यम में बैंक का ऋण मार्च 2010 को 10,868.8 करोड़ रुपए में 4975.64 करोड़ रुपए की वृद्धि (45.78% की वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि) के साथ 15844.45 करोड़ रुपए हो गया। इसके अतिरिक्त, एसएमई अग्रिम वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 20% की अपेक्षित वृद्धि की तुलना में 40.56% की वृद्धि दर्ज करते हुए 5098.97 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ बढ़कर 17670.27 करोड़ रुपए हो गए। अति लघु / सूक्ष्म (माइक्रो) क्षेत्र के अग्रिमों में 52.01% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1750.72 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो बढ़कर 5116.95 करोड़ रुपए हो गए ।

बैंक ने बाह्य स्रोतों से ऋण प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एनएसआईसी के साथ समझौता किया। बैंक के एसएमई ऋणियों को कम दर पर व्यापक रेटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ़ इंडिया लि0 (समेरा) के साथ समझौता व्यवस्था की है।

6.1.5 ओरियन्टल ग्रीन कार्ड (किसान क्रेडिट कार्ड) एवं ओरियन्टल किसान गोल्ड कार्ड (ओकेजीसी)

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान, बैंक द्वारा किसानों को फराल उत्पादन, कृषि मशीनरी एवं संयंत्रों की मरम्मत, संबद्ध क्रियाकलापों हेतु कार्यशील पूँजी, गैर–संस्थापरक निधि देनदारों से लिए गए पुराने ऋण चुकाने व उपभोग

6.1 Agriculture Advances

Bank's advances to agriculture increased by Rs.1453.62 crore from Rs.11267.51 crore in March 2010 to Rs.12721.13 crore in March 2011, registering a growth of 12.90%. The advances to direct agriculture segment increased by Rs.2323.44 crore from Rs.6564.47crore as on 31.3.2010 to Rs.8887.91crore as on 31.3.2011 constituting a growth of 35.39%. The Indirect agriculture advances decreased by Rs.869.82 crore from Rs.4703.04 crore as on 31.3.2010 to Rs.3833.22 crore as on 31.3.2011 showing an decrease of 18.49% due to change in norms of classification of indirect agriculture loans by RBI .

6.1.1. Flow of credit to Agriculture sector (Fresh disbursement)

During the financial year 2010-11, fresh disbursement of credit to agriculture sector amounted to Rs. 6947.06 crore. During the year, a total of 221651 new agriculture loan accounts were added. There was an average addition of 293 new agriculture loan accounts per rural and semi-urban branch against stipulation of 250 acconts.

6.1.2. Hi-Tech Dairy

The bank is providing credit to rural youths for their self employment under Hi Tech commercial dairy scheme. Under the scheme State Government Agencies / Dairy Development Boards impart one month training to unemployed youth for their skill upgradation. As on 31.03.11, an amount of Rs. 84.03 Crore has been sanctioned to 722 units.

6.1.3. Oriental Saur Urja Dohan Scheme

With a view to exploit the extensive use of unconventional energy resources and reduce the dependence on limited fossil fuel, the bank is implementing a scheme for financing solar water heating & lighting system, for creating a viable alternate to conventional source of energy. The scheme is open to individual, institutional, commercial and industrial users. Bank is also providing loan for solar water heating system, under MNRE scheme of IREDA. The bank finance for Solar Water Heating System amounted to Rs. 25.79 Lac under MNRE tie up arrangement and bank claimed subsidy of Rs. 4.83 Lac during the year.

6.1.4. Small and Medium Enterprises (SMEs)

Bank's exposure to Small Enterprises sector reached at Rs.15844.45 crore at the end of March 2011 with an increase of Rs. 4975.64 crore (Y-o-Y growth 45.78%) over Rs. 10868.81 crores as on March 2010. Further, SME advances increased by Rs. 5098.97 crore to Rs.17670.27 crore registering a growth of 40.56% against the stipulation of 20%. The Tiny/ Micro sector advances increased by Rs.1750.72 crore to Rs.5116.95 crore posting a growth of 52.01%.

Bank has a MOU with NSIC for outsourcing credit proposals. The Bank has a tie-up arrangement with SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA) for providing comprehensive rating services of SMEs borrowers of the Bank at subsidized rates.

6.1.5. Oriental Green Card (Kisan Credit Card) & Oriental Kisan Gold Card (OKGC)

During the Financial Year 2010-11, Bank has issued 1,02,206 cards to farmers to meet their credit requirement for crop production, repairing of agricultural machinery & equipment, working capital for allied activities, to repay their old debts taken

आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करने की दृष्टि से 102206 कार्ड जारी किए गए । इस वर्ष के दौरान, इन कार्डों के जरिए 2089.69 करोड़ रु. के ऋण संवितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2010–2011 के अंत में किसानों को जारी किए गए कार्डों की कुल संख्या बढ़कर 754734 हो गई।

6.1.6 ओरियन्टल बैंक ग्रामीण परियोजना (ओबीजीपी)

बैंक ओरियन्टल बैंक ग्रामीण परियोजना के आवास विकास मॉडल के अंतर्गत गरीब ग्रामीणों को वित्त प्रदान कर रहा है। यह सांयुक्त देयता समूह अवधारणा, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 सदस्य, विशेषकर महिलाएं शामिल हैं, के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड राज्यों में 256 गांवों में बसे 16136 गरीब परिवारों तक पहुचनें के लिए 3327 समूह बनाए हैं। मार्च, 2011 के अंत तक इन समूहों को दिए गए अग्रिमों की कुल राशि 30.88 करोड़ रुपए रही । इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा 8.76 करोड़ रुपए की बचत राशि जुटाई गई है ।

6.1.7 कमजोर वर्ग को अग्रिम

कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ लघु एवं सीमांत किसान/भूमिहीन श्रमिक/ग्रामीण शिल्पकार/अल्पसमुदाय/सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं (पीएमआरवाई को छोड़कर) के लाभग्राही शामिल हैं, को दिए गए अग्रिम मार्च, 2010 के अंत में रहे 4131.25 करोड़ रु0 में 50.58% की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च, 2011 के अंत में 6221.02 करोड़ रुपए हो गए ।

6.1.8 विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण

मार्च, 2011 के अंत तक ग्रामीण एवं शहरी इन दोनों क्षेत्रों में, समाज के निम्न आय वर्ग को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय क्रमश रू 18000/–रुपए तथा 24,000/– रुपए तक है, को 4% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर 73.52 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए ।

6.1.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

बैंक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जाता रहा। बैंक द्वारा समाज के इन वर्गों को दिए गए अग्रिम मार्च, 2010 के 421.03 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2011 में 530.66 करोड़ रुपए हो गए ।

6.1.10 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी)

यह योजना भारत सरकार द्वारा दो मौजूदा योजनाओं अर्थात् पीएमआरवाई और आरईजीपी को मिलाकर 1 अप्रैल 2008 से कार्यान्वित की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान 1497 व्यक्तियों को लाभांवित करने के आबंटित लक्ष्य के मुकाबले 1260 आवेदकों को 75.47 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की गई।

6.1.11 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

शहरी बेरोजगार युवकों (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे) को लाभप्रद रोजगार मुहैया करवाने की दृष्टि से स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करके बैंक इस योजना के प्रारंभ से ही उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । बैंक ने वर्ष 2010–11 के दौरान 2339 लाभग्राहियों को 12.18 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की ।

6.1.12 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

यह योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है और इसमें स्वरोजगार संबंधी पहलू जैसे, ग्रामीण निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित

from non institutional money lenders and consumption needs. The total amount of loan disbursed through kisan credit cards during the year was Rs.2089.69 crore. At the end of financial year 2010-11, the total number of cards issued to farmers rose to 754734.

6.1.6. Oriental Bank Grameen Project (OBGP)

Bank is providing finance to rural poor under home grown model of micro finance viz. Oriental Bank Grameen Project. It is being implemented through Joint Liability Group concept consisting of 5 members in each group, preferably women.

The Bank has formed 3327 Groups reaching out to 16136 poor families spread across 256 villages in the states of Pubjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand. The cumulative amount advanced to these groups as at the end of March 2011 was Rs. 30.88 crore. Savings to the tune of Rs. 8.76 crore have been mobilized by the groups.

6.1.7. Advances to Weaker Sections

Advances to weaker sections, consist of beneficiaries belonging to scheduled castes/scheduled tribes/small and marginal farmers/ landless labourers/rural artisans/minority community/ beneficiaries under Govt. Sponsored schemes (except PMEGP) reached to Rs. 6221.02 crore as a the end of March 2011 as against Rs. 4131.25 crore as at the end of March 2010 registering growth of 50.58%.

6.1.8. Credit under Differential Rate of Interest Scheme

Credit flow at concessional rate of interest of 4% p.a. to the low-income group of the society both in rural having annual family income upto Rs. 18,000/- and urban having annual family income upto Rs. 24,000/- centres was Rs. 73.52 crore as at the end of March 2011.

6.1.9. Loans to SCs/STs

Bank continues its thrust in providing financial assistance to SCs/STs beneficiaries. The advances to these beneficiaries improved to Rs.530.66 crore in March 2011 against Rs. 421.03 crore as at the end of March 2010.

6.1.10. Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

The Scheme has been implemented by the Government of India by merging the two existing schemes viz. PMRY and REGP w.e.f. 1st April 2008. The scheme aims for generation of employment opportunities through establishment of micro enterprises in rural as well as urban areas. The bank has sanctioned credit assistance to the tune to Rs.75.47 crores to 1260 applicants under the scheme during the year 2010-11 against allocated target of benefiting 1497 persons.

6.1.11. Swaran Jyanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY)

For providing gainful employment to urban poor (living below the urban poverty line) through setting up self employment ventures, bank is providing financial assistance under the scheme since its inception. The bank sanctioned to 2339 beneficiaries to the tune of Rs.12.18 crores during 2010-11.

6.1.12. Swarn Jyanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY)

The scheme is operative in rural areas of the country and cover the aspects of self employment such as organization of rural poor into Self Help Group (SHGs) training credit technology, infrastructure

करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, मूलभूत सुविधाएं व मार्किटिंग शामिल हैं । बैंक इस योजना में भाग ले रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान, बैंक ने 2015 स्वरोजगारियों को 16.69 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

6.1.13 महिला लाभग्राहियों को ऋण

महिलाएं बड़ी जिम्मेवारियां संभाल रही हैं तथा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहीं हैं परन्तु देश की वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं ले पाती हैं। अतः महिलाओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करने के लिए बैंक ने भारत सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं को अधिक ऋण प्रदान करने हेतु 13 सूत्री कार्य योजना को कार्यान्वित किया है। बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए विशेषीकृत शाखाओं के रूप में 10 शाखाओं को नामित किया है ।

बैंक द्वारा ओरियन्टल महिला विकास योजना,व्यावसायिक एवं स्वनियोजित महिलाओं के लिए ऋण योजना,ब्यूटी पार्लरों/बुटीक/सैलूनों/दर्जी की दुकानों के लिए ऋण योजना, कामकाजी महिलाओं को वित्तीय सहायता हेतु योजना, ओरियन्टल स्वर्ण योजना आदि जैसी कई ऋण योजनाएं महिलाओं के लिए विशेष रुप से तैयार की गई हैं । इसके अलावा, ओरियन्टल बैंक ग्रामीण प्रोजेक्ट (ओबीजीपीद्ध नामक एक विशेष परियोजना में ग्रामीण निर्धन महिलाओं को सभी प्रकार की बैंकिंग सहायता प्रदान की जाती है।

इसके परिणामस्वरुप, बैंक द्वारा महिलाओं को दिए गए अग्रिमों में 17.33% की वृद्धि दर्ज करते हुए 632.29 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो मार्च, 2010 के अंत में 3646.69 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2011 में 4278.98 करोड़ रुपए हो गए । महिला लाभग्राहियों को दिए गए बैंक अग्रिम 5% के लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 2011 को एएनबीसी का 5.12% थे ।

6.1.14 वित्तीय समावेशन

औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से वंचित समाज के वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से, बैंक ने 2000 से अधिक की आबादी वाले 300 आवंटित गांवों में व्यवसाय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा वित्तीय समावेशन नीति को कार्यान्वित किया है। बैंक इन गांवों में लोगों को बायोमीट्रिक कार्डों तथा हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों (पीओएस) के उपयोग द्वारा उन तक पहुंचकर सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इन 300 गावों में 77,940 वित्तीय समावेशन येाजना (एफआईपी) ग्राहक बायोमीट्रिक कार्ड जारी किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 25,823 गाहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु एक्टीवेट हुए बायोमीट्रिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त, बैंक 6 जिलों अर्थात् अमृतसर, मुक्तसर, गुरूदासपुर (पंजाब, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ (राजस्थान) तथा जींद (हरियाणा) में समाज कल्याण योजना निधि के वितरण की परियोजना भी लागू कर रहा है। समाज कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए कुल 1,66,146 लाभग्राहियों को बायोमीट्रिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। शहरी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक ने कालकाजी कृषि मंडी के श्रमिकों को 1158 बायोमीट्रिक कार्ड जारी किए हैं।

6.1.15 अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व

बैंक तीन जिलों अर्थात् पंजाब के फिरोजपुर, राजस्थान के श्रीगंगानगर और हरियाणा के पलवल जिले में अग्रणी बैंक के कार्य कर रहा है ।

6.1.16 ओबीसी ग्रामीण विकास न्यास

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न स्थलों पर प्रशिक्षण एवं केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष प्रयोजन संस्था, ओबीसी ग्रामीण विकास न्यास की स्थापना की है। इस न्यास की स्थापना 09 दिसंबर, 2005 को एक पंजीकृत निकाय के रूप में हुई ।

and marketing. The bank is participating in the schemes. During 2010-11 bank sanctioned financial assistance to 2015 swarojgaries to the tune of 16.69 crore.

6.1.13. Credit Flow to Women Beneficiaries

Women are assuming greater responsibilities and playing an active role in the economic growth of the nation but remain under represented while receiving the credit delivery from the Financial Institutions of the country. So for strengthening of credit flow to women, Bank has implemented 13-points action plan as advised by the Government of India. Bank has designated 10 branches as specialized branches for women entrepreneurs.

A number of credit schemes, such as Oriental Mahila Vikas Yojana, Loan scheme for Professional & Self Employed Women, Loan scheme for Beauty Parlour/ Boutiques/ Saloons/ Tailoring, Scheme for Financing Working Women, Oriental Swaran Yojana etc. are designed by the bank especially for women. Besides, a special project called Oriental Bank Grameen Project (OBGP) provides all types of banking assistance to the rural poor women.

As a result the Bank's advance to women increased by Rs.632.29 crore from Rs. 3646.69 crore as on March 2010 to Rs. 4278.98 crore as on March 2011 registering a growth of 17.33%. Bank's advances to women beneficiaries as on March 2011 was 5.12% of ANBC against the required stipulation of 5%.

6.1.14. Financial Inclusion

With a view to provide banking facilities to the sections of society so far deprived from the formal financial sector, Bank has rolled out Financial Inclusion Plan in 300 allotted villages with population more than 2,000 through Business Correspondent model. Bank is providing services to people in these villages at their doorsteps using biometric cards and hand held devices (POS).

In these 300 villages 77,940 Financial Inclusion Plan (FIP) customers have been enrolled for issuance of Bio-metric card; out of which 25,823 customers have been issued activated Bio-metric card for extending banking services.

Further, Bank is also implementing project of distribution of Social Welfare scheme funds in 6 districts namely Amritsar, Muktsar, Gurdaspur (Punjab), Sriganganagar, Hanumangarh (Rajasthan) and Jind (Haryana). A total number of 1,66,146 beneficiaries have been issued Bio-metric cards/ Smart cards for distribution of benefits of Social Welfare schemes under Urban Financial inclusion bank has issued 1158 biometric cards to Kalkaji Agri Mandi labourers.

6.1.15. Lead Bank Responsibility

Bank is performing the functions of Lead Bank in three Districts namely Ferozpur in Punjab, Sriganganagar in Rajasthan and Palwal in Haryana.

6.1.16.OBC Rural Development Trust

Bank has set up a special purpose vehicle in the name of Oriental Bank Rural Development Trust (OBCRDT) for setting up Training Centres at various places across the country for imparting training for capacity building in rural areas. The Trust came into being on the 9th December 2005 as a registered body.

इस न्यास का प्रमुख उद्देश्य किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों, ट्रैक्टर / कृषि मशीनरी के रखरखाव तथा कृषि / ग्रामीण विकास के अन्य पक्षों–सूक्ष्म वित्त तथा ग्रामीण युवकों एवं महिलाओं की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कॉलेज / संस्थान तथा कार्यशालाओं की स्थापना करना है ।

इस समय देहरादून, श्रीगंगानगर, जयपुर और फिरोजपुर में चार ओवीसीआरसेटी (ओबीसी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यरत हैं ।

हमें चोमू (जयपुर) राजस्थान और जीरा (फिरोजपुर), पंजाब में राज्य सरकार द्वारा जमीन आबंटित की गई है। चोमू में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भवन का उद्घाटन दिनांक 30.03.2011 को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री नमो नारायण मीणा जी के करकमलों से हुआ। जीरा (फिरोजपुर) में निर्माण कार्य जोरो पर है। भारत सरकार ने इन केंद्रों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। न्यास हरियाणा के पलवल जिले में भी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का कार्य कर रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान कुल 177 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और 5379 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से टेलरिंग एवं ड्रेस डिजाइनिंग, जलसंभरण प्रबंधन, फुलकारी, कढ़ाई, दूधारू पशुपालन, फसल उत्पादन, ब्यूटी पार्लर, चिकित्सीय वृक्षारोपण आदि विषयों पर 50 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम थे जिनमें कुल 1325 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए। कुल 457 प्रशिक्षित व्यक्तियों को आर्थिक कार्यकलाप करने / स्थापित करने के लिए ऋण दिया गया । समाज में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों, जिनके विषय में केन्द्रों द्वारा संबंधित डीआरडीए से सूची ली जाती है, को भी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है । इन केन्द्रों ने कुल मिलाकर आरंभ से 588 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 20586 उम्मीदवार लाभान्वित हुए ।

6.1.7 वित्तीय साक्षरता व ऋण परामर्श (एफएलसीसी)

बैंक ने हरियाणा राज्य में करनाल एवं पलवल जिलों में 2 एफएलसीसी केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में परामर्शदाता है जो जिलों में निवारक तथा बचावकारी ऋण उपलब्ध कराते हैं। मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 795 व्यक्ति एफएलसीसी से लाभान्वित हुए। साथ ही निवारक ऋण परामर्श पर 5 सेमिनार आयाजित किए गए।

6.2 रिटेल ऋण

बैंक रिटेल ऋण बढ़ाने पर जोर देता रहा है। समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की 10 रिटेल ऋण योजनाएं हैं जिनमें आवास ऋण भी शामिल हैं । हमारी ऋण योजनाएं ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रतिस्पर्धी हैं तथा समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप में तैयार की गई हैं । बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बना रहा है और रिटेल खंड को बढ़ावा देने तथा अपेक्षित वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित बिल्डिरों तथा ऑटो निर्माताओं के साथ गठबंधन भी किए गए हैं ।

6.3 शिक्षा ऋण

बैंक के शिक्षा ऋण 31.03.2011 को 1102.44 करोड़ रु. रहे और इसमे वर्ष दर वर्ष 13.45% की वृद्धि हुई। बैंक ने छात्रों को सरल शर्तों तथा प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान करने के साथ–साथ छात्राओं को 0.50% की रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करने हेतु अपने प्रयास जारी रखे। दाखिले के समय शिक्षा संस्थानों में शिक्षा कैम्प भी लगाए गए।

The main objective of the Trust is to establish training colleges/institutes and workshops for providing training for farmers on modern techniques of farming, tractor/farm machinery repair & maintenance and other aspects of agriculture/rural development; micro finance and capacity building of the rural youth and women.

Presently four OBCRSETIs (OBC Rural Self Employment Training Institutes) are functional at Dehradun, Sriganganagar, Jaipur and Ferozepur.

We have been allotted land by the State Government in Chomu (Jaipur), Rajasthan and Zira (Ferozepur), Punjab. The RSETI building at Chomu was inaugurated in the hands of Shri. Namo Narain Meena Hon'ble Union Minister of State for Finance on 30.03.2011. Construction work is also in full swing at Zira (Ferozepur). Govt of India has sanctioned an amount of Rs. 2 crores for constructions of two centres. Trust is also in the process of setting up training centre in the Palwal district of Haryana.

During the Financial Year 2010-11, a total of 177 training programmes were conducted and 5379 candidates were given training. Of these 50 were entrepreneurship development programmes on subjects like tailoring & dress designing, watershed management, phulkari embroidery, milch animal rearing, crop production, beauty parlour, medicinal plantation, etc which benefitted 1325 candidates. A total of 457 trained persons were credit linked for pursuing/setting up of economic activities. Emphasis is also given to train candidates from BPL strata of the society for which list of candidates is obtained by the centres from respective DRDA. Cumulatively these centres have conducted 588 training programmes since inception benefiting 20586 candidates.

6.1.17. Financial Literacy & Credit Counselling (FLCC)

Bank has established 2 FLCC centers in District Karnal and Palwal in the state of Haryana. These centres are being manned by counselors who provide preventive and curative debt counselling within the district. As on March 2011, 795 persons benefitted from the FLCC. Further 5 seminars on preventive debt counselling were conducted.

6.2. Retail Credit

Retail Credit segment continues to be the Thrust area of lending. The Bank is having 10 Retail Credit Scheme including Home loans to meet the requirements of various sections of the society. Our Retail Credit Schemes are customer friendly, competitive and specifically designed to suit all sections of the society. The Bank has been formulating customized schemes and is also having tie-ups with various reputed builders and auto manufacturers to boost its Retail segment.

6.3. Education Loan

The education loan portfolio of the Bank stood at Rs.1102.44 crore as on 31.03.11 and showed Y.O.Y. Growth of 13.45%. Bank continued its efforts for extending education loans to students on soft terms & conditions and competitive rates besides 0.50% concessions in rate of interest is being given to girl students. During the admission season, education loan camps were organized in the campus of the educational institutions.

7. राजकोषीय परिचालन

सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय कम हो गई। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने तथा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति दबाव को रोकने के लिए रेपो दरों में 175 आधार अंकों की तथा रिवर्स रेपो दर में 225 आधार अंकों की युक्तियुक्त वृद्धि की। ईक्विटी बाजार विश्व में आर्थिक बहाली होने के परिणामस्वरूप सकारात्मक बना रहा और देशी कंपनियों ने मजबूत वृद्धि दर्शाई। वित्तीय वर्ष 2010–11 में गौण बाजार का टर्नओवर 85,626.03 करोड़ रुपये रहा। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान गौण बाजार परिचालनों से निवल लाभ 78.06 करोड़ रुपये रहा। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान बैंक ने 1720.17 करोड़ रु0 के बही मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफएस) श्रेणी से 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) श्रेणी में अंतरित किया और 962.34 करोड़ रु. के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफएस) श्रेणी में अंतरित किया और इस प्रक्रिया में 64.05 करोड़ रु0 का मूल्यह्रास दर्ज किया। बैंक का कुल निवेश पिछले वर्ष के 35785.32 करोड़ रु0 में 17.8% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2010–11 में 42153.04 करोड़ रु0 हो गया । निवेश पर आय, निवेश खंड में स्थाई आय प्रतिभूतियों पर हुई आय में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के 7.08% से बढ़कर 7.21% हो गई।

8. मर्चेंट बैंकिंग क्रियाकलाप

बैंक एनएसडीएल और सीएसडीएल दोनों में निक्षेपागार भागीदार के रूप में पंजीकृत है। लगभग 76,000 से अधिक ग्राहक बैंक की डी-मैट सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और पैन संबंधी अपेक्षा का अनुपालन न करने वाले शून्य शेषराशि वाले खातों को सेबी के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान डी-मैट सेवाएं देने वाली शाखाओं की संख्या बढ़कर 307 हो गई। बैंक अपने ग्राहकों के लिए आईडीबीआई कैपिटल मार्किट सर्विसिज़ के साथ मिलकर ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है ।

राजकोषीय वर्ष के दौरान बैंक ने निजी स्थापन आधार पर कुल 300 करोड़ रु. के नवोन्मेषकारी बेमीयादी ऋण लिखत, कॉल आप्शन का प्रयोग न किए जाने के मामले में 10 वर्षों के बाद 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि होने के खंड सहित 9.05% वार्षिक के कूपन पर जारी करके टियर-I पूंजी को बढ़ाया। ये बाण्ड 17.09.2010 को 23 अभिदाताओं को जारी किए गए।

राजकोषीय वर्ष के दौरान बैंक ने निजी स्थापन आधार पर कुल 200 करोड़ रु. के अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण उच्च टियर–II बांड, कॉल आप्शन का प्रयोग न किए जाने के मामले में 10 वर्षों के बाद 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि होने के खंड सहित 8.68% वार्षिक के कूपन पर जारी करके टियर–II पूंजी को भी बढ़ाया। ये बाण्ड 20.09.2010 को 6 अभिदाताओं को जारी किए गए।

8.1 अवरूद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए)

हमारा बैंक अपने ग्राहकों को अवरूद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) सेवा उपलब्ध कराने के लिए सेबी में स्व-प्रमाणित सिण्डीकेट बैंक के रूप में रजिस्टर्ड है। एएसबीए ऐसा आवेदन है,जिसमें स्व-प्रमाणित सिंडीकेट बैंक (एससीएसबी) में रखे गए बैंक खाते में आवेदन राशि को अवरूद्ध करने का प्राधिकार निहित होता है।

एएसबीए सुविधा के अंतर्गत किसी निर्गम (आईपीओ/राइट्स इश्यू) में लगाई जाने वाली आवेदन की राशि तब तक ग्राहक के बैंक खाते में रहती है जब तक की आबंटन नियत नहीं हो जाता और पूरी आवेदन राशि के स्थान पर आबंटित शेयरों के समतुल्य वास्तविक राशि ही डेबिट की जाती है ।

बैंक देश भर में 552 प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से एएसबीए ऑफ़लाईन सुविधा प्रदान कर रहा है। ऑनलाईन एएसबीए सुविधा भी मार्च , 2011 से आरंभ कर दी गई है ।

7. TREASURY OPERATIONS:

The G-Sec yields hardened across the curve owing to stubbornly higher inflation and tighter system liquidity. During the FY 2010-11, RBI raised Repo rates by 175 bps and Reverse Repo by 225 bps in a calibrated manner to reign in inflation and prevent inflationary pressure building in the economy. The Equity market remained positive on account of global economic recovery and strong growth reported by domestic companies. The secondary market turnover has been Rs. 85,626.03 crore in FY 2010-11.The net profit in the secondary market operations has been Rs. 78.06 crores during the FY 2010-11. During the FY 2010-11 Bank has shifted government securities having book value Rs. 1720.17 crores from 'Available for sale'(AFS) category to 'Held to Maturity' (HTM) category, and shifted securities having book value Rs 962.34 crores from 'Held to Maturity' (HTM) to Available for Sale (AFS) category, and in the process booked depreciation of Rs. 64.05 crores. The aggregate investments of the Bank have increased to Rs 42,153.04 crores in FY 2010-11 from Rs 35785.32 crores last year, an increase of 17.8%. The yield on investments has increased to 7.21% from 7.08% last year owing to rise in the yield of Fixed income securities in the investment portfolio.

8. MERCHANT BANKING ACTIVITIES:

The Bank has been registered as Depository Participant with both NSDL & CSDL. More than 76,000 customers are availing the demat services of the Bank and PAN non-complaint zero balance accounts have been closed as per SEBI directive. The number of branches offering demat services has gone up to 307 during the year 2010-11. The Bank is also offering online trading services in collaboration with IDBI Capital Market Services Ltd. for its customers.

During the fiscal year, the Bank raised Tier I Capital through issue of Innovative Perpetual Debt Instrument aggregating Rs.300 crore on private placement basis at the coupon of 9.05% p.a with a step up of 50 bps after 10 years in case the call option is not exercised. The Bonds were allotted to 23 subscribers on 17.09.2010.

During the fiscal year, the Bank also raised Tier II Capital through issue of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds aggregating Rs.200 crore on private placement basis at the coupon of 8.68% p.a with a step up of 50 bps after 10 years in case the call option is not exercised. The Bonds were allotted to 6 subscribers on 20.09.2010.

8.1 Applications supported by Blocked Amount (ASBA)

Our Bank has been registered with SEBI as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for providing Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) facility to its customers. ASBA is an application containing an authorisation to block the application money in the bank account maintained with SCSB.

Under the ASBA facility, the application amount for subscribing to an issue (IPO/Rights issue), remains in the bank account of the customer till allotment is finalized and actual amount equal to allotted shares is only debited instead of total application amount.

The Bank is providing ASBA offline facility through 552 authorized branches across the country. Online ASBA facility has also been started in March 2011 for internet banking customers.

9 विदेशी मुद्रा कारोबार

राजकोषीय वर्ष 2010–11 के दौरान फॉरेक्स टर्न ओवर 31.03.2010 के 49924 करोड़ रुपए में 34.02% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2011 को 66912.60 करोड़ रुपए हो गया। 31.03.2011 को बैंक का निर्यात ऋण 31.03.2010 के 3963 करोड़ रुपए में 13.72% की वृद्धि के साथ 4507 करोड़ रुपए हो गया। आलोच्य वर्ष के दौरान 7 और शाखाओं को विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए प्राधिकृत किया गया जिससे ऐसी प्राधिकृत शाखाओं की संख्या बढ़कर 94 हो गई। ड्राफ्ट और त्वरित आहरण व्यवस्था हेतु एक्सचेंज हाउसों के साथ गठजोड़ की संख्या मौजूदा 2 से बढ़कर 6 हो गई है जिससे अधिक से अधिक अनिवासी (एनआरआई) खाते जुटाने और धनप्रेषण कारोबार को बढ़ाने में सुविधा हुई है। विदेशी मुद्रा कारोबार से होने वाली कुल आय 31.03.2010 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के 162.43 करोड़ रु. में 38.90% की अच्छी वृद्धि दर्ज करते हुए चालू वर्ष में 225.63 करोड़ रु. हुई। बैंक ने 31.03.2011 को 1755 करोड़ रुपए की अनिवासी जमाराशियां जुटाई । दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय के परिचालन को दो वर्ष पूरे हो गए हैं । यह कार्यालय बैंक के अनिवासी ग्राहक आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से दुबई में भारतीय प्रवासियों के अनिवासी खाते जुटाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शुल्क आधारित उत्पादों जैसे वैस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर में भी वृद्धि देखी गई ।

बैंक ने दिनांक 30.10.2010 से अर्थात् धनतेरस / दीपावली के शुभ मौके पर सोने की सिक्कों की बिक्री आरंभ की। वर्तमान में पूरे भारत में फैले 68 केंद्रों से विभिन्न मूल्यवर्ग के सोने के सिक्कों की बिक्री की जा रही है । यह बैंक की गैर ब्याज आय की अनुपूरक है। 6 माह के अल्प समय में बैंक ने सोने के सिक्कों की बिक्री से 0.37 करोड़ रुपए की आय अर्जित की।

10. अन्य पार्टी उत्पाद

10.1जीवन बीमा कारोबार (संयुक्त उद्यम)

अप्रैल 2010 - मार्च 2011 के दौरान बैंक ने 159.20 करोड़ रुपए के पहले प्रीमियम की राशि की 42393 पॉलिसियां बेची और 35.56 करोड़ रुपए का (कुल) कमीशन अर्जित किया ।

10.2 सामान्य बीमा कारोबार

बैंक ने सामान्य बीमा कारोबार के अंतर्गत सतत वृद्धि जारी रखी और लगभग 24.45 करोड़ रुपए का प्रीमियम जुटाते हुए 3.09 करोड़ रुपए के कमीशन द्वारा आय अर्जित की ।

10.3 म्युचुअल फंड कारोबार

बैंक 6 म्युचुअल फण्ड गृहों के म्युचुअल फण्ड उत्पादों की बिक्री कर रहा है । वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने म्युचुअल फण्ड उत्पादों की बिक्री की और इस क्षेत्र के तहत 62.14 करोड़ रुपए की प्रबंधाधीन आस्तियां (ए.यू.एम.) संग्रहित करते हुए 31.07 लाख रु0 की आय अर्जित की ।

10.4 नई पेंशन योजना(एनपीएस)

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने भारत के सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना में अभिदान करने के लिए दिनांक 01.05.2009 से बैंक को प्वाइटस ऑफ़ प्रेजेंस (पीओपी) नियुक्त किया है। कुल 251 शाखाओं को प्वाइंट ऑफ़ प्रेजेंस–एसपी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है ।

10.5 डी-मैट खाते

बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों का निक्षेपागार भागीदार है। इस कारोबार श्रेणी में इसके 76000 से अधिक खाते हैं और बैंक ने वित्तीय वर्ष

9. FOREIGN EXCHANGE BUSINESS

During the fiscal year 2010-11, Forex turnover increased to Rs.66912.60 Crore as on 31.03.2011 as against Rs.49924 Crore as on 31.03.2010, thus registering a growth of 34.02%. The export credit of the bank stood at Rs.4507 Crore as on 31.03.2011 as against Rs.3963 Crore as on 31.03.2010, thus registering a growth of 13.72%. During the year under review,7 more branches were authorized to conduct foreign exchange business taking up such authorized branches to 94. The tie ups with exchange houses for Draft and Speed drawing arrangement has further increased from existing 2 to 6, which facilitates in garnering more & more NRI accounts and increase in remittance business. The total earning from foreign exchange business also registered a substantial increase from Rs.162.43 Crore for the year ended 31.3.2010 to Rs.225.63 crore for the current financial year, registering a growth of 38.90 % over the preceding financial year. The bank has mobilized non resident deposits to the tune of Rs.1755 Crore as on 31.03.2011. The operations at Representative Office at Dubai has completed its two years of operations, acting as catalyst to canvass non-resident accounts of Indian expatriates in UAE to expand the Non resident customer base of the bank. The fee-based products like Western Union Money Transfer have also shown growth during the preceding financial year.

Bank also started selling the gold coins w.e.f. 30.10.2010 i.e. on the auspicious occasion of Dhanteras / Deepawali. Presently the Gold coins of different denominations are being sold from 68 locations spread all over India. This has supplemented the bank's non-interest income. During the short span of 6 months bank earned Rs0.37 crore on sale of gold coins.

10. THIRD PARTY PRODUCTS:

10.1 Life Insurance Business (JV):

During April 2010 – March 2011 the Bank sold 42393 policies with First Premium Collection of Rs. 159.20 Crores and has earned commission of Rs. 35.56 Crores (Gross).

10.2 General Insurance Business:

Under General Insurance Business the Bank has been registering steady growth and has collected around Rs. 24.45 Crores as Premium collections and income by way of Commission at Rs. 3.09 Crores.

10.3 Mutual Fund Business:

The Bank has been selling the Mutual Fund products of the 6 Mutual Fund Houses. During the Financial year 2010-11 the Bank has sold Mutual Fund products and collected AUM of Rs. 62.14 Crores and earned income of Rs. 31.07 Lacs under this segment.

10.4 New Pension Scheme (NPS):

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has appointed the Bank as Points of Presence (POP) w.e.f. 01.05.2009 for the purpose of subscribing to New Pension Scheme (NPS) for all citizen of India. Total 251 branches have been selected to act as POP-SPs.

10.5 Demat Accounts:

The Bank is a Depository Participant for both NSDL and CDSL. It has more than 76,000 accounts under this category of Business

2010-11 के दौरान 4.34 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। बैंक ने आईडीबीआई कैपिटल मार्किट सर्विसेज लि0 के साथ गठबंधन किया है और अपने डि-मैट खाता धारकों को 289 चयनित शाखाओं के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

10.6 सोने के सिक्के:

विभिन्न मूल्यवर्गों (5 ग्राम, 8 ग्राम एवं 10 ग्राम) के सोने के सिक्कों की रिटेल बिक्री 12 क्षेत्रों में 83 शाखाओं के जरिए 30.10.2010 को आरंभ की गई । वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 5937 सोने के सिक्कों की बिक्री की गई ।

10.07 विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्ड:

बैंक ने हमारी शाखाओं के माध्यम से अपने लगभग 1.5 करोड़ के ग्राहक आधार, स्टाफ़ सदस्यों तथा अन्य नागरिकों को विशिष्ट पहचान कार्ड जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ दिनांक 11.8.2010 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वित्तीय वर्ष 2110–11 के दौरान लगभग 66,300 यूआईडी कार्ड जारी किए गए।

10.8 नकदी प्रबंधन सेवाएं:

बैंक अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी और आवश्यकता आधारित सीएमएस समाधान प्रदान कर रहा है । बैंक नकदी प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत अपने ग्राहकों को संग्रहण, भुगतान और अभिरक्षक सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक देश भर में ग्राहकों को अपनी शाखाओं के जरिए 121शहरों में और प्रतिनिधि व्यवस्था के जरिए 500 केन्द्रों पर नकदी प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 1351.07 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर प्राप्त किया और 1.38 करोड़ रुपए की गैर-ब्याज आय अर्जित की ।

11. शाखा विस्तार:

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 28 विस्तार पटलों का उन्नयन करने के साथ–साथ 84 नई शाखाएं खोलीं। 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल शाखाएं 1620 रहीं जबकि 31.03. 2010 को इनकी संख्या 1508 थी। मार्च, 2011 के अंत में शाखाओं के जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्गीकरण	31.03.2011	31.03.2010
1	ग्रामीण	334	306
2	अर्द्धशहरी	423	373
3	शहरी	489	473
4	महानगरीय	374	356
	कुल	1620	1508

12. ग्राहक सेवा

बैंक ने अपनी उन्नत तकनीकी का प्रयोग करके मौजूदा सेवाओं को बेहतर बनाने एवं नवोन्मेषकारी नई सेवाओं द्वारा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के प्रयास जारी रखे। बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए उन्हें दक्ष व प्रभावी सेवाएं प्रदान करने हेतु मोबाइल बैंकिंग (ओबीसीएमपे), इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं, इंटरनेशनल प्रोटोन डेबिट कार्ड, एसएमएस बैंकिंग सेवा, एटीएम के जरिए निधि अंतरण (केवल उन्हीं खातों में जो एटीएम कार्ड से संबद्ध हैं) बैंक के एटीएम पर 24X7 आधार पर उपलब्ध चेक की स्थिति जानने तथा चेक का भुगतान रोकने की सुविधा, चयनित भावी मर्चेन्ट संस्थानों पर बिक्री केंद्र टर्मिनल (पीओएस) की स्थापना, चेक जमा कराने की सुविधा के लिए कुछ शाखाओं में चेक जमा करने की मशीन लगाना जिनमें पावती सूचना स्वयं मशीन द्वारा जनरेट होती है, सेवा करों आदि का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा आदि आरंभ की है।

and has recorded a revenue generation of Rs.4.34 Crores in this Financial year 2010-11. The Bank has tied up with the IDBI Capital Market Services Ltd., and providing Online Trading facilities to its DEMAT Account holders through 289 identified Branches.

10.6 Gold Coins:

The Retail sale of Gold Coins in different denominations (5 grams, 8 grams & 10 grams) was launched on 30.10.2010 through 83 branches in 12 Regions. 5937 Gold Coins have been sold during the financial year 2010-11.

10.7 UID Cards:

The Bank has entered into MOU with Unique Identification Authority of India (UIDAI) on 11.08.2010 as Registrar for issuing UID cards to its customers base of about 1.5 Crores, staff members and other citizens through our Branches. Approximate 66,300 UID cards got enrolled during the financial year 2010-11

10.8 Cash Management Services (CMS):

The Bank provides an efficient and tailor-made CMS solution to suit the customer requirements. The Bank is offering Collections, Payments and Custodial Services to the Customers under Cash Management Services. The Bank has coverage of more than 121 cities through own Branches and 500 Locations through Correspondent arrangements offering CMS services to clients across the country. The Bank has registered a turnover of above Rs. 1351.07 Crores and earned Non-Interest income of Rs.1.38 Crore during the financial year of 2010-11.

11. BRANCH EXPANSION:

During 2010-11, the Bank has opened 84 new branches besides up gradation of 28 extension counters. As on 31.03.2011, total number of branches stood at 1620 as against 1508 as on 31.03.2010. The population group-wise classification of branches as at end-March 2011 is as under:

S.N.	Classification	31.03.2011	31.03.2010
1	Rural	334	306
2	Semi-Urban	423	373
3	Urban	489	473
4	Metro	374	356
	Total	1620	1508

12. CUSTOMER SERVICE:

The Bank's endeavor to provide excellent customer service has been through improving existing and innovating new services by leveraging the advanced technology platform of the bank. The bank has introduced, Mobile Banking (OBCmPAY), Internet Banking Services, International Proton Debit Card, SMS Banking service, Funds transfer through ATMs (only among accounts linked to ATM card), facility of Cheque Status Inquiry and Stop Payment of Cheques available 24x7 on Bank's ATMs, deployment of Point of Sale (POS) Terminals at the identified prospective Merchant Establishments, Cheque deposit machines at some of the branches to facilitate cheque deposit with acknowledgment generated by the machine itself, online payment of service taxes etc. to provide efficient and effective service for delight of customers.

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए ऑन–लाईन शिक्षा ऋण, ओबीसी ई–शॉपे, ओबीसी ई–कर, ऑन लाईन फीस जमा करना, ऑन लाईन कर लेखांकन पद्धति (ओल्टास) कुछेक ऐसे लोकप्रिय ऑन लाईन उत्पाद हैं, जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान कर रहा है। बैंक कम्पनियों के लिए नकदी प्रबंधन उत्पाद भी प्रदान करता है । चुने हुए केंद्रों में द्रुत समाशोधन सुविधा उपलब्ध है। अन्य पार्टी द्वारा गैर–मूल शाखाओं से चेक द्वारा नकदी आहरण की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ सीमा तक इसकी अनुमति दी गई है। बैंक ने आधार नाम से परिवर्तनीय उत्तरोत्तर जमा योजना आरंभ की है। बैंक में विभिन्न समूहों जैसे: वृद्ध एवं रोगी, शारीरिक रूप से विकलांग, दृष्टिबाधित आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं।

ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता बैंक की वेबसाइट पर सूचनार्थ उपलब्ध हैं और ग्राहकों की जानकारी के लिए शाखाओं में इनकी मुद्रित प्रतियां भी उपलब्ध है। ग्राहकों के खातों संबंधी जानकारी तथा अन्य शंकाओं का जवाब देने के लिए टॉल फ्री संख्या 1800–180–1235 पर एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र भी स्थापित किया गया है।

बैंक की सेवाओं पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए तथा आवश्यकतानुसार उसकी जांच व आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वेबसाइट पर 'शंकाए एवं सुझाव' लिंक प्रदान किया गया है। शाखाओं में शिकायत/सुझाव पेटिकाएं उपलब्ध हैं, जिनमें ग्राहक अपनी शिकायत या सुझाव डाल सकते हैं और ग्राहक बैंक की वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं।

ग्राहकों को शाखाओं, प्रादेशिक कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से आयोजित होने वाली ग्राहक सेवा बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से स्टाफ की बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने पर जोर देता रहा है। बैंक ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

13. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड और काले धन का शोधन निवारण (एएमएल) उपाय:

विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कानूनों व विनियमों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों व मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए और मुख्यतः आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में बैंक का प्रयोग काला धन शोधन कार्यों के लिए करने से रोकने के लिए, ओबीसी "अपने ग्राहक को जानिए नीति" बनाई गई है । इस नीति में चार प्रमुख तत्व हैं "ग्राहक स्वीकरण नीति", "ग्राहक पहचान प्रक्रिया", "लेन-देनों की मॉनिटरिंग" तथा "जोखिम प्रबंधन"। इससे बैंक को ग्राहकों व उनके वित्तीय लेनदेनों को बेहतर ढंग से जानने/समझने में सहायता मिलेगी और जोखिम का प्रबंध अधिक विवेकपूर्ण तरीके से करने में सहायता मिलेगी। फील्ड में कार्य कर रहे अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन किए जाने हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश एवं अनुवर्ती अनुदेश समय-समय पर दोहराए जाते रहे हैं। काले धन का शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के नए कानून के अनुकरण में बैंक पहले ही वित्तीय आसूचना ईकाई इंडिया एफआईयू–आईएंडडी को सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा का पालन कर रहा है। बैंक ने केवाईसी/एएमएल मानदंडों के अनुपालन हेतु और संदिग्ध स्वरूप के संव्यवहारों का पता लगाने के लिए काले धन का शोधन निवारण साफ्टवेयर सॉल्यूशन लागू कर दिया है। हमारे द्वारा अलर्टों की जांच की जा रही है और एफआईयू–आईएंडडी को एसटीआर भेजी जा रही हैं। बैंक विनियामक निकायों को केवाईसी/एएमएल से संबंधित सभी अपेक्षित आंकड़े /विवरणियां भेज रहा है ।

For better customer service the online Education Loan, OBC-e-shoppe, OBC-e-taxes, online fee deposit, online Tax Accounting System(OLTAS) are some of the popular online products which the bank offers to its customers. The Bank also offers cash management product for corporate. Facility of speed clearing is available at selected centres. In view of urgent needs the third party withdrawal of cash through cheques at nonparent branches have been permitted upto certain limit, The Bank has launched Variable Progressive Deposit Scheme called Aadhar. The bank has services to meet the requirements of different groups like Old & sick, physically handicapped, visually impaired etc. to meet their needs.

The Bank's codes of commitment to customers are displayed on the Bank's website for information and printed copies are available at branches for customers information.. A dedicated Customer Care Centre on toll free Number 1800-180-1235 has been set up for clarifying the customers account related and other queries.

The website has a link "Query & Suggestion" for receiving customers' feedback on the services of the bank for its examination and application wherever required. Complaint/Suggestion Boxes are provided at branches where a customer can drop his complaint or suggestion and the customer can also make complaints through the bank's website.

The Customers are invited at customer service meetings held regularly at Branches, Regional Offices and Head Office. The Bank emphasizes on the updation of knowledge of the staff on the banking products and services through continuous training to meet the requirements of the customers.The Bank is committed to provide excellent service for the customers' maximum satisfaction and delight.

13. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) NORMS & ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) MEASURES:

To comply with the various laws and regulations, national as well as international, Govt. of India and Reserve Bank of India directives / instructions & guidelines, primarily to prevent the bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering activities, *OBC 'KYC' Policy* has been formulated. The Policy combines four key elements viz. "Customer Acceptance Policy", "Customer Identification Procedures", "Monitoring of Transactions" and "Risk Management". This will enable the bank to know / understand the customers and their financial dealings better and shall further help in managing risks more prudently. The detailed guidelines and subsequent instructions are being reiterated from time to time for strict compliance by the field functionaries. The bank is already complying with the requirement of submission of statutory returns to the FIU-IND as a sequel to the new legislation on Prevention of Money Laundering Act-2002. The Bank has already operationalised Anti-Money Laundering software solution for complying with KYC Norms / AML Measures and generation of alerts to detect any suspicious transaction. Alerts are being scrutinized by us and STRs are being submitted to FIU-IND. Bank is also submitting all the required data/returns relating to KYC/AML to the regulatory bodies.

14. बैंक में हिंदी का प्रयोग

बैंक ने वर्ष 2010–11 के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने तथा भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों/निदेशों का पालन करने के संबंध में अपने सार्थक प्रयास जारी रखे। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2010–11 में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए ठोस एवं कारगर कदम उठाए गए ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए **रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2009–10** के अंतर्गत बैंक को "क" क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। **बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली** द्वारा आयोजित **अंतर बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2009–10** के अंतर्गत प्रादेशिक कार्यालय दिल्ली एवं नई दिल्ली को हिन्दी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए तृतीय पुरस्कार और बैंक की गृह पत्रिका **'आधार' को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।** इसके अतिरिक्त, **बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना तथा जयपुर द्वारा** प्रादेशिक कार्यालय, लुधियाना **एवं प्रादेशिक कार्यालय, जयपुर दोनो को प्रथम पुरस्कार** प्रदान किया गया ।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख व साक्ष्य उप समिति द्वारा हमारी कोयम्बतूर व झांसी शाखाओं के प्रमुखों के साथ क्रमशः 13.09.2010 व 22.12.2010 को हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति के संबंध में विचार विमर्श किया गया तथा बैंक द्वारा हिन्दी में किए गए कार्यों की सराहना की गई ।

बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु अपने गंभीर प्रयास जारी रखे। सीबीएस शाखाओं में ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध कराने की दृष्टि से द्विभाषिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर "स्क्रिप्ट मैजिक" शाखाओं में लगाया गया । सीबीएस वातावरण में हिंदी में काम करने के लिए विभिन्न जॉब कार्ड हिंदी में उपलब्ध कराए गए तथा पोर्टल पर लोड किए गए। बैंक की वेबसाइट हिन्दी में अद्यतन की गई। कर्मचारियों की सुविधा के लिए बैंक के ओबीसी वेब पोर्टल पर ऑन लाइन अंग्रेजी–हिंदी बैंकिंग शब्दावली उपलब्ध कराई गई। कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बैंक के ओबीसी वेब पोर्टल पर "ई सर्कुलर्स" के साथ–साथ कार्यपालकों के संदेश, नीतियां, जमा/ऋण योजनाएं, रिटेल योजनाएं,पावर चार्ट,फिनेकल मेन्यू, पता निर्देशिका, एटीएम सूची आदि हिंदी में तैयार करके लोड करवाई गई। प्रधान कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों/शाखाओं में सितम्बर माह के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया तथा स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित अंतर–बैंक प्रतियोगिताओं में भी हमारे बैंक के स्टाफ सदस्यों ने पुरस्कार प्राप्त किए।

बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका "आधार" के सभी अंक नियमित रूप से हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए गए।

15. वसूली

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, सभी स्तरों पर वसूली के गंभीर प्रयास जारी रखे गए, जिसके परिणामतः बैंक ने 512.72 करोड़ रुपए की नकद वसूली की । नकद वसूली में से 179.59 करोड़ रुपए की राशि बैंक के राजस्व में जोड़ी गई। बैंक ने वसूली पद्धतियों का कारगर उपयोग किया जैसेकि वसूली कैम्प लगाना , 1.00 लाख रु. तक के बकाया वाले एनपीए खातों के लिए "विशेष एकबारगी समझौता योजना" जो 31.01.2011 तक रही और उसके बाद 5.00 लाख रु. तक के बकाया वाले एनपीए खातों के निपटान हेतु एक नई एकबारगी समझौता योजना लागू की गई जो 30.06.2011 तक वैध है, लोक अदालत, सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कार्यवाही करना तथा बैंक की सामान्य समझौता नीति। तथापि, वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण बैंक के एनपीए पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बढ़ गए जिसके परिणामस्वरूप कुल अग्रिमों में कुल एनपीए का प्रतिशत तदनुरूपी वर्ष के 1.74% से बढ़कर 1.98% हो गया ।

14. USE OF HINDI IN THE BANK:

During the year 2010-11, Bank continued its concerted efforts to accelerate use of Hindi and to implement the guidelines/directives received from Govt. of India and Reserve Bank of India. Concrete and effective steps were taken to achieve the region wise targets set by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India in the Annual Programme- 2010-11.

Bank was awarded **Second prize** in 'A' region under **Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition** 2009-10 for Public Sector Banks / Financial Institutions for its excellent performance in the field of Rajbhasha Hindi. Regional Offices Delhi & New Delhi were awarded **Third Prize** for doing good work in Hindi and our Bank's In-House Magazine **AADHAAR** was awarded **Second Prize under Inter Bank Rajbhasha Shield Competition – 2009-10** by the **Bank's Town Official Language Implementation Committee, Delhi**. Besides, our Regional Offices, Ludhiana & Jaipur were awarded **First Prize** by **Bank's Town Official Language Implementation Committees, Ludhiana & Jaipur** respectively.

Drafting & Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on official Language held discussions on progress made in use of Hindi with the Branch Incumbents of our branch offices Coimbatore & Jhansi on 13.09.2010 & 22.12.2010 respectively and appreciated the work being done in Hindi in the Bank.

Bank continued its concerted efforts to promote use of Hindi in field of Information Technology. To provide banking facilities to customers in Hindi also by CBS branches, the bilingual Data Processing Software Script Magic was installed in the branches of the Bank. To facilitate work in Hindi in CBS environment various job cards were prepared in Hindi and made available on OBC web portal. Bank web site was updated in Hindi. For the convenience of the employees an English-Hindi Banking Glossary was provided online at OBC Web Portal. Training for use of Hindi on Computers was imparted to employees of the Bank.

Bank's e-circulars and Executive's messages, policies, deposit / loan schemes, retail schemes, Power chart, Finacle menues, branch directory, ATM list etc. were prepared and uploaded on OBC web portal. Hindi-Fortnight was celebrated in different offices / branches of the Bank in month of September and various Hindi competitions for staff members were conducted. The winners were awarded certificates & prizes. Besides, our staff members won prizes in various Inter Bank competitions also conducted by different Banks.

All the issues of Bank's quarterly In-House Magazine "AADHAAR" were published regularly in bilingual form i.e. in Hindi and English.

15. RECOVERY:

During the Financial Year 2010-11, concerted recovery efforts continued at all levels and consequently, the Bank could effect cash recovery of Rs.512.72 Crore. Out of cash recovery a sum of Rs.179.59 Crore has been added to the Revenue of the Bank. The bank has effectively utilized the various recovery mechanism e.g. holding recovery camps, "Special One Time Settlement Schemes for NPAs with O/S upto Rs. 1.00 Lakh" which lasted upto 31.01.2011 and after that a New One Time Settlement Schemes for settlement of NPA accounts with O/S upto Rs. 5.00 Lakh was floated which is valid upto 30.06.2011, Lok Adalat, taking action under SARFAESI Act-2002 and general settlement policy of the Bank. However, due to the impact of global recession, the NPAs of the Bank has increased in comparison to the previous financial year resulting in increase in Gross NPA percentage to gross advances to Rs.1.98% against 1.74% of corresponding year.

बैंक बढ़ती हुई चूकों को न्यूनतम करने के लिए अपनी वसूली पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी संभव कदम उठा कर रहा है ।

16. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

वर्ष 2010–11 के दौरान पिछले वर्षों की आर्थिक उथल–पुथल का प्रभाव तथा सरकार एवं विनियामकों द्वारा घरेलू स्तर पर मंदी के साथ विकास का संतुलन देखा गया। वर्ष के दौरान बैंकिग उद्योग में वित्तपोषण, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ऋण, आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ संवर्ग सहित विभिन्न संवर्गों में नई भर्तियां की गईं। उन्हें बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की तत्काल आवश्यकता थी ताकि वे आत्मविश्वास के साथ और प्रभावशाली ढंग से अपने कार्यों में लग जाएं।

वर्ष 2010–11 के दौरान प्रशिक्षण योजना इस उद्देश्य से आरंभ की गई कि वर्ष के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम एक प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए। बैंक इस उददेश्य को अधिकतम सीमा तक पूरा करने में सफल रहा । वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया :–

ऋण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ग्राहक संबंध प्रबंधन, एनपीए एवं वसूली प्रबंधन, सामान्य बैंकिंग, नए भर्ती हुए परीवीक्षाधीन अधिकारियों /विशेषज्ञ अधिकारियों/लिपिकों के लिए प्रवेश कार्यक्रम, कार्यपालकों के लिए पबंधन विकास कार्यक्रम, तकनीकी कौशल विकास, एचआरएमएस, सीबीएस, अनु.जा./अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति आदि पर कार्यशालाएं।

उपरोक्त विषयों और बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों में कुल 483 कार्यक्रमों में 11544 कर्मचारियों को पशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, एनआईबीएम, पुणे, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे, भारतीय बैंक संघ, मुम्बई, एमडीआई, गुड़गांव, आईसीआरटी, निब्सकॉम नोएडा, हैदराबाद आदि जैसे कई शीर्ष प्रशिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण परिचालनपरक और व्यवहारपरक क्षेत्रों में आयोजित उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी 1441 अधिकारियों को नामित किया गया। कुछ वरिष्ठ/सर्वोच्च प्रबंधन अधिकारियों को भी विदेश में प्रबंध विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया ताकि वे श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कार्यविधियों तथा भारतीय बैंकिंग पर उनके प्रभाव को जान सकें ।

वर्ष 2010–11 के दौरान, बैंक ने 292 परिवीक्षा अधिकारियों, 836 लिपिकों, 467 अधीनस्थ स्टाफ और प्रबंधक (सू.प्रौ.), विपणन प्रबंधकों, कृषि अधिकारियों आदि जैसे विभिन्न ग्रेड और क्षेत्रों में 241 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती की गई। इसके अलावा, बैंक में 500 परिवीक्षा अधिकारियों, 1750 लिपिकों तथा विपणन, ऋण, विदेशी विनिमय, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, कृषि, मानव संसाधन विकास आदि के विशेष संवर्ग में 526 अधिकारियों की भर्ती प्रकिया जारी है। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या 16618 है, जिसमें 8766 अधिकारी, 5527 गैर–अधीनस्थ तथा 2671 अधीनस्थ कर्मचारी हैं।

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान अधिकारी, लिपिक एवं अधीनस्थ संवर्गों में 911 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों की भर्ती की। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतें, यदि कोई हो, को सभी प्रादेशिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में संपर्क अधिकारी/मुख्य संपर्क अधिकारी की देख–रेख में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग कक्षों के माध्यम से दूर की गई। बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार, पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष अभियान भी चलाया और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पिछले 10 रिक्त पद भरे।

The Bank is taking all possible steps to strengthen the recovery mechanism to minimize the higher delinquencies.

16. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT & TRAINING:

The year 2010-11 witnessed the continuing effect of the economic turmoil of the past years with the Government and Regulators balancing the growth with inflation on the domestic front. The year also brought into the industry new recruitees in various cadres including specialists in Marketing, Agriculture, IT, Credit etc. There was compelling need to train them in various aspects of Banking to help them to settle down into their jobs with confidence and effectiveness.

The training plan for the year 2010-11 was started on the premise that at least one training be given to each employee during the year. The Bank was able to meet this objective to a maximum extent. The focus of training during the year continued on the following areas:

Credit Management, Risk Management, Forex Management, Customer Relationship Management, NPA & Recovery Management, General Banking, Induction Programmes for newly recruited Probationary Officers / Specialist Officers /Clerks, Management Development Programme for Executives, Soft Skills Development, Workshops on HRMS, CBS, SC/ST/OBC Reservation Policy etc.

In 483 programmes 11544 employees were imparted training in the above streams and other areas of Banking. In addition, 1441 officers were nominated in Advanced Training Programmes in key operational and behavioural areas in pioneering institutions like NIBM, Pune, College of Agricultural Banking, Pune; IBA, Mumbai; MDI, Gurgaon; IDRBT, Hyderabad; NIBSCOM, Noida etc., to quote a few. Few Senior and Top management functionaries were deputed for overseas training for Management Development Programmes and to give exposure to International best practices and their impact in Indian Banking.

During the year 2010-11, the Bank recruited 292 Probationary Officers, 836 clerks, 467 Subordinate staff and 241 Specialist Officers in different grades and streams such as Manager (IT), Marketing Managers, Agriculture Officers etc., Further the process for recruitment of 500 Probationary Officers, 1750 Clerks and 526 Officers in the Specialist cadre of Marketing, Credit, Forex, IT, Law, Agriculture, HRD etc is under way. The total staff strength as on 31st March, 2011 is 16618 comprising of 8766 officers, 5527 Non-subordinates and 2671 subordinates.

The Bank complied with Government guidelines in respect of reservation in recruitment and promotion for SC/ST/OBC/PWD/ Ex-Servicemen in letter & spirit. The Bank recruited 911 SC/ST/OBC category personnel in Officer, Clerical & Subordinate cadres during the year. The grievances of SC/ST/OBC employees, if any, were resolved through SC/ST and OBC Cells created at all Regional Offices and at Head Office under the charge of Liaison Officers / Chief Liaison Officer. The Bank also launched a Special Drive to clear the backlog of SC/ST vacancies in promotion as per the guidelines of the Ministry of Finance, Govt. of India and were able to fill 10 SC/ST backlog vacancies.

निदेशक मंडल

वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल की 13, मंडल की प्रबन्ध समिति की 20 और मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 10 बैठकें हुईं ।

वर्ष के दौरान श्री टी.वाई. प्रभु की अधिवर्षिता के बाद श्री नागेश पैड़ा ने दिनांक 01.01.2011 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। श्री एच.रत्नाकर हेगड़े की सेवानिवृत्ति बाद श्री वी.कण्णन ,कार्यकारी निदेशक ने दिनांक 01.12.2010 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(ग) के अंतर्गत नियुक्त भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक श्री बी. श्रीनिवारा ने उनकी अधिसूचना के अनुसार 30.07.2010 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया। भारत सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(ङ) तथा धारा 9 (3)(च) के अंतर्गत श्री के.एच. पांडे एवं श्री एस.एस शिशोदिया ने दिनांक 31.05.2010 तथा 21.07.2010 को क्रमशः कर्मकार निदेशक तथा अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में मंडल में कार्यग्रहण किया ।

निदेशकों का दायित्व कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में,

(क) महत्वपूर्ण परिवर्तनों, यदि कोई हों, के संबंध में लागू लेखांकन मानकों को, उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ अपनाया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गईं।

(ग) वित्त वर्ष के अंत में बैंक के कार्यों तथा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ का सही एवं सच्चा चित्र सामने आ सके, इसके लिए विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए।

(घ) भारत में बैंकों पर लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने के लिए सम्यक एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई तथा लेखे लाभकारी संस्थान आधार पर तैयार किए गए।

आभार

निदेशक मंडल आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों का उनके द्वारा वर्ष भर बैंक को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सतत सहयोग के लिए धन्यवाद करता है। निदेशक मंडल अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों, सम्मानित शेयरधारकों, पण्यधारकों तथा जनसाधारण का उनके संरक्षण और बैंक के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल बैंक के सर्वांगीण विकास, प्रगति और समृद्धि में प्रत्येक स्टाफ सदस्य द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता, योगदान और समर्पण भावना की सराहना करता है और आगामी वर्ष में कारपोरेट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनके निरंतर सहयोग और पूर्ण समर्थन की आशा रखता है।

मंडल के लिए और उनकी ओर से

नई दिल्ली
29 अप्रैल 2011

(नागेश पैड़ा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

BOARD OF DIRECTORS

During 2010-11, 13 meetings of Board of Directors, 20 meetings of Management Committee of Board, 10 meetings of Audit Committee of Board, were held.

During the year, Sh.Nagesh Pydah, Chairman and Managing Director, took charge of the Bank on 01.01.11 after the superannuation of Sh.T Y Prabhu. Sh.V Kannan, Executive Director, joined the Board of the Bank on 01.12.2010 after the superannuation of Sh.H Rathnakara Hegde and Sh.B Srinivas, RBI Nominee Director appointed under Sec 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 joined the Board of the Bank on 30.07.2010, as per his notification. Sh. K H Pandey and Sh S.S Shishodia, joined the Board of the Bank on 31.05.2010 and 21.07.2010 as Workmen Employee Director and Officer Employee Director respectively, appointed by Government of India Under Section 9 (3) (e) and Section 9 (3) (f) of the Banking (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that, in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2011

(a) The applicable standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

(b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied,

(c) reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profits of the Bank for the year ended on 31st March, 2011,

(d) proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with and provisions of applicable laws governing banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors thanks Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and Reserve Bank of India and other Governments & Regulatory Agencies for their valuable guidance and continued support provided to the Bank through out the year. The Board of Directors are also grateful to the valued customers, esteemed shareholders, stakeholders and public at large for their patronage and confidence reposed in the Bank. The Board of Directors place on record their great appreciation of the commitment, sense of involvement and dedication exhibited by each staff member in the overall development, growth and prosperity of the Bank and look forward to their continued support and whole-hearted co-operation for realization of the corporate goals in the year ahead.

For and on behalf of the Board

New Delhi
29th April 2011

(Nagesh Pydah)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. समष्टि आर्थिक परिदृश्य

1.1 सकल घरेलू उत्पाद

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिसंबर, 2010 को समाप्त तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि 8.6% रही जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह 8.0% थी । अप्रैल–दिसंबर, 2010 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों का सापेक्ष हिस्सा निम्नानुसार है :

कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन – 5.4%, खनन और उत्खनन –6.2%, विनिर्माण – 8.8%, बिजली, गैस और जल आपूर्ति–5.1%, निर्माण – 8.0%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार – 11.1%, वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबार सेवाएं – 10.6% और सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं – 5.7% ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 के दौरान इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि क्रमशः (–)0.2%, 8.7%, 8.9%, 8.2%, 6.5%, 8.3%, 9.9%, और 8.2% है ।

1.2 औद्योगिक उत्पादन

अप्रैल–मार्च, 2010–11 की अवधि के लिए 1993–94 के आधार सहित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के त्वरित पूर्वानुमान के अनुसार 2009–10 के दौरान सामान्य सूचकांक की संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की 10.5% के मुकाबले 7.8% अधिक रही ।

अप्रैल–मार्च 2010–11 के दौरान खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में संचयी वृद्धि 2009–10 की तदनरूपी वृद्धि दरों 0.2%, 7.9% तथा 7.2% की तुलना में क्रमशः 5.9%, 8.8% तथा 5.6% रही ।

उद्योग के क्षेत्र में सत्रह (17) उद्योग समूहों में से पंद्रह (15) उद्योगों में वित्तीय वर्ष 2010–11 में पिछले वर्ष के तदनुरूपी संचयी सूचकांक की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई। उद्योग समूह जूट तथा अन्य वनस्पति फाइबर वस्त्र ने 33.6% की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, तत्पश्चात् 'अन्य विनिर्माण उद्योगों' ने 24.8% और ''परिवहन उपस्कर व पुर्जे में'' 21.3% की उच्चतम वृद्धि दर्शाई। दूसरी ओर उद्योग समूह ''काष्ठ और काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर एवं फिक्चर'' ने 21.4% की और तत्पश्चात् ''पेय पदार्थ, तंबाकू तथा संबंधित पदार्थों'' ने 1.9% की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई ।

उपभोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार मार्च, 2010 की तुलना में मार्च, 2011 में क्षेत्रवार वृद्धि दर मूलभूत वस्तुओं में 4.3%, पूंजीगत वस्तुओं में 12.9% और मध्यवर्ती वस्तुओं में 5.4% रही। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं से क्रमशः 12.3% और 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई जिससे उपभोक्ता वस्तुओं में 7.7% की समग्र वृद्धि हुई।

1.3 छह महत्वपूर्ण उद्योग

छह महत्वपूर्ण उद्योगों, जिनका 1993–94 के आधार सहित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में संयुक्त भार 26.7 प्रतिशत था, का सूचकांक मार्च, 2011 में 272.6 (अनंतिम) रहा और मार्च, 2010 में हुई 6.8% की वृद्धि के मुकाबले 7.4% (अनंतिम) की वृद्धि दर्ज की गई । अप्रैल – मार्च, 2010–11 के दौरान छह महत्वपूर्ण उद्योगों ने पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 5.5% के मुकाबले 5.9% (अनंतिम) की वृद्धि दर्ज की ।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. MACRO –ECONOMIC SCENARIO

1.1 Gross Domestic Product

According to the advance estimates of the Central Statistical Organization the growth of real gross domestic product (GDP) is estimated to be 8.6 % for the Quarter ended December 2010 as compared to 8.0% during the corresponding period in the last year. Relative share of the various economic activities in GDP during April - December 2010 is estimated as follows:

Agriculture, Forestry and fishing – 5.4%, Mining & Quarrying – 6.2%, Manufacturing – 8.8%, Electricity, Gas & Water Supply – 5.1%, Construction – 8.0%, Trades, Hotels, Transport and Communication – 11.1%, Financing, insurance, Real estate & business services – 10.6% and Community, Social & Personal services – 5.7%.

Further, growth in the respective sectors during 2009-10 are (-)0.2%, 8.7%, 8.9%, 8.2%, 6.5%, 8.3%, 9.9% and 8.2%, respectively.

1.2 Industrial Production

According to Quick Estimates of Index of Industrial Production (IIP) with base 1993-94 for the period April - March 2010-11, the cumulative growth stands at 7.8% over the corresponding period of the previous year as against 10.5 per cent during 2009-10.

The cumulative growth during April-March 2010-11 over the corresponding period of the previous year in the Mining & Quarrying, Manufacturing and Electricity sectors have been 5.9%, 8.1% & 5.6%, respectively, as against growth of 0.2%, 7.9% and 7.2% during 2009-10.

In terms of industries, fifteen (15) out of the seventeen (17) industry groups have shown positive growth during FY April - March 2010-11 as compared to the corresponding cumulative index of the previous year. The industry groups 'Jute and other vegetable fibre Textiles' have shown the highest growth of 33.6%, followed by 24.8% in 'Other Manufacturing Industries' and 21.3% in 'Transport Equipment and Parts'. On the other hand, the industry groups 'Wood and Wood Products; Furniture and Fixtures' have shown a negative growth of 21.4% followed by 1.9% in 'Beverages, Tobacco and Related Producted.

As per Use-based classification, the Sectoral growth rates in March 2011 over March 2010 are 4.3% in Basic goods, 12.9% in Capital goods and 5.4% in Intermediate goods. The Consumer durables and Consumer non-durables have recorded growth of 12.3% and 5.7% respectively, with the overall growth in Consumer goods being 7.7%.

1.3 Six Core Industries

The Index of Six core industries having a combined weight of 26.7 per cent in the Index of Industrial Production (IIP) with base 1993-94 stood at 272.6 (provisional) in March 2011 and registered a growth of 7.4% (provisional) compared to 6.8% registered in March 2010. During April-March 2010-11, six core industries registered a growth of 5.9% (provisional) as against 5.5% during the corresponding period of the previous year.

कच्चे तेल के उत्पादन (आईआईपी में 4.17% का भार) में अप्रैल–मार्च, 2011 के दौरान 11.9% (अनंतिम) की वृद्धि दर्ज हुई जबकि 2009–10 की समान अवधि के दौरान यह वृद्धि 0.5% थी । पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (आईआईपी में 2.00% का भार) में अप्रैल–मार्च 2011 के दौरान 3.00% (अनंतिम) की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि 2009–10 की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि (–) 0.5% थी । कोयले का उत्पादन (आईआईपी में 3.2% का भार) अप्रैल – मार्च 20011 के दौरान 0.0% (अनंतिम) बढ़ा जबकि 2009–10 की इसी अवधि में इसमें हुई वृद्धि 7.9% थी। बिजली का उत्पादन (आईआईपी में 10.17% का भार) अप्रैल–मार्च 2010–11 के दौरान 5.6% (अनंतिम) बढ़ गया जबकि 2009–10 की इसी अवधि के दौरान हुई वृद्धि 6.2% थी । सीमेंट का उत्पादन (आईआईपी में 1.99% का भार) अप्रैल – मार्च 2011 के दौरान 4.5% (अनंतिम) बढ़ गया जबकि 2009–10 की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 10.5% थी । परिष्कृत (कार्बन) स्टील उत्पान (आईआईपी में 5.13% का भार) में अप्रैल–मार्च, 2011 के दौरान 8.2% (अनंतिम) की वृद्धि हुई जबकि 2009–10 की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 5.4% थी ।

1.4 कृषि

दिनांक 06.04.2011 को जारी तीसरे पूर्वानुमान के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010–11 में 235.88 मिलियन टन (एमटी) होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 2009–10 के लिए अनुमानित उत्पादन 218.10 मिलियन टन था। वर्ष 2010–11 के दौरान खरीफ फसल उत्पादन वर्ष 2009–10 के दौरान हुए 103.95 मिलियन टन के मुकाबले 13.89% की वृद्धि के साथ 118.39 मिलियन टन था। वर्ष 2010–11 में रबी फसलों का उत्पादन वर्ष 2009–10 में रहे 114.16 मिलियन टन में 2.91% की वृद्धि के साथ 117.48 मिलियन टन रहा ।

1.5 विदेशी व्यापार

अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 की अवधि के लिए निर्यात का संचयी मूल्य पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि के दौरान 178751 मिलियन अमेरिकी डालर (845534 करोड़ रु0) के मुकाबले 245,868 मिलियन अमेरिकी डालर (11,18,823 करोड़ रु0) था जिससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले डालर के अनुसार 37.5 प्रतिशत की और रुपए के अनुसार 32.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

जहां तक आयात का संबंध है अप्रैल 2010 – मार्च, 2011 की अवधि के लिए इसका संचयी मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि के 288,373 मिलियन अमेरिकी डालर (13,63,736 करोड़ रु0)के मुकाबले 350,695 मिलियन डालर (15,96,869 करोड़ रु0) रहा और डालर के अनुसार इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि से 21.6 प्रतिशत की तथा रुपए के अनुसार 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

अप्रैल 2010 से मार्च 2011 के लिए अनुमानित व्यापार घाटा 104,827 मिलियन अमेरिकी डालर था जो कि अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के दौरान 109,621 मिलियन अमेरिकी डालर के घाटे से कम था ।

अप्रैल 2010 से मार्च 2011 के दौरान, तेल आयात का मूल्य 101,689 मिलियन अमेरिकी डालर पर आंका गया जो कि पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि में 87,136 मिलियन अमेरिकी डालर के तेल आयात से 16.7 प्रतिशत अधिक था ।

अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान, गैर-तेल आयात का मूल्य 249,006 मिलियन अमेरिकी डालर पर आंका गया जो अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 में 201,237 मिलियन अमेरिकी डालर के आयात से 23.7 प्रतिशत अधिक था ।

1.6 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 29 अप्रैल, 2011 को 313,511 मिलियन अमेरिकी डालर पर आंकी गई और इसमें मार्च, 2011 के अंत में रहे स्तर से 8,693 मिलियन डालर की वृद्धि दर्ज की गई। कुल आरक्षित निधियों में से विदेशी मुद्रा आस्तियां 282,037 मिलियन अमेरिकी डालर तथा स्वर्ण आरक्षित निधियां 23,790 मिलियन अमेरिकी डालर आंकी गईं।

Crude Oil production (weight of 4.17% in the IIP) registered a growth of 11.9% (provisional) during April-March 2011 compared to a growth rate of 0.5% during the same period of 2009-10. Petroleum refinery production (weight of 2.00% in the IIP) registered a growth of 3.0% (provisional) during April-March 2011 compared to (-) 0.5% during the same period of 2009-10. Coal production (weight of 3.2% in the IIP) grew by 0.0% (provisional) during April-March 2011 compared to an increase of 7.9% during the same period of 2009-10. Electricity generation (weight of 10.17% in the IIP) registered a growth of 5.6% (provisional) during April-March 2011 compared to growth rate of 6.2% during the same period of 2009-10. Cement production (weight of 1.99% in the IIP) registered a growth of 4.5% (provisional) during April-March 2011 compared to 10.5% during the same period of 2009-10. Finished (carbon) Steel production (weight of 5.13% in the IIP) registered a growth of 8.2% (provisional) during April-March 2011 compared to an increase of 5.4% during the same period of 2009-10.

1.4 Agriculture

According to the 3rd Advance estimates released on 06.04.2011, India's foodgrain production for 2010-11 is estimated to 235.88 million tonnes (MT) compared to 218.10 million tonnes (MT) in 2009-10. Production of Kharif crop during 2010-11 was 118.39 MT as against 103.95 MT during 2009-10 showing an increase of 13.89%. Production of Rabi Crop during 2010-11 was 117.48 MT as against 114.16 MT during 2009-10 showing an increase of 2.91%.

1.5 Foreign Trade

Cumulative value of exports for the period April 2010 to March 2011 was US $ 245,868 Million (Rs. 11,18,823 crore) as against US $ 178,751 Million (Rs. 8,45,534 crore) registering a growth of 37.5 per cent in Dollar terms and 32.3 per cent in Rupee terms over the same period last year.

Cumulative value of imports for the period April 2010 to March 2011 was US $ 350,695 Million (Rs. 15,96,869 crore) as against US $ 288,373 Million (Rs. 13,63,736 crore) registering a growth of 21.6 per cent in Dollar terms and 17.1 per cent in Rupee terms over the same period last year.

The trade deficit for the period April 2010 to March 2011 was estimated at US $ 104,827 Million which was lower than the deficit of US $ 109,621 Million during April 2009 - March 2010.

Oil imports during April 2010 to March 2011 were valued at US$ 101,689 Million which was 16.7 per cent higher than the oil imports of US $ 87,136 Million in the corresponding period last year.

Non-oil imports during April 2010 to March 2011 were valued at US$ 249,006 Million which was 23.7 per cent higher than the level of such imports valued at US$ 201,237 Million in April 2009 to March 2010.

1.6 Forex Reserves

Total Foreign exchange reserves as on April 29, 2011 was valued at USD 313,511 million and recorded an increase of USD 8,693 million over end – March 2011 level. Out of the total reserves, foreign currency assets were valued at USD 282,037 million while gold reserves were valued at USD 23,790 million.

1.7 मूल्य प्रवृति

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 10.23% थी, 8.98% रही। वर्ष 2010–11 में पूरे समय मुद्धास्फीति प्रमुख समष्टि आर्थिक चिंता का विषय रही। वर्ष 2010–11 को मोटे तौर पर तीन अवधियों में बांटा जा सकता है। पहली अवधि अप्रैल से जुलाई, 2010 में थोक मूल्य सूचकांक में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो प्रमुखतया गैर खाद्यान वस्तुओं और ईंधन तथा ऊर्जा रामूह का परिणाम थी, जिनका संयुक्त रूप से थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि में 60 प्रतिशत का योगदान था। दूसरी अवधि अगस्त से नवंबर, 2010 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 1.8 प्रतिशत की निम्न वृद्धि हुई परंतु 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि में खाद्य तथा गैर खाद्य प्रमुख वस्तुओं तथा खनिज पदार्थों का योगदान था। तीसरी अवधि दिसंबर, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 3.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि आई जो प्रमुखताया ईंधन व ऊर्जा समूह और गैर खाद्य विनिर्मित उत्पादों का परिणाम थी, जिनका थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि में संयुक्त रूप से 80 प्रतिशत का योगदान था। मार्च, 2011 माह के लिए 'समस्त वस्तुओं का आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 2004–05 =100) 148.0 रहा ।

2. मुद्रा एवं बैंकिंग प्रवृत्तियां

2.1 मुद्रा आपूर्ति

मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में वर्ष 2009–10 में हुई 16.8 प्रतिशत (8,07,183 करोड़ रुपए) की वृद्धि की तुलना में 2010–11 में 16.0 प्रतिशत (8,94,016 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋणों में पिछले वर्ष की 15.9 प्रतिशत (4,79,584 करोड़ रुपए) की वृद्धि की तुलना में 2010–11 में 20.6 प्रतिशत (7,18,722 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई। सरकार को निवल बैंक ऋण में बैंक निवेश में 1,19,386 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 2,24,189 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में 2009–10 में 72,712 करोड़ रु. की कमी के मुकाबले 2010–11 के दौरान 88,942 करोड़ रु. की वृद्धि हुई ।

2.2 अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी का कारोबार)

2.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां

वर्ष 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में पिछले वर्ष की 17.2 प्रतिशत की वृद्धि (6,58,716 करोड़ रु0) की तुलना में 15.8% (7,11,877 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई । मांग जमाराशियों में वर्ष 2009–10 के दौरान रही 22.2 प्रतिशत (1,16,053 करोड़ रुपए) की उच्चतर वृद्धि के विपरीत 2010–11 में (-) 0.1 प्रतिशत (6,588 करोड़ रु. की कमी) की ऋणात्मक वृद्धि रही। मीयादी जमाराशियों में पिछले वर्ष की 16.2 प्रतिशत (5,36,191 करोड़ रु.) की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2010–11 में 18.7 प्रतिशत (7,18,465 करोड़ रु.) की वृद्धि हुई ।

2.2.2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए गैर-खाद्यान्न ऋणों में पिछले वर्ष की 17.1% (4,66,960 करोड़ रुपए) की तुलना में 21.21% (6,78,077 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई जो 38,74,376 करोड़ रुपए रहे। बैंकिंग प्रणाली हेतु वृद्धिशील गैर-खाद्यान्न ऋण-जमा अनुपात 2009–10 के 71.1% से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 74.4% हो गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्यान्न ऋणों में 2009–10 में हुई 2278 करोड़ रुपए की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2010–11 में 15,793 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई ।

2.2.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

2010–11 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल एसएलआर निवेश 8.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15,00,039 करोड़ रु0 रहा जबकि 2009–10 के दौरान यह वृद्धि 18.7 प्रतिशत थी। सरकारी बांडों तथा अन्य अनुमोदित

1.7 Price Trend

The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at 8.98% for the financial year 2010-11 as compared to 10.23% in 2009-10. Inflation was the primary macroeconomic concern throughout 2010-11. The year 2010-11 can be broadly divided into three periods. In the first period from April to July 2010, the increase in wholesale price index (WPI) by 3.5 per cent was driven largely by food items and the fuel and power group, which together contributed more than 60 per cent of the increase in WPI. During the second period from August to November 2010, while WPI showed a lower increase of 1.8 per cent, more than 70 per cent of the increase was contributed by food and non-food primary articles and minerals. In the third period from December 2010 to March 2011, WPI increased sharply by 3.4 per cent, driven mainly by fuel and power group and non-food manufactured products, which together contributed over 80 per cent of the increase in WPI. The official Wholesale Price Index for 'All Commodities' (Base: 2004-05 = 100) for the month of March, 2011 stood at 148.0.

2. MONETARY AND BANKING TRENDS

2.1 Money Supply

Money supply (M3) increased by 16.0 percent (Rs.8,94,016 crore) in 2010-11 as compared with 16.8 percent (Rs. 8,07,183 crore) in 2009-10. Bank credit to the commercial sector increased by 20.6 percent (Rs.7,18,722 crore) in 2010-11 as compared with an increase of 15.9 percent (Rs.4,79,584 crore) in the previous year. Net bank credit to Government recorded an increase of Rs. 2,24,189 crore with increase in bank's investment of Rs.1,19,386 crore. The net foreign exchange assets of the Banking sector was increased by Rs. 88,942 crore during 2010-11 as against the decline of Rs. 72,712 crore in 2009-10.

2.2 Scheduled Commercial Banks (SCBs Business)

2.2.1 Aggregate Deposits of Scheduled commercial Banks

Aggregate Deposits of SCBs increased by 15.8 percent (Rs.7,11,877 crore) during 2010-11 as compared with 17.2 percent (Rs.6,58,716 crore) in the previous year. Demand deposits recorded a negative growth of (-) 0.1 percent (decline of Rs. 6,588 crore) during 2010-11 as against the higher growth of 22.2 percent (Rs. 1,16,053 crore) during 2009-10. Time deposits have shown a growth of 18.7 percent (Rs. 7,18,465 crore) during 2010-11 as against the growth of 16.2 percent (Rs. 5,36,191 crore) in the previous year.

2.2.2 Bank credit of scheduled Commercial banks

Non-food credit extended by the Scheduled Commercial banks (SCBs) increased by 21.21 percent (Rs.6,78,077 crore) at a level of Rs. 38,74,376 crore as compared with growth of 17.1 percent (Rs.4,66,960 crore) in the previous year. The non-food credit-deposits ratio for the banking system increased to 74.4 percent during 2010-11 from 71.1 percent in 2009-10. Food-Credit of SCBs increased by Rs. 15,793 crore in 2010-11 as against an increase of Rs. 2,278 crore in 2009-10.

2.2.3 Investments of Scheduled Commercial Banks

Total SLR investment of Scheduled Commercial Banks stood at Rs. 15,00,039 crore showing a growth of 8.3 percent during 2010-11 as against the growth of 18.7 percent during 2009-10. Investment in Government Securities stood at Rs. 14,95,467

प्रतिभूतियों में निवेश क्रमशः 14,95,467 करोड़ रु0 तथा 4572 करोड़ रु0 रहा। मार्च, 2011 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश-जमा अनुपात 28.82% रहा जबकि मार्च, 2010 के अंत में यह 30.82 प्रतिशत था ।

3. जोखिम प्रबंधन

बैंक की अपेक्षित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है, जिसका भारतीय रिर्जव बैंक ऑफ अन्य नियामक निकायों रो प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, समय–समय पर नियमित आधार पर पुनरीक्षण किया जाता है और उसे अद्यतन बनाया जाता है।

3.1 बासेल– ।। का कार्यान्वयन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पूंजी पर्याप्तता ढांचे के नए मार्गनिर्देशों के अनुसार बासेल– ।। अनुरूपता प्राप्त कर ली है। बासेल– ।। के अंतर्गत पिलर–1 प्रतिगानों के अुसार बैंक ने ऋण, गार्किट व परिचालन जोखिग के लिए 31.03.2011 की पूंजीगत आवश्यकताओं का परिकलन किया है। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) तथा टियर– । अनुपात क्रमशः 9% तथा 6% की न्यूनतम अपेक्षा के मुकाबले 14.23% तथा 11.21% रहा । बैंक अब भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार विभिन्न जोखिमों के तहत, आने वाले समय में उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है ।

बैंक का स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न समितियां जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति क्रमशः बैंक के ऋण जोखिम, मार्किट जोखिम तथा परिचालन जोखिम का पर्यवेक्षण करती है ।

पिलर–2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी पुनरीक्षण तथा मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरइपी) के एक भाग के रूप में बैंक की मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन (आईसीएएपी) प्रक्रिया विषयक नीति है। यह नीति पिलर–1 के अंतर्गत शामिल ना किए गए अन्य जोखिमों की पहचान और मुल्यांकन करने में सहायक होती है। यह नीति योजना प्रक्रिया, पूंजी, जोखिम निष्पादन को समन्वित करने में सहायक है। बासेल–II के पिलर–3 प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है ओर बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. आस्ति देयता प्रबंधन तथा बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक सभी प्रकार के बाजार जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम का समाधान सुस्पष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा करता है। बाजार जोखिम की समग्र स्थिति तथा कार्य बैंक के मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति–देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति के अंतर्गत दी गई नीति फ्रेमवर्क के अनुसार किया जाता है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) का गठन किया है और ब्याज दर परिदृश्य, जमाराशियों/अग्रिमों का परिपक्वता प्रोफाइल, संरचनात्मक चलनिधि संबंधी स्थिति और निवल ब्याज मार्जिन के प्रबंधन इत्यादि की समीक्षा करने के लिए इसकी बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं । आस्ति देयता प्रबंधन नीति बाजार जोखिम एवं चल निधि जोखिम प्रबंधन हेतु पैरामीटर निर्धारित करती है । बाजार की गतिशील परिस्थितियों के अनुरूप इस नीति का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाता है । बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति चलनिधि और ब्याज दर जोखिम सीमाओं के निर्धारण और पुनरीक्षण, लाभप्रदता और सीआरएआर (पूंजी में जोखिम भारित आस्ति अनुपात) स्थिति की पुनरीक्षा, जमाराशियों/अग्रिमों पर ब्याज दरों की पुनरीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक तथा निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित विभिन्न जोखिम सीमाओं के अनुपालन द्वारा बाजार जोखिमों का प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण करती है । बैंक के तुलन-पत्र पर बाह्य कारकों के प्रभाव का आकलन

crore whereas other approved securities was to the tune of Rs. 4,572 crore. The Investment-Deposit ratio of SCBs as at end March 2011 stood at 28.82 percent as against 30.82 percent as at end March 2010.

3. RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place requisite Risk Management Systems which are reviewed and updated regularly in the light of guidelines received from Reserve Bank of India and other regulatory bodies from time to time.

3.1 Implementation of Basel II

The bank is Basel II compliant in terms of the New Capital Adequacy Framework guidelines issued by the Reserve Bank of India. In terms of the Pillar-1 norms under Basel II, Bank has computed its capital requirements for Credit, Market and Operational risk as 31.03.2011. The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank stood at 14.23% and Tier I ratio at 11.21% as against minimum regulatory requirement of 9% and 6% respectively. The bank is now gearing itself to adopt the advanced approaches for capital computation under different risks as per RBI guidelines.

The Bank has an independent Risk Management framework under which the various committees viz. Credit Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee and Operational Risk Management Committee oversee the Credit Risk, Market Risk and Operational Risk of the bank respectively.

The Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) process as a part of Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) under Pillar-2. The Policy enables the Bank to identify and assess other risks which are not covered under Pillar-1. It enables the Bank to integrate planning process, capital, risk, performance. The disclosures required in terms of Pillar-3 norms of Basel II form part of the annual report of the Bank and are made available on Bank's website.

4. ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) AND MARKET RISK MANAGEMENT

All forms of market risks, viz liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk are addressed by the Bank through a well defined set of policies and processes. The overall positions and functions of market risk are carried out under the policy framework outlines in Bank's Board approved Asset liability management (ALM) Policy and Investment Policy.

The bank has constituted the Asset Liability Management Committee (ALCO) in terms of RBI guidelines, which meets at regular intervals to review the interest rates scenarios, maturity profile of deposits / advances, the structural liquidity position and management of Net Interest Margin etc. The ALM policy sets out the parameters for Market Risk and Liquidity Risk Management. This policy is reviewed annually to be in line with the dynamic market scenario. The committee on Asset Liability Management of the bank (ALCO) manages and supervises the Market Risk by setting and reviewing liquidity and interest rate risk limits, reviewing the profitability and CRAR (Capital to Risk weighted Assets Ratio) position, reviewing of the rates of interest on deposit/advances, adherence to various risk limits fixed by RBI and Board of Directors. The impact of external factors on the Bank's Balance Sheet is assessed periodically for determining

आवधिक रूप से किया जाता है ताकि अभीष्टतम लाभ की दृष्टि से बाजार में वर्तमान चल निधि स्थिति के मद्देनज़र कारोबार नीति का निर्धारण किया जा सके।

5. ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया बैंक के समग्र जोखिम प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है जो ऋण जोखिम को सतत आधार पर मानीटर करता है । बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा ऋण नीति एकल उधारकर्ता / समूह वित्त, उद्योगवार वित्त, संवेदनशील क्षेत्रों की ऋण सीमाओं, मूल्यन नीतियों, ऋण प्रमुख तथा सीमित क्षेत्रों आदि के ऋण स्तरों को कवर करने वाली नीतियों, प्रक्रियाओं और विवेकपूर्ण सीमाओं को सुस्पष्ट करती है। ऋण पुनरीक्षा तंत्र, जो ऋण विभाग तथा ऋण जोखिम विभाग से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बैंक के बड़े ऋणों की आवधिक रूप से समीक्षा तथा निगरानी करता है। जोखिम के केन्द्रीकरण का नियमन ऋण वित्त सीमाओं के निर्धारण, निगरानी एवं समीक्षा द्वारा किया जाता है जो एकल उधारकर्ता वित्त, समूह वित्त, संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण (स्थावर संपदा और पूंजी बाजार सहित) ऋण के प्रमुख, सीमित एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के निर्धारण, उद्योग वित्त, महत्वपूर्ण वित्त एवं अंतर-बैंक ऋण के अनुसार होता है। उद्योगों का अध्ययन निरंतर आधार पर किया जाता है। बैंक ने 'ऋण जोखिम प्रबंध समिति' का गठन किया है जो आवधिक अंतरालों पर ऋण प्रशासन संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों की समीक्षा और निगरानी करती है । बैंक ने बड़े कारपोरेट, लघु कारोबार व सेवाओं, लघु व मध्यम उद्यमों, आधारभूत संरचना, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं, स्थावर संपदा सहित सभी अग्रिमों के लिए विभिन्न ऋण मूल्यांकन मॉडल बनाए हैं। बैंक ऋण सूचना के लिए ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि० (सिबिल) की सेवाएं भी ले रहा है और हाल ही में इसने भावी ग्राहकों की साख के सत्यापन हेतु एक अतिरिक्त प्लेटफार्म के तौर पर अमेरिका के एक सबसे बड़े क्रेडिट ब्यूरो ईक्विफैक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

6. परिचालनपरक जोखिम प्रबंधन

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंध समिति है जो परिचालन जोखिम संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर बैठकें करती हैं । बैंक की परिचालन प्रबन्ध नीति में बैंक में परिचालन जोखिम के मापन, निगरानी और नियंत्रण की संरचना व रूपरेखा दी गई है ।

बासेल–।। दिशानिर्देशों को लागू करने के तौर पर, परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत अपेक्षाओं का परिकलन आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अनुसार किया जाता है। बैंक अब समानांतर तौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएमए) को अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संपर्क कर चुका है और उच्चतर दृष्टिकोण को अपनाने हेतु मौजूदा पद्धति व प्रक्रिया को उन्नत कर रहा है ।

जोखिम संभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए हानि के मामले, धोखाधड़ी, जोखिम एवं नियंत्रण संबंधी स्वमूल्यांकन और महत्वपूर्ण जोखिम संकेतकों से संबंधित आंकड़े/सूचना समेकित की जा रही है । बैंक भारतीय बैंक संघ के माध्यम से शुरू की गई 'ऋण एवं परिचालन जोखिम हानि डाटा विनिमय (कारडेक्स) नामक बाह्य डाटा संचालन कम्पनी' का भी सदस्य है, जो अपने सदस्यों को हानि मामलों अर्थात् धोखाधड़ियों की सूचना उपलब्ध कराता है। बैंक जोखिम की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देता है और पद्धतियों व प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा करके, नियंत्रणकारी पद्धति आरंभ करके तथा इस प्रकार की घटनाओं से स्टाफ को बचाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करके इस प्रकार के जोखिमों को कम करने / रोकने हेतु उपयुक्त कदम उठाता है। इस संबंध में नीति/मैनुअल में कोई परिवर्तन करते समय, विभिन्न विनियामक मार्गनिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

business strategy in the light of prevailing liquidity position in the market with a view to optimize profits.

5. CREDIT RISK MANAGEMENT

The Credit Risk Management Process forms an integral part of overall Risk Management of the bank & monitors the credit risk on continuous basis. The Credit Risk Management policy and Loan policy of the bank articulate policies, processes and prudential limits covering exposure levels for individual borrowers / group exposure, industry wise exposure, limits on exposure to sensitive sectors, pricing policies, lending specifications, thrust and restricted areas of lending etc. The Loan Review Mechanism, functioning independent of the Credit department and Risk Management Department, reviews and monitors large credit exposures of the Bank on periodic basis. The concentration of risks is regulated through fixing, monitoring and reviewing of the credit exposure limits in terms of single borrower exposure, Group exposure, exposure to sensitive sectors (including real estate and capital market), laying down thrust, restricted and prohibited areas of lending, industry exposure, substantial exposure and inter-bank exposure. Industry studies are conducted on an on-going basis. The bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the policies, procedures and systems relating to credit administration and monitoring at periodic intervals. The Bank has put in place different credit rating models for covering the entire range of advances, including Large Corporate, Small Business & Services, Small Medium Enterprises, Infrastructure, Greenfield project, Real Estate etc. Bank is also availing the services of CIBIL for credit information and recently has signed up a MOU with Equifax, one of the largest Credit Bureau of USA, to get an additional platform for verification of credit history of prospective customers.

6. OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

The bank has an Operational Risk Management Committee (ORMC) which meets on regular basis to review the matters related to operational risk. The Operational Risk Management Policy of the bank outlines the structure and framework for measuring, monitoring and controlling the operational risk of the bank.

As a part of implementation of Basel II guidelines, the capital requirement for operational risk is being computed under Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has already approached the Reserve Bank of India for their approval to migrate to The Standardised Approach (TSA) on parallel basis and is in the process of upgrading the existing system and practices to facilitate migration to higher approaches.

The data/ information relating to loss events, frauds, Risk and Control Self Assessment and key risk indicators are being compiled for assessing risk prone areas. Bank is also a member of Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX) incorporated by IBA, which shares the loss events e.g. frauds among its members. The Bank lays due emphasis on identifying risk prone areas and takes suitable steps to mitigate/ prevent such risks by reviewing systems and procedures, introducing control elements and imparting training to the staff so as to guard against such incidents. In this respect, various regulatory guidelines are also being considered while making any change in the process/ policy.